राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का अड़तालीसवां दिवस [संख्या: 25

सोमवार,

28 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में चिकित्सा केन्द्रों का क्रमोन्नयन

437. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में सी.एच.सी., पी.एच.सी. व उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अजमेर में विगत पांच वर्षों में कितने चिकित्सा केन्द्र किस स्तर के कहां-कहां क्रमोन्नत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के बांदरसिंदरी में नवीन सी.एच.सी. तथा ढसूक, खण्डाच, छोटा लाम्बा, सलेमाबाद, टीकावाडा, निम्बार्क तीर्थ, डबरेला, झाड़ोल एवं आकोडिया उप स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने व नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला अजमेर में गत 5 वर्षों (फरवरी 2022 तक) में क्रमोन्नत चिकित्सा संस्थानों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) ग्राम बांदरसिंदरी, पंचायत समिति, किशनगढ़ जिला अजमेर के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति किशनगढ़ में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति किशनगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम खण्डाच, सलेमाबाद (निम्बार्क तीर्थ), टीकावाडा पंचायत समिति, किशनगढ़ एवं ग्राम ढसूक, छोटा लाम्बा, डबरेला, झाडोल, आकोडिया पंचायत समिति, अराई जिला अजमेर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति अराई में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति अराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति किशनगढ़ में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/ गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.09.2021 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम काकलवाडा, बहेडा एवं ढिगारिया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। दिनांक 21.03.2022 को ग्राम गुन्दली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की गई है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति, किशनगढ़ एवं अराईं में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि खण्ड 3 में

(श्री सुरेश टाक)

आपने यह जानकारी दी कि वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं, तो इसमें पी.एच.सी., सी.एच.सी. खोले जाने हेतु विभाग द्वारा किस प्रकार जनसंख्या निर्धारण के मानदण्ड तय किये गये?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि मानदण्ड किस तरह तय किये? उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्र में पांच हजार की आबादी पर, रेगिस्तानी और जनजाति में तीन हजार की आबादी पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्र में 30 हजार की आबादी पर और रेगिस्तानी और जनजाति में 20 हजार की आबादी पर खोला जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक लाख की आबादी पर खोले जाते हैं। यह भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मानदण्ड तय किये गये हैं और अगर इनमें कोई छूट दी जाती है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर दी जाती है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केकड़ी के देवगांव की जनसंख्या 4,400 है और वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित था, जिसे वर्ष 2011 से 2018 के बीच में सीधे सी.एच.सी. बना दिया गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बांदरसिंदरी की 2011 की जनसंख्या 5,526 होने एवं यह एन.एच.-8 पर स्थित होने के कारण से क्या सरकार यहां पर भी सी.एच.सी. खोले जाने का विचार रखती है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि मानदण्ड जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुसार है। आपके विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अरांई में एक के अगेंस्ट में दो खोले हुए हैं और किशनगढ़ में दो के अगेंस्ट में तीन खोले हुए हैं इसलिए आपके वहां मानदण्डों से भी ज्यादा सी.एच.सी. वगैरह खोली गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरपत सिंह राजवी।

कृषि को उद्योग का दर्जा

438. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जनवरी, 2019 से फरवरी, 2022 तक कृषि के विकास के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लिए किसान को विभिन्न रियायतें, प्रोत्साहन दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विगत दिसम्बर, 2018 से फरवरी, 2022 तक किसान के सतत विकास के लिए सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो क्या? उक्त योजनाओं से लाभान्वित किसानों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। जनवरी, 2019 से फरवरी, 2022 तक कृषि के विकास के लिए किसान को विभिन्न रियायतें, प्रोत्साहन हेतु कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है:-

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलें, पौष्टिक अनाज, तिलहन, वृक्ष जनित तिलहन)
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (कृषि विस्तार, ई-गवर्नेन्स, कृषि यांत्रिकी, बीज एवं पौध रोपण सामग्री)
- राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (बारानी क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन/सॉयल हेल्थ कार्ड, कृषि वानिकी मिशन)
- परम्परागत कृषि विकास योजना
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन के उप मिशन - राष्ट्रीय बागवानी मिशन
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- राज्य योजना
- पीएम-कुसुम, कम्पोनेन्ट-बी
- मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना (वर्ष 2021-22 से)

प्रदेश में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में विभिन्न रियायतें, प्रोत्साहन का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(श्री रामलाल जाट)

(2) कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। किसान के सतत विकास के लिए दिसम्बर, 2018 से फरवरी, 2022 तक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (2019-20) एवं मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना (2021-22) प्रारम्भ की गई है। उक्त योजनाओं का विवरण एवं जिलेवार लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-3 से 9 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दस योजनाओं में से नौ तो भारत सरकार की हैं जबकि प्रदेश सरकार 2021-22 से मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना चला रही है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि प्रदेश में किसानों की संख्या के अनुपात में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना से लाभान्वित किसानों का आंकड़ा कितना है और मंत्रीजी के गृह जिले जयपुर सहित 19 जिलों में इसकी संख्या जीरो क्यों है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि भारत सरकार की नौ योजनाएं चल रही हैं, यह बात सही है, लेकिन इसमें भारत सरकार की 2007-08 में भी यू.पी.ए. सरकार ने चालू की है, वे योजनाएं भी हैं। उसके बाद कुछ योजनाएं भारत सरकार ने नाम बदलकर चालू कीं, कुछ एक-दो योजनाएं नयी चालू की हैं। ऐसे केन्द्र, उसमें कुछ में 60:40 और कुछ में 50:50 का बराबर स्टेट और सेंटर का हिस्सा है।

नम्बर दो, जो जीरो बजट वाली बात, माननीय सदस्य ने जो पूछा है नेचुरल फार्मिंग के पहले फेज में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन जिले लिये, बाद में उसको देखते हुए आगे बढ़ाया तो बाकी पन्द्रह जिलों को और जोड़ा, तो उसमें जिलेवाइज ही आपको हमने दी। अजमेर में जैसे कुल व्यय 8 लाख 30 हजार रुपये किये हमने 600 किसानों को, अलवर में 500 है, बारां में 1200 है, बाड़मेर में 1750 है, बांसवाड़ा में 2080 है, भीलवाड़ा में 1200 है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय मंत्रीजी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जयपुर जिला, उसमें माननीय

(श्री रामलाल जाट)

अध्यक्ष महोदय, जो 15 जिले लिये उसमें नहीं, अब पायलट प्रोजेक्ट सफल हुए तो आगे के जिलों को अब जोड़ने की घोषणा हुई। बाकी 15 जिलों में जो है, वह आंकड़े आपके सामने हैं। जैसा कि माननीय सदस्य का कहना है कि स्टेट की लगभग 18 योजनाएं किसान की, सबसे ज्यादा बजट किसानों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दे रही है। सेंटर की केवल 9 स्कीम हैं उसमें भी 50-50 परसेंट का, इन नौ में भी पहले यू.पी.ए. की भी चली हुई योजनाएं हैं, वे चालू हैं, वे हैं। कुछ का नाम बदला है। ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान की सरकार, आज अलग बजट भी पेश किया और इन योजनाओं में भी अलग-अलग फण्ड दिया और गांवों में काम भी हो रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करने वाली मौजूदा सरकार ने मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना में डिग्गी एवं फार्म पॉण्ड निर्माण, किट्स वितरण, स्प्रिंकलर व ड्रिप के लाभान्वित किसानों की सूची दी है। मात्र नाम बदल कर शुरू की गयी योजना के पहले ये सभी कार्य मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत हो रहे थे। ऐसे में क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर बनायी गयी मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना में नया क्या अतिरिक्त दिया गया है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना में डिग्गी एवं फार्म पॉण्ड, एक अलग स्कीम है, यह जो मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन वाली तो एक न्यूज पेपर के माध्यम से चली थी, वह उसके माध्यम से एन.जी.ओ. के द्वारा चली हुई थी, उसमें काम हुआ। यह मुख्य मंत्रीजी ने अलग से बजट में की, इसमें जिलेवाइज आंकड़े हैं। आप देखो तो इसमें लगभग 3,957 तो फार्म पॉण्ड है, डिग्गी निर्माण 2,180 है, इसमें अलग-अलग जिलेवाइज 33 जिलों का लिया है जो कि जहां डिग्गी जिस जिले में बनाना चाहते हैं, उस जिले में डिग्गी बनी है, बाकी फार्म पॉण्ड बनाना चाहते हैं तो फार्म पॉण्ड है। बाकी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भी यह पहले ही जो फार्म पॉण्ड या अपने पानी के ढलान के कटाव को रोकने के लिए यह काम करते हैं, चरागाह डवलपमेंट में, उसमें पानी को रोकने का मेन उद्देश्य इस योजना का यही है, उसको मुख्य मंत्रीजी गहलोत साहब ने अच्छी तरीके से बजट में लेकर यह किया है कि नरेगा के अलावा इसमें, पहले भी आपने नरेगा

(श्री रामलाल जाट)

के थ्रू किया, उसमें कोई अलग से बजट नहीं दिया। पहली बार इसमें बजट दिया है राजस्थान सरकार ने, इसका यह फर्क है, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में एनिकट का निर्माण

439. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कितने जल स्रोत, बांध एवं एनिकट कहां-कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी पर घटारानी माताजी के पास तथा ओड़िया खेड़ा से घटारानी मार्ग पर एनिकट व रपट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व में निर्मित जल स्रोत बांध, एनिकटों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना बनाकर बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बनास नदी पर (घटारानी माताजी के पास) तथा ओडिया खेडा से घटारानी मार्ग पर एनिकट का निर्माण स्थल पूर्व निर्मित बीसलपुर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी हां। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन 9 बांधों में से 5 बांधों एवं नहरों के सुदृढ़ीकरण के कार्य राशि रुपये 918.15 लाख का व्यय कर पूर्ण किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है, तथा कोठारी बांध एवं इसकी नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगतिरत है, जिस पर अब तक राशि रुपये 819.82 लाख का व्यय किया जा चुका है।

दो बांधों एवं नहरों के प्रस्ताव डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 150 लाख के एवं एक बांध व नहर राशि रुपये 70 लाख के (मनरेगा में) प्रस्तावित किये

(जल संसाधन मंत्री)

गये हैं। स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायती राज को हस्तांतरित बांधों एवं एनिकटों के सुदृढ़ीकरण के कार्य आवश्यकतानुसार उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा गया। आप प्रश्न पूछें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि बनास नदी में किसानों का जल स्तर बढ़ाने के लिए जीरो लेवल का एनिकट बनाने की मंशा रखते हैं क्या?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर डैम के कैचमेंट में है और इसकी वजह से हम नया कोई एनिकट का निर्माण नहीं कर सकते हैं।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सारा पानी बीसलपुर से आता है लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए मेरे द्वारा जो प्रस्ताव दिये गये हैं, उनको क्या स्वीकृत करने का विचार मंत्रीजी रखते हैं?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर के कैचमेंट में जो होगा उसको तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन इसके अलावा माननीय सदस्य अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं और बीसलपुर के कैचमेंट में नहीं है तो हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): जी, सर।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पुराने जो स्ट्रक्चर हैं, उनको ठीक करने के लिए आपने पैसा स्वीकृत किया। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी देखें कि हमने जब योजना स्वीकृत की और जब पूर्ण हुई, उसके बीच में बहुत बड़ी राशि का गैप है। क्या यह इसको साबित करता है कि हमारा जो एस्टिमेट बनाया जा रहा है, वह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बनाया जाता है और कार्य जब पूर्ण होता है तो 40 परसेंट, 50 परसेंट पैसे में पूरा हो जाता है। इस सारी व्यवस्था को मंत्री महोदय अपने विभाग के स्तर पर मानिटरिंग करायेंगे टेस्ट केस के रूप में? इन अधिकारियों का एक शौक बन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गया है, चाहे जितना एस्टिमेट बनाकर उसको करवाते हैं ताकि जितना आ जाये, उतना ठीक है और 40 परसेंट, 50 परसेंट बिलो इस कारण से जाते हैं कि हमारा एस्टिमेट गलत है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है, उसको मैं अपने विभाग से एग्जामिन करवाऊंगा। अगर इस प्रकार की कोई गलती होगी तो इसको हम ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह गम्भीर विषय है। ओरिजिनल एस्टिमेट और डेविएशन के बीच में जो अन्तर है, क्या विभाग के अधिकारी निर्णय नहीं कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल एस्टिमेट है, उसका 10 परसेंट डेविएशन के अलावा अलाउ नहीं करेंगे और जो अधिकारी इस तरह का कर रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इस सम्बन्ध में विभाग क्या निर्णय करेगा?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): इसका हम परीक्षण करवायेंगे और इस प्रकार से अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, गलती का सवाल नहीं है। प्लीज बैठें आप। पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए चाहे विभाग इर्रिगेशन का हो, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. का हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, ओरिजिनल जो एस्टिमेट बन रहा है, उसके बाद टेंडर हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है, फिर डेविएशन शुरू होता है। डेविएशन के बारे में ओरिजिनल जो कोस्ट है, उससे 30 परसेंट, 40 परसेंट, 50 परसेंट डेविएशन जा रहा है। इसका मतलब जो टेक्निकल आदमी है, वह एस्टिमेट ठीक ढंग से नहीं बना रहा है। क्या सरकार इस बारे में निर्णय करेगी कि हम ओरिजिनल एस्टिमेट से डेविएशन का कितने परसेंट तक अलाउ करेंगे? अगर ज्यादा हुआ तो विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

टाटगढ़ उपखण्ड में बीसलपुर से पेयजल की आपूर्ति

440. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध

(श्री शंकर सिंह रावत)

कराने के लिए बीसलपुर परियोजना कब स्वीकृत की गई तथा इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई व इसका कितना कार्य पूर्ण हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के टाटगढ़ उपखण्ड के गांवों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने में क्या बाधाएं आ रही हैं तथा उक्त को दूर करने के लिए अधिकारियों ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त उपखण्ड को शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पंचायत समिति जवाजा के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 199 ग्राम एवं इनकी 390 ढाणियों को सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 231.46 करोड़ की जारी की गई।

उक्त पेयजल परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जाकर उक्त विधान सभा क्षेत्र के 165 ग्राम एवं 230 ढाणियों में बीसलपुर बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है ।

उक्त स्वीकृत परियोजना के प्रावधान के अनुरूप कार्यों की प्रगति की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के उक्त 199 ग्राम एवं 390 ढाणियों में से उपखण्ड टाटगढ़ के 34 ग्राम एवं इनकी 160 ढाणियां रावली-टाटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र तथा तारागढ़ वन क्षेत्र में अवस्थित हैं।

उक्त ग्राम एवं ढाणियों हेतु पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य के अतिरिक्त पम्प हाउस, उच्च जलाशय एवं संबंधित अन्य कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य हेतु वन विभाग से अनुमति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त परियोजना अंतर्गत टाटगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य की वन्यजीव एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

करने हेतु विभाग द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। मुख्य वन संरक्षक, अजमेर द्वारा उक्त कार्य की अनुमति हेतु प्रकरण नोडल अधिकारी, राजस्थान को दिनांक 03.03.2022 को प्रेषित किया गया है।

वन विभाग से अनुमति मिलने के उपरान्त आगामी 4 से 5 माह में उपखण्ड क्षेत्र, टाटगढ़ के 34 ग्राम एवं 160 ढाणियों को उक्त परियोजना से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस कार्य को स्वीकृत हुए 10 वर्ष हो गये और बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। यह कार्य कितने वर्षों में पूरा हो जायेगा? कब तक पूरा हो जायेगा? दूसरा सवाल यह है कि वन विभाग की अनुमति का कारण बताया जा रहा है तो क्या अनुमति मिल चुकी है या नहीं मिली? तीसरा सवाल है कि टाटगढ़ के मेडिया गांव में अभी तक पानी की टंकी भी नहीं बनी है, क्या वहां टंकी बनायेंगे या नहीं बनायेंगे? चौथा, टाटगढ़ उपखण्ड के गांवों में पानी कब तक पहुंच जायेगा? इनका जवाब दे देंगे। धन्यवाद।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि दस वर्ष होने को आये, कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस कार्य में बहुत सारे विभाग भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे काम भी जुड़े हुए हैं। विशेषकर वन विभाग की अनुमति मिलने में, जमीन के आबंटन में, रेलवे क्रोसिंग की अनुमति नहीं मिलने में और कहीं-कहीं हाई-वे का भी मामला आ जाता है, इन कारणों से लगातार लेट हुआ है। अब इन कामों को बिलकुल मुस्तैदी के साथ पूरा कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से प्रस्तावित है कि हम जल्दी ही, 2022 में इस कार्य को कराने की इच्छा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी। शंकरजी, पहले आप पूछ लो।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सर, मेडिया गांव में टंकी नहीं बनी है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

बहुत ऊंचाई में है वह और ऊंट से पानी जाता है। क्या वहां पर आप टंकी बनाओगे या नहीं बनाओगे, मंत्री महोदय? वन विभाग की अनुमति मिल गयी या नहीं? यह थोड़ा बतायें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी तक वन विभाग की अनुमति, सूचना नहीं मिली है। नोडल अधिकारी के पास वन विभाग की अनुमति के लिए पत्र गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वह अनुमति मिल जाये। अनुमति मिलने के बाद चार से पांच महीने में हम इस कार्य को पूर्ण करायेंगे। वैसे मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं, कि बाकी परियोजना का 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। छोटे-छोटे काम बीच में अटक रहे हैं। लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह काम 100 प्रतिशत पूरे नहीं हो जायेंगे। इस पांच प्रतिशत काम को भी जल्दी कराना प्रस्तावित है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेडिया में टंकी बनेगी या नहीं बनेगी? टाटगढ़ उपखण्ड के एक भी गांव में पानी नहीं गया है, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। बात हो गयी। बार-बार रिपीट कर रहे हैं। उस गांव की जो समस्या है, उसके बारे में कोई सोल्यूशन है क्या अपने पास?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल काम की है। उस गांव की पर्टिकुलर तो नहीं है लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जब 100 प्रतिशत काम की बात होगी तो वहां 100 प्रतिशत टंकी भी आयेगी और आपका काम पूरा होगा।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक में 30.05.2013 को यह योजना स्वीकृत हुई। इसमें टाटगढ़ के 34 गांव और 160 ढाणियां सम्मिलित थीं। उस समय भी यह वन्य क्षेत्र में आता था और उसकी परमिशन लेनी थी। अब भी आपने कुछ काम तो करवा दिया और कुछ काम आज भी इसलिए बाकी है कि वन विभाग की अभी तक भी आपको एन.ओ.सी. नहीं मिली है तो 2013 से लेकर इतने दिनों तक वन विभाग से लेने का प्रयत्न किया, उसमें आपको टाटगढ़ क्षेत्र में सफलता क्यों नहीं मिली?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग से हमने लगातार कोशिशें की हैं। चूंकि यह मामला राज्य सरकार से होता हुआ केन्द्र सरकार में जाता है और फिर लखनऊ तक जाता है, तो अनुमति मिलने में आम-तौर पर देरी होती है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 95 प्रतिशत काम हमने पूरा कर लिया और 5 प्रतिशत की बात है। माननीय नेता महोदय, आपकी भावना निश्चित रूप से सराहनीय है, आप चाहते हैं कि काम टाइम से हो, जल्दी हो, पूरा हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आखिरी जो टाटगढ़ वाली योजना में अनुमति मिलना बची है, यह होते ही हम चार से पांच महीने में काम पूरा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ के किसानों से बीमा राशि की कटौती

441. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एक जनवरी, 2019 से फरवरी, 2022 तक विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कितने किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समिति व केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण लिया है तथा इनमें से कितने किसानों से फसल बीमा राशि की कटौती की गई व कितने किसानों को फसल खराब की राशि का कब-कब मुआवजा दिया गया? जिन किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों की बीमा राशि की कटौती की जाकर सहकारी संस्थाओं ने बीमा कंपनियों को जमा ही नहीं करवायी है? यदि हां, तो क्या खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई सहकारी संस्थाओं द्वारा की जाएगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (सहकारिता मंत्री के स्थान पर): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2019 से वर्तमान तक ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. श्रीगंगानगर से ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या एवं खाते में डेबिट किये गये प्रीमियम का विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा राशि का

(श्री टीकाराम जूली)

भुगतान संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा बीमित सदस्यों के बचत खातों में डी बी टी के माध्यम से सीधे जमा करवाया जा रहा है। फसल बीमा हेतु प्रभारी विभाग कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों द्वारा विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में प्रीमियम कटौती व क्लेम भुगतान की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. श्रीगंगानगर द्वारा काटी गई प्रीमियम राशि को बीमा कम्पनी को जमा करवायी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि जब बीमा राशि किसान से काटी जाती है तो क्या इसके साथ-साथ जीवन बीमा भी काटने का काम आपका विभाग करता है? बीमा की इतनी ज्यादा राशि है। अध्यक्ष महोदय, 40 हजार रुपये, 60 हजार रुपये से ज्यादा ऋण तो आप देते ही नहीं हो, डेढ़ लाख तो देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, 4 हजार ब्याज और 36 सौ रुपये बीमा राशि के नाम...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है, समझाना नहीं है। प्रश्न पूछो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): प्रश्न यह है कि जीवन बीमा राशि के 60 हजार पर 36 सौ रुपये काश्तकार से आप काटते हो, क्या यह सही है?

श्री अध्यक्ष: Good.

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रकार के बीमा होते हैं। एक दुर्घटना बीमा होता है, जिसके 370 रुपये हम काटते हैं और दूसरा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा होता है, उसके हम 17 रुपये 70 पैसे प्रति हजार 18 साल से 60 वर्ष तक के लिए और दूसरा 60 साल से 79 वर्ष तक के लिए 46.61 प्रति हजार है। जितनी उनकी राशि है, जो उन्होंने लोन लिया है, जितना ऋण लेते हैं, उसके हिसाब से उसके अन्दर राशि काटते हैं और जितनी लोन की राशि है, उतने का ही उसके अन्दर क्लेम होता है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से सीधा-सीधा सवाल है कि प्रथम तो डेढ़ लाख रुपये बिना ब्याज के देने की जो आपकी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पालिसी का सवाल है। प्रश्न पूछो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, बीमा कटौती इसमें होती है। हर वर्ष बीमा काटना न्यायसंगत नहीं है। इसकी राशि भी अलग-अलग है। पहले कम थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न जो पूछा है, उस पर पूछो। आप पालिसी पर डिस्कस कर रहे हो। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, सवाल यही है कि आप यह जो मुफ्त ऋण देते हैं डेढ़ लाख तक का, इसके साथ ही बीमा कट जाता है क्या? अगर कट जाता है तो उन किसानों को मिला कि नहीं मिला?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो अलग-अलग क्वेश्चन हो रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है, इसके लिए माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी ने क्वेश्चन लगाया हुआ है, उसके अन्दर यह क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन प्रधानमंत्री फसल बीमा का है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा का पूछा है तो उसके अन्दर स्वैच्छिक है। यह 2017-18, 2018-19 तक तो, माननीय अध्यक्षजी, ऐच्छिक था कि सभी किसानों को करवाया जाना अनिवार्य था, लेकिन खरीफ 2020 से भारत सरकार के यह आर्डर आ गये कि जो किसान अपना फसल बीमा कराना चाहता है, वह प्रीमियम राशि कटवा सकता है। कासनियां जी ने जो क्वेश्चन लगाया, वह उस चीज के लिए लगाया है और जो दूसरा क्वेश्चन है, वह मिक्स-अप हो रहा है, तो वह राठौड़ जी का प्रश्न आएगा, उस समय मैं उसको क्लियर कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो उसका ऐच्छिक कर दिया, यह बात समझ में आती है, लेकिन जिन्होंने ऐच्छिक नहीं कराया, उनको छोड़ दीजिए, पर जिन लोगों का पैसा कट गया, उनको यह लाभ मिला कि नहीं मिला?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जिन लोगों का पैसा कटा है, उनको लाभ मिला है। सबकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीयन

442. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए पात्रता के आधार पर निर्धारण किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कितने परिवारों द्वारा पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में पंजीयन के उपरान्त सभी आवेदकों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जा चुका है? यदि नहीं, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रतीक्षार्थी अब तक वंचित हैं? उक्त वंचितों को कब तक उक्त योजना में जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट करने के लिए विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.09.2018 से पात्रता के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक 5,805 परिवारों ने पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में उक्त अवधि में पंजीकृत 5,805 आवेदनों में से कुल 451 आवेदन पत्र शेष हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि जो पात्र परिवार हैं कुछ जगह समायोजन में इस योजना में नहीं जोड़े गये हैं और प्रदेश में खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का ऑनलाइन पोर्टल भी दो वर्षों से बन्द पड़ा है, उसको चालू करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग नियम विरुद्ध जाकर खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, उन्हें हटाये जाने और वास्तव में जरूरतमन्द पात्र परिवारों को ही प्राथमिकता दें, इस ओर सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पोर्टल की बात आ रही है, मामला बड़ा सीरियस है और इसको लेकर मुख्य मंत्रीजी ने सात बार प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा है। जो केन्द्र से टीम आयी थी, तब कैबिनेट की मीटिंग हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं, वहां मैंने यह पूरी बात रखी थी, तब केन्द्र की टीम ने यह माना कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने जो नाम काटे हैं, वह नाम तो आप जोड़ ही सकते हैं। यहां पर एग्री कर गये लेकिन जब राजस्थान के अधिकारी दिल्ली गये, उन्होंने कहा कि आपने एग्री कर लिया, अब हम शुरू कर देते हैं, तो उस पर उन्होंने मना कर दिया। हम लगातार कोशिश में हैं कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार परमिट करे, जिससे खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ सकें और हम इसलिए नाम स्पेशल नहीं मांग रहे हैं। जैसे हमारे 4 करोड़ 46 लाख लोगों का कोटा है, हम कह रहे हैं कि हमें तो 4 करोड़ 46 लाख का दे दो। 30 लाख लोग ऐसे हैं, जो हर महीने लेने नहीं आते हैं। वह कहते हैं कि आप इन्हीं नामों को दो। हमने कहा कि हमें कोटा 2011 की जनगणना के अनुसार दिया, अब तो हमें आज की जनगणना के अनुसार देना चाहिए। केन्द्र सरकार बाकी तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन जो लोग खाद्य सुरक्षा गारण्टी कानून, यह पुरानी सरकार का है, मनमोहन सिंहजी के टाइम का है और उस योजना में यदि आज की जनगणना के अनुसार दें तो हमारा बढ़ेगा। हम तो कह रहे हैं बढ़ाओ मत, जितना है उतना ही रखो, लेकिन हमें दो तो सही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सदन के जरिए, केन्द्र में सरकार हालांकि किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, आप विपक्ष के नेता महोदय से कहें कि हमारे साथ जाएं, लीड यह करें और हमको हमारा पूरा कोटा दिला दें और यहां गरीब को जो जरूरत है, उस जरूरतमंद को हम दे पाएं। इतना-सा यह करवा दें तो हम इनको मान जाएंगे कि यह राजस्थान के लिए कुछ करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मुकेश भाकर।

मदरसा पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाने की कार्ययोजना

443. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अब तक कितने मदरसा पैरा टीचर्स को नियुक्त किया

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

गया व उक्त में से कितनों को प्रबोधक बनाया गया व कितने शिक्षक अब भी पैरा टीचर ही हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बचे हुए मदरसा पैरा टीचर्स को स्थाई कर प्रबोधक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 20 छात्र-छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नामांकित होने पर विद्यालय में उर्दू अध्यापक का पद सृजित किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कुल कितने पद सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में शिक्षण कार्य के लिए निश्चित मानदेय पर संविदा आधारित पैरा टीचर्स/शिक्षा सहयोगी लगाये जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड से प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में कुल 5,656 पैरा टीचर्स कार्यरत हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा पैरा टीचर्स को रखे जाने का वर्ष व संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

कायार्लय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आदेश क्रमांक प्रबोधक/सीधी भर्ती/28-29/08 दिनांक 31.05.2008 के द्वारा संविदाकर्मियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के संबंध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित मदरसा पैरा टीचर्स, जिनको कम से कम 05 वर्ष का निरन्तर अध्यापन अनुभव हो, को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। कुल 571 मदरसा पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाया गया।

(2) वर्तमान में बचे हुए मदरसा पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही हैं। राजकीय विभागों में अनुबन्ध आधारित नियुक्ति एवं सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक F.17(4)DOP/A-2/2014 दिनांक 11.01.2022 के द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 (Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022) को लागू किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन मदरसों में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले 20 से अधिक विद्यार्थी

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

उपलब्ध होंगे उनमें गुणावगुण व वित्तीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार उर्दू अध्यापक का पद सृजित करने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा गया। माननीय मुकेश जी, प्रश्न पूछें।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): प्रदेश में अब तक कितने मदरसा पैरा टीचर्स को नियुक्त किया गया? उक्त में से कितनों को प्रबोधक बनाया गया है व कितने शिक्षक अभी भी पैरा टीचर्स हैं? संख्या का विवरण बताएं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): यह तो सब चीज मैंने खण्ड-1 में आपको बता दिया कि इसमें कितनों को प्रबोधक बनाया गया है। पूरी लिस्ट आपको साथ में लगायी हुई है। आप परिशिष्ट में देखें।

श्री अध्यक्ष: पढ़ लेंगे वह। दूसरा प्रश्न पूछें, मुकेश।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या सरकार उक्त बचे हुए मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी कर प्रबोधक बनाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 11.01.2022 को मुख्य सचिव और कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जो भी ऐसे संविदाकर्मी हैं, उनके लिए अलग से सेवा नियम और रूल्स बनाए हैं। उसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है, उसके अनुसार विभागों को पाबन्द किया है और उस समयावधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खुशवीरसिंह।

मारवाड़ जंक्शन में रीको द्वारा अवाप्त भूमि

444. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की तहसील मारवाड़ जंक्शन में (RIICO) रीको द्वारा कितनी भूमि कब-कब अवाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थान पर किन-किन लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि आबंटित की गई? भूखण्डधारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(3) उक्त औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितने उद्योग कार्यरत व कितने अकार्यरत हैं? संचालित व बंद उद्योगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) तहसील मारवाड़ जंक्शन में रीको द्वारा 4.16 हैक्टेयर निजी भूमि अवाप्त की गई जिसका नामान्तकरण दिनांक 30.01.1980 को दर्ज किया गया। वर्तमान में उक्त भूमि पर रीको एरिया विकसित है। अवाप्त की गयी भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उद्योग स्थापित करने हेतु 40 औद्योगिक भूखण्ड 33 इकाइयों को आबंटित किये गये थे। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त आबंटित इकाइयों में से तीन औद्योगिक इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापित नहीं करने के कारण भूखण्डों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। निरस्त भूखण्डों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

औद्योगिक क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में आबंटित 33 इकाइयों में से 30 इकाइयों द्वारा नियमानुसार उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

उक्त 30 इकाइयों में से 6 इकाइयां संचालित हैं तथा 24 इकाइयां बंद हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1980 के आस-पास 30 औद्योगिक इकाइयों को आबंटन किया गया था, उसमें से कुछ समय चलने के बाद में 24 इकाइयां बन्द हो गयीं। क्या सरकार बन्द इकाइयों को जिस उत्पाद के लिए आबंटित की गयी थीं, समय के साथ में परिवर्तन को देखते हुए उत्पाद परिवर्तन करने की अनुमति देने का विचार रखती है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि जो औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गयी हैं और उन्होंने जिस परपज से, जिस प्रोडक्शन के लिए वह ली थी, उसका उत्पाद नहीं हो रहा है और वह बन्द हो गयी हैं। अगर वह कोई दूसरा उत्पाद परिवर्तन करना चाहते हैं तो माननीय सदस्य हमें कोई भी तारीख दे दें, जितने भी कम्पनी वाले हैं, हम उनका कैम्प लगाकर चेंज करने के लिए तैयार हैं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार बन्द इकाइयों को वाणिज्यिक अनुमति देने का विचार रखती है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा वाणिज्यिक का, यह माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। खुद पर्सनल मैंने मीटिंग करके यह कहा है कि अपन इसकी पूरी तैयारी करके कोर्ट में बढ़िया तरीके से पैरवी करें, जिससे वापस से लैण्ड चेंजिंग का प्रोसीजर चालू हो जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में नवीन ग्रामीण बस सेवा का संचालन

445. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में नई ग्रामीण बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में जाडन से पिण्डवाड़ा तक NH 62 स्थित गांवों के यात्रियों को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें ओवरब्रिज पर उतारती-चढ़ाती हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड पर संचालित सभी बसों को सर्विस रोड पर स्थित बस स्टाप पर यात्रियों को उतारने हेतु निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्तमान में संचालित निगम बसों के अतिरिक्त अन्य बस संचालित किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जाडन से पिण्डवाड़ा तक एनएच 62 पर निगम द्वारा संचालित बसों के द्वारा यात्रियों को ओवरब्रिज पर नहीं उतारा-चढ़ाया जाता है। यात्रियों को सर्विस रोड पर स्थित बस स्टॉप पर ही उतारा-चढ़ाया जाता है। इस संदर्भ में निगम द्वारा जारी नवीनतम आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सीमित संसाधनों का विस्तार कब होगा? वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। मंत्रीजी ने विधान सभा में भी प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक विधायक से बस चालू करने के लिए एक-एक, दो-दो रूट मांगे थे। क्या सरकार बस सेवा शुरू करने की मंशा रखती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, विधान सभा क्षेत्र ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसाधन आने दो, वित्तीय संसाधन। दूसरे प्रश्न के लिए?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): ग्रामीण बस सेवा का माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, वह वित्त विभाग के विचाराधीन है। वित्त विभाग से जैसे ही उस पर मंजूरी मिलेगी, हम उस पर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा। साधन ही नहीं है, आप पूछे जाओगे तो अन्त कहां है?

उदयपुर संभाग के जनजाति क्षेत्र में विकास कार्य

446. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही जिला क्षेत्र के निवासियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं बजट में घोषित की जाती रही हैं?

(2) विगत तीन वर्षों में परामर्शदात्री समिति की कितनी बार बैठक हुई? बैठक में लिये गये प्रस्तावों व निर्णयों की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्र है? विगत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्र में जनजाति विकास के नाम से किन-किन कार्यों के लिये कितना-कितना बजट, कहां-कहां जारी किया गया? वर्षवार, पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के लिये विभिन्न कार्यों के प्रस्तावों के अनुसार बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। जनजाति क्षेत्र उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही जिला क्षेत्र के निवासियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जनजाति विकास योजनाओं हेतु राशि का आबंटन किया जाता है। योजनाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्षों में जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2021 को आयोजित हुई है।

बैठक में लिये गये प्रस्तावों व निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक विभिन्न योजनाओं में कुल 6,399.56 लाख रु. व्यय किये गये, जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) विभाग द्वारा कार्य की उपादेयता, आवश्यकता अनुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

(सूची, प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में हमारे विधान सभा क्षेत्रों के लिए जो बजट आता है, वह आपने आज तक नहीं दिया।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि आपने परिशिष्ट 'ब' में अंकित 1, 2, 3, 4 और 5 की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विभाग द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्या इस संबंध में आप अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं या नहीं?

(श्री अमृतलाल मीणा)

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कितना बजट है, उसमें भी आपने 6,399 लाख रुपये खर्च करने की बात कही है। लेकिन इसमें कहीं हवाला नहीं है कि हमने वहां-वहां पैसा खर्च किया है। यह भी सूचना आपने गलत दी है। मेरा निवेदन है कि आप बचे हुए समय में हमें बजट आबंटन करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कहां हुआ?

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पैसा ही नहीं दे रहे हैं। प्रश्न यही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका? यह पूछो ना।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): प्रश्न यही है कि 1, 2, 3, 4 और 5 में जो सूचना दी है, आपने लिख तो दिया है, लेकिन उसमें जो सूचीवार होना चाहिए वह है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनका प्रश्न यह है कि ...

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास विभागवाइज पर्टिकुलर काम का ...

श्री अध्यक्ष: आपके पास है। माननीय सदस्य के पास नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैं आपको टेबल कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर माननीय सदस्य के पास जाने चाहिए। सदन पर रखना चाहिए। आपने उत्तर भेजा है। सदन में है कि नहीं है, यह पूछ रहे हैं वह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): स्थगित करो, सर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठक में नीतिगत क्या होता है, उसकी तो लम्बी फेहरिस्त पकड़ा दी, लेकिन उसमें निर्णय क्या किया, इसका कहीं कोई हवाला नहीं है कि इस बैठक के आधार पर इस पैसे का डिस्ट्रिब्यूशन कैसे हुआ? यह इसमें कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न पढ़ लें। इसमें विगत 3 वर्षों में परामर्शदात्री समितियों की कितनी बार बैठक हुई? बैठक में लिये गये प्रस्तावों

(श्री अध्यक्ष)
व निर्णयों की क्या स्थिति है? निर्णय के सम्बन्ध में दिया कि नहीं दिया? यह पूछ रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 'ब' पर जो भी जनजाति परामर्शदात्री समिति की बैठक में प्रस्ताव आये हैं, उसके सुझाव और उसके निर्णय के लिये जिन-जिन विभागों का, जो प्रश्न आये हैं उन विभागों को हमने काम करने के लिये चाहे फोरेस्ट विभाग हो, पी.डब्ल्यू.डी. हो, उन सबके आंसर उनके आगे दे दिये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं कड़वा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी से इन 3 सालों में यह सारा पैसा केवल अपने इलाके में ले गये। बाकी किसी एम.एल.ए. को नहीं मिला। आप इनसे लिस्ट मंगवा लो, अब तक जो सैंक्शन इनके डिपार्टमेंट ने निकाली हो, उसकी एक फेहरिस्त इस टेबल पर रख दें तो आपको स्वयं देखकर के आश्चर्य होगा कि इन्होंने इन सारे एम.एल.एज. को एक तरह से नकार दिया है। एक पैसा नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, बोलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 'ब' पर परामर्शदात्री की बैठक के सारे निर्णय हैं। मैं टेबल कर सकता हूं। आपको उत्तर में भी दिया है।

श्री अध्यक्ष: सुनने दो। मंत्री को नहीं सुनना है? मैं अगला प्रश्न लूं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन परामर्शदात्री की बैठक का माननीय आसपुर से आने वाले सदस्य ने रखा था, उस दिन भी मैंने आंसर दिया था कि कोरोना की वजह से एक ही मीटिंग हुई है।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल आपकी सरकार में कोरोना नहीं होते हुए भी मात्र 2 बैठकें हुई थीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठें। प्लीज। बैठक हुई या नहीं हुई यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जिन हैड के अन्तर्गत पैसा है, वह जो विधायक हैं जो आदिवासी इलाके को रिप्रजेंट करते हैं, उनमें भी पैसे का डिस्ट्रिब्यूशन हो, इसके सम्बन्ध में विभाग ध्यान रखे।

प्रश्न संख्या 447

अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल गमेती।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कोटा में आई.आई.आई.टी. की नियमित कक्षायें

448. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा में आई.आई.आई.टी. का कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी. के संचालन हेतु क्या-क्या तैयारी की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा में आई.आई.आई.टी. की नियमित कक्षायें कब तक प्रारम्भ हो जायेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। कोटा में आई.आई.आई.टी. का कार्य कार्यकारी एजेंसी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चरण 1-अ के निर्माण का कार्य दिनांक 01.10.2020 एवं चरण 1-ब के निर्माण का कार्य दिनांक 04.01.2021 से प्रारम्भ किया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा की शाषी परिषद् की दिनांक 24.02.2022 को सम्पन्न आठवीं बैठक में कार्यकारी एजेंसी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य में गति लाने एवं संस्थान को फर्नीचर एवं फिक्सचर्स, मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद तथा लैबोरेटरी आदि की स्थापना का कार्य आवश्यक रूप से 30.09.2022 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं ताकि 31.12.2022 तक संस्थान कोटा में स्थानांतरित किया जाकर प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा सकें। निर्माण कार्य प्रगति विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) आई.आई.आई.टी. कोटा की शाषी परिषद् की दिनांक 24.02.2022 को सम्पन्न आठवीं बैठक की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा शाषी मण्डल की ओर से कार्यकारी एजेन्सी (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) को निर्माण कार्य नियत समय पर पूर्णरूपेण पूरा करने के लिए पाबन्द किया गया है। निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण किये जाने हेतु

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

संस्थान द्वारा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की क्लोज मानिटरिंग करते हुए मुख्य सचिव को समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता से अवगत कराते रहने के लिए एवं संस्थान के संचालन की प्रक्रिया में शामिल सभी अवयवों को अनिवार्य रूप से इस परिसर निर्माण के पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा करने हेतु पाबन्द किया गया है। विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की भर्ती हेतु नियम बनाये जाकर अतिशीघ्र भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से अनुमोदित कराये जाकर बोर्ड को प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि 31.12.2022 तक समस्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा सके एवं संस्थान की समस्त प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियां आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्थायी कैंपस कोटा से संचालित की जा सकें।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है उसके अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट में आपने बताया है कि अभी तक एकेडमिक भवन का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है। हॉस्टल का भी अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लैबोरेटरी की भी स्थापना अभी नहीं हुई है। इसके लिये भी जो आवश्यक उपकरण थे, वह आपने अभी खरीदे नहीं हैं।

आप मुझे आश्वस्त करें कि किस प्रकार आप इन अभावों में 2023 में आई.आई.आई.टी. कोटा में विधिवत रूप से प्रारम्भ कर पायेंगे? कोटा में आई.आई.आई.टी. के लिए जो पूर्णकालिक निदेशक भर्ती हुई थी, जो विज्ञप्ति जारी की गयी थी, उसमें कितने प्रार्थना-पत्र आपको प्राप्त हुए तथा क्या उनकी स्क्रूटनी हो गयी? अगर हो गयी तो फिर कब तक इनके इंटरव्यू कराकर आप कब तक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न इर्रेलेवेंट है। प्लीज। माननीय मंत्री जी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस

(डा. सुभाष गर्ग)

आई.आई.आई.टी. की घोषणा 2012 में की गयी थी। 2013 में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद 2013 से 2017 तक इस पर कार्य बहुत प्रगति नहीं कर पाया।

यह आई.आई.आई.टी. कोटा जो खोली गयी है वह पी.पी.पी. मॉडल पर खोली गयी है। 50 परसेंट हिस्सा गवर्नमेंट आफ इंडिया का होता है, 35 परसेंट हिस्सा राजस्थान सरकार का है, 15 परसेंट निजी क्षेत्र की 4 कंपनियों का है। जिसमें भारत सरकार का जितना पैसा ड्यू था, वह मिल चुका है। राजस्थान सरकार भी अपना जितना पैसा ड्यू था वह जमा करा चुकी है। निजी क्षेत्र की भी 3 कंपनियों के द्वारा पैसा आ चुका है, एक ने असमर्थता व्यक्त कर दी है, जिसके पत्र पर कार्यवाही जारी है।

जहां तक इस आई.आई.आई.टी. की नियमित रूप से कक्षाएं कोटा में चलाने की बात है, तो अभी हाल ही में, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2013 से 2017-18 तक कोई भी बैठक आपके कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा मंत्री...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बी रिलेवेंट।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, मुझे बताना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: नो प्लीज, नो प्लीज। आंसर टू बी रिलेवेंट। आप रिलेवेंट बतायें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): वही बता रहा हूं। अब मैंने लगातार 2020 में, 2021 में और अभी 2022 में फरवरी में सी एस ने मीटिंग ली है। यह निर्देश दिये गये हैं कि कक्षाएं निश्चित रूप से 31.12.2022 तक, मतलब सत्र 2022-23 में ही कोटा में शुरू कर दी जायें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक स्टाफ भर्ती हेतु जो आपने नियम बताये थे, वह आप स्पष्ट करें कि किसी कमेटी के द्वारा या आर.पी.एस.सी. द्वारा उनका सलेक्शन किया जायेगा। वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की नियुक्ति आपने किन-किन नियमों के अन्तर्गत की है? कार्मिक स्थायी हैं या अस्थायी हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, क्या? प्लीज,

(श्री अध्यक्ष)

बैठें। जब कह दिया है कि सत्र शुरू हो जायेगा फिर आप डिटेल में कहां जा रहे हैं? प्रश्न कुछ पूछा है। प्लीज, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ।

सादुलपुर के राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना

449. श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय चिकित्सालय में रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्तमान शय्याओं में वृद्धि कर 200 करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। राजकीय चिकित्सालय, सादुलपुर, जिला चूरू में वर्तमान में 75 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। वर्ष 2019 में 12 प्रतिशत, वर्ष 2020 में 7.25 प्रतिशत एवं वर्ष 2021 में 6.72 प्रतिशत स्वीकृत शय्याओं की उपयोगिता (बी.ओ.आर.) रही है। इसलिए राजकीय चिकित्सालय, सादुलपुर की शय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) राजकीय चिकित्सालय, सादुलपुर में वर्तमान में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्वीकृत है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार 2000 रक्त यूनिट प्रति वर्ष से अधिक खपत होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है। राजकीय चिकित्सालय, सादुलपुर में वर्तमान में अधिनियम अनुसार रक्त यूनिट उपयोग नहीं होने के कारण ब्लड बैंक स्थापित किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नही है।

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जो पहले प्रश्न का आंसर दिया कि 75 शय्या-युक्त हास्पिटल है। आपके सी एम एच ओ के द्वारा बताये अनुसार और विभागीय पत्राचार के अनुसार यह 50 बेडेड हास्पिटल है। अध्यक्ष महोदय, मैं कौनसी बात को सही मानूं कि 50 बेडेड है या 75 बेडेड है?

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री जी, जवाब दें। आप बैठें। माननीय मंत्री जी, आप कह रही हैं 50 बेड हैं, आप कह रहे हैं 75 बेडेड है। तथ्य क्या है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 75 बेड का है।

कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): इस 75 बैड की कब स्वीकृति हुई? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

यह चिकित्सालय, सी एच सी, राजगढ़ दो नेशनल हाईवे पर स्थित है और आये दिन वहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहां पर ब्लड बैंक नहीं है तो पेशेंट वहां पर कैसे आयेगा? कितने यूनिट ब्लड हमारे पास सी एच सी में आ रहा है? यह मैं जानना चाहूंगी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया, वहां पर 2000 यूनिट स्टोरेज बैंक की सैंक्शन है। स्टोरेज बैंक से ब्लड की खपत वहां पर ज्यादा होती है जहां पर आपरेशन होते हैं, लेकिन यह वहां पर बहुत ही कम है। जहां पर 2000 यूनिट से अधिक खपत होगी वहां पर ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। वहां पर आई पी डी भी बहुत कम है। वर्ष 2020 में आई पी डी 1, वर्ष 2021 में 15, इस तरह बहुत कम आई पी डी है। वहां पर ब्लड बैंक तभी खोलेंगे जब ब्लड की खपत 2000 यूनिट से अधिक की हो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं, सर प्लीज।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

पशुधन के स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण के लिए कार्ययोजना

450. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पशुधन के स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण के लिए सरकार ने विगत दो वित्तीय वर्षों में क्या-क्या कार्य किये एवं उक्त पर कुल कितना व्यय किया?

(2) पशुधन के स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए उक्त वर्षों में किन-किन कार्यक्रमों हेतु केन्द्र सरकार से कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है?

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(3) पशुधन को विविध रोगों से बचाव के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में किस-किस प्रजाति के कितने पशुओं का टीकाकरण किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पशुधन की रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण एवं अन्य बचाव उपायों के प्रचार-प्रसार के लिए उक्त अवधि में सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये एवं उक्त पर सरकार ने कितना व्यय किया? टीकाकरण एवं बचाव उपायों के लिए केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिली?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (पशुपालन मंत्री के स्थान पर): (1) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत 2 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्यों एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पशुधन के स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विगत 2 वित्तीय वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पशुधन को विविध रोगों से बचाव के लिए प्रदेश के जिलों में किये गये टीकाकरण का पशुओं की प्रजातिवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) पशुधन की रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण एवं अन्य बचाव उपायों के प्रचार-प्रसार के लिए उक्त अवधि में सरकार द्वारा किये गये प्रयास, इन पर सरकार द्वारा किया गया व्यय तथा टीकाकरण एवं बचाव उपायों के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि एस्केड योजना में की गयी व्यय राशि जो 2019-20 में परिशिष्ट-2 में 61 लाख है और 2020-21 में 69 लाख रुपये है। वहीं परिशिष्ट-4 में व्यय राशि 92.74 है 2019-20 में और 2020-21 में 173.93 लाख है। दोनों परिशिष्टों में एक ही योजना में व्यय की गयी राशि अलग-अलग है। यह अन्तर किस कारण से है और किस परिशिष्ट को सही मानना चाहिए?

दूसरा प्रश्न पूछूं मैं?

श्री अध्यक्ष: एक का जवाब आ जाये फिर दूसरा।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-2 पर हमने डिटेल में लिखा है। एस्केड योजना के अन्तर्गत पशु रोग नियन्त्रण के लिए राज्यों को सहायता वर्ष 2019-20 में 431 लाख रुपये मिले और वर्ष 2020-21 में 1041 लाख रुपये मिले। इसी तरह एफ एम डी, खुरपका, मुंहपका रोग नियन्त्रण कार्यक्रम है, इसका पूरा डिटेल में दिया है। वर्ष 2019-20 में 759 लाख रुपये मिले, वर्ष 2020-21 में जीरो, यानी कोई पैसा नहीं मिला। इसी तरह एन पी आर एस एम, रिन्डरपेस्ट निगरानी कार्यक्रम है, इसमें वर्ष 2019-20 में जीरो और वर्ष 2020-21 में 10 लाख रुपये केन्द्र सरकार से मिले। राष्ट्रीय रोग रिपोर्टिंग सिस्टम, एनएडीआरएस में वर्ष 2019-20 में जीरो, कुछ भी नहीं मिला, अभी वर्ष 2020-21 में 3.48 लाख रुपये मिले। जिलेवाइज डिटेल भी इसमें दिया है।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसमें स्वयं देखेंगे तो मैंने व्यय राशि के बारे में पूछा है। आबंटित राशि का तो अलग प्रश्न है। अगर हम वर्ष 2020-21 की बात करें तो आपको 1041 लाख रुपये एप्रोक्सीमेटली मिल रहा है और इसमें से आपने खर्चा, यदि मैं परिशिष्ट-4 को मानूं तो 173 लाख बता रहा है। वह डिफरेंस क्या है वह तो अलग प्रश्न है लेकिन यह डिफरेंस क्यों है? आपके आंकड़े अलग-अलग आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न तो यह है, माननीय मंत्री महोदय। कितनी राशि दी है, आबंटित है, यह बात अलग है लेकिन खर्चा राशि अलग-अलग कैसे परिशिष्ट-2 और परिशिष्ट-4 में है, इस अन्तर का क्या कारण है? मेरा सीधा-सीधा प्रश्न यही है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अन्तर बता रही हैं कि व्यय कम हुआ, यह कोरोना की वजह से भी है और राज्य सरकार की नि:शुल्क दवा योजना का है, वह इसमें शामिल नहीं है। केन्द्र की योजनाओं के लिए पूछा है तो वह पैसा इसमें दिया गया है। जैसे एफ एम डी का है, भारत सरकार का जो दिया, वो इनके सैम्पल ही फेल हो गये, तो वो जीरो हो गया, अलाट तो किया लेकिन वो जीरो हो गया तो उन्होंने खुद ही रोक लिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि परिशिष्ट-1 में आपने एस्केड योजना में 431 लाख रुपये बता रखे हैं, व्यय बता रखा है 61.545, परिशिष्ट-4 में बजट तो 431 का ही है पर व्यय

(श्री अध्यक्ष)

92.74 बता रखा है। यह जो वेरियेशन है, इसका क्या कारण है? जब परिशिष्ट-1 में आप दे रहे हो फिगर 431 के अंगेस्ट में 61.545 और 1041 के अगेंस्ट में 69.6 और इधर परिशिष्ट-4 में दे रहे हो 431 के अगेंस्ट में 92.74 और 1041.24 के अगेंस्ट में 173.93, दोनों में अन्तर क्यों है? यह है। इनका प्रश्न।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अन्तर बिलकुल साफ लिखा हुआ है। यह तो इनके आंकड़ों के बारे में पूछने पर ही पता चल पायेगा। परिशिष्ट-1 पर एस्केड योजना में बिलकुल आपने सही फरमाया, जो व्यय है वो 61.545 है।

श्री अध्यक्ष: परिशिष्ट-4 में 92.74 बता रखा है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): हां। 92.74 बता रखा है।

श्री अध्यक्ष: यह अन्तर क्यों है? यह माननीय सदस्य का प्रश्न है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): यह तो डिपार्टमेंट से पूछने पर ही पता चलेगा। जो आंकड़े इसके अन्दर दिये हैं, वर्ष 2019-20 में रिलीज राशि 431 थी और व्यय 92.74 लाख हुआ, यह डिफरेंस जरूर इसमें दे रखा है। इसका मैं पता करके बता पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, सब्सिट्यूट मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न है, सम्बन्धित विभाग नोट कर रहा है, यह डिस्क्रिपेंसी है, मंत्रीजी पता लगा लेंगे कि डिस्क्रिपेंसी क्यों है और क्यों इस तरह का जवाब आया।

अगला प्रश्न। श्री राजकुमार गौड़।

श्रीगंगानगर की नहरों में जहरीला पानी

451. श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में नहरों में जहरीला पानी आने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो कब-कब व कहां से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार गौड़)

(2) सरकार द्वारा उक्त जहरीले पानी की रोकथाम हेतु विगत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गयी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नहरों में आने वाले जहरीले पानी को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में नहरों में जहरीला पानी आने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) पंजाब से प्राप्त हो रहे प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु राज्य सरकार उच्च स्तर पर निरन्तर प्रयासरत है। अध्यक्ष, बी.बी.एम.बी. से भी दीर्घकालीन उपाय के अन्तर्गत प्रदूषित जल की फ्लशिंग हेतु एस.ओ.पी. बनाये जाने हेतु आग्रह किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जल की गुणवत्ता की सतत मानिटरिंग हेतु इंदिरा गांधी फीडर एवं बीकानेर कैनाल पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मानिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये मुख्य प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पंजाब से प्राप्त हो रहे प्रदूषित जल की रोकथाम हेतु राज्य सरकार उच्च स्तर पर निरन्तर प्रयासरत है एवं दूषित पानी को राकने के प्रयास किये जा रहे हैं। बीकानेर कैनाल पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मानिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये मुख्य प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय बहुत गम्भीर है और वर्षों से इस विषय को हम उठा रहे हैं। सदन में कम से कम 20 से 25 सदस्य हैं जिनके इलाके को यह जहरीला पानी प्रभावित करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के माध्यम से कोई कार्यवाही इस विषय में कर रही है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अब तक पंजाब सरकार को 12 पत्र लिखे गये

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

हैं। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी पंजाब राज्य के मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है। निरन्तर हम इस दूषित पानी को रोकने के प्रयास में लगे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस ओर हम कड़े से कड़े कदम उठायेंगे। यहां तक कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 22.01.21 को पंजाब सरकार को प्रकरण में उत्तरदायित्व लेते हुए कठोर कार्यवाही एवं प्रभावी नियन्त्रण तन्त्र विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह विषय हमारे लोकल समाचार पत्रों में, नेशनल समाचार पत्रों में, प्रदेश के समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से बार-बार आता रहा है। इससे न केवल जीव-जन्तु मरते हैं, आम आदमी का जीवन भी मुश्किल हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप यह पूछ चुके हैं।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपना पक्ष एन जी टी में क्यों नहीं रखती? एन जी टी में जाकर इस विषय को क्यों नहीं उठाती जबकि यह अन्तरराज्यीय मसला है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया। माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं आप। आप बैठें माननीय सदस्य। प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दे दिया।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वो हम सबकी चिन्ता है, सदन की चिन्ता है। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने पूरे अधिकारियों की टीम के साथ में पंजाब जायेंगे और वहां की सरकार से बात करेंगे और जितना जल्दी हो सकता है इसका निराकरण कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमर सिंह।

रूपवास (बयाना) में चम्बल पेयजल योजना के अपूर्ण कार्य

452. श्री अमर सिंह (बयाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास क्षेत्र में चम्बल

(श्री अमर सिंह)

पेयजल योजना के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां पर चम्बल परियोजना में निर्मित आकाशीय टंकियों का निर्माण होने के उपरान्त भी अब तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है? टंकियों के निर्माण के वर्ष सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना से निर्मित उक्त टंकियों में पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बयाना की पंचायत समिति क्षेत्र, रूपवास में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार सम्मिलित 83 ग्राम एवं 69 ढाणियां (वर्तमान में 87 ग्राम एवं 65 ढाणियां) 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं में सम्मिलित की जाकर, इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना फेज-प्रथम के पार्ट-प्रथम की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 189वीं बैठक दिनांक 28.01.2013 द्वारा राशि रुपये 548.69 करोड़ की जारी हुई थी। इस पेयजल परियोजना के पैकेज-चतुर्थ के अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र रूपवास के 21 ग्राम एवं 08 ढाणियों (वर्तमान में 23 ग्राम एवं 06 ढाणियां) को लाभान्वित करने हेतु दिनांक 17.07.2013 को राशि रुपये 47.53 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। इस पैकेज का कार्य माह सितम्बर, 2017 में पूर्ण किया जाकर उक्त 23 ग्राम एवं 06 ढाणियों में प्रावधान अनुरूप सार्वजनिक नलों (पी.एस.पी.) से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ब) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना फेज-प्रथम के पार्ट-द्वितीय के क्लस्टर वितरण प्रणाली (कामां-पहाड़ी, डीग-नगर एवं भरतपुर-कुम्हेर-रूपवास सेक्शन) परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा राशि रुपये 720.31 करोड़ की जारी हुई थी। इस पेयजल परियोजना के पैकेज-तृतीय के अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र, रूपवास के 62 ग्राम एवं 61 ढाणियों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2 ढाणियां नये राजस्व ग्राम में परिवर्तित होने के कारण वर्तमान में 64 ग्राम एवं 59 ढाणियां) को लाभान्वित करने हेतु दिनांक 23.09.2013 को राशि रुपये 223.68 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया।

उक्त पैकेज के अन्तर्गत पंचायत समिति, रूपवास के 21 ग्राम एवं 17 ढाणियों में प्रावधान अनुरूप सार्वजनिक नलों (पी.एस.पी.) से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं शेष 43 ग्राम एवं 42 ढाणियों को प्रगतिरत परियोजना से माह सितम्बर, 2022 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(2) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना फेज-प्रथम के पार्ट-प्रथम के पैकेज-चतुर्थ के अन्तर्गत पंचायत समिति क्षेत्र, रूपवास के 23 ग्राम एवं 06 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु निर्मित किये गये 03 उच्च जलाशयों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना फेज-प्रथम के पार्ट-द्वितीय के प्रगतिरत पैकेज-तृतीय के अंतर्गत पंचायत समिति क्षेत्र, रूपवास के 64 ग्राम एवं 59 ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु 17 उच्च जलाशयों के निर्माण के प्रावधान के विरुद्ध, 06 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर इनसे 21 ग्राम एवं 17 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा शेष 11 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

पंचायत समिति, रूपवास के उक्तानुसार कुल 87 ग्राम एवं 65 ढाणियों में उक्त 02 पैकेजों अन्तर्गत कुल प्रावधित 20 उच्च जलाशयों में से 09 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाकर, 44 ग्राम एवं 23 ढाणियों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है तथा शेष 11 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य अपूर्ण एवं वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्त पैकेजों अन्तर्गत प्रावधित एवं निर्मित किये गये उच्च जलाशयों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्तानुसार पैकेज-तृतीय के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं शेष रहे 11 उच्च जलाशयों का निर्माण चरणबद्ध रूप से पूरा करते हुए पंचायत समिति, रूपवास के शेष 43 ग्राम एवं 42 ढाणियों को माह सितम्बर, 2022 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया गया।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बयाना के खण्ड रूपवास में चम्बल पेयजल योजना से जुड़े हुए गांवों में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है।वहां कुछ हिस्सों में पानी पहुंच गया है, कुछ हिस्से बकाया हैं। गर्मी का मामला है, अपूर्ण पानी को पूर्ण करने का कब तक विचार रखते हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में भी लिखा है कि प्रगतिरत परियोजनाओं से माह सितम्बर, 2022 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अमर सिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि उप-खण्ड रूपवास में जो आकाशीय टंकियां निकलती हैं, आज तक उनमें पानी नहीं पहुंच पाया है। लगभग 5 साल हो चुके हैं उन टंकियों को। उनके द्वारा पानी पहुंचाने का कब तक विचार रखते हैं? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का विचार रखते हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 20 टंकियां, जो उच्च जलाशयों का निर्माण होना था, उनमें से 3 उच्च जलाशयों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। बाकी 17 जो बचे, जो पैकेज तृतीय में थे, चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना प्रथम पार्ट के, उनमें से 6 में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उससे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष 11 उच्च जलाशयों का कार्य प्रगति पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पानी की टंकियों का निर्माण कार्य भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। देरी के अनेक कारण हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला प्रश्न था, उसमें भी माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने चिन्ता जाहिर की, टेंडर की प्रक्रिया ऐसी है, आप स्वयं जानते हैं, 2013 में एक कम्पनी को काम दिया, उसने काम नहीं किया, उसने rescind किया काम को, उस पर पेनल्टी लगायी, दूसरी कम्पनी को काम दिया। फिर उसका भी काम धीमा है। हम नियम प्रावधानों के अनुसार ही पेनल्टी लगा सकते हैं, उस काम की मानिटरिंग कर सकते हैं। हम सचेत हैं और जैसा मैंने कहा, सितम्बर, 2022 तक इन कामों को पूरा करने का हमारा लक्ष्य प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

453. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा राज सहकार जीवन बीमा योजनान्तर्गत बीमा के लिए कितना प्रीमियम किसानों से लिया जाता है एवं कितना प्रीमियम सरकार वहन करती है तथा वर्तमान में बीमा कम्पनी का करार कब से कब तक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में बीमा करने वाली कम्पनी की समयावधि समाप्त होने के पश्चात् नयी बीमा कम्पनी से जनवरी, 2022 तक अनुबन्ध नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार नयी बीमा कम्पनी का चयन अब कब तक कर लेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सहकारी बैंक द्वारा बीमा कम्पनी का चयन किये बिना ही ऋणी किसानों का प्रीमियम काटा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (सहकारिता मंत्री के स्थान पर): (1) सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत शत प्रतिशत प्रीमियम राशि किसानों से ली जाती है। बीमा प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन नहीं करती है।

वर्तमान में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का करार मै. यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ दिनांक 31.03.2022 तक है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार दिनांक 31.03.2022 तक मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी के साथ था, किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा करार की शर्तों के अध्यधीन दिनांक 24.10.2021 के उपरान्त उक्त योजना की क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त की गयी। उक्त दोनों योजनान्तर्गत कृषक सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रीमियम कटौती से एक वर्ष के लिये उपलब्ध होती है।

(2) जी हां। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में बीमा करने वाली कम्पनी मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा निर्धारित करार दिनांक 31.03.2022 से पूर्व ही दिनांक 24.10.2021 को

(श्री टीकाराम जूली)

योजना क्रियान्विति में असमर्थता व्यक्त किये जाने एवं नवीन बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाने के कारण जनवरी, 2022 तक अनुबन्ध नहीं किया है।

वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दिनांक 18.09.2021 एवं 05.10.2021 को जीवन बीमा कम्पनियों से पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किये गये, किन्तु बीमा कम्पनियों द्वारा भाग नहीं लिया गया।

दिनांक 18.11.2021 को पुनः प्रस्ताव आमंत्रित करने पर एकमात्र पात्र पायी गयी मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दर को अधिक आने पर शीर्ष बैंक द्वारा पत्रांक 10042 दिनांक 14.12.2021 से निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को सहकारी बैंकों में फसली ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा किये जाने हेतु योजना की क्रियान्विति करने की सहमति मय शर्तों एवं प्रीमियम दर आदि विवरण प्रेषित किया गया। उक्त के जवाब में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 15.12.2021 से उनके द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत के.सी.सी. कार्डधारक का जीवन बीमा करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

इस पर वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयु वर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष) हेतु गठित कमेटी की शीर्ष बैंक द्वारा पत्र दिनांक 29.12.2021 से जीवन बीमा कम्पनियों से सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिनांक 18.01.2022 तक निविदाएं आमंत्रित की गयीं। वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु दो आयु वर्ग (18 से 60 एवं 60 से 79 वर्ष) हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी से नेगोशिएशन उपरान्त प्रस्तुत की गयी दरें अनुमोदित की गयीं। बीमा कार्य जारी है।

(3) जी नहीं। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन किये बिना ही ऋणी किसानों का प्रीमियम नहीं काटा गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने खण्ड-1 में यह स्वीकार किया है कि श्रीराम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी ने 24.10.2021 को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का करार तोड़ा। मैं जानना चाहूंगा, 24.10.2021 को जब करार तोड़ा गया, उसमें किसान से प्रति हजार प्रीमियम लिया जाता था, क्या उस समय कोई उम्र का राइडर था? उस समय कुल-मिलाकर बीमित राशि कितनी थी?

साथ ही, आपने खण्ड-2 में यह कहा कि हमने 18.01.2022 को निविदाएं पुन: आमंत्रित कीं, यानी उसी श्रीराम लाइफ इन्श्योरेंस को आपने पुन: निविदाएं दीं तो उसमें आपकी प्रीमियम की दर क्या रही? उसमें बीमित राशि कितनी रही? क्या उसमें उम्र के हिसाब से दो टुकड़ों में इसे विभक्त किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि करार जो बीच में छोड़ा गया, उसमें आर.टी.पी.पी. एक्ट के अन्दर है कि 3 महीने पहले नोटिस देकर करार को खतम किया जा सकता है। बैंक भी कर सकता है और इन्श्योरेंस कम्पनी भी कर सकती है। यह आपके समय 2008 से ही रेगुलर चला आ रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, आपने इसे दो टुकड़ों में किया है कि नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जब करार तोड़ा गया तो प्रीमियम की दर क्या थी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं बता रहा हूं, आप जितना पूछेंगे, दो टुकड़ों में किया है। चूंकि पहले मैंने जो खण्ड-2 में जवाब दिया है, उससे आप समझ गये होंगे कि हमने दो बार निविदाएं आमंत्रित कीं, कोई कम्पनी नहीं आयी। तीसरी बार हमने 18.11.2021 को राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग को भी भेजा, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद श्रीराम इन्श्योरेंस कम्पनी वापस आयी और दुबारा...

इसमें माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एल.आई.सी. भी इसके अन्दर आयी थी। एल.आई.सी. का जो प्रीमियम था, 54 रुपये प्लस 18 परसेंट जी एस टी उसकी दर थी। अब जो श्रीराम को हमने दिया है, उसमें प्रीमियम की दर है 17.70 प्रति हजार, यह 18 से 60 वर्ष के लिये और 46.61 प्रति हजार, यह 60 से 79 वर्ष तक के लिये। इसके अन्दर आपने पूछा कि कितने बीमित लोग हैं, 18 लाख किसान हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं बताऊं, जो प्रीमियम पहले

(श्री टीकाराम जूली)

कम्पनी जमा कराती थी और जो बीमा उन्होंने दिया, यह 2016-17 में लगभग 38 करोड़ प्रीमियम राशि थी और जो भुगतान हुआ वह 48 करोड़ हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने यह सवाल ही नहीं पूछा।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं उसी के सन्दर्भ में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: Be relevant. जो प्रश्न पूछा है, उसी का जवाब दें। Be specific. जो प्रश्न पूछा है, उसी का रेलेवेंट जवाब दें प्लीज।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इनका प्रश्न यह है कि आपने श्रीराम को ही क्यों दिया और दुबारा क्यों दिया? वही मैं बताना चाह रहा हूं। तीन बार जो तीनों वर्षों का रहा, उसमें जो बीमित प्रीमियम था वह कम था और क्लेम ज्यादा था, इस वजह से 2019 में कोई कम्पनी नहीं आयी। बाद में इस कम्पनी को लेकर आये तो इसने भी बीच में करार छोड़ दिया। हमने टेंडर आमंत्रित किये। एल.आई.सी. को भी कहा, राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग को भी कहा, वे भी नहीं आये। अन्त में श्रीराम ही उसमें मिला और चूंकि किसानों का मामला है, भुगतान की बात है तो हमने इसीलिये इस कम्पनी को दुबारा से काम दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने एक स्पेसिफिक बात पूछी है। मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जब करार तोड़ा गया तब प्रीमियम की दर प्रति हजार क्या थी, बीमित राशि क्या थी? क्या उस समय भी किसान की उम्र को दो भागों में विभक्त किया गया था और जब आपने पुन: उसी कम्पनी, जिसने पूर्व में करार तोड़ा, उसे रेड कार्पेट देकर बुलाया तो उस समय बीमा की दर क्या थी और बीमित राशि क्या थी? क्या यह सही है कि आपने न केवल बीमित राशि घटायी, बल्कि दुबारा उसी कम्पनी को देकर प्रीमियम को भी 3 गुना करके 23 लाख किसानों के साथ अन्याय किया? यह बता दें मुझे।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बीमित राशि घटाने की बात है, यह एक प्रकार से हमने घटायी है, लेकिन दूसरी प्रकार से जो एक्चुअल चीज है, पिछले समय में जो बीमा राशि थी, वह 10 लाख रुपये की थी, 10 लाख रुपये तक का किसान का

(श्री टीकाराम जूली)

बीमा कर रखा था। यही आप कहना चाह रहे हैं। हमने इसे अब घटाकर, जितना क्लेम है, जितना उसने लोन उठा रखा है, उतना कर दिया।

आप वाले में सिर्फ 'तक' का अन्तर है कि 10 लाख रुपये तक का। आप एक आदमी बता दें जिसका 10 लाख रुपये का क्लेम आज तक पिछले 10 वर्षों में हुआ हो? यह जो बीमा होता है, जितना व्यक्ति ने क्लेम लिया है, उस राशि पर है। हमने यही किया है कि जितना उसने क्लेम लिया है, उस राशि तक इसका बीमा है। पहले भी यही था। पहले 10 लाख रुपये तक का मात्र नाम था, लेकिन एक भी किसान को जो बीमा राशि उसने उठायी है, उससे अधिक का मिला हो तो आप बता दें। पुरानी जो दर थी, आपने पूछी है, जो पहले एक ही दर थी, यह बात सही है, 14 रुपये प्लस जी एस टी। पुरानी दर यह थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, यह जो आपने 28.04.2021 को किया था, उस समय 18 साल से लेकर 79 वर्ष तक प्रीमियम राशि 14 रुपये 46 पैसे थी। इसने जो बीच में ही बैक आउट कर लिया, कितने समय तक बीमा राशि को देने का इसका करार था? यह बीच में तोड़कर जो चली गयी, उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लैक लिस्ट करने का कोई प्रावधान इसके अन्दर नहीं है। कोई भी करार दोनों तरफ से होता है। हम भी तीन महीने पहले उसे छोड़ सकते हैं नोटिस देकर। बैंक भी कम्पनी को छोड़ सकता है, दूसरी कम्पनी कर सकता है तीन महीने पहले नोटिस देकर। कम्पनी भी बैंक को छोड़ सकती है तीन महीने पहले नोटिस देकर। इन्होंने जुलाई में नोटिस दिया, उसके बाद कम्पनी छोडकर गयी। अब जो हमने करार किया है, यह जो पूरा गैप है, जिस दौरान कोई कम्पनी नहीं रही, उस दौरान का भी हमने इनसे करार किया है। उस समय का भुगतान भी यह कम्पनी करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिस समय इसने बन्द कर दिया, वापस आपने बुलाने के लिये किस प्रोसीजर से लोगों को इनवाइट किया? वह प्रोसीजर बता दें। उसमें अगर कोई दूसरी कम्पनी है ही नहीं, यही एकमात्र आयी थी और 3 गुना इसने पैसा लगाया, हमारा कहना है कि जिसने एम ओ यू तोड़ा, बीच में जिसने हमारा काम बन्द

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया, उसी कम्पनी को देने के लिये आपने कोई तो प्रोसीजर अपनाया होगा दुबारा देने का, वह प्रोसीजर क्या था?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया, हमने तीन बार निविदाएं कीं। नौवें महीने, दसवें महीने और ग्यारहवें महीने में कीं। 11वें महीने में जब हमने निविदाएं कीं उनमें एल आई सी और यह कम्पनी आयी। एल.आई.सी. का जो प्रीमियम है वह इससे भी लगभग चार गुना के आस-पास था।

(समय: 12.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो दुबारा किसी को भी इनवाइट किया, उस समय यह एज ग्रुप दो टुकड़ों में बांट दिया था क्या कि 60 वर्ष तक के लिए अलग किस्त होगी और 60 से लेकर 69 तक की किस्त अलग होगी? यही आपने अपने विज्ञापन में निकाला है क्या? इस शर्त के आधार पर कौन-कौनसी कम्पनी आना चाहती है वह आये और उसमें आयी या नहीं आयी?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हमने यह निकाला था उसमें उन्होंने दोनों सैगमेंट के लिए एल आई सी ने 54 रुपये मांगे और हमने तो इनको मात्र 17.70 रुपये 60 वर्ष तक के लिए और 60 वर्ष से 69 वर्ष के लिए...... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 लाख किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और जिस प्रकार अन्याय किया, हम वॉकआउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह गलत परम्परा है, मंत्री का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। I will not allow it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उत्तर देंगे? 23 लाख किसानों का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, गलत परम्परा है। I am on legs. (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री जवाब दे रहे हैं उसके बीच में कह रहे हैं, यह गलत है। वे बैठ जाते, आप चले जाते, ठीक बात है, लेकिन please don't set wrong precedent. I am extremely sorry. प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देखें।)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 2एमजीएम (बी) रोजड़ी पंचायत समिति, घड़साना के ग्राम 2/3 आरजेएम के राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर कृषि सेवा केन्द्र के नाम से दर्ज भूमि को आबादी भूमि में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

(2) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से कोटा शहर में चम्बल नदी के किनारे बसी आवासीय कालोनियों में पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बिहारीलाल एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के पैरा संख्या 72 के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के लिए बनी समिति में माननीय सदस्यों को शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा जिले में बढ़ते प्रदूषण के कारण आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले के सुकेत कस्बे में श्मशान घाटों, हाट बाजार, विद्यालय परिसर एवं खेल मैदान पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में रणथम्भौर अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य एवं चम्बल घडियाल अभयारण्य में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में नगरपालिका में पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जवाई बांध की नहर परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य को पूरा नहीं किये जाने के बावजूद ठेकेदार को 31.86 करोड़ की राशि का भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में करतारपुरा से नाबालिग बहनों के अपहरण प्रकरण में अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में ऐतिहासिक प्राचीन किले की तलहटी में स्थित प्राचीन जालेश्वर तालाब में गन्दगी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से जैतारण विधान सभा क्षेत्र में चार दिन पूर्व रास गांव की नाबालिग लड़की का गला रेतकर हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नगर परिषद् सभापति द्वारा विधायक कोष से स्वीकृत राशि के विभिन्न कार्यों में द्वेषतावश बाधा उत्पन्न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री अभिनेश महर्षि, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्यों की ओर से पुलिस थाना, रूपनगढ़ में एक दिव्यांग कुलदीप सिंह की हत्या किये जाने बाबत दिनांक 24.3.2022 को दर्ज एफआईआर नं. 0061 के प्रकरण में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से वनपाल सहित अन्य भर्तियों में ओ.बी.सी. के युवाओं को 21 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा भगवानगंज में गरीबों के लिए आवासों का निर्माण पूरा कर आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के पुलिस थाना फालना, देसूरी, बाली में हत्याओं के दर्ज प्रकरणों में पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसन्धान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर

(श्री अध्यक्ष)

भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री अविनाश, श्री सुरेश टाक, श्री अभिनेश महर्षि, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री बलजीत यादव, श्रीमती अनिता भदेल एवं श्री पुष्पेन्द्र सिंह को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मैं समझता हूं कि इतने स्थगन प्रस्ताव का रिकार्ड बना रहे हैं तो बोलने में आप जरूर ध्यान रखें।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जितेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली कम्पनियों द्वारा सरकारी विभागों की बकाया वसूली नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के ग्राम पंचायत बिलौदा पंचायत समिति स्थित बड़केश्वर महादेव मन्दिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा उद्योग द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण तथा डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड में होने पर पुन: निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के स्कूलों में शहीदों की मूर्ति स्थापित किये जाने में आ रही बाधाओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से पलाना कलां (मावली) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम स्वर्गीय जैन संत हस्ती गुरु के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती प्रीति गजेन्द्रसिंह शक्तावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिले में पंजाब की नहरों से प्रदूषित जल प्रवाहित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए आबूरोड में नवीन महिला थाना खोले जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द-हुरडा की ग्राम पंचायत रूपाहेली में स्थित फैक्ट्री सिन्थोल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में पुराने टायरों को जलाने पर जहरीली गैसें, कणों आदि के फैलने से आमजन में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट, जोधपुर का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत चुनाव नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में चिकित्सा केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने तथा खींवसर में नवीन ट्रोमा सेंटर खोले जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से एम.बी.एम. इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, जोधपुर स्थित सभागार का नामकरण हाइफा हीरो मेजर दलपतसिंह के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री रूपा राम, सदस्य की ओर से प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनता जल योजना ग्रामीण क्षेत्र का पुन: संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सफाई व्यवस्था, रोड लाइट्स तथा सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर जनजाति बहुल क्षेत्र के उत्थान के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में गौशाला के नाम से बिना रजिस्ट्री करवाये खोले गये नामान्तरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा में ट्रेंचिंग

(श्री अध्यक्ष)

ग्राउण्ड में कचरे में गत तीन दिनों से आग सुलगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यगण, आखिरी दिन है इसलिए सभी 295 प्रस्ताव को पढ़ने की मैं अनुमति दूंगा।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

पेपरलैस बनाने के वृहद् उद्देश्य से आय-व्ययक के समय दिये गये फोन्स पुन: प्राप्त करने के माननीय सदस्यों को निर्देश

माननीय सदस्यगण, मुझे खासतौर से जो हमारे प्रतिपक्ष के साथी हैं, सदस्य हैं, उनसे निवेदन करना है कि आपने फैसला किया था कि जो सरकार हर बजट में सदस्यों को बैग देती है और जो चीज देती है जिसका उपयोग हो, उसकी दृष्टि से इस बार हमारे कहने से, विधान सभा के कहने से फोन दिये थे। फोन देने के पीछे मन्शा यह थी कि पूरी की पूरी जो हमारी असेम्बली की प्रोसीडिंग है उसको हम आई.टी. के माध्यम से इसमें ला रहे हैं और इस बार हमने बजट की हार्डकापी नहीं दी, बजट को हमने इसमें भी दिया है, प्रतिवेदन भी इसी पर दे रहे हैं तो माननीय सदस्यों की एफिकैसी, उनकी क्षमता बढ़े इसलिए यह जरूरी है कि जो फोन आपको दिया है उसका उपयोग किया जाये। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से, मुझे निवेदन करना चाहिए पर निवेदन करने की मेरी स्थिति ठीक नहीं है कि निवेदन मानें या न मानें इसलिए चेयर निर्देश देती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वे इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग लें अन्यथा उनका उपयोग नहीं होगा और पैसे का भी उपयोग नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं, आप सबकी अनुमति से, यह दुस्साहस करता हूं और अध्यक्ष की दृष्टि से मैं आपको निर्देश देता हूं कि आप कृपया इस सबका उपयोग लें, जिससे माननीय सदस्य प्रभावशाली ढंग से, विधान सभा की सूचनाएं हैं, विधान सभा के प्रतिवेदन हैं, विधान सभा की सभी चीजें, जिनको हम धीरे-धीरे पेपरलैस कर रहे हैं उनमें आप अपनी भागीदारी निभा सकें और प्रभावशाली ढंग से इसका उपयोग करके आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। इसलिए, मैं निर्देश देता हूं कि आप कष्ट करके, जो फोन्स आपने हमको दिये हैं, उनको पुन: लेकर इनका उपयोग करें।

(श्री अध्यक्ष)

मैं अन्त में एक निवेदन और करूंगा, आज हमने 295 भी पढ़ने के लिये रखे हैं और 131 भी बहुत ज्यादा रखे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि टाइम लिमिट का ध्यान रखें। आज माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से, बजट के बाद जैसी परम्परा है, सपरिवार भोजन का भी आमंत्रण है। हम सदन को 5 बजे तक खतम करना चाहते हैं।

राजेन्द्र जी देख लेंगे, पर मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस सदन ने पहली बार प्रयास किया है कि हम प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। जो चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें भाग लेने वाले माननीय सदस्य प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकें, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात रख सकें, रिपीट नहीं हो, जिससे प्रभावशाली डिबेट हो सके।

हम पांच बजे तक इस डिबेट को वाइंड-अप करने की कोशिश करेंगे। कटारिया जी और राजेन्द्र जी राठौड़ जी कह रहे हैं, ये कम बोलेंगे तो पांच बजे तक कर लेंगे और ये बोलेंगे तो एडजस्ट कर लेंगे, कितना कर सकते हैं, उतना एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। पांच, साढ़े पांच के बीच हम अपने सदन की कार्यवाही को समाप्त कर सकें। श्री कालीचरण सराफ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

करतारपुरा से नाबालिग बहनों के अपहरण प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई का अभाव

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा के करतारपुरा इलाके की लाई.सी.एम. विद्यापीठ सीनियर सैकण्डरी स्कूल में एडवोकेट अवधेश कुमार राजपुरोहित की दो नाबालिग पुत्रियां 03 फरवरी, 2022 को लापता हुई थीं। उनका अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है।

मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की लापरवाही के कारण ये लड़कियां अब तक नहीं मिल पायी हैं। सुबह 9 बजे लड़कियों के पिता दोनों को स्कूल छोड़कर जाते हैं, सवा 10 बजे ये स्कूल से निकल जाती हैं, डेढ़ बजे तक घर नहीं पहुंचने पर उनकी माताजी स्कूल में फोन करती हैं। टीचर रामस्वरूप यह कहता है कि वे तो सवा 10 बजे ही चली गईं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): घरवालों ने उनको ढूंढा, वे नहीं मिलीं। महेश नगर थाने में 5 बजे एफ.आई.आर. दर्ज करायी। पिता ने पुलिस वालों को बताया कि मुझे स्कूल के तीन अध्यापकों पूरण नागर, चांद कमल व उसका लड़का और राज सर पर डाउट है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इन तीनों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ नहीं की। जो चांद कमल है, उसका लड़का, जिसका नाम राहुल है, वह विदेश में नाम बदलकर रियाज के नाम से रहकर आया है।

आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि यह चांद कमल जो है, उससे लड़कियां तीन दिन से लगातार बातचीत कर रही थीं, तीन-तीन मिनट तक उन्होंने बात की है। घरवालों को इन तीनों पर डाउट है कि ये उसमें इंवोल्व हैं, परन्तु आपको यह जानकार दु:ख होगा कि पुलिस ने उनसे सख्ती से कोई पूछताछ नहीं की। जब उनके पिता थाने में जाते हैं तो वे कहते हैं कि लड़कियां अपने आप गयी हैं, वे जल्दी आ जायेंगी। जब 22 मार्च को वकीलों ने आंदोलन किया कि तब पुलिस की आंख खुली और उन्होंने एस आई टी का गठन किया परन्तु मुझे अफसोस है कि अभी तक उन लड़कियों का पता नहीं लगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि 10 मार्च तक यदि लड़कियों को नहीं ढूंढा गया तो मजबूर होकर के हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल लाल शर्मा।

मांडलगढ़ स्थित जालेश्वर तालाब में गंदगी

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर विचार रखने का अवसर दिया, आपका हार्दिक आभार।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ का मुख्यालय एक ऐतिहासिक नगरी है। यहां स्थित प्राचीन किला एवं उसकी तलहटी में स्थित सुरम्य सरोवर जालेश्वर तालाब स्थित है। यहां स्थित प्राचीन किला एवं सुरम्य सरोवर आज सरकार की अनदेखी के कारण दुर्दशा का शिकार है। किला ऊंची पहाड़ी पर साढ़े तीन किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण। मेरी आवाज..., प्लीज गम्भीर रहें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): इस ऐतिहासिक किले में जाने के लिये सात दरवाजे हैं तथा किले में चारभुजा नाथ मन्दिर, दिगम्बर जैन मन्दिर, बिसोत माता मन्दिर, श्वेताम्बर समाज के दो मन्दिर, हनुमान मन्दिर, मदीना मस्जिद तथा पानी पीने के लिये दो सागर स्थित हैं। यहां प्राचीन मोतीमहल और विविध प्रकार के महल हैं। यहां पर तोपें भी रखी हुई हैं। इस ऐतिहासिक नगरी में, किले की तलहटी में जालेश्वर सरोवर व नागेश्वर मन्दिर देखने लायक है। जालेश्वर तालाब के चारों तरफ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको गन्दगी पर बोलना है, कहां बोल रहे हैं आप? गन्दगी पर ही बोलें।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): गन्दगी पर ही बोल रहा हूं। इस किले का पानी और इस सरोवर के चारों तरफ पूरा शहर बसा हुआ है। पूरे शहर की गन्दगी, कीचड़ और नालियों का पानी हमेशा इस तालाब में आता है। गर्मी के दिनों में दुर्गन्ध मारता है और वहां रहने वाले प्राणी नारकीय जीवन जी रहे हैं। मैंने पहले भी सदन में मुद्दा उठाया था, परन्तु सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक किला और सरोवर प्राकृतिक विरासत है जिसका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। यहां पर एक सीवरेज की स्थापना की आपके द्वारा मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस ओर संज्ञान लेकर कार्यवाही करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, हार्दिक आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

रास गांव (जैतारण) में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा 22 तारीख की इस एक घटना का, जहां एक नाबालिग लड़की से यू पी का अरशद नाम का एक लड़का अपने मोबाइल फोन से बातचीत करता है, कुछ दिनों तक बात करता है। मेरे वहां रास गांव है, वहां की उस लड़की की उम्र साढ़े 17 साल है। उस लड़की को जबरदस्ती भगाकर ले जाता है और थोड़ी देर बाद में शादी की

(श्री अविनाश)

नीयत से उसको बोलता है कि हम शादी करेंगे, हम लोग वहां चलेंगे, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं उसके साथ नहीं चलूंगी। उस लड़के ने कहा कि नहीं तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। उस लड़की ने मना कर दिया। इतना कहने के बाद में उस लड़के ने ईयर फोन से उस लड़की का गला घोंटा और उसे अधमरा कर दिया। उसके पास में चाकू था, प्रि-प्लान्ड होकर के वह आया और चाकू से उसके गले को रेत दिया। 17 साल की फूल जैसी मासूम लड़की उसी समय दम तोड़ देती है। पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद में आरोपी यू पी से अजमेर ट्रेन के अन्दर आता है, अजमेर से गाड़ी लेकर रास आता है। रास से जब वह वापस गाड़ी लेकर जाता है तो अजमेर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की सजगता के कारण उसको पकड़ लिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उससे पूछताछ होती है, वह अरशद नाम का अपराधी यह कहता है कि हां, मैंने यह अपराध किया और मैंने इसलिए किया, क्योंकि वहां मस्जिदों से मौलवी मुझे कहते हैं कि हिन्दू धर्म की लड़कियों को फंसाओगे तो 50 हजार रुपये आपको मिलेंगे। पांच लाख रुपये आपको निकाह करने के।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्लीज, मिस्टर दिलावर, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आपने ठेका ले रखा है क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, नीचे बैठें। आप कोई जासूसी करने वाले आदमी हो क्या? हर एक का ठेका आपके पास है। माननीय सदस्य I will not allow it. यह बिलकुल गलत तरीका है। This platform can't be used for this purpose. आप अपनी बात करिये।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं इतना संगीन अपराध है और पुलिस में 23 तारीख को उसके परिजनों की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया। एफ.आई.आर. नम्बर 50/2022 पीसांगन पुलिस थाना, जिला अजमेर 366, 376डी, 302 और पाक्सो एक्ट के

(श्री अविनाश)

अन्तर्गत यह मुकदमा दर्ज हुआ। अपराधी को पकड़ लिया गया और वहां गांव वालों ने, परिजनों ने आरोप लगाया है कि उस एक मुलजिम के अलावा भी बहुत सारे लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। अभी तक एक मुलजिम का नाम हुआ है।

मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे गम्भीर अपराध पर रोक लगाने के लिये इसको विशेष प्रकरण मानकर, विशेष केस आफिसर नियुक्त करें और दोषियों को सज़ा-ए-मौत मिले। जितने भी अपराधी इसके अन्दर शामिल हों, उनको सज़ा मिले, यह मुकदमा फास्ट ट्रेक कोर्ट के अन्दर चले और इसके साथ ही स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर की नियुक्ति कर इस लड़की को न्याय दिलाये।

माननीय अध्यक्ष महादेय, इसके साथ ही रास गांव के अन्दर, जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जितने भी बाहर से लोग आये हुए हैं, उनका पुलिस वैरिफिकेशन करवायें, क्योंकि यू पी में बुलडोजर बाबा ने जिस तरह अपराधियों में भय पैदा किया है, वे सारे के सारे अपराधी राजस्थान में आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान अपराध में नम्बर वन बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): यह बड़ी शर्मनाक बात है। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है, उसको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाये और दोषियों को सज़ा-ए-मौत भी दी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें, रिकार्ड नहीं है। श्री सुरेश टाक।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप गम्भीर हैं। मिस्टर दिलावर, I will deprive you.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आज आखिरी दिन है। मिस्टर राठौड़, आज आखिरी दिन हैं। Don't compel me to do unpleasant duty. आज आखिरी दिन है, मैं इतिहास नहीं बनाना चाहता आपका। अजीब हैं बिलकुल ही।

किशनगढ़ में नगर परिषद् सभापति द्वारा विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों में बाधा

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री सुरेश टाक)

विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने विधायक कोष से डेढ़ करोड़ रुपये की अनुशंसा करके राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति लेकर एक मेरी झील है उसका सौन्दर्यीकरण करने के लिए नगर परिषद् को एजेंसी बनाकर जिला परिषद् से एफ.एस. करा दी। उसके अलावा भी और दूसरे काम बहुत सारे स्वीकृत करा दिये। एक महीने तक लगातार एफ.एस. जारी होने के बाद भी सभापति द्वारा टेण्डर जारी नहीं करने की वजह से मैंने आयुक्त को चिट्ठी लिखी और आयुक्त ने मुझे वापस जवाब लिखा कि सभापति द्वारा मना कर दिया गया है कि मैं टेण्डर पर साइन नहीं करूंगा, यह राशि जिला परिषद् को वापस लौटा दी जाये, मैं विधायक मद के किसी भी काम पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। विधान सभा में मैं जब इस बात के लिए अनुदान की मांग बोला था पर उस दिन सभापति ने फाइल पर वापस यह कह कर साइन कर दिया कि भुगतान मुझे ही करना है। चूंकि एजेन्सी नगर परिषद् है इसके हस्ताक्षर का अधिकार मेरा है, मैं भुगतान नहीं करूंगा आप चाहे टेण्डर पर साइन करा लो तो मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिनांक 17.09.2021 को आदेश जारी किये हैं कि पट्टों की वे पत्रावलियां जिन पर महापौर, सभापति, अध्यक्ष द्वारा 15 दिवस में हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह विधायक कोष पर कहां आ गये। प्लीज, आई विल नोट अलाउ इट।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं उसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, प्लीज साइड ट्रेक नहीं।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): उसी तरह से विधायक कोष के कामों पर भी इस तरह का एक आदेश जारी हो जाये जिससे नगर हित के कामों को सभापति द्वारा राजनीतिक द्वेषता से रोका नहीं जा सके। मैं इस बात को लेकर परेशान हूं और मैं शहर के कोई काम नहीं कर पा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आपसे मेरा आग्रह है कि एक ऐसा आदेश जारी करें जिसमें आयुक्त और कोई परिषद् की टीम जो हस्ताक्षर कर दे टेन्डर पर और भुगतान तक की प्रक्रिया पर ताकि विधायक कोष के कामों को जनहित में मैं जमीन पर उतार सकूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिनेश महर्षि।

रूपनगढ़ पुलिस थाने में दिव्यांग कुलदीप सिंह के प्रकरण में हत्यारों की गिरफ्तारी

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 23 मार्च, 2022 को पंचायत समिति किशनगढ़ की ग्राम पंचायत पनेर में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पर्वत सिंह जो मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के लदासर गांव का रहने वाला है, अपने परिवार सहित वहां रह करके सरकारी कार्यों को अंजाम देता है। वहां पर मनरेगा कार्यों के अन्दर नदारद चार सौ श्रमिकों और दस मैट की गैरहाजिरी लगाने पर वहां के सरपंच, सरपंच पति और उनके ससुर के द्वारा उनको और उनके साथ में एक साथी को पीट-पीटकर उनके साथी की हत्या कर दिये जाने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना इतनी वीभत्स है कि अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं, अपराधी किसी भी तरह की घटना को पहले कहकर अंजाम दे देते हैं। पहले जे टी ए को थ्रेटनिंग दी गयी। भयभीत जे टी ए अपने परिवार को तो गांव रवाना कर देता है और एक होटल के अन्दर शाम को खाना खाने के लिए जाता है, उसके साथी लोग कहते हैं कि आपके ऊपर हमला होने वाला है और तीन-चार साथी उसके साथ में होटल में जाते हैं, कहते हैं कि आपके ऊपर ऐसी-ऐसी प्लानिंग बन रही है। जैसे ही वह साथियों के साथ खाना खा करके बाहर निकलता है तो वे गुण्डे वहां पर उसको घेर लेते हैं और थोड़ी दूर जाकर के उसके ऊपर कातिलाना हमला करते हैं पर जैसे-तैसे करके, उसका ड्राइवर उसको बचा करके ले जाता है। थोड़ी दूरी जाने के बाद में वो पीछा करते हैं, वह उतर करके झाड़ियों में भाग जाता है लेकिन एक विकलांग व्यक्ति, उसका साथी वहां पर उस गाड़ी में रह जाता है उसको लाठियों से पीटा जाता है, इतना भयंकर मारा जाता है कि वह दम तोड़ देता है। उसको मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर पूरा परिवार पलायन कर गया और ऐसी वीभत्स घटना है। कानून का राज खतम हो गया है, गुण्डा-राज हावी हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं कि लदासर गांव के निवासी पर्वत सिंह को स्थायी सुरक्षा प्रदान करके सरकारी कर्मचारियों के मन में तो कम से कम इस बात का विश्वास हो कि हम सुरक्षित हैं। जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त, लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूब करके यदि इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये, तुरन्त उनको गिरफ्तार किया जाये। धन्यवाद, जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले श्री सुरेश रावत। नहीं प्लीज माननीय सदस्य, No need of allowing. राजेन्द्र राठौड़ जी बाद में, पहले सुरेश रावत जी। सुरेश रावत जी बोल लेते हैं पहले। प्लीज, सुरेश जी रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी सारा विषय रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको बताया। मेरा आपसे निवेदन है कि 23 मार्च, 2022 को कुछ लोगों ने कुलदीप सिह राठौड़ व अन्य दो साथियों पर हमला कर दिया। हमले के कारण कुलदीप सिंह राठौड़ का 24 मार्च, 2022 को निधन हो गया। मृतक कुलदीप सिंह राठौड़ दिव्यांग था और परिवार से गरीब था। उनके एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाये और मुआवजे के रूप में पचास लाख रुपये की राशि दी जाये। साथ ही जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच करके उनको दण्डित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अन्दर निरीक्षण करने जाये और वहां जाकर उसे चार सौ मजदूरों में से एक मजदूर नहीं मिले, दस मेट में से एक मेट नहीं मिले और वह बी डी ओ को शिकायत कर दे, मैं समझता हूं कि इतनी दबंगाई, इतने दबंग लोग हो गये, दहशतगर्दी इतनी बढ़ गयी कि उस पर एलानिया हमला करे। अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन इतना ही है कि इस पर्वत सिंह, जे टी ए पर हमला किया गया। यह खुद भाग गया पर एक विकलांग-दिव्यांग व्यक्ति कुलदीप सिंह भाग नहीं सका, उसको पीट-पीट कर मार डाला। आज पूरा कस्बा बन्द है, लोग सड़कों पर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिन आरोपियों का एफ आई आर में नाम लिखाया, जिनको नामजद किया, विडम्बना इस बात की है अध्यक्ष महोदय, उनको बुलाया गया और बड़ी खातिरदारी करके उनको वापस भेज दिया गया। मैं समझता हूं कि इसकी जांच मंत्री महोदय शान्ती धारीवाल साहब, आप विराजे हैं, इस लोमहर्षक घटना की जांच आप कम से कम एस पी स्तर के अधिकारी से करवायें वरना आपके शासन में कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी काम का निरीक्षण करने नहीं जायेगा। इसके अन्दर जल्दी से जल्दी जो लोग नामजद हैं, मैं लम्बी बात नहीं करूंगा, नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी आप करवायें। एक दिव्यांग व्यक्ति, मैं समझता हूं कि मुझे लोग कह रहे हैं कि सरेआम जब पीटा जा रहा था तो वह हाथ जोड़ रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं छोटा-सा दुकानदार हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर्वत सिंह मेरा रिश्तेदार है इसलिए मुझे कहा कि मैं खाना खाकर घर जाना चाहता हूं, मेरे को खतरा है तो मैंने कहा कि मेरे को पूरा कस्बा जानता है, मेरे होते हुए तेरे पर हाथ नहीं लगायेंगे। सरपंच साहब, ऐसा मत करो, अब ऐसा मत करो। ऐसे लोगों को आपने, न सरपंच को सस्पेंड किया, न उसको गिरफ्तार किया तो इसलिए कृपया भगवान के लिए ऐसी घटनाएं नहीं हों, आप एस पी स्तर के आदमी से जांच करवाओ। पुलिस ने आश्वासन दिया था तीन दिन में गिरफ्तारी का, आज तीन दिन निकल गये, कल हजारों लोग थे। राजस्थान में माहौल खराब नहीं हो इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन दरिन्दों को आप गिरफ्तार करवायें।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

भर्तियों में ओ.बी.सी. के युवाओं को आरक्षण

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग ने 2018 में भूतपूर्व सैनिकों के कोटे के बारे में एक तुगलकी आदेश निकाल दिया कि वो जितना भी भूतपूर्व सैनिकों का कोटा होगा वो जिस वर्ग के होंगे सारे के सारे उसमें समायोजित किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: ओ.बी.सी. पर बोल रहे हो कि किस पर बोल रहे हैं?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हां, वो ही ओ.बी.सी.।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसे नहीं। आई विल नोट अलाउ।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): ओ.बी.सी. के ही कोटे की बात कर रहा हूं तो इसके कारण ओ.बी.सी. के जो युवा हैं उनके साथ इतना घोर अन्याय हो रहा है कि राजस्थान पुलिस की 2019 की भर्ती निकली, इसमें ओ.बी.सी. की 21 परसेंट जो रिजर्वेशन के हिसाब से सीट होती हैं 243 और 243 की 243 भूतपूर्व सैनिकों को दे दी गयीं। एक भी युवा अभयर्थी को लिया नहीं गया। इसका उदाहरण है कोटा के अन्दर 75 में 70 नम्बर लिये ओ.बी.सी. के छात्र ने योगेश यादव पुत्र हरि सिंह ने और वह टॉपर है। जो जनरल में टॉपर है उसके 75 में से 68 नम्बर आये हैं वह नम्बर वन पर है और जिसने 75 में 70 लिये, टॉपर से भी ज्यादा उसको नहीं दिया गया क्योंकि एक भी सीट नहीं रखी गयी, 243 की 243 भूतपूर्व सैनिकों को दे दीं। 2018 से पहले यह नियम था कि जिस-जिस कैटेगरी में है उसमें दिया जाये। जैसे साढ़े बारह परसेंट कोटा है तो ओ.बी.सी. के ज्यादा होते हैं भूतपूर्व सैनिक तो साढ़े बारह परसेंट ओ.बी.सी. में उनको दे दिया जाता और जिस कैटेगरी के हैं उनमें चले जाते लेकिन जितनी भी सीटें थीं, सारी की सारी यह कह दिया कि उसी कैटेगरी में डाल दो और इसी का परिणाम है अध्यक्ष महोदय, पटवारी की भर्ती हुई उसमें 600 सीट्स हैं उनमें 587 दे दी गयीं और ऐसे ही एस आई का जो हुआ तो एस आई के अन्दर भी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह वनपाल पर था। प्लीज, आई विल नोट अलाउ। माननीय प्लीज, वाइंडअप। आप वाइंड अप करें। आप कहां पहुंच जाते हैं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि एक भी सीट...

श्री अध्यक्ष: वनपाल के ऊपर है जो लिखा है वह वनपाल के बारे में है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): वनपाल की ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कहां बोल रहे हैं? आप आगे जा रहे हैं। प्लीज।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, वनपाल की भर्ती निकली इसमें ...

श्री अध्यक्ष: बात हो गयी प्लीज, बैठें। आपकी बात आ गयी। समझ

(श्री अध्यक्ष)

में आ गयी। बस हो गयी बात। प्लीज, आई विल नोट अलाउ। आप बैठें। आपकी बात समझ में आ गयी न कि कोटे की जगह भूतपूर्व सैनिकों को दे दी, बात यही तो कहनी है फिर भाषण देने से क्या मतलब है। बस हो गयी बात। बैठें, प्लीज।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, वनपाल में भी 122 ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आई विल नोट अलाउ इट मिस्टर बलजीत। प्लीज बैठें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, संरक्षण चाहूंगा, गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। आप बैठें। नहीं सुनना आपको क्या? आपको नहीं सुनना क्या? गलत बात है। आप बैठें प्लीज।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, कौन सुनेगा?

श्री अध्यक्ष: कोई नहीं सुनेगा, बैठो आप। प्लीज, आपको नहीं सुनना क्या? जब कह दिया कि आज का प्रोग्राम इतना टाइट है, फिर भी आप अपनी बात कहे जा रहे हो, आपकी बात समझ में आ गई। आपने वनपाल का लिखा है, मेरे पास यह कागज है। (व्यवधान) आप फिर बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आपको कुछ प्रोब्लम है क्या? श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा भगवानगंज में गरीबों के लिए आवास निर्माण व आबंटन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुन नहीं रहे हैं क्या? बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): गरीबों की (व्यवधान) योजना के बारे में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 मार्च, 2007 को अजमेर में शहरी गरीबों के लिये पीएसयूपी के नाम से एक योजना स्वीकृत की गई। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार ने 2007 में 64 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किये। स्वीकृति के बाद राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपये प्राप्त भी हो गये और उन 50 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने 46 करोड़ रुपया

(श्रीमती अनिता भदेल)

खर्च करके शहरी गरीबों के लिये भगवानगंज में 224 मकान बनाये। यह 224 मकान 2007 से आज 2022 हो गया, लगातार बन ही रहे हैं। एक बार तो आधे बने और बनने के बाद ठेकेदार भाग गया और फिर चार साल बाद पुन: नये टेंडर करके नये ठेकेदार को लाया गया। उस ठेकेदार ने काम पूरा किया, लेकिन जिन पात्र परिवारों को यह आवास देने थे, उन पात्र परिवारों को आबंटित नहीं हुए और उस वजह से जितना काम किया था, खिड़की, दरवाजे, नल, सारी चीजें असामाजिक तत्व वहां से निकाल कर ले गये। आज यह आवास जिन पर 46 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वह आवास आज खंडहर की स्थिति में हैं लेकिन 101 पात्र परिवारों के आवेदन करने पर और उनके द्वारा 12,000 रुपये जमा कराने पर भी, इन 101 परिवारों को यह आवास आबंटित नहीं हुए। इसी प्रकार से यह 123 आवास, जिनके लिये भी चयनित परिवार को ए डी ए द्वारा ढूंढ़ना बाकी है, उनको भी नहीं ढूंढ़ा गया है। जो आपको 101 मिल गये, उनको भी आप नहीं दे रहे हैं और केन्द्र सरकार का 46 करोड़ रुपया जो उन आवासों के निर्माण में लगा है, वह भी पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को इतना ही निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देकर जो 101 पात्र परिवार हैं, उनको तो आबंटन कराएं और जो शेष 123 आवास वहां बने हुए हैं, उनको भी शीघ्र कार्यवाही करके, शीघ्र प्रक्रिया पूरी करके, 123 लोगों को ढूंढ कर, उनको भी आवास आबंटन कराये तो गरीबों का छत का सपना पूरा हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

फालना, देसूरी व बाली पुलिस थानों में हत्याओं के प्रकरणों में निष्पक्ष अनुसंधान

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम और 50 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप स्वयं जानते हैं, आपका राजस्थान विधान सभा में और लोक सभा में लंबा तजुर्बा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र से आप लगभग 40 साल से जुड़े हुए हैं। पाली जिला एक बहुत ही शांतिपूर्ण जिला था। पिछले 2019 से 2022 में मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा हत्या, लूट या डकैती कहीं हुई हैं

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

तो वह हमारे जिले में हुई हैं। दिनों दिन हत्यारे हत्या करने में घबराते नहीं हैं। लोगों ने यहां तक काम चालू कर दिया कि लोग फिरौती देने लग गये और बाहर के गैंगस्टर, शूटर आकर किसी भी आदमी को खतम करके चले जाते हैं और आज दिन तक उनको पकड़ा नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस में हमारे सभी साथी विधायकों ने मनोहर प्रकरण को यहां उठाया था जो कि 2016 का प्रकरण है। आज दिन तक उसके परिवार को मालूम नहीं है कि मनोहर की हत्या हुई है या उसका अपहरण हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस केस को सी.आई.डी., सी.बी. में दिया। उच्च अधिकारियों से जांच कराई और फिर सी.बी.आई. में देने की बात की, पर आज दिन तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मनोहर वास्तव में मर गया है या उसकी हत्या हुई है या अपहरण हुआ है। परिवार में वह एक मात्र बच्चा था और वे सब लोग आज चिंतित हैं।

गवरा हत्या कांड, एक अनुसूचित महिला की 2019 में हत्या होती है। आज तीन साल हो गये, आज दिन तक उसके केस को खोला नहीं है। तीन-तीन साल से आपके डीवाई. एस.पी., एडिशनल एस.पी. वहां बैठे हैं। अनुसूचित जाति की महिला थी, वह खेत पर भैंस चराने गई थी, वहां कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी गई और आज तीन साल हो गये, उसका कोई पता नहीं है।

मैं कानसिंह की बात करूं, दिन दहाड़े सुबह दस बजे दो आदमी मोटरसाइकिल पर आते हैं, आम आदमियों के बीच उस पर फायर कर देते हैं और उसकी वहीं हत्या हो जाती है। हालत यह है कि उसमें 120 का मुलजिम तो पकड़ा गया, पर जिसने सुपारी ली और जिसने इसको मारा, आज दो साल हो गये अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक वे हत्यारे पकड़े नहीं गये हैं।

कुछ दिन पहले जितेन्द्र की हत्या हुई। यह पूरा मामला राजस्थान में चर्चित है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने 48 घंटे में मुलजिमों को पकड़ लिया। अध्यक्ष महोदय, वह लड़का सी.एच.ओ. था और मैरिट पर उसका चयन हुआ था। संविदा पर कार्यरत था। सरकार को कोई न कोई नियम बनाने पड़ेंगे। सरकार के लिये सेवा कर रहा है, जनता के लिये सेवा कर रहा है, घर जाते वक्त उसकी हत्या हो जाती है। आज नहीं तो दो

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

साल बाद उसकी नौकरी लगती। मैं कह रहा हूं कि पूरे जोधपुर संभाग में थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। मंत्री महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके फादर पैरेलाइज्ड हैं, एक बच्चा था जो कमाऊ था, चार बहनें हैं, इसके परिवार की स्थिति बहुत गम्भीर है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए चिंतित हूं कि पाली जिले में, अभी जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने बात उठाई, 17 साल की बच्ची की हत्या कर दी। मैं आपको कह रहा हूं कि आप पाली जिले का एक साल का रिकार्ड देखो, लगभग 40-50 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। कितनी ही लूट हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने ही मंदिरों में चोरी हुई है। चोरियों में तो पुलिस एफ आई आर तक दर्ज नहीं करती है, जिससे गुनहगारों का हौसला दिनों-दिन बढ़ रहा है और जो हमारा एक शांतिपूर्ण जिला था, आज सिरोही में क्राइम सबसे आगे बढ़ गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): (व्यवधान) पिसावा में एक बालिका के साथ बलात्कार करके उसको कुएं में पटक दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि पुलिस ने पकड़ लिया। मैं कहना चाहता हूं कि अनुसंधान टाइम पर नहीं होने के कारण इन बदमाशों का दिनों-दिन हौसला बढ़ रहा है और इससे आम आदमी परेशान है, बहुत भयभीत स्थिति में है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने दिया, मैंने अपनी भावना आपके सामने प्रकट की और मंत्री महोदय इस पर थोड़ा ध्यान दें, जिले की स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति आज दिन तक जिले में नहीं हुई। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री जितेन्द्र सिंह जी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से आपके समक्ष एक ऐसे वर्ग की भावना पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने महामारी और अन्य कठिन परिस्थितियों के दौरान अपने जीवन को खतरे में डालने वाले जोखिम के

(श्री जितेन्द्र सिंह)

बावजूद समुदाय और सरकार का समर्थन किया है- प्रदेश के डाक्टर और अस्पताल।

वर्तमान में राजस्थान के डाक्टर और अस्पताल न केवल हमारे राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में प्रत्येक स्पेशियलिटी में नवीनतम और आधुनिक टेक्नोलोजी और प्रशिक्षित डाक्टर अपने प्रदेश में उपलब्ध हैं।

राजस्थान में चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उचित प्रोत्साहन से न केवल अपने लोगों को आधुनिक चिकित्सा की सुविधा मिलेगी बल्कि प्रदेश का नाम रोशन होगा, यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य को एक बड़ा नाम प्रदान करेगा और राजस्व लाभ भी होगा। यह सही समय है कि राज्य प्रशासन और सरकार को इस क्षेत्र का समर्थन और प्रोत्साहन करना चाहिये। जिस प्रकार प्रदेश टूरिज्म के लिये प्रख्यात है, उसी प्रकार उचित प्रोत्साहन मिलने पर अपना प्रदेश मेडिकल टूरिज्म का हब बन सकता है।

मेरा विचार है कि निम्न बिन्दुओं पर सरकार को मंथन करना चाहिये जिससे इस सेक्टर को प्रोत्साहन मिले:-

1. राज्य स्तरीय चिकित्सा सुविधा सलाहकार समिति का गठन किया जाये। सरकारी और निजी चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित और अनुभवी डाक्टर इसके सदस्य होने चाहिये और वे विभिन्न मुद्दों के लिये सरकार को सलाह और मार्गदर्शन दे सकते हैं।

2. जिस प्रकार सरकार विभिन्न इंडस्ट्री के प्रोत्साहन के लिये समय-समय पर स्कीम लाती है, उसी प्रकार हमारे राज्य में चिकित्सा पेशे और प्रतिष्ठानों को संगठित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये ताकि उन्हें बेहतर विकास और भविष्य के लिये कई विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकें। यह हमारे राज्य में भारी निवेश को आमंत्रित करेगा।

3. चिकित्सा प्रतिष्ठानों को इंडस्ट्री की तरह भूमि आबंटन, कम ब्याज दरों पर लोन, करों में और बिजली में सब्सिडी इत्यादि मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिये।

4. सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में बेहतर भागीदारी के लिये उचित फीडबैक और नीति निर्माण में निजी चिकित्सा क्षेत्र को शामिल किया जाना

(श्री जितेन्द्र सिंह)

चाहिये। वर्तमान में अपरिमेय पैकेज, असमान पैनलीकरण और विशेषज्ञों और तृतीयक देखभाल अस्पतालों द्वारा गैर भागीदारी है। इसलिए राज्य में सभी जगहों पर व्यापक और अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। नवीनतम और वर्ल्ड क्लास तकनीक से लैस सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरों और स्वास्थ्य केन्द्रों को इन योजनाओं में अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिये।

5. रिहायशी इलाकों में स्थित सभी निजी अस्पतालों को नियमित किया जाना चाहिये क्योंकि रिहायशी इलाकों के पास चिकित्सा सुविधाओं की हमेशा आवश्यकता होती है।

6. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि चिकित्सा पेशेवर निडर और सुरक्षित रूप से काम करें। डाक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये। हमें सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिये इस पेशे की अनावश्यक आलोचना के लिये रोकना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार और हम सभी को अति विशिष्ट और उच्च शिक्षित समुदाय का ध्यान रखना चाहिये। ये हमेशा समुदाय की सेवाओं के लिये प्रतिबद्ध हैं और विशेष क्षेत्र की श्रेणी के पात्र हैं। चिकित्सा क्षेत्र और सुविधाओं का विकास सीधे राज्य के विकास को प्रतिबिंबित करता है। धन्यवाद।

(समय: 12.39 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

बिजली कम्पनियों द्वारा सरकारी विभागों से बकाया वसूली

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

प्रदेश की 3 बिजली कम्पनियां जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम एवं अजमेर डिस्कॉम में बिजली का उपभोग करने के बाद भी क्रमश: 1083.06 करोड़, 734.68 करोड़ एवं 314.64 करोड़ कुल 2132 करोड़ रुपये सरकारी एजेंसियां नहीं चुका रही हैं और इसका असर प्रदेश के आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, क्योंकि बकाया राशि का सीधा असर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति व कार्य प्रणाली सहित कम्पनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर

(श्री मदन दिलावर)

बिजली खरीद की राशि चुकाने के लिये लोन लिया जा रहा है। यही लोन राशि आम जनता से बिजली की बढ़ी दर के रूप में ली जा रही है जो आम उपभोक्ताओं के साथ घोर अन्याय है।

महोदय, सरकार ने छीजत कम करने के लिये बड़े-बड़े दावे किये हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। प्रदेश में बिजली चोरी व छीजत का आंकड़ा 20 से 22 प्रतिशत है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। मैं यह भी उल्लेख करना उचित समझता हूं कि यदि आम उपभोक्ता पर बकाया राशि जमा कराने में चूक हो जाती है तो बिजली विभाग उसका तुरन्त कनेक्शन काटकर उस परिवार को अंधेरे में रहने को मजबूर कर देता है, लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि सरकारी महकमे जिन पर करोड़ों रुपये वर्षों से बकाया हैं, उन्हें अभय दान दिया जा रहा है। यह सरकार का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है?

महोदय, बिजली कम्पनियां कभी घाटे तो कभी तरह-तरह के सेस के नाम पर आम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालती रहती हैं, लेकिन उन सरकारी विभागों में वर्षों से बकाया करोड़ों की रकम वसूलने में ही उनके फ्यूज उड़े हुए हैं और इनका तो बिजली कम्पनियां बाल भी बांका नहीं कर पायी हैं। इसके ठीक उलट इन तीनों कम्पनियों के बिल न भरने वाले लाखों आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिये हैं व काटे जा रहे हैं, जो उचित नहीं है।

यह काफी लोक महत्व का मामला है, इसलिये विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

बड़केश्वर महादेव मन्दिर (गढ़ी) का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के ग्राम पंचायत बिलौदा पंचायत समिति अरथूना में माही नदी के कडाना बैक वाटर क्षेत्र में 200 बीघा भूमि का टापू है एवं नदी किनारे बड़केश्वर महादेव मन्दिर है। सामने डूंगरपुर जिले की सीमा है। वहां पर नीलकंठ महादेव, शीतला माता मन्दिर, बोहरा समुदाय की विश्वविख्यात दरगाह है। यह टापू दोनों जिलों के तीर्थ स्थलों के मध्य है। चारों तरफ पानी रहता है। टापू में बागवानी और फलदार वृक्ष हैं। उक्त स्थान को पर्यटन से जोड़कर 2 किमी डामर सड़क, टापू

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

में बागवानी घाट निर्माण, हैरिटेज, सौन्दर्यीकरण, बोटिंग व पर्यटन के लिये नाव आदि सुविधाएं करना आवश्यक है।

अत: इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं, जिससे ग्रामवासियों व आमजन का सड़कों पर आवागमन मुश्किल हो रहा है। दुपहिया वाहनों का इन सड़कों पर चलना भी दुश्वार हो गया है। रोजाना लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। निम्न सड़कों पर डामरीकरण करवाने की आवश्यकता है-

जवड़िया से केरला सड़क, सम्पर्क सड़क गिरादड़ा, सम्पर्क सड़क जवडिया। खैरवा से आकड़ावास, सम्पर्क सड़क बालेलाव, सम्पर्क सड़क सदावास। वालराई से खुनीगुडा, घुमटी से गढ़वाड़ा, डरी से मणिहारी, कुरना से गुड़ा प्रतापसिंह, गुन्दोज से कानेलाव, केनपुरा से सापुनी, पावा से हिंगोला, गोगरा से हिंगोला, भासुन्दा से पेणावा, बाबागांव से बसत, सुमेरपुर से जाखौड़ा-पाराखिया-जादरी सड़क, तखतगढ़ से कोशेलाव-खीमाड़ा-खांगड़ी-विरामीढाणी-बिरामी-रानीरोड तक सड़क चौड़ी कर MDR या स्टेट हाईवे में विकसित करवानी है। पाली से डेन्डा-बाला सड़क, रूपावास से भाटों की ढाणी सड़क, NH-62 जेतपुरा से खौड़-जवाली सड़क, पाली खैरवा रोड से लाम्बीया-आकड़ावास तक सड़क नवीनीकरण करवाने व स्टेट हाईवे बाली-पीडवाडा बोया से पेरवा-जवाई बांध-सुमेरपुर-तखतगढ़ सड़क को चौड़ा कर MDR या स्टेट हाईवे के रूप में विकसित करवानी है पावा-भाचुन्दा के बची नदी पर पुल, बांगड़ी-खांगड़ी के बीच नदी पर पुल, कोरटा-भाचुन्दा के बीच नदी पर पुल, जवडिया-गिरादड़ा के बीच नदी पर पुल निर्माण करवाने का श्रम करावें।

अत: मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त सड़कों व पुलों की स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, दरीबा उद्योग द्वारा कारित प्रदूषण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हिन्दुस्तान जिंक लि. दरीबा उद्योग द्वारा क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर निम्न बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण करने तथा समाधान करने हेतु आग्रह है:-

1. उक्त उद्योगों द्वारा जहरीली गैस छोड़ने से पर्यावरण दूषित हो रहा है जिससे किसानों की फसल तथा पेड़-पौधों को नुकसान हो रहा है एवं उद्योग द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

2. उक्त उद्योग के द्वारा एसिडयुक्त जहरीला पानी आस-पास के नदी-नालों, एनीकटों व बोरिंगों के माध्यम से जमीनों में छोड़ा जा रहा है जिससे अण्डरग्राउण्ड वाटर जहरीला तथा एसिडयुक्त हो गया है। लोग अपने बोरिंग तथा हैंडपम्प का पानी नहीं पी रहे हैं। हैंडपम्पों में इतना खराब पानी आता है कि दूध में पानी मिलाते ही दूध फट जाता है तथा जहरीला पानी पीने से मवेशी बीमार हो जाते हैं।

3. उद्योग में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिकित्सकों की रिपोर्ट में बताया कि मजदूर लेड प्लांट में काम करते हैं। उनके ब्लड में लेड की मात्रा बहुत ही अधिक पायी गयी है जिससे मजदूर बीमार रहते हैं तथा असमय ही मौत के मुंह में चले जाते हैं।

4. उक्त औद्योगिक संस्थानों में लापरवाही के कारण प्लांट में कई मजदूर मारे गये हैं। उक्त उद्योग की स्थापना से अब तक कितने मजदूर किन-किन कारणों से मारे गये हैं तथा उनके परिजनों को सहायता व नौकरी दी गयी है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी ।

लाडपुरा में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण तथा डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड में पुनर्निर्माण

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे

(श्रीमती कल्पना देवी)

विशेष उल्लेख के नियम 295 के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों आते हैं और वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र भी है। वहां शहरी क्षेत्र में सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों में गिरकर कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र में सीवरेज कार्य के नाम पर नयी-नयी सड़कों को खोद दिया गया है एवं सीवरेज कार्य पूर्ण होने के पश्चात् खुदी हुई रोड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या फिर वहां रोड बनाने के नाम पर गिट्टी और मिट्टी से लीपापोती कर दी जाती है जिसके कारण वहां सड़कों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गयी है।

विभागों में समन्वय नहीं होने के कारण एक विभाग सड़क बनाता है और दूसरा खोद देता है। बार-बार सड़कें खोदने से जनता परेशान है। नयी बनी हुई सड़क एक-दो बरसात में ही टूट जाती है। विभाग द्वारा न तो इसकी कोई जांच की जा रही है और न ही इन क्षतिग्रस्त सड़कों का डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड में होने पर भी पुन: निर्माण करवाया जा रहा है। अत: आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की खराब एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

विद्यालयों में शहीदों की मूर्ति स्थापित करने में आ रहीं बाधाएं

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत बोलने का मौका दिया। पूरा सदन जानता है कि राजस्थान की वीर भूमि पर पैदा हुए अनेकों बेटों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत दी है। मगर हमारी सरकारी तकनीकी पेचीदगियों की वजह से जब उन शहीदों की याद में हम विद्यालयों में भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिये शहीदों की प्रतिमाएं लगाने की बात करते हैं तो कई कानूनी बाधाएं बीच में आ जाती हैं। हाल ही में नागौर जिले की कुचामन के पास परेवड़ी गांव में डाबला की ढाणी निवासी मोहनलाल सैन जो 1965 में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए

(श्री गिरधारीलाल)

शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा भामाशाहों ने स्कूल में लगाई। ये शहीद की प्रतिमा 9 महीने से अपने कपड़े का आवरण हटाने का इन्तजार कर रही है, लेकिन आज दिनांक तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश में शहीदों की याद में भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिये शिक्षण संस्थाओं में जहां भी मूर्ति स्थापित की जाती है, वहां मूर्ति स्थापना का निर्णय लेने का पूरा अधिकार स्कूल की एस.डी.एम.सी. को दिया जावे ताकि लम्बी प्रक्रियाओं में शहीद के परिजनों को और ग्रामीणों को उलझना नहीं पड़े। जहां भी हमारे बेटे भाई शहीद होते हैं, उनकी प्रतिमा तुरन्त शिक्षण संस्थाओं में स्थापित की जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

पलाना कलां प्रा.स्वा.केन्द्र (मावली) का स्व. जैन संत हस्ती गुरू के नाम पर नामकरण

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-पलाना कलां, मावली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम स्वर्गीय जैन संत हस्ती गुरु के नाम पर करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, उक्त विषय में निवेदन है कि फरवरी, 1994 से संचालित पलाना कलां, मावली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण स्थानीय व प्रवासी बन्धुओं द्वारा कराया गया है। ग्रामवासी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण स्वर्गीय हस्ती गुरु के नाम पर स्वर्गीय हस्ती गुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसका अनुमोदन पंचायत समिति, मावली ने भी किया है। उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार को भी भेजा गया है। काफी समय व्यतीत होने के पश्चात् भी इसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। स्वर्गीय जैन संत हस्ती गुरु का मेवाड़ की पावन धरा पर धर्म, संस्कृति व साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है। उनके नाम पर इस स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण क्षेत्र की जनभावना का सम्मान व भावी पीढ़ी के मानस में संत श्री हस्ती गुरु की स्मृति को अंकित करने का प्रयास होगा। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह।

वल्लभनगर स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय में अनियमितताएं

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर, जिला उदयपुर के वल्लभनगर स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं पशुधन अनुसन्धान केन्द्र पर सेवा प्रदाता के माध्यम से 140 संविदाकर्मी विभिन्न पदों पर 10-12 वर्षों से कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय ने पूर्व में दिनांक 17/12/2021 को निविदा निकाली थी, जिसमें ये संविदाकर्मी जिस फर्म से कार्यरत हैं, वह फर्म निविदा की सभी शर्तों को पूर्ण करती है परंतु विश्वविद्यालय द्वारा उस निविदा को बिना किसी कारण ही निरस्त कर दिया गया है। नई निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय ने शर्तों में बदलाव कर संविदाकर्मियों की शैक्षणिक योग्यता का कोई हवाला नहीं दिया, जबकि पूर्व में सभी निविदाओं में योग्यता के अनुसार ही संविदाकर्मियों की भर्ती की गयी है।

निविदा लेने वाले लोग अपने रुतबे का गैर वाजिब इस्तेमाल करके निविदा की पूर्ण प्रक्रिया को बदलकर अनुचित लाभ लेना चाहते हैं जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। अत: मेरा सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आग्रह है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 17/02/2022 को निकाली गयी निविदा को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर जांच करवायी जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार जी गौड़।

पंजाब की नहरों से प्रवाहित प्रदूषित जल

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्रीगंगानगर जिले में पंजाब से नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी को रोकने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैंने राजस्थान की

(श्री राजकुमार गौड़)

नहरों में पंजाब से आ रहे दूषित व जहरीले पानी के सम्बन्ध में अनेकों बार विधान सभा में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। आज पुन: निवेदन है कि श्रीगंगानगर में वर्तमान में पंजाब से हमारी नहरों में आ रहे पानी के खतरनाक स्तर पर प्रदूषित होने की वजह बांधों से पानी की निकासी कम करना है। गत दिनों पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पोंग और भाखड़ा बांधों से पानी की निकासी कम कर दी थी।

सभापति महोदय, इससे सतलुज-ब्यास नदियों के पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और वही पानी गंगनहर, भाखड़ा और इन्दिरा गांधी नहरों में आया है। इन तीनों नहरों का पानी राजस्थान के दस जिलों में सिंचाई के साथ पेयजल के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। पंजाब से हमारी नहरों में फैक्ट्रियों का कैमिकलयुक्त पानी, चमड़े की फैक्ट्रियों का गन्दा पानी, सीवरेज का पानी इत्यादि डाला जाता है जिससे इन नहरों के गन्दे पानी से यह इलाका कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित है। नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले दूषित जल की रोकथाम करने हेतु आपसे पुन: आग्रह करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी इस सम्बन्ध में दो बार पंजाब गये भी थे व तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से इस बारे में बात भी की थी और उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आश्वासन भी दिया था, परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहरीले पानी का मामला अन्तरराज्यीय स्तर का सिंचाई-पानी का मामला केन्द्र सरकार के अधीन है, अत: केन्द्रीय मंत्री जी राजस्थान में आने वाले जहरीले पानी को बन्द करवाने की कृपा करें। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उक्त समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवाने हेतु पंजाब सरकार पर दबाव बनायें व इस समस्या का स्थायी समाधान कराने का कष्ट करें ताकि इलाक़े की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम (अनुपस्थित)। श्री जब्बर सिंह सांखला।

(समय: 13.00 बजे)

सिन्थोल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (आसीन्द) में पुराने टायरों को जलाने से कारित प्रदूषण

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

मेरी विधान सभा आसीन्द-हुरडा की ग्राम पंचायत रूपाहेली में एक फैक्ट्री लगी हुई है जो सिन्थोल ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से है जहां पुराने टायरों को जलाकर क्रूड ऑयल बनाया जाता है। यह फैक्ट्री जब से लगी है तब से रूपाहेली तथा आस-पास के कई गांवों के लोग इससे दु:खी हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में रोजाना हज़ारों पुराने टायरों को जलाया जाता है जिससे जो धुआं निकलता है उसमें बड़े-बड़े कण निकलते हैं। वे उड़ते हैं, तो वहां प्रदूषण इतना फैलता है कि रात में अगर घरों की छतों पर कोई व्यक्ति सो जाये तो उसके नाक में वो काले कण जम जाते हैं और नाक बन्द हो जाता है। आदमी श्वांस तक नहीं ले पाता है। ये इतने जहरीले कण हैं कि इनसे कैंसर की बीमारी तथा सांस की बीमारी व आंखों की रोशनी तक खतम हो रही है तथा और भी कई तरह की बीमारियां इस इलाक़े में फैल रही हैं। इस वजह से पिछले 6-7 सालों से आस-पास के गांवों तथा रूपाहेली की आम जनता ने कई बार ज्ञापन दिये, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कई बार उग्र आंदोलन किये कई बार रूपाहेली व आस-पास के गाँवों ने इस फैक्ट्री के विरोध में बाजार भी बंद किये, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। जांच के आदेश हुए जांच भी हुई मगर अधिकारियों की मिलीभगत से, लीपापोती हो गई और जनता के हित की बात किसी ने नहीं की जिससे वो फैक्ट्री आज भी धड़ल्ले से चल रही है। लोग दु:खी होकर गांव छोड़कर जाने के लिये मजबूर है। कई तो गुलाबपुरा तथा कई परिवार अपने घर बार छोड़कर भीलवाड़ा रहने को मजबूर है। अगर समय रहते सरकार ने कोई उचित कदम उठाकर इस फैक्ट्री को बन्द नहीं कराया, तो आम जनता सड़कों पर उतरकर जो आंदोलन करेगी वह बहुत ही घातक रूप वाला आंदोलन होगा। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना घटित होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस फैक्ट्री मालिक के साथ-साथ सरकार की भी होगी। अत: मेरा सरकार को सुझाव है कि इसकी जांच करानी हो तो गांवों में घरों की छतों की जांच कराई जाये व रात्रि में उस एरिया में अधिकारियों द्वारा खुले में घूम-घूम व वहां सुलाकर जांच की जाये जिससे ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा कि लोगों की क्या हालत हो रही है। मेरा तो सरकार से यह निवेदन है कि जिस फैक्ट्री की वजह से हज़ारों लोग दु:खी हों, बीमार होकर मर रहे हों, ऐसी फैक्ट्री को चलाकर हम किसी का भी भला नहीं कर सकते।

अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सिन्थोल ग्रीन एनर्जी

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

प्राइवेट लिमिटेड, इस जहरीली व जानलेवा फैक्ट्री, यानी मौत की इस फैक्ट्री को तुरन्त बन्द करने के आदेश कराने की कृपा करावें जिससे वहां की आम जनता को राहत मिल सके।

अत: माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त विषय पर उचित कार्यवाही करवाई जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट, जोधपुर का लम्बित चुनाव

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट, जोधपुर के प्रकरण को विधान सभा के प्रत्येक सत्र में उठाये जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट, जोधपुर में वर्तमान समिति का कार्यकाल लगभग 15 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक चुनाव नहीं कराये जाने के प्रकरण को मैंने विभाग के प्रत्येक स्तर पर उठाया। विभाग के प्रत्येक स्तर पर उक्त ट्रस्ट में प्रबंधक समिति का गठन किये जाने की अनुशंसा भी सक्षम अधिकारियों द्वारा कर दी गई है, परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर उक्त प्रकरण को जान-बूझकर लम्बित रखा जा रहा है। मैंने गत अनेक सत्रों की तरह वर्तमान सत्र में भी यह विषय अतारांकित प्रश्न संख्या 5043 दिनांक 14.03.2022 द्वारा सदन में उठाया है, परन्तु हर बार की तरह इस बार यही जवाब प्राप्त हुआ है कि प्रकरण में राज्य सरकार स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यह हैरत और खेद का विषय है कि राजस्थान में लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन जो कि हमारे लिये सुनवाई का उच्चतम और अन्तिम स्थान है, में प्रकरण उठाये जाने के बाद भी सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर नियमानुसार कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। मेरी मांग है कि मान्यवर, आप उक्त प्रकरण का कृपा कर स्वयं अवलोकन करायें और नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को पाबन्द करायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

खींवसर के चिकित्सा केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन तथा नवीन ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र खींवसर में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु नये चिकित्सा केन्द्र खोलने, खींवसर में मौजूदा चिकित्सालय क्रमोन्नत करने, नये भवनों का निर्माण करने व विस्तार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में सादर अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छितरी हुई आबादी में बसा हुआ है और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं। विशेषकर ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिये बीमार होने पर इलाज के लिये शहर तक आना मुश्किल होता है। जनसंख्या बढ़ने से जिस प्रकार ग्राम पंचायतों का विस्तार करके नई ग्राम पंचायतों का निर्माण किया है, इसके साथ ही क्षेत्र में राजमार्गों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसी के अनुरूप चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार कर, ग्राम स्तर पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर, अधिक आबादी वाले गांवों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैडों की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 करने तथा ट्रोमा सेंटर खोलकर आमजन को राहत देने की सख्त जरूरत है। मेरे विधान सभा के राजस्व गांव सुखोलाव, धवा, बैरावास, बींठवाल, बासनी खलील, लूणावास, गोलयासनी, हनुमानसागर, रावों की ढाणी, बेनीवालों की ढाणी, कालियास, खुडखुडा कलां ओर गुलासर में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 46 गांवों में आज तक कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं है। 2013 में पांचला सिद्धा में सी एच सी की घोषणा तो कर दी, लेकिन सुविधाएं आज भी पी एच सी वाली ही हैं और इनके मापदण्ड के अनुसार भवन भी नहीं बने हैं। इस पर भी सरकार ध्यान देकर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे। बैराथल कलां, बलाया, खरनाल, रिया, श्यामदास के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्न्त करने की महती आवश्यकता है। साथ ही शंखवास, खजवाना, बिरलोका के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

इसी क्रम में सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि कोरोना महामारी में जिस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विशेष योगदान कोरोना को हराने व टीकाकरण में रहा, उसको देखते हुए मेरे क्षेत्र में 27 उप स्वास्थ्य केन्द्र जो भवन रहित हैं, उनमें भवन बनायें तथा जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां अतिशीघ्र भू-आबंटन कराने का श्रम करावें। इसी प्रकार 32 जर्जर अवस्था में पड़े हैं उनकी भी मरम्मत के लिये बजट जारी करायें।

अत: महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में उक्तानुसार नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर और उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाकर व खींवसर में ट्रोमा सेन्टर खोलकर आमजन को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

जोधपुर स्थित एम.बी.एम. इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के सभागार का हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह के नाम पर नामकरण

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विश्व की विषम और असाधारण परिस्थितियों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजरायल के हाइफा का युद्ध अविस्मरणीय है, जो आज भी भारतीय शूरवीर योद्धाओं के शौर्य, अदम्य साहस, पराक्रम की गाथा चिरस्थायी बनाये हुए हैं। इस युद्ध के महानायक हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह का जन्म वर्तमान में जोधपुर शहर के एम बी एम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय परिसर में हुआ था। वर्तमान में जिस जगह पर हाइफा हीरो का जन्म हुआ है, वहां पर अवस्थित कोटड़ी के समीप इंजीनियरिंग कालेज का एक सभागार आया हुआ है।

हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह विश्व के सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय सैनिक हैं। इनके पराक्रम को चिरस्थायी बनाने के लिये हाइफा हीरो का स्टेच्यू इंग्लैंड की रॉयल आर्ट गैलरी में भी प्रतिष्ठित किया गया है, जो कि सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैनिक हैं। भारत सरकार ने हाइफा हीरो के चित्र का अनावरण दिल्ली के लाल किले में राजपूताना रेजीमेंट संभाग में किया। इस सम्मान को पाने वाले आप जोधपुर लांसर्स के प्रथम सैनिक हैं। भारतीय थल सेना 23 सितम्बर को प्रति वर्ष बलिदान दिवस और हाइफा विजय को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इजरायल के हाइफा शहर में वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शहीद हो गये थे। नई दिल्ली स्थित त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह की है। इजरायल जाने वाले सम्माननीय राजनयिक इजरायल स्थित हाइफा हीरो की मूर्ति पर नमन करने जाते रहे हैं, जिसमें माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ राजनेता सम्मिलित रहे हैं।

वर्तमान में इजरायल देश के विद्यालय पाठ्यक्रम में मेजर दलपत सिंह की शौर्य गाथा को सम्मिलित किया गया है तथा राज्य सरकार ने भी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 राजस्थान के गौरव वर्ष में पेज नम्बर 77 पर मेजर दलपत सिंह जी की वीरगाथा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था, लेकिन वर्तमान में पाठ्यक्रम बदलाव के दौरान मेजर दलपत सिंह शेखावत की यशोगाथा को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है।

इसी क्रम में निवेदन है कि हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत समाज के आदर्श एवं पूजनीय हैं। अत: प्रदेश के समस्त समाज बन्धुओं की भावना को मद्देनजर रखते हुए एम बी एम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, जोधपुर स्थित सभागार का नामकरण हाइफा हीरो मेजर दलपतसिंह के नाम पर किया जाये। साथ ही हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत की वीर गाथा को प्रदेश के पाठ्यक्रम में पुन: सम्मिलित करावें, ताकि आगामी पीढ़ियां ऐसे शूरवीरों के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम मकराना।

जनता जल योजना ग्रामीण क्षेत्र का पुन: संचालन

श्री रूपा राम (मकराना): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश में 1994 से सरकार द्वारा जनता जल योजना का ग्रामीण क्षेत्र में शुभारम्भ किया था जिसका संचालन एवं संधारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता था। इस योजना में उस समय 6000 पम्प चालक लगाये गये थे। फिर वर्ष 2011 में सरकार द्वारा इस योजना को पंचायती राज विभाग को सुपुर्द कर दिया था पर पंचायती राज विभाग में इसके लिये कोई अलग से बजट नहीं आ रहा है। इस कारण अभी वर्तमान समय में प्रदेश में

(श्री रूपा राम)

करोड़ों रुपये विद्युत विभाग के बकाया चल रहे हैं व इन पम्प चालकों का मानदेय भी लम्बित चल रहा है। यह पम्प चालक ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे अपनी सेवाएं 15-10 वर्षों से दे रहे हैं।

इन पम्प चालकों की मांग है कि यह योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वापस स्थानांतरित की जाये व हमें वापस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में समायोजित कर राहत प्रदान करायें।

माननीय सभापति महोदय, 21 तारीख को मैंने यह 295 लगाया, एक मिनट, कभी तो थोड़ा-सा दो लाइन हटकर बोल लूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं। 295 आपने अपना पढ़ लिया। आपके बाद श्री संजय शर्मा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर चुके हैं। यह चाहते थे कि जलदाय विभाग को यह योजना दे दी जाये, यह योजना दी जा चुकी है।

श्री सभापति: हो चुका। आप नहीं बोलें। श्री संजय शर्मा, आप पढ़िये। (व्यवधान)

(समय: 13.11 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अलवर शहर में सफाई व्यवस्था, रोड लाइट तथा सड़कों का निर्माण

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सफाई अव्यवस्था व खराब पड़ी हुई रोड लाइट को ठीक कराने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सफाई व रोड लाइटों की खराब व्यवस्था से आमजन बहुत दुखी हैं। वर्तमान समय में अलवर शहर में लगभग 2500 से अधिक रोड लाइटें बंद पड़ी हुई हैं तो वहीं शहर के कुछ क्षेत्रों में रात की बजाय दिन में भी रोड लाइटें जलती रहती हैं। रात के समय मुख्य सड़कों पर एवं कालोनियों में जहां रोशनी की आवश्यकता रहती है वहां अंधेरा रहने पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते शहर में रोजाना चोरी व लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

(श्री संजय शर्मा)

अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद् के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों में रोड लाइट की व्यवस्था देखी जा रही है, परन्तु नगर परिषद् प्रशासन एवं रोड लाइट व्यवस्था को देख रही कार्यकारी कम्पनी के आरोप-प्रत्यारोपों के बीच में आमजन को परेशानी व खामियाजा उठाना पड़ रहा है। नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत वार्डों की सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं। कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों व अन्य कालोनियों में अमृत जलम् योजना के अन्तर्गत पेयजल लाइनों व सीवरेज लाइनों के डालने से सड़कों का बुरा हाल हो रहा है। जगह-जगह से सड़कें धंसी हुई हैं तो जगह-जगह गहरे गड्ढे हो रखे हैं जिसके चलते आमजन को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उसके बावजूद भी नगर परिषद् द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। दूसरी ओर अलवर शहर में सफाई व्यवस्था बिलकुल चरमराई हुई है। शहर के प्रमुख बाजारों व कालोनियों में जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं जिन्हें दो से तीन दिन तक उठाया भी नहीं जाता है। कालोनियों व मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से सफाई भी नहीं हो रही है जिसके चलते अलवर शहर के आमजन को भारी परेशानी हो रही है। सफाई व्यवस्था का इस तरह से हाल बेहाल हुआ पड़ा है कि नगर परिषद् के पार्षदगणों की रोजाना सफाई कार्य को देख रहे सफाई निरीक्षकों से सफाई को लेकर नोक-झोंक होती रहती है। उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। बेहाल सफाई व्यवस्था के चलते आमजन को अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से घूमने फिरने हेतु बनाये गये पार्कों की भी सफाई नहीं की जा रही है। अलवर जो कि पर्यटक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जिसके कारण यहां पर प्रतिदिन शहर में सैकड़ों से अधिक संख्या में पर्यटक घूमने फिरने आते हैं, शहर की रोड लाइट अव्यवस्था को देखकर वे भी रात्रि के समय में घूमने -फिरने से घबराते हैं तथा शहर की खराब सफाई व्यवस्था को देखकर मन ही मन प्रशासनिक व्यवस्था को कोसते व उस पर तंज कसते हैं।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर शीघ्र से शीघ्र अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में खराब पड़ी हुई रोड लाइटों को बदलने और सड़कों के निर्माण कराने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाकर आमजन को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर जनजाति बहुल क्षेत्र के उत्थान के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर जनजाति बहुल क्षेत्र है। जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार को निम्न प्रस्ताव रखता हूं:-

1. बालिका आश्रम जनजाति छात्रावास ग्राम इन्दुन्दा में खोला जाये।
2. बालिका आश्रम जनजाति छात्रावास ग्राम सरसिया में खोला जाये।
3. जहाजपुर में आश्रम जनजाति छात्रावास खोला जाये।
4. अनुसूचित जनजाति छात्रावास जर्जर भवन के स्थान पर जनजाति के छात्रों के लिए नया आश्रम छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करने की मांग करता हूं।
5. जनजाति बहुल क्षेत्र जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में 80-90 हजार की आबादी है। यहां शिक्षा के क्षेत्र में जनजाति समुदाय को विकसित करने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल, गुढ़ा (फतेहपुर) जहाजपुर में स्वीकृति जारी करने की मांग करता हूं। यहां पर जमीन प्रस्तावित है उसमें 25 बीघा भूमि आरक्षित कर दी गयी है।
6. ग्राम लुहारी कलां व टीकड़ में बालिका आश्रम छात्रावास खोला जाये। यहां पर जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र सैनिक क्षेत्र है और ज्यादातर लोग सेवा में सेवारत हैं।
7. ग्राम लुहारी कलां में आम जन की सुविधा बाबत राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कराने बाबत प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने का कष्ट करायें।
8. बरोदा पंचायत के लालका खेड़ा ग्राम में आश्रम छात्रावास जनजाति के लिए खोलने हेतु।
9. संचालित आश्रम छात्रावास ग्राम लुहारी कलां में 100 छात्रों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करें।
10. जनजाति समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए निम्न सामुदायिक भवन व छाया-गृह निर्माण की स्वीकृति जारी करायें:-

(श्री गोपी चन्द मीणा)

ग्राम लुहारी कलां में ग्राम छाजेला का खेड़ा, ग्राम झीकली, ग्राम खारिया का झोपडा व बरोदा, ग्राम रूणिया बरड़ा पंचायत सरसिया; चान्दाढण्ड, पंचायत इन्दून्दा; ग्राम गौरमगढ़, ग्राम पंचायत गाड़ोली; ग्राम गाडोली, ग्राम पंचायत गाडोली, ग्राम बीरामाता, पंचायत बिलेटा; ग्राम नाथूण पंचायत धौड, ग्राम भवानीपुरा, ग्राम रावतखेड़ा, ग्राम धाधोला, ग्राम श्रंगापुरी, ग्राम उलेला, ग्राम बारलापोलिया, ग्राम कालाभाटा, ग्राम झीरा; ग्राम बिहाड़ा, ग्राम मीणों का खेड़ा, ग्राम पंचायत काटी, ग्राम खेड़ी, पंचायत दातड़ा; ग्राम माताजी का खेड़ा, ग्राम पंचायत रासेड; कोटडी, ग्राम पंचायत कोटड़ी। जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्य स्वीकृत करायें।

अत: मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि गांवों में कार्यों की स्वीकृति जारी करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में गौशाला के नाम की जमीन का बिना रजिस्ट्री करवाये खोले गये नामांतरण का निरस्तीकरण

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ब्यावर शहर में गौशाला के नाम से बिना रजिस्ट्री करवाये खोले गये नामांतरण संख्या 1328, दिनांक 02.01.2002 को निरस्त कर गौशाला की अरबों रुपये की भूमि को भू-माफियाओं से बचाने के बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि ब्यावर शहर में 86 बीघा 9 बिस्वा जमीन, जिसकी आज अरबों रुपये की कीमत है, को गौशाला के नाम से बिना रजिस्ट्री करवाये सादे पेपर पर संस्थान के प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 28.11.2001 देकर तत्कालीन तहसीलदार ने पटवारी से नामांतरण संख्या 1328, दिनांक 02.01.2002 करा लिया जो पूर्ण रूप से अवैध है, जिसे निरस्त कर गौशाला की भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराकर जिला कार्यालय हेतु आरक्षित की जाये।

ब्यावर तहसीलदार के पत्र क्रमांक: भू.अ./2017/1184, दिनांक 05.03.2018 के द्वारा राजस्व मंत्री महोदय के यहां अवैध नामांतरण निरस्त कर भूमि को पुन: सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु धारा 83 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निगरानी याचिका दायर की थी। फिर पुन: 2021

(श्री शंकर सिंह रावत)

में तहसीलदार ब्यावर द्वारा धारा 83, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निगरानी याचिका दायर कर रखी है।

राजस्व मंत्री महोदय, उक्त निगरानी याचिका को सरकार के पक्ष में निर्णय कर गौशाला की अरबों रुपये की भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका आपके यहां दर्ज है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राज हित में फैसला देकर नामांतरण संख्या 1328, दिनांक 02.01.2002 को निरस्त कर अरबों रुपये की जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से बचायें तथा पुन: राजकीय प्रयोजनार्थ दर्ज करने की कार्यवाही करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के कचरे में सुलगती आग

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि नगर निगम कोटा की उदासीनता एवं लेटलतीफी और लापरवाही के कारण नान्ता स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के आस-पास तीन किलोमीटर एरिया के एक लाख से अधिक लोग जहरीले धुएं में सांस लेने को मजबूर हैं। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के कचरे में गत तीन दिनों से आग सुलग रही है। नगर निगम रोजाना शाम को एक दो दमकल वहां भेज देता है, लेकिन अभी तक आग पर कण्ट्रोल नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम को इस कचरे को खतम करने तथा कचरे को फैलाने के लिए दो प्रमुख कार्य करने थे, लेकिन पिछले एक साल से भी अधिक समय से अधिकारी उसे फाइलों में ही घुमा रहे हैं जिस कारण से ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर कचरा अव्यवस्थित तरीके से डम्प किया जा रहा है।

महोदय, आश्चर्य की बात तो यह है कि ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर वेस्ट मैनेजमेंट में पूरी तरह से नगर निगम की अव्यवस्थाओं के कारण शहर की एक लाख की आबादी इसका खामियाजा भुगत रही है। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर प्रतिदिन आने वाले कचरे को फैलाना पड़ता है ताकि वह एक ही जगह पर

(श्री संदीप शर्मा)

इकट्ठा न हो और उसे बीच हवा लगती रहे, लेकिन गत 20 सालों में इतना कचरा जमा हो चुका है कि जल, जमीन और वायु तीनों प्रदूषित हो चुके हैं। इसको लेकर एन जी टी ने नगर निगम को तीन साल पहले ही आदेशित कर दिया था लेकिन नगर निगम ने किसी प्रकार की गम्भीरता नहीं दिखाई और आज हालात कन्ट्रोल से बाहर हो चुके हैं। शहर का 500 टन कचरा अव्यवस्थित तरीके से डाला जा रहा है। कचरे को फैलाया भी नहीं जा रहा है और इसी कचरे में आग लगी हुई है। नगर निगम पूरी तरह से इस आग को बुझाने में फेल हो चुकी है।

यह काफी लोक महत्व का मामला है इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

जयसमंद जीव अभयारण्य क्षेत्र की पहाड़ियों में लगी बेकाबू आग

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर व उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जयसमंद जीव अभयारण्य व कैवड़ों की नाल में आने वाली पहाड़ियों में गत 15-20 दिनों से पूरे जंगल व पहाड़ों में भयंकर आग लगी हुई है। इतने दिनों के बाद भी कोई भी वन के अधिकारी व प्रशासन वहां नहीं पहुंचा है।

मान्यवर, इस जंगल में भीषण आग लगने से जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़े, पशु-पक्षी, जंगली जानवर एवं जयसमंद जीव अभयारण्य में शेर, चीते, हिरण, नील गाय, बन्दर, खरगोश, चूहे, लोमड़ी, सियार, भालू, मोर, तोते, चिड़िया, सांप, गोयरे आदि के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। जंगल के पेड़-पौधे एवं घास को भी भारी नुकसान हो रहा है। चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उक्त आग को बुझाने की तुरन्त व्यवस्था करावें तथा सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उचित एवं कठोर कार्यवाही करावें।

श्री अध्यक्ष: 131 ध्यानाकर्षण। श्री फूल सिंह मीणा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर में एन एम एम एस छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में एन एम एम एस छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाने एवं लापरवाह अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रोकने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति राशि मिलती है। इस छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान का कोटा 5471 (छात्रवृत्ति संख्या) है।

इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत अभ्यर्थियों के शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। इसमें पात्रता के लिए आय सीमा एक लाख पचास हजार रुपये वार्षिक है तथा परीक्षा में आवेदन करने हेतु तथा छात्रवृत्ति की निरन्तरता के लिए अभ्यर्थी का सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इस छात्रवृत्ति हेतु सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी पात्र हैं।

एन.एम.एम.एस. परीक्षा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कक्षा 9वीं प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है तथा इसी प्रकार कक्षा 10, 11 व 12वीं में नवीनीकरण कराना होता है। रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के बाद संस्था प्रधान व जिला नोडल अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के पश्चात् छात्रवृत्ति राशि सीधे ही विद्यार्थी के खाते में जमा होती है। नेशनल स्कोलरशिप नवीनीकरण (Renewal) व सत्यापन

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(verification) के लिए पोर्टल दिनांक 16.08.2020 से 28.02.2021 तक खोला गया ताकि उक्त अवधि में पंजीकृत छात्रों के आवेदन का संस्था प्रधान व जिला स्तर से सत्यापन कार्य किया जाकर छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा सके।

सत्र 2020-21 में NSP खुलने की अवधि में स्थानीय परिषद् द्वारा नियमित अन्तराल पर जिला अधिकारियों एवं अन्य को विभिन्न पत्रों के माध्यम से तत्काल नवीनीकरण व सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के लिये नियमित रूप से पाबन्द किया गया ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नही रहे एवं सत्यापन के अभाव में वंचित रहने पर उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। स्थानीय परिषद् के पत्र क्रमांक राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/फा-1052/2020 दिनांक 08.09.2020, राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/फा-1052/2020 दिनांक 14.10.2020, राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/फा-1052/2020 दिनांक 20.10.2020, राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/फा-1052/2020 दिनांक 26.11.2020, राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/फा-1052/2020 दिनांक 10.12.2020 व राराशैअप्रप-उदय/प्र.2/फा-1052/2020 दिनांक 20.02.2021 द्वारा नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के पात्र विद्यार्थियों के पंजीकरण, नवीनीकरण व सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा समस्त जिलों को लिखा गया।

श्री अध्यक्ष: इन पत्रों के रेफरेंस की क्या जरूरत है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मुद्दे की बात कह दो न आप तो, दोगे या नहीं दोगे?

श्री अध्यक्ष: इन पत्रों की जरूरत नहीं है। आप मूल मुद्दे पर आ जाओ। स्कालरशिप में फाल्ट हुई और एक्शन ले रहे हैं या नहीं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): दिनांक 28.02.2021 को NSP बंद कर दिया गया। उदयपुर जिले के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जमा नहीं होने पर जानकारी प्राप्त की उसमें उदयपुर जिले के 140 विद्यार्थियों के आवेदन में से केवल 9 विद्यार्थियों के आवेदन का सत्यापन किया गया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा व सम्बन्धित प्रभारी उक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समयावधि पर पूरा न कर पाए, जिसके कारण उदयपुर जिले के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रहे हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर के पत्र दिनांक 31.08.2021 के अनुसार बताया गया कि कोविड-19 व तकनीकी कारणों द्वारा नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के आवेदनों का वेरिफिकेशन नहीं किया गया।

स्थानीय परिषद् के पत्र दिनांक 29.12.2021 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को भी इस प्रकरण से अवगत कराया गया।

उक्त कार्य हेतु स्थानीय परिषद् के पत्र दिनांक 12.01.2022, 07.12.2021 तथा 02.09.2021 द्वारा सत्र 2020-21 का पोर्टल खोलने हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा गया। उक्त विभाग के पत्र दिनांक 01.02.2022 को Shree Ravi Ranjan, Under Secretary, DBT Mission, New Delhi को सत्र 2020-21 का पोर्टल खोलने हेतु लिखा गया, जिसकी प्रति संलग्न कर मैं टेबल पर रख रहा हूं।

तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर एवं प्रभारी द्वारा कर्तव्य पालन नहीं करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सक्षम स्तर से की जा रही है। उनको 16 सी.सी.ए. का नोटिस दे दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक टिप्पणी में अवगत कराया गया है कि उदयपुर जिले में सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत एन एम एस छात्रवृत्ति के 218 आवेदन पत्र आशार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये। तात्कालिक समय उक्त आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन कोविड 19 व तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हो पाया था जिसके कारण कुछ विद्यार्थी लाभान्वित होने से वंचित रह गये।

उक्त आवेदन पत्रों में से 9 आवेदन ही स्वीकृत हो पाये और एक आवेदन निरस्त किया गया। उक्त आवेदन वेरिफिकेशन नहीं हो पाने के लिए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रस्तावित कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पी.आर. मीणा साहब, मंत्रीजी का चैम्बर भी है ऊपर। मंत्रीजी, ऊपर चैम्बर है। माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मैं लम्बा-चौड़ा इसमें नहीं

(श्री फूल सिंह मीणा)

जाऊंगा। मैं सिर्फ जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए ही बोलूंगा। मुझे दो मिनट का समय देना।

जैसे मंत्री महोदय ने कहा है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा में 140 विद्यार्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया, केवल 9 को छात्रवृत्ति मिली, 131 छात्र आज भी वंचित हैं। अब मैंने पूछा कि जनजाति के छात्र और उनका परिवार रोज आफिसों के चक्कर काट रहे हैं और पोर्टल नहीं खुला तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वह यह कहते हैं कि केन्द्र से नहीं खुला। केन्द्र को वह नहीं जानते हैं। वह राज्य सरकार और केन्द्र नहीं जानते हैं। जनजाति के छात्र-छात्राएं, बालक और उनके परिवार यही जानते हैं कि हमें सरकार जो छात्रवृत्ति दे रही है, वह समय पर नहीं मिल रही है। अब जिले के 218 छात्रों ने आवेदन किया और कोविड-19 का बहाना देकर कह रहे हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ये कितने दिन में इन छात्रों को आप छात्रवृत्ति दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं? साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिकाओं के लिए भी यही समस्या है। पूर्व सरकार में 65 प्रतिशत अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देते थे और स्कूटी नहीं तो उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। मगर इस सरकार ने आते ही पहले 66 प्रतिशत कर दिया और फिर एक साल तो 66 प्रतिशत वालों को दिया और वर्ष 2021-22 में 68 प्रतिशत कर दिया। गत वर्ष के अन्दर 464 बालिकाओं ने स्कूटी के लिए 65 प्रतिशत से ऊपर अंक लाकर यह लाभ लेने का श्रम किया।

श्री अध्यक्ष: यह अलग है। माननीय सदस्य, वह प्रश्न अलग है। एक-एक पर आ जाओ। पहला प्रश्न आपने अच्छा पूछा है, उस पर मंत्री का जवाब आने दो। बाकी जो बचे हुए हैं, उनको स्कालरशिप कैसे मिलेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्यालय के डी.ई.ओ. की गलती रही है, उनको हमने 16 सी.सी.ए. का नोटिस थमा दिया है। एक यू.डी.सी. की भी गलती है, उसने समय पर पोर्टल पर नहीं डाला, उसको भी 16 सी.सी.ए., का नोटिस थमा दिया है और हम भारत सरकार से निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया अंडर सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है कि पोर्टल आप खोल दें तो हम पोर्टल

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पर सूचना दे दें अथवा हार्ड कापी भेज दें। जो वंचित रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। स्कूटी वाला अलग प्रश्न है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, इनकी यह पीड़ा है कि और जो भी स्कीम है ट्राइबल की, उसके बारे में विभाग पूरा का पूरा ध्यान दे, जिससे बच्चे वंचित नहीं हों। चाहे स्कूटी का मामला हो, चाहे स्कालरशिप का मामला हो। इस बारे में आप जरूर ध्यान दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ध्यान रखेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला ध्यानाकर्षण, श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

राजस्व अधिकारियों द्वारा पशुपालन विभाग को आबंटित भूमि का भू-माफियाओं को हस्तांतरण

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पशुपालन विभाग को आबंटित भूमि भू-माफियाओं को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया के दिनांक 28.05.2018 से 31.05.2018 की अवधि में बांसवाड़ा जिले में प्रवास के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन स्टेडियम के समीप लगभग 8.00 बीघा खातेदारी भूमि को अधिगृहीत कर स्टेडियम के उपयोग में लिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

इस क्रम में तत्कालीन खातेदार श्री समीर खां पुत्र आगा खां द्वारा कार्यालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 2754/1371 रकबा 4 बीघा 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बीघा, कुल किता-2, कुल रकबा 8 बीघा जो कि उनके खाते में दर्ज होकर स्टेडियम से लगती हुई भूमि, जो स्टेडियम के उपयोग में ली जाती है तो उसके बदले अन्य समतुल्य भूमि दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। उक्त भूमि दिनांक 02.11.2018 को श्री समीर खां द्वारा श्री राजीव पिता ताराचन्द कोठारी जाति जैन को विक्रय की गई थी।

(श्री रामलाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के पत्र क्रमांक 431 दिनांक 14.12.2018 द्वारा उक्त भूमि के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा को प्रस्तुत किये गये, जिसके अनुसार ग्राम बांसवाडा की आराजी नम्बर 2754/1371 रकबा 4 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बीघा में से 2.00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा स्टेडियम हेतु अधिगृहीत करने तथा उसके बदले में उक्त निजी खातेदार को ग्राम ठिकरिया की आराजी नम्बर 2248/1840/818 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा श्री सरकार गैर मुमकिन भूमि विनिमय किये जाने हेतु प्रस्तावित की गई, जिसमें वर्तमान खातेदार श्री राजीव कोठारी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विनिमय हेतु प्रस्तावित ग्राम ठिकरिया की आराजी नम्बर 2248/1840/818 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 1840/818 कुल रकबा 4.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि कुक्कुट विकास एवं पशुपालन विभाग, बांसवाड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि तहसीलदार, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 26.07.2018 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम ठिकरिया की आराजी नम्बर 1840/818 रकबा 4.00 बीघा के मध्य से माही विभाग की नहर जाने से उक्त भूमि दो भागों में बंटी हुई है। नहर से उत्तर दिशा वाले भाग पर कुक्कुट विकास एवं पशुपालन विभाग का भवन बना होकर कार्यालय चल रहा है। नहर के दक्षिण दिशा वाले भाग में 1.12 बीघा भूमि विभाग के उपयोग में नहीं आ रही है एवं 0.06 बीघा नहर में स्थित है। दक्षिण भू-भाग पर 30 गुना 100 फिट कुक्कुट शाला बनाई गई थी, जो खण्डहर हो चुकी है एवं 3 आवासीय क्वार्टर जो आवास योग्य नहीं होकर खण्डहर हो चुके हैं। इस प्रकार कुक्कुट विकास एवं पशुपालन विभाग को आबंटित भूमि कुल रकबा 4.00 बीघा भूमि में से मौकानुसार 2.02 बीघा भूमि पर पशुपालन विभाग का कार्यालय भवन बना हुआ है एवं उसका उपयोग उक्त विभाग द्वारा किया जा रहा है।

तहसीलदार, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 26.07.2018 से प्राप्त प्रस्ताव में यह अंकित किया गया है कि 4.00 बीघा भूमि में से 1.12 बीघा भूमि रिक्त होकर अनुपयोगी एवं उस पर निर्मित भवन खण्डहर होने तथा बढ़ती आबादी के प्रभाव से अतिक्रमण की संभावना होने से उक्त 4.00 बीघा भूमि में से 1.12 बीघा भूमि का आबंटन तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा

(श्री रामलाल जाट)

निरस्त किया जाकर कार्यालय के आदेश क्रमांक 876 दिनांक 06.08.2018 द्वारा श्री सरकार दर्ज करने के आदेश जारी किये गये थे।

इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक 431 दिनांक 14.12.2018 से प्राप्त प्रस्ताव जिला कार्यालय के पत्रांक 273 दिनांक 11/03/2019 के द्वारा ग्राम बांसवाड़ा की आराजी नम्बर 2754/1371 रकबा 4.00 बीघा में से 2.10 बीघा एवं आराजी नम्बर 4068/2503/1394/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा कुल रकबा 4.10 बीघा भूमि के बदले ग्राम ठिकरिया की आराजी नम्बर 2248/1840/818 रकबा 1.12 बीघा श्री सरकार दर्ज भूमि के विनिमय के प्रस्ताव राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर को प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.2(38) राज-3/2019 दिनांक 26/02/2021 के द्वारा स्टेडियम के निर्माण में श्री राजीव कोठारी पिता ताराचन्द कोठारी, राती तलाई की आ रही निजी खातेदारी भूमि ग्राम बांसवाड़ा पटवार मण्डल एवं तहसील बांसवाड़ा की आराजी नम्बर 2754/1371 रकबा 4.00 बीघा में से 2.10 बीघा किस्म काली कदीमी भूमि का राजकीय भूमि ग्राम ठिकरिया पटवार मण्डल ठिकरिया तहसील बांसवाडा के आराजी नम्बर 2248/1840/818 रकबा 1.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन सिवाय चक भूमि में से जितनी कीमत डी.एल.सी. दर के आधार पर उक्त निजी खातेदार की विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि की बनती है, उसी मूल्य की भूमि (मौके की स्थिति अनुसार) डी.एल.सी. दर के आधार पर निर्धारित खसरा नम्बर 2248/1840/818 के रकबा 1.12 बीघा में से विनिमय की अनुमति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-48 के तहत प्रदान की गई है।

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पश्चात् वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F5(1)FD/TAX/11-10 दिनांक 08.05.2012 के अनुसरण में जिला कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 2( )राजस्व/2018/351 दिनांक 30 मार्च, 2021 को भूमि विनिमय के आदेश जारी किये गये।

उल्लेखनीय है कि उक्त स्वीकृति अनुसार प्रार्थी श्री राजीव कोठारी की अन्य आराजी खसरा नम्बर 4068/2503/1394/1 रकबा 4 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि की किस्म वर्ष 1940 में नदी दर्ज होने से सक्षम न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स दायर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में न्यायालय जिला

(श्री रामलाल जाट)

कलेक्टर, बांसवाड़ा में उक्त धारा के तहत सुनवाई की जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.02.2022 के अनुसार पत्र क्रमांक 125 दिनांक 18.02.2022 द्वारा रेफरेन्स प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान को प्रेषित किया जा चुका है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरह से इस प्रकार की जमीनों की हेराफेरी करने का काम, किस रेफरेंस के साथ किया है।

यह जो आपने बताया था कि मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन दिया था कि हमें खेल मैदान के लिए जमीन चाहिए। यह 2018 के पांचवें महीने की बात है। उसके आधार पर आपने जमीन एक्वायर करने के बारे में सोचा। यह जिस जमीन के बारे में ले रहे हैं, इसका खातेदार समीर खां था। इस समीर खां के भी खाते नहीं हुई थी क्योंकि यह जमीन नदी के पेटे की थी। उसका पूरा प्रकरण चला। अभी इन्होंने रेफरेंस भी दिया, क्योंकि दर्ज नहीं थी इसके कारण से यह खाते दर्ज हो ही नहीं सकती थी लेकिन भू-माफिया इसको किस तरह से चलाते हैं? उस समीर खां से यह जमीन इस राजीव कोठारी ने खरीदी, यहां से प्रकरण चलता है। राजीव कोठारी ने यह जमीन खरीदकर के और वह जमीन जो कुक्कट शाला की थी, उस कुक्कुट शाला की जमीन के एवज में जो बहुत कीमती जमीन थी, उसको लेने के लिए इन्होंने एक प्रयत्न किया।

मैं कुछ सवाल आपके सामने करना चाहता हूं। यह खेल विभाग की भूमि, जो 35 बीघा आपके पास है, खेल विभाग ने आपके पास इस भूमि को खेल सुविधा के लिये दी जाये, इसका कोई पत्र हो तो वह सदन के पटल पर रख देना ताकि उनकी मांग थी और इस कारण से वह आयी। इंडिविजुवल आदमी कोई कहे कि हमें खेल मैदान चाहिए, उससे नहीं, विभाग ने मांगी हो तो बतायें।

क्या ग्राम ठिकरिया की भूमि वर्ष 1977 में कुक्कट शाला हेतु पशुपालन विभाग को आबंटित की गयी? यदि हां, तो पशुपालन विभाग से भूमि के बदले भूमि देने के लिए कोई एन.ओ.सी. प्राप्त हुई? उस विभाग को भी आपने जानकारी दी या नहीं दी कि यह जो आपकी भूमि है, वह हम खेल मैदान के अगेंस्ट में देना चाहते हैं, तो कम से कम जिस विभाग को आपने आबंटित कर दी, जिसका उस पर अधिकार है, जिस पर उसकी बिल्डिंग बनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुई है, जिसका इस पर फोटो लगा हुआ है, केवल यह कहकर कि इसका कुछ भाग काम में नहीं आ रहा है, इस कारण से सड़क के किनारे लगी हुई भूमि को, जो एक तरह से कामर्शियल भूमि की तरह काम आयी, उसको बदला?

क्या भूमि के बदले भूमि देने का प्रस्ताव तहसीलदार और एस डी एम के द्वारा आया? अगर आया हो तो वह पत्र रख दो कि एस डी एम और तहसीलदार ने भूमि के बदले भूमि देने का किया। क्या स्टेडियम से जुड़ी उक्त भूमि की किस्म नदी, नाला होने के कारण खातेदारी नहीं दी जा सकती थी? यह तय है, यह रिकार्ड पर है। तहसीलदार ने और एस डी ओ ने इसको मना कर दिया कि यह जिस जमीन का प्रारम्भ कर रहे हैं कि यह जमीन हमको चाहिए, वह खाते ही दर्ज नहीं है क्योंकि वह नदी की है। उसके कारण से वह दर्ज नहीं हुई।

क्या तहसीलदार ने खातेदारी निरस्त करने के लिए जिला कलेक्टर को रेफरेंस किया हुआ था? जो पत्र आपके पास है। उन्होंने कहा कि यह जमीन खाते हो ही नहीं सकती। जो ओरिजिनल खेल मैदान के पास में है, वह खाते ही दर्ज नहीं हो सकती। क्या खातेदारी भूमि के बदले भूमि देने के इस विकल्प के काश्तकारी अधिनियम धारा 48 जिसका आपने रेफरेंस दिया है, दी गई, जबकि उक्त धारा का प्रयोजन 2 काश्तकारों के आपसी सहमति के आधार पर होता है? यहां 2 काश्तकार नहीं हैं। एक तो आपका विभाग, पशुपालन विभाग है और एक आपका व्यक्ति है जिसे यह जमीन खरीदकर के इस जमीन एवज में जमीन लेकर के करोड़ों रुपये कमाना है। उसने बहुत पहले से ही उसको लेवल करके, उसकी प्लाटिंग कर दी है। अभी तक यह जमीन उसके पास अधिकृत रूप से गयी नहीं है। क्या उक्त दोनों भूमि अलग-अलग गांवों में हैं? 48 के तहत 2 अलग-अलग गांवों में भूमि का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। एक ही गांव में भूमि है तो भूमि के बदले भूमि एक्सचेंज होती है। वह भी कृषि है तो कृषि ही एक्सचेंज हो सकती है। यह जो आपकी गैर मुमकिन जमीन है, इस गैर मुमकिन को कृषि भूमि के साथ आप कैसे कर सकते हैं?

मेरा आपसे आग्रह यह है कि केवल यह एक बनाया हुआ जाल है। जब से यह जमीन कोठारी के पास गयी, जब आपने रेफरेंस दिया है कि इस समीर खां की यह जमीन थी, तो इस समीर खां ने उसकी रजिस्ट्री क्यों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करायी? इस कोठारी को अधिकार कैसे दे दिया? यह सारा कोठारी को अधिकार मिलने के बाद, इसमें कई राजनेताओं का भी संरक्षण है। मैं बहुत विनम्र भाव से कह रहा हूं, मंत्री जी, मैं कुछ और नहीं चाहता हूं।

इस प्रकरण के लास्ट में जो आपने फैसला पढ़ा, यह अभी कलेक्टर का फैसला है। यह कलेक्टर का जो आप रेफरेंस दे रहे हो 22 वाला, भूमि की किस्म नदी होने के कारण वर्जित किस्म की भूमि ग्राम बांसवाड़ा के खसरा नम्बर 4068, 2503, 1394/1, 4 बीघा भूमि पूर्णतः विधि विरुद्ध तरीके से खातेदारी के रूप में दर्ज की गयी।

अतः रेफरेंस का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 82, आपका ही फैसला है, जो मुझे आपने दिया है। दु:ख तो यह है कि हमें यहीं सवेरे देते हैं। अगर यही हमारे पास पहले आ जाता तो हम उसको और अच्छी तरह से पढ़ सकते थे लेकिन यहां आने के बाद, बिजनस शुरू हो जाने के बाद यह कागज लाकर दिया है। खसरा नम्बर 4068, 2503, 1394/1 कृषि भूमि खातेदारी के नाम से निरस्त कर सरकार दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। यह तहसीलदार और एस डी ओ का फैसला है। इस भूमि को आप निरस्त करके सरकार के खाते में दर्ज करो।

अब इसमें जो लास्ट फैसला कलेक्टर ने दिया है, जिस कारण से ग्राम बांसवाड़ा, पटवार मण्डल बांसवाड़ा, तहसील और जिला बांसवाड़ा प्रश्नगत खसरा नम्बर 4068, 2503, 1394/1 रकबा 4 बीघा भूमि को राजीव पिता ताराचन्द, निवासी राता तलाई, बांसवाड़ा के निजी खातेदारी अधिकारों को वापस गैर मुमकिन नहीं दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। अतः रेफरेंस प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, बांसवाड़ा स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल, अजमेर को अग्रेषित किया गया है। यह आपका लेटेस्ट फैसला है जो आपने लगा रखा है। इसका मतलब अभी भूमि के बारे में कोई निर्णय ही नहीं हुआ। जब तक राजस्व मण्डल इसके बारे में कोई निर्णय नहीं करेगा, लेकिन उस कोठारी ने तो वहां प्लाटिंग कर दी।

यह जमीन जो आपने नेशनल हाईवे पर दी है और कुक्कुट शाला की जमीन को काटकर के दी है ताकि वहां आपकी जो नदी, नाले की जमीन है वह तो झगड़े में पड़ी रहेगी और यहां इतने महंगे प्लाट बेचकर, नेशनल हाईवे के ऊपर कामर्शियल उपयोग के लिए दे दिया। मंत्री जी, मैं इसके बारे में और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुछ नहीं चाहता हूं, जिस अथॉरिटी को लगाना है, लगाइये और जांच करके इस सारे प्रकरण को दिखायें। सारे बेईमानों को बाहर निकालिये जिन्होंने यह सारा का सारा, इस जमीन की हेराफेरी करने में, कागजों की हेराफेरी की। इतना ही मैं चाहता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि दिनांक 6 सितम्बर, 2018 को जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा ने तहसीलदार, बांसवाड़ा को एक चिट्ठी लिखी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के जन संवाद कार्यक्रम में दिये गये निर्देश एवं घोषणाओं के सम्बन्ध में। इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 907, दिनांक 24.08.2018 के क्रम में जिला कलेक्टर ने माननीय मुख्य मंत्री जी के जन संवाद में यह चीज आयी थी। पशुपालन विभाग ने या खेल विभाग ने इसको नहीं मांगा था। वहां पर लोगों ने मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया उसके सन्दर्भ में कलेक्टर ने निर्माणाधीन स्टेडियम के समीप लगभग 8 बीघा खातेदारी भूमि का अधिग्रहण कर स्टेडियम का हिस्सा बनाया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जमीन जब स्टेडियम की ड्राइंग बनी, 21.06.88 को राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त 35 बीघा 8 बिस्वा भूमि का आबंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि निजी खातेदारों द्वारा विनियमन पश्चात् आबंटित हुई थी। इस जमीन की जब ड्राइंग बनायी, मैं चाहे टेबल कर दूंगा, इसमें यह जमीन इसके अटैच, लगती हुई थी, जिसमें पहले यह कुमार के नाम थी। डिटेल काफी लम्बी है। फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड समीर खां, चौथा कोठारी है। यह आपस में बेचते गये। हमारा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत में जो फैक्ट है, रिकार्ड पर जो चीजें आयी हैं, डिपार्टमेंट ने दी हैं, अगर इसमें कहीं गलत होगा तो हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन जो हकीकत है उसको तो आपको सुनना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? पत्र का रेफरेंस तो आपने पढ़ दिया। क्यों डिफेंड कर रहे हो ऐसे लोगों को?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय को जानकारी तो दूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सिम्पल पाइंट जो है, जिस पर आपका है कि जमीन नदी की दर्ज है, कलेक्टर ने माना है। कलेक्टर ने रेफरेंस के लिए

(श्री अध्यक्ष)

रेवेन्यू बोर्ड को भेजा है। वह चाहे एक के बदले, 2 के बदले, 3 के बदले, लेकिन मैन मुद्दा इसमें यह है कि क्या वह जमीन नदी के खाते में दर्ज थी? नदी के खाते में दर्ज थी तो आर्टिफिशियल कोई भी खातेदार बने तो कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या इस स्थिति में कलेक्टर का जो रेफरेंस लिखा है, उस कलेक्टर के रेफरेंस को सही मानें या हम उससे आगे बढ़ेंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तहसीलदार ने 18 में रेफरेंस दर्ज किया। एक कलेक्टर ने इसी को खारिज किया। आपने जब पूरी इसकी भूमिका बनायी तो आप उस चीज को सुनें तो सही। दूसरे कलेक्टर को, राज्य सरकार ने, हमने यहां से डायरेक्शन दिया कि ये नदी-नाले में है तो उन्होंने रिकार्ड पर दे रखा है कि नदी नाले की जमीन को हम छोड़कर दे रहे हैं। फिर भी हमने, जिला कलेक्टर ने लिखा है, उसमें बाकायदा शर्तें साफ लिखी हुई हैं। यह जो अलाटमेंट लैटर है इसमें साफ-साफ लिखा है कि उक्त आबंटन समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय, राज्य सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश-निर्णयों-निर्देशों के अधीन रहेगा। फिर भी हमने रेफरेंस यहां से 21 में दर्ज करवाया है। ध्यानाकर्षण लगने के बाद रेफरेंस दर्ज नहीं कराया है। यहां से गवर्नमेंट ने दर्ज कराया है। निश्चित रूप से उसकी चीज आयेगी तो हम जांच करके जो खारिज करना होगा या और कुछ करना होगा तो वह कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह फैसला लेटेस्ट, दिनांक 18.02.2022 का है। इसको आपने रेवेन्यू बोर्ड को रेफरेंस कर रखा है। जब तक रेवेन्यू बोर्ड इस केस के बारे में तय नहीं करेगा कि यह जो नदी की जमीन है ये खातेदार की होती है कि नहीं होती है, खाते में जाती है कि नहीं जाती है, तब जाकर के आगे का काम तो पड़ेगा। अभी जिस जमीन को लेने के लिए खेल गांव के लिए किया था वो जमीन ही एक तरह से टाइटल से मुक्त नहीं है और जब तक निर्णय रेवेन्यू बोर्ड नहीं करेगा तब आप आगे कार्यवाही करोगे कैसे? तब आप करोगे कैसे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप उसकी पैरवी क्यों कर रहे हैं यहां? वो प्लाटिंग कर रहा है वहां पर।

श्री अध्यक्ष: आप सुनें माननीय मंत्रीजी को।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): हम रेवेन्यू बोर्ड को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते। जो नियमों में फैक्ट पेश किये जाएंगे उसी के अधीन कार्यवाही होगी। हम उसको बचा नहीं रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है, एक कलेक्टर, तत्कालीन जो था, आपके समय का कलेक्टर उस रेफरेंस को खारिज कर रहा है। उसको दर्ज कराने के लिए हमने रेफरेंस किया है कि आप इसको दर्ज करो, यह नदी-नाले में आ रही है। इसका सही काम हो, रेफरेंस से यह हमने प्रयास किया है। दूसरी जो जमीन है उसका नम्बर दूसरा है। जो डिपार्टमेंट में आप बता रहे हैं 1940 में नदी-नाले थे, उसका नम्बर ही दूसरा है, फिर भी जो आंकड़े आये हैं, लेकिन जो रेवेन्यू बोर्ड का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कोर्ट में यह मामला चलता रहेगा। मैं जो समझ पाया हूं अब तक, नदी है या नहीं है यह रेफरेंस गया तो रेवेन्यू बोर्ड इसका फैसला करेगा, बात खतम हुई। क्या यह सही है कि उस टाइटल के आधार पर पशुपालन विभाग की जमीन को ट्रांसफर किया? पशुपालन विभाग की एन.ओ.सी. ली क्या? दूसरा प्रश्न यह है, प्राइमाफेसी एक जमीन जो नदी-नाले की है, उसका रेफरेंस में गया रेवेन्यू बोर्ड में, उसका फैसला वह करेगा, दैट इज ए वन पार्ट। पर क्या यह सही है कि उस रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के पहले जो जमीन एक्सचेंज की गयी है वो पशुपालन विभाग की गयी है, तो क्या पशुपालन विभाग की एन ओ सी ली या नहीं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन विभाग को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमीन अलाट की जब वो बना था तब। उसके बीच में से नहर निकल गयी। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने कोई चीज आयी।

श्री अध्यक्ष: इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष: नदी निकल गयी बाद में वो अलग है। क्या पशुपालन विभाग का वहां कोई आफिस दर्ज है? वो जमीन डिपार्टमेंट के खाते में हो गयी। आप इंडिविजुअल को एक्सचेंज कर रहे हो तो पशुपालन विभाग की एन ओ सी ली या नहीं ली?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी

(श्री रामलाल जाट)

बात दो मिनट पूरी सुन लें, फिर आपका जो आदेश होगा सिर माथे। रेवेन्यू बोर्ड में है, कोई दिक्कत नहीं। पशुपालन डिपार्टमेंट दो भागों में बंटा हुआ है जिसमें निरन्तर कार्य चल रहा है, वहां बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें काम चल रहा है। दूसरा पार्ट था, उस पार्ट में कुक्कुट शाला और वो थी जिस पर अतिक्रमण हो रहे हैं जैसा डिपार्टमेंट ने बताया। उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खारिज किया। पशुपालन विभाग को अलाट की थी जमीन, उसको वापस सिवाय चक दर्ज किया। फिर एफडी के जो नियम हैं तो वो हाईवे के पास हैं तो तीन गुना डी.एल.सी. के माध्यम से उसको अलाट की। फिर भी यदि नदी-नाले में है, राजेन्द्रजी, राजेन्द्रजी, आपके नेता हैं, उनकी तो सुनो, बीच-बीच में क्यों उठते हो? (व्यवधान) हम उठते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इधर, इधर। इधर देखकर बोलो।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार उठ जाते हैं जैसे स्प्रिंग लगी हुई हो। मैं जानता हूं इनको, पहले मंत्री था तो जवाब देता था इनको।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इधर देखकर बोलें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): 55-55 मिनट इनके सवालों के जवाब दिये हुए हैं। कोई एक बार ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज। आई विल नोट अलाउ इट। व्हाट हैपंड पास्ट, आई एम नोट कंसर्न्ड, एड्रेस मी। आपको जो भी बात कहनी हो, मुझे एड्रेस करें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपका आदेश है, रेवेन्यू बोर्ड में है, जैसे ही आर्डर होगा, हम उसकी पूरी पालना करेंगे लेकिन हमने रेफरेंस दर्ज किया है। इस बात के लिए हमारे मन में कोई खोट नहीं है। सरकार के मन में कोई खोट नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की इज्जत सबको करनी होती है तो कलेक्टर ने किया होगा या कोई गलत हुआ है तो हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। आपको बोलना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप दे रहे हो न जमीन? उसमें आपके तीन क्वार्टर बने हुए हैं, उनको आप खण्डहर मानकर, बेकार मान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहे हो। यदि नहर बीच में से निकली है तो और ज्यादा उपयोगी हुई होगी, जमीन का दुरुपयोग थोड़े हुआ है? पर मतलब किसी को आब्लाइज करना, मैं सोचता हूं कि इसके बारे में जब पहली जमीन का फैसला नहीं होगा तब तक आप उसके एक्सचेंज में सैकंड जमीन दे कैसे सकते हैं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह ध्यानाकर्षण लगा उससे पहले ये चीज हो चुकी थी, अब क्या कर सकते है? उस पर अब आपके जो डायरेक्शन हैं उसके आधार पर करेंगे रेवेन्यू बोर्ड को। बाकी एक्सचेंज भी हो चुकी, राज्य सरकार से आयी, राज्य सरकार ने रेफरेंस भी दर्ज करवा दिया, अभी की जो स्थिति है रिकार्ड के अन्दर यह है। फिर भी आज आपने यह चीज कही तो इसको पूरे तरीके से और एग्जामिन करवा लेंगे, लेकिन कोर्ट को तो हम डायरेक्शन नहीं दे पायेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप कुछ नहीं कर सकें तो एक काम करिये, जब तक रेवेन्यू बोर्ड फैसला नहीं दे, तब तक स्टेटस क्वो को मेंटेन करने का बाउंड कर दीजिये, दैट्स आल। यह तो कर सकते हैं अपन? जब तक रेवेन्यू बोर्ड इसका फैसला नहीं दे कि इस जमीन पर नदी-नाला है या इंडिविजुअल खातेदारी राइट है तब तक जो एक्सचेंज हुआ उसको स्टेटस क्वो से रोक दें, जब तक बात खतम होती है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नदी-नाले का नम्बर ही दूसरा दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, डिपार्टमेंट जो जानकारी दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्लीज आप सुनें। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि पशुपालन विभाग की जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, इंडिविजुअल खातेदार उस पर काम कर रहा है। यदि रेफरेंस के नाम पर वह डवलप कर लेगा तो बाद में रेफरेंस क्या होगा? मैं तो खाली सिम्पल पूछ रहा हूं कि क्या जो पशुपालन विभाग की जमीन एक्सचेंज हो गयी, आप जब तक रेफरेंस, रेवेन्यू कोर्ट का फैसला नहीं आ जाये तब तक स्टेटस क्वो मेंटेन करने का आदेश दे दें, दैट्स आल।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, इसको दिखवा लेंगे लेकिन वो नम्बर दूसरा था इसलिए आपकी जानकारी में देने के लिए मैंने कहा है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आई एम सोरी। नई बात क्या है? अख़बार में पढ़ लिया मैंने। अख़बार में आ चुका है। नई बात क्या है? आ चुका है अख़बार में, पढ़ लिया है मैंने।

श्री जगदीश चन्द्र।

कालियां, खाटलबाना, साहूवाला व 6ए ग्राम पंचायतों में कृषि भूमि पर अवैध कालोनियों का निर्माण

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के ग्राम कालियां, खाटलबाना, साहूवाला, 6-ए में कृषि भूमि पर अवैध कालोनियों के निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय विधायक महोदय के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में 4 ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें से 2 तहसीलदार, श्रीगंगानगर व 2 नायब तहसीलदार, हिन्दुमलकोट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है। नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत कालियां में कालोनियां हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा कन्वर्टेड हैं।

यह सही है कि कोविडजन्य परिस्थितियों के दौरान विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की ग्राम पंचायत कालियां, खाटलबाना, साहूवाला, 6ए में कृषि भूमि पर अकृषि कार्य होना पाया गया। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा किये गये फील्ड विजिट में कृषि भूमि पर जब अकृषि कार्य होना देखा गया तो समस्त राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों की समय-समय पर बैठकें आयोजित कर काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रकरण बनाकर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2020-21 में आज दिनांक तक 97 प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 के न्यायालय में पेश किये गये, जिनमें से 8 प्रकरण विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की उक्त पंचायतों से सम्बन्धित थे। उल्लेखनीय है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की इन पंचायतों से सम्बन्धित पूर्व में दर्ज धारा 177 आर.टी.ए. के प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए 10 प्रकरणों में प्रश्नगत भूमि को रकबा राज

(श्री शाले मोहम्मद)

घोषित किया जा चुका है। शेष प्रकरणों में कार्यवाही विचाराधीन है तथा भूमि पर स्थगन आदेश जारी कर तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य न होने देने बाबत निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही इस काम में लापरवाही बरतने वाले तीन कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। उक्त वर्णित 4 पंचायतों में से ग्राम पंचायत साहूवाला के समस्त चक एवं ग्राम पंचायत 6ए पैरीफेरी क्षेत्र में आने के कारण भूमि रूपान्तरण का अधिकार नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गंगानगर के चारों तरफ सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र है। कलेक्टर का यह जवाब आया है आपके माध्यम से कि ग्राम पंचायत साहूवाला और 6ए, ये यू.आई.टी. के क्षेत्र में आते हैं। नोडल अधिकारी जिले का कलेक्टर है। यह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कलेक्टर को शिकायत करूं और यू.आई.टी. में अलग से शिकायत करूं। इसकी जानकारी मैंने तत्कालीन एस.डी.एम. को दे दी। बार-बार कलेक्टर को भी इसकी सूचना दे दी। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने अभी तक न तो तीन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की और न ही जो कालोनी बस रही है उसको रोकने का प्रयास किया गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को करोड़ों रुपये का रेवेन्यू का चूना लगा दिया। इसके साथ-साथ कृषि भूमि में जो खाळे बने हुए हैं जो रास्ते बने हैं उनका भी बेचान कर दिया गया। गंगानगर के चारों तरफ इतनी कालोनियां बस रही हैं कि हिन्दुस्तान के किसी शहर में नहीं बस रही होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि क्या जो इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? अगर आपको कभी गंगानगर जाने का मौका मिले तो चारों तरफ प्रोपर्टी डीलर्स के बोर्ड लगे हुए हैं सरकार को दुनिया भर का रेवेन्यू का लोस हो रहा है और सरकार के जो निर्धारित पैरामीटर्स हैं उनका किसी प्रकार का कोई पालन नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार यह चाह रहा हूं कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो और जो लोग दोषी हैं, सरकार को रेवेन्यू का जो लोस हुआ है उसकी भरपाई करवायी जाये। धन्यवाद।

(समय: 14.00 बजे)

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो कृषि भूमि पर कृषि कार्य हो रहे हैं, उसमें राजस्थान के काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत किसी भी काश्तकार

(श्री शाले मोहम्मद)

द्वारा अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के अतिरिक्त बिना अनुमति के किया जाता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है।

यू.आई.टी. के अन्दर आपने बताया कि जो साहूवाला चक है, वह यू.आई.टी. क्षेत्र के साथ आता है। जिन-जिन कार्मिकों की लापरवाही रही है, उन सबके खिलाफ हमने पहले भी कार्रवाई की है। पटवारी हल्का, जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उन पर भी 17 सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई की गयी है। एक पवन शर्मा हैं, उनकी लापरवाही पर भी कार्रवाई हुई है। एक ओम बाबू करके पटवारी जी हैं, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। एक वरिष्ठ लिपिक हैं त्रिलोक नराणियां, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है। जिन-जिनकी लापरवाही रही है, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन-जिनकी लापरवाही रही हैं, उनकी हम जांच भी करवा रहे हैं और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी की जायेगी।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि कृषि भूमि पर कालोनी तो कट गयी है उनकी जो सरकारी जमीन थी, जो खाळे थे सिंचाई के लिये, जो रास्ते थे, वे कहां चले गये? अब तक कार्रवाई में एक भी अधिकारी को सस्पेंड किया है क्या? कलेक्टर नोडल अधिकारी है जिले का।

श्री अध्यक्ष: रिपीट न करें माननीय सदस्य।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, उप-खण्ड अधिकारी खुद वहां मौके पर देखकर आये हैं और यह मानते हैं कि जो कृषि भूमि पर अलग से कालोनियां विकसित हुई हैं, गलत काम हुआ है। उसके खिलाफ उप-खण्ड न्यायालय में स्टे भी लगा हुआ है। उस पर कार्रवाई हो रही है। जिसने गलत किया है, उसके खिलाफ एक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्री रामनारायण मीना।

पीपल्दा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलियाओं का पुनर्निर्माण/ मरम्मत

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त एवं

(श्री रामनारायण मीना)

पूर्णत: नष्ट हो चुकीं पुलियाओं के कारण अवरुद्ध हो रहे आवागमन को वापस प्रारम्भ करने के लिये उनके पुनर्निर्माण/मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माह जुलाई-अगस्त, 2021 में हुई अतिवृष्टि के कारण कोटा जिले में 383 सड़कें एवं 138 पुलियाएं क्षग्रिस्त हुई थीं। उक्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर, कोटा को दिनांक 13.08.2021 को प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रस्तावों पर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा सड़कों की तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि 768.43 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत राशि से सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य करवाये जा रहे हैं। पुलियाओं की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं होने पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत कोटा के पत्र दिनांक 18.11.2021 द्वारा पुलियाओं की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु वास्तविक लागत राशि 4,236.93 लाख रुपये के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, कोटा को प्रेषित किये गये थे, परन्तु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत/पुनर्निर्माण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मौके की स्थिति यह है, एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते, जिला हैडक्वार्टर पर नहीं आ सकते, दर्जनों गांव अवरुद्ध हैं। सबसे ज्यादा कोटा जिले में हुई है गत वर्ष 7 महीने पहले। 7 महीने से फाइल पड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी, एक-दूसरे गांवों के आवागमन को आप प्रारम्भ नहीं कर पा रहे हैं।

मेरे क्षेत्र की 73 पुलियाएं बिल्कुल नष्ट हैं। 188 किलोमीटर सड़क नष्ट है। जब फाइल 7 महीनों से वित्त विभाग में पड़ी हुई है तो आप इतना-सा कृपा करके बता दीजिये कि कितने दिनों में, दस दिन में, पन्द्रह दिन में, एक महीने में उस फाइल को क्लियर करवा देंगे क्योंकि सरकार कहती है कि पैसे की विकास में और काम में कमी नहीं आने दी जायेगी। उसकी पूर्ति कब तक आप करवा देंगे?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री भजनलाल जाटव)

महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों की भावना के उपरान्त प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये हमने स्वीकृत किये हैं। यदि आप उन 10 करोड़ में से प्रस्ताव भिजवा देंगे और वित्त विभाग, जहां हमने फाइल भिजवायी, वहां से यदि हमें कोई बजट और आबंटित हो जायेगा तो हम आपकी सड़कों का मरम्मत कार्य करवा देंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा जानना चाहता हूं कि 7 महीनों से फाइल पड़ी हुई है, यह स्पेशल केस है पीपल्दा का, जहां आपने 15 हजार मकानों के पुनर्निर्माण के लिये राशि दी है, जहां गांव के गांव कट चुके हैं, कृपा करके मात्र जो आपके 43 करोड़ के लगभग की राशि है, उसकी कब तक आप, इन 10 करोड़ को आप छोड़िये, यह स्पेशल केस है, मैं अर्ज करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा सरकार से। या तो हम भाषा बदल लें कि पैसे की कमी नहीं आने दी जायेगी या वित्त मंत्रालय उस फाइल को क्लियर क्यों नहीं कर रहा, हां या न, क्यों नहीं कर रहा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ये आपकी भावना को पी डब्ल्यू डी और वित्त विभाग के पास भेज देंगे।

चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती चन्द्रकान्ता।

खटकड़-जैतपुर सड़क (केशोरायपाटन) का विलम्बित सुदृढ़ीकरण

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के खटकड़-जैतपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाईवे 34 टोंक-नगर-नैनवां-खटकड़-केशोरायपाटन सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु बून्दी जिले में कि.मी. 34/0 से 86/300 के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति उप-सचिव (पथ) (सा.नि.वि.) राज. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 7 (07) प्रशासनिक एवं वित्त/सैक्शन-ना/2018-19/डी-287 दिनांक 04.07.2018 द्वारा लम्बाई 48.70 कि.मी. एवं राशि रु. 2,890.80 लाख की स्टेट हाईवे प्लान योजनान्तर्गत जारी की गयी। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथियां क्रमशः 24.08.2018 एवं 23.08.2019 नियत की गयी थी।

(श्री भजनलाल जाटव)

वर्तमान स्थिति- कि.मी. 34/0 से 67/715 तक के 30 कि.मी. लम्बाई में सड़क निर्माण वर्ष 2019 में ही पूर्ण कर लिया गया था तथा कि.मी. 68/260 से 86/300 (लम्बाई 18.04 कि.मी.) तक का सड़क भाग वन क्षेत्र वाइल्ड लाइफ (रणथम्भौर बफर जोन) से गुजरता है, जिसकी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 18.03.2019 को प्रस्ताव सं. एफ.पी./आर.जे./रोड/4004/2019 द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत कर दिये गये थे। इसके बाद समय-समय पर वन विभाग के अलग-अलग स्तर से आपत्तियों के जवाब अविलम्ब प्रस्तुत किये गये एवं प्रकरण दिनांक 11.02.2021 को राज्य सरकार के माध्यम से नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुमति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया था।

वर्तमान में नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ की आपत्तियों का जवाब सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त दिनांक 19.01.2022 से स्टेट बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ को भिजवाये जाने की प्रक्रिया में है। वन विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही इस कार्य को पूर्ण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूं, आपने जैसा कि मुझे बताया कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जहां से शुरू होता है जैतपुर, एक साथ सड़क स्वीकृत हुई, नैनवां से जैतपुर तक इसे बना दिया। माननीय अध्यक्ष जी, बड़े ताज्जुब की बात है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी, सेम स्थिति जैतपुर से माणकचौक तक उस रोड की है।

मुझे इतना दुःख इस बात को कहते हुए हो रहा है कि 50 गांव जिस सड़क से गुजरते हों और 4 विधान सभा क्षेत्रों के लोग उस सड़क से निकलते हों, आज साढ़े तीन साल बाद भी वह सड़क रिपेयर/मेंटेनेंस के लिये...। जनता के ऊपर केस लग रहे हैं, जनता धरने पर बैठी हुई है और सेम स्थिति नैनवां से जैतपुर तक की, तो फिर वहां हमने बना दी वह सड़क। आखिर में क्या कारण रहा कि जैतपुर से माणकचौक, जहां कोई बफर जोन नहीं है, मैं फिर कहना चाहूंगी, मैं सवेरे से अधिकारियों से बातचीत कर रही हूं, वाइल्ड लाइफ वालों से भी मेरी बातचीत हुई है, बफर जोन उस सड़क पर है ही नहीं और

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अगर बफर जोन होता तो आखिर में सात पुलियाएं इस रोड पर बन चुकी हैं और जब सात पुलियाओं का निर्माण हो चुका तो फिर सड़क को नहीं बनाने का क्या कारण रहा?

दूसरा, मेरा यह भी निवेदन है कि एन.ओ.सी. के लिए हम लगातार साढ़े तीन साल से फाइल को भिजवा रहे हैं। राज्य सरकार के पास इतने बड़े-बड़े टेक्निकल अधिकारी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कोई न कोई त्रुटि जान-बूझकर उसमें छोड़ना और हर बार फाइल लौटकर आ जाना, मुझे लगता है कि यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, तो क्या, सम्माननीय मंत्री महोदय, आप उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहेंगे, जो हर बार त्रुटि रखकर वहां फाइल को भेज रहे हैं? वे फाइल को कम्प्लीट क्यों नहीं करते? बार-बार इस बात के लिए दबाव दिया जा रहा है कि आप पूरे डाकूमेंट्स दीजिये, पर फिर भी पत्रावली में कोई न कोई कमी रखना, यह बड़ा गम्भीर इश्यू है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि जनता के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर और मेरे खुद के ऊपर इतने केस लग चुके हैं और जब मैं धरने पर बैठती हूं तब जाकर पैच रिपेयर होता है तो आखिर में इस 18 किलोमीटर सड़क को आप कब तक बना देंगे? क्यों नहीं इसको अपग्रेडेशन में लेकर निर्माण किया जा रहा है? आप चौड़ाई नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं तो मत बढ़ाइये, लेकिन साढ़े तीन साल से उस सड़क की रिपेयर नहीं की जा रही है और वह ग्रेवल बन चुकी है। इसका जवाब दे दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात रखी कि इसमें पैचवर्क नहीं हुए तो मैं आपका बता देता हूं कि इसमें कम से कम 14 किलोमीटर में हम लोगों ने पैचवर्क कर दिये हैं, 4 किलोमीटर पेंडिंग है जो पैचवर्क 15 अप्रैल तक पूरे हो जाएंगे। आपने कहा कि जान-बूझकर तथ्य छिपाये जा रहे हैं तो हम लोगों ने भारत सरकार को दुबारा 7 मार्च को भेजा है और मैं पढ़कर सुना देता हूं। मेरे पास पत्र है और यदि आप चाहोगे तो मैं पढ़ देता हूं, पर ऐसा नहीं है कि जान-बूझकर हम लोग नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सुन नहीं रहे क्या? माननीय सदस्या, वाइल्ड लाइफ का मामला बहुत टिपिकल है और वाइल्ड लाइफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, उसके बाद फैसला होता है। आज भी सांसद

(श्री अध्यक्ष)

महोदय और मंत्री जी राजस्थान के हैं.... (व्यवधान) मेरी बात सुनें प्लीज। मैं बोलूं या आप बोल लें। मैं भी भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। वाइल्ड लाइफ में क्या प्रोब्लम आती है, वह सब समझनी पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस होना तकलीफ में होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर सांसद महोदय से लेकर राजस्थान के मंत्री हैं, उनसे मिलें और जब तक वह क्लियरेंस नहीं होगा, तब तक वहां कुछ नहीं हो पायेगा। इसलिए 18 किलोमीटर की जो तकलीफ है वह तकलीफ रहेगी। जब तक आप स्वयं जाकर इस बारे में इंटरवीन नहीं करेंगे, तब तक पत्रों के माध्यम से नहीं होगा। इसलिए आप बार-बार यहां चर्चा करें, कुछ भी करें, पर इसका रास्ता तभी निकलेगा जब तक वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस नहीं होगा। इसलिए इसकी बार-बार चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): जहां वाइल्ड लाइफ नहीं है, जहां बफर जोन नहीं आ रहा....

श्री अध्यक्ष: बोल दिया न, माननीय सदस्य, आपने सुना नहीं क्या? प्लीज, बैठें? सुन नहीं रहे हैं क्या आप? आपको बोलना ही है खाली? आपको बोलना ही है? जब उन्होंने बोल दिया कि 15 अप्रैल तक जो बाकी बचे हैं उनके पैचवर्क कर देंगे तो 15 अप्रैल तक तो इंतजार करना पड़ेगा न। चर्चा समाप्त हुई। प्लीज, आई विल नोट अलाउ इट। (व्यवधान) आई विल नोट अलाउ इट। मैंने आपके कहने से इसलिए लगाया? प्लीज, सुनना ही नहीं चाहते हो। माननीय सदस्य, प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) आप चाहते भी हो और दोनों बात करते हो। प्लीज, सॉरी। माननीय सदस्य, आई एम सॉरी। अब मैंने एक बार कह दिया, मैंने आउट आफ वे जाकर 131 इसलिए लगाया कि डिबेट करनी है। प्लीज, हो गयी बात, अब आप मंत्री जी के चैम्बर में जाकर मिल लीजिये। यहां बोलने से होगा? मंत्री के चैम्बर में जाकर नहीं मिल सकते? प्लीज, हो गया मंत्री जी। हाउस को चलाना है, 5 बजे खतम करना है। चर्चा समाप्त हुई। श्री अमित चाचाण।

हनुमानगढ़ निवासी पवन व्यास के हत्या प्रकरण में कार्रवाई

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नोहर में पवन व्यास की हत्या के प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17.10.2017 को दीनदयाल ब्राह्मण, निवासी जसाना ने रिपोर्ट पेश की कि उसके भतीजे पवन व्यास की गांव के पंचायत भवन में, जो ई-मित्र संचालन करता था, अज्ञात व्यक्ति ने गला काटकर हत्या कर दी। रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 537/2017 धारा 302, 452 भा.द.स. पुलिस थाना नोहर में दर्ज कर अनुसंधान तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना, नोहर द्वारा शुरू किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया। मगर अज्ञात मुल्जिम का पता नहीं चल सका, तत्पश्चात् प्रकरण को अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 06.12.2018 के द्वारा अग्रिम अनुसंधान हेतु एस.ओ.जी. राजस्थान, जयपुर को भिजवाया गया।

प्रकरण में अज्ञात मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 22.04.2019 के द्वारा 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई, लेकिन अज्ञात मुल्जिम का पता नहीं चल पाया।

प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.ओ.जी., जोधपुर द्वारा दिनांक 19.12.2019 के द्वारा एफ.आर. अदम पता मुल्जिमान की अनुशंसा की जाकर प्रकरण की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस को भिजवायी गयी।

स्थानीय पुलिस द्वारा प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान करने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 22.02.2020 के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नोहर के सुपरविजन में एस.आई.टी. का गठन कर प्रकरण का अनुसंधान किया गया।

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका एसबी क्रिमिनल (पिटीशन) रामस्वरूप बनाम राज्य सरकार में आदेश दिनांक 26.11.2021 में प्रकरण के अनुसंधान की तत्समय की स्थिति के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त की और महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर को आदेशित किया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक अनुसंधान दल का गठन करें व अनुसंधान का स्वयं पर्यवेक्षण करें। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 04 सप्ताह में प्रकरण में प्रगति दर्शित करने हेतु निर्देशित भी किया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 17.03.2022

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नोहर के नेतृत्व में 12 सदस्यों की विशेष टीम का गठन कर प्रकरण को सफल बनाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण दर्ज होने की दिनांक से अब तक स्थानीय पुलिस के द्वारा और एस.ओ.जी. के द्वारा प्रकरण में जसाना गांव में मृतक के परिजन, पड़ोसियों व संदिग्ध 276 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है एवं 06 लोगों का पोलीग्राफी टेस्ट करवाया जा चुका है। परिवादी पक्ष के बताये अनुसार संदेहप्रद व्यक्तिगण सुखदेव सिंह ग्रामसेवक, मुन्नी देवी कनिष्ट लिपिक, राममूर्ति कम्प्यूटर आपरेटर व कृष्ण कुमार चौकीदार से पवन कुमार की हत्या के संबंध में पुनः गहन पूछताछ की गई है, लेकिन इनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

वर्तमान में महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज के पर्यवेक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर के निर्देशन में गठित टीम द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। हरसंभव प्रयासों के उपरान्त अभी तक अज्ञात मुल्जिम का कोई सुराग नहीं लगा है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही निर्मम घटना थी। धनतेरस के दिन जब वर्किंग डे था, पंचायत घर के अन्दर दिन-दहाड़े एक ई-मित्र संचालक की गला घोंटकर हत्या कर दी गयी। उस अपराधी के खून के निशान भी वहां मिले, मृतक का मोबाइल वहां से गायब था, तीन दिन तक उस पर घंटियां जाती रहीं। दिन-दहाड़े हत्या होने के बाद आज दिनांक तक मुल्जिम का न पकड़ा जाना पुलिस पर एक सवालिया निशान है और उसकी कार्यशैली सन्देह के घेरे में आती है कि दिन-दहाड़े इस तरह की हत्या की जाये और उसमें गिरफ्तारी न हो, मुल्जिम का पता नहीं चले तो आमजन किस पर विश्वास करेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस तरह से टीमों के गठन के बारे में बताया तो जब-जब यह विधान सभा में मुद्दा उठा या हाई कोर्ट ने जब सरकार को कहा तब टीमों का गठन तो जरूर किया गया, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि उन टीमों ने आज दिनांक तक वहां पर कैम्प लगाकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं की। अगर उन टीमों ने सही जांच की है तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप उनकी आमद व रवानगी रिपोर्ट मंगायें तब आपको सही पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपका संरक्षण चाहते हुए मैं मंत्री

(श्री अमित चाचाण)

महोदय से कहना चाहूंगा कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति लगे, किसी भी प्रकार का हो, क्या सरकार उनका नार्को टेस्ट भी करवाना चाहेगी? यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस टीम के अन्दर एक ऐसा सी.आई., जो टेक्निकल और साइबर क्राइम के बारे में जानता हो, उसे फुलफ्लेज्ड अगर लगाया जाता है, तभी हम निर्णय पर पहुंच पायेंगे। हम टीमें तो बना देते हैं, उनके पास इसके साथ-साथ अन्य थानों का कार्यभार भी रहता है जिससे टीम पूर्ण रूप में कार्य नहीं कर पाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई सुझाव आपके द्वारा दिये गये, ये सब सुझाव पहले भी आ चुके हैं। जिन दीनदयाल जी के भतीजे की हत्या हुई है, उनके सारे रिश्तेदारों से, सारे मिलने वालों से, सबसे जाकर तफ्तीश हो चुकी है। जहां तक सवाल इस बात का है कि एस.आई.टी. जो बनी है, उस एस.आई.टी. में एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है, सिर्फ कांस्टेबल्स को ही नहीं रखा गया है।

माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यही आदेश दिया गया था कि एडिशनल एस.पी. के अंडर में यह बनायी जाये और चार-चार हफ्ते में उसकी रिपोर्ट भी पोस्ट की जाये। वह कार्यवाही सारी बदस्तूर जारी है।

जहां तक पोलीग्राफी का सवाल है, मैंने आपको बता दिया 6 आदमियों की पोलीग्राफी आलरेडी हो चुकी है तथा और भी अगर जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर अनुसंधान के दौरान उस पर कार्यवाही की जायेगी।

मैं तो यही कहता हूं कि पता लगना चाहिये। पचास हजार का इनाम दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, एस.ओ.जी. जांच कर रही है, एस.ओ.जी. के बाद थाना अलग कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कहा कि संदेह है, तो संदेह वाले तो जितने भी उनके रिश्तेदारों ने बताया, परिवारजनों ने बताया, मिलने वालों ने बताया, उन सबकी तफ्तीश हो चुकी हैं, बयान हो चुके हैं, इस बाबत जांच हो चुकी है। अब और भी कोई नये फैक्ट्स आ जायें तो आप मुझे दें, मैं निश्चित तौर पर महानिदेशक, पुलिस को पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती शकुन्तला रावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 56वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत साम्भर साल्ट्स लिमिटेड का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। सभी विभाग के अधिकारियों को मंत्री जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रतिवेदन प्रतिवर्ष रखना मेंडेटरी है। जब प्रतिवेदन असेम्बली में आते हैं, वे दो-दो, तीन-तीन साल के गैप से आते हैं। कृपया अपने विभाग के सैक्रेटरी से कहें कि प्रतिवेदन प्रतिवर्ष विधान सभा के पटल पर आयें, क्योंकि हम यह परम्परा प्रारम्भ कर रहे हैं प्रतिवेदन पर चर्चा करने की, इसलिए इसको गम्भीरता से लें।

इन्दिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया।

विभिन्न विषयों पर विचार

इन्दिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) पर विचार

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, समय की सीमा का ध्यान रखें। जितना समय आपकी पार्टी ने दिया है, उसी में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करें। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, विश्व के

(श्री सुमित गोदारा)

सबसे कठिन क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां हमारे पूर्वज रहते आये हैं, वहां पर जब यह नहर परियोजना आयी तो इसने इस क्षेत्र की सूरत और तस्वीर दोनों बदलीं। आज से सौ साल पहले इस नहर की कल्पना तत्कालीन महाराजा गंगासिंह जी ने की और उस समय 1927 में गंग नहर लेकर आये। उन्होंने वहां पर जो अभियन्ता थे, उनका बीकानेर और जैसलमेर तक नहर ले जाने का प्रयास था, उनको कहा, प्रोजेक्ट बनाया जाये। 1938 में कुंवरसेन जी, जो चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया, पर धन के अभाव में यह परियोजना शुरू नहीं हो पायी। आजादी के बाद इस नहर की योजना शुरू हुई और लगभग 6 हजार करोड़ रुपये से नहर की परियोजना तैयार हुई और कितनी विषम परिस्थितियों में उस क्षेत्र में नहर तैयार हुई और कितने अभियन्ता, कितने कर्मचारी, कितने संवेदक, कितने मजदूर इस नहर को बनाने में शहीद हुए।

(समय: 14.23 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

जब यहां पर अभियन्ता आते नहीं थे तो जा-जाकर सरकार विशेष प्रयास कर, यहां पर अभियन्ता लेकर आयी। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो शहीद हुए, जिस तरह सैनिक शहीद होते हैं, उसी तरह जो कर्मचारी इस नहर को बनाने में शहीद हुए, उनका स्मारक वहां इन्दिरा गांधी नहर मुख्यालय पर जरूर बनाया जाये।

मेरा निवेदन है कि इस नहर का नाम राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था। राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी के नाम पर रखने की परम्परा कांग्रेस की रही। जिस व्यक्ति ने इस नहर का सपना देखा और साकार किया, शुरू किया, उन तत्कालीन महाराजा गंगासिंह जी के नाम से इन्दिरा गांधी नहर का पुन: नामांकन किया जाये, ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो सके।

मेरा यह भी सरकार से निवेदन है कि जिस नहर पर 500 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं, जिसमें साढ़े चार सौ करोड़ के आस-पास लगभग सैलरी में जाता है। आज से दो वर्ष पूर्व, मैं दैनिक भास्कर, बीकानेर को धन्यवाद देना चाहूंगा, लोकेन्द्र सिंह तोमर, पत्रकार और मनीष पारीक, उन्होंने इस पर 600 किलोमीटर की नहर यात्रा निकाली है। वे बेहतरीन आंकड़ा लेकर आये। दो साल पहले वे आंकड़ा लेकर आये कि इस इन्दिरा गांधी नहर

(श्री सुमित गोदारा)

परियोजना से लगभग इस पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये के अनाज का उत्पादन होता है।

माननीय सभापति जी, वे दो साल पहले आंकड़ा लेकर आये, पर आज मोदी जी के शासन में जिस तरह किसानों को दाम मिल रहे हैं। आज यहां पर 13 हजार करोड़ से भी ज्यादा की फसल का, अनाज का उत्पादन का हो रहा है। यह नहर इस क्षेत्र में क्रान्ति लेकर आयी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने यह सपना साकार किया, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

माननीय सभापति जी, कई दशकों से हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। लगभग 6 लाख क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान जा रहा है और यह इसलिए जा रहा है, क्योंकि हरिके बैराज से लेकर आरडी 243 के बीच में 132 किलोमीटर नहर जर्जर है। नहर की पूर्ण मरम्मत की जाये।

माननीय सभापति जी, 20 अगस्त, 2019 को तो 14 लाख क्यूसेक्स पानी हरिके बैराज से फिरोजपुर बोर्डर होते हुए पाकिस्तान गया। यदि यह पानी हम बचाते तो इस पूरे नहरी परियोजना क्षेत्र में किसान की एक फसल पकती, कितना लाभ मिलता। हरिके बैराज से सरीन फीडर और आई.जी.एन.पी. एक साथ निकलते हैं, दो नहरों के बीच में तीस फीट की दीवार, जो बीच में गैप था, वह मात्र 12 से 15 फीट हो गया है, उसकी भी सही रिपेयरिंग की जाये।

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन है कि जो साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स पानी राजस्थान को नियमित हरिके बैराज से मिलना चाहिये था, अभी वर्तमान में लम्बे समय से सिर्फ 11 हजार क्यूसेक्स पानी मिल रहा है। साढ़े सात हजार क्यूसेक्स पानी पंजाब ले रहा है, वह हमें नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? जो हमारा नहरी तंत्र है, 15 हजार क्यूसेक्स पानी लेने के लिये हमारे पास 4 नहर हैं, पर अब जो नहर की रिपेयर की जा रही है, उसमें तीसरी बार क्लोजर लिया गया। अगली बार तक पूरी नहर का रिपेयर हो जायेगा तो हम 15 हजार क्यूसेक्स पानी तो ले पायेंगे। जब तक हम उसका रेगुलेटर, जो पंजाब में है, उस रेगुलेटर को ठीक नहीं करेंगे, तब तक पूरा साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स पानी राजस्थान नहीं ले पायेगा। इन दोनों विषयों को सरकार गम्भीरता से ले, ताकि इसका समाधान हो पाये।

माननीय सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. का पानी पोंग डैम से आता है, जिसमें राजस्थान की 49 परसेंट हिस्सेदारी है, पर बड़े दु:ख की बात

(श्री सुमित गोदारा)

है कि 57 साल से, जो संस्था पानी रेगुलेशन का कार्य देखती है, भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उसमें राजस्थान कभी सदस्य नहीं रहा है। उसमें पंजाब और हरियाणा ही सदस्य रहे, जिसके कारण राजस्थान को कभी उचित हक नहीं मिला।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीकानेर की भास्कर की टीम को, लोकेन्द्र जी और उनकी टीम को, जो उन्होंने यह विषय उठाया। 30 जनवरी, 2020 को भास्कर में आलेख आया तो उसका संज्ञान केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी शेखावत द्वारा लिया गया और उन्होंने प्रयास किया कि राजस्थान को भी इसमें शामिल किया जाये। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की। अमित शाह जी ने भी पंजाब को गाइडलाइन और डायरेक्शन दिये, पर पंजाब ने माना नहीं।

मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व है कि केन्द्रीय मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी के प्रयास से 23 फरवरी, 2022 को नियमों में संशोधन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बोर्ड में दो के स्थान पर तीन मेम्बर होंगे। राजस्थान को भी अब हक उठाने का विषय मिलेगा। अभी तक सिर्फ पंजाब और हरियाणा, दोनों की संयुक्त टीम का इसमें हाथ था, तो अब राजस्थान भी इसका तीसरा मेम्बर बना पायेगा।

मैं यहां पर अपने सत्ता पक्ष के साथी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ही की पार्टी की हरियाणा की कुमारी शैलेजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो प्रवक्ता के रूप में पूरे भारत में किसानों की तथाकथित बात तो रखते रहते हैं, पर वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रवक्ता किसानों की बात करते हैं, पर जब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, इस मरुस्थल के किसानों को हक मिलने की बात आती है तो वे ही इसका विरोध करते हैं। आप उनसे जरूर कहिये कि राजस्थान इसमें तीसरा सदस्य, राजस्थान और हिमाचल दो हैं, उनमें से एक सदस्य बनेगा और राजस्थान का भी नम्बर आयेगा तो जरूर हमारे हक का पानी मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो पंजाब से पानी आ रहा है उस पानी में लुधियाना और जालंधर में जो फैक्ट्रियां हैं, वे इस तरह का कैमिकल डाल रही हैं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अभी तीन रिसर्च आयी हैं, उन तीनों

(श्री सुमित गोदारा)

रिसर्च में पाया गया कि इस पानी में 78 परसेंट लेड की मात्रा है। जो पानी हम पीते हैं, हमारे बीकानेर में और गांवों में, जो भी नहर के क्षेत्र में हैं, चाहे गंगानगर-हनुमानगढ़, पानी के पीने की कैटेगरी 'डी' है, जो इनके मानक हैं। जब पोंग डैम से पानी निकलता है तो इसकी कैटेगरी 'ए' है, हमारे पास आती है, तब तक 'डी', यानी सबसे खराब पानी की कैटेगरी है जिसमें यूरेनियम, डी.ओ.डी., आर्सेनिक तरह-तरह के कैमिकल पाये जाते हैं। मेरे पिताजी वहां बीकानेर में कैन्सर सेन्टर के डायरेक्टर रहे। 1978 में वहां लगे तब उस समय कैन्सर के बिलकुल गिने-चुने केस आते थे और जब 2011 में वे डायरेक्टर, कैन्सर सेन्टर से रिटायर हुए तो ऐसा कोई गांव नहीं था जहां से हर महीने कोई न कोई केस हमारे बीकानेर क्षेत्र, लूणकरणसर क्षेत्र से नहीं आता हो। इतने कैन्सर के केस बढ़े इस खराब पानी के कारण। एन.जी.टी. ने भी जुर्माना लगाया पंजाब सरकार पर, चालीस ट्रीटमेंट के प्लांट पंजाब सरकार ने कहा हम करेंगे, पर वे ज्यादातर खराब पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, न सिर्फ कैन्सर बल्कि किडनी, स्किन डिजीज, और आर्सेनिक जो इस पानी में है वह एक तरह से स्लो पोइजन का काम कर रहा है मनुष्य के लिए, तो सरकार यह प्रयास करे कि वहां से पानी साफ आये, शुद्ध पानी आये जिससे आम लोगों को फायदा मिले।

माननीय सभापति जी, पेयजल के बारे में निवेदन है कि दीया तले अन्धेरा। नहर आगे जैसलमेर तक ले गये, जोधपुर पानी जा रहा है, नागौर पानी जा रहा है, पर लूणकरणसर के अधिकतर गांव आज भी पानी से वंचित हैं। मेरा निवेदन सरकार से है कि हमारे लूणकरणसर क्षेत्र में भी नहरी पानी गांवों में उपलब्ध कराया जाये जल जीवन मिशन योजना के तहत।

माननीय सभापति जी, यह सरकार किसानों के प्रति कितनी गम्भीर है इसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं दूंगा। पिछले बजट सत्र में मैंने जो कंवरसेन लिफ्ट परियोजना है, जो लूणकरणसर क्षेत्र में आती है और जिससे बीकानेर को पानी सप्लाई होता है उसके लिए मांग रखी थी पम्पिंग स्टेशन की मोटर बदलने के लिए। सरकार के तत्कालीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री जी ने 6 करोड़ 56 लाख की सदन पटल पर घोषणा की और मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस है कि अक्टूबर में इनका आदेश निकला कि ड्यू टू चैंज इन हैड आफ बजट फ्रोम 2700 टू 4700 यह हम लगा नहीं पायेंगे प्लान में। देखिये, यह

(श्री सुमित गोदारा)

किसानों के साथ में कैसा मजाक, चालीस-चालीस साल पुराने मोटर और पम्प हैं जिनको बदलने के लिए मंत्री पटल पर घोषणा करते हैं और उस पर यह सरकार अमल नहीं करती है। वहां पर लाइट चली जाती है, चालीस साल पुरानी मोटर हैं तो किसान की बारी पिट जाती है। किसान को कितना फसलों का नुकसान है? जब हम बात कर रहे हैं 13-13 हजार करोड़ की फसलें इस सिस्टम से मिल रही हैं तो क्या हम छोटा सा सिस्टम इम्प्रूव नहीं कर सकते? क्या सरकार के पास यह सिस्टम नहीं है कि नये मोटर पम्प और लगाये जायें, जिससे किसानों को लाभ मिले?

माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम सरकार लेकर आ रही है और वह भी सिर्फ अपनी इच्छानुसार कई लिफ्ट्स पर लेकर आ रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्प्रिंकलर सिस्टम समस्त लिफ्ट कैनालों पर किया जाये जिससे किसानों को लाभ मिले और जो पम्पिंग स्टेशन पर स्टाफ की जो कमी है उस स्टाफ की कमी को पूरा किया जाये। स्टाफ यदि पूरा रहेगा तो किसानों को पूरा पानी मिलेगा, पेयजल के लिए पानी मिलेगा।

माननीय सभापति जी, मेरा एक निवेदन और है कि खाले हमारे क्षेत्र में जर्जर हैं। सरकार नरेगा के तहत कराना चाहती है, पर कई जगह सरकार कराती नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, आप सरकार को निर्देशित करें कि जहां पर भी खालों की आवश्यकता है वहां पर तत्काल बनाये जायें। कुछ जगह मैंने बनाये... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति, सिर्फ एक ही मिनट।

हमने कई जगह खाले बनाये तो, माननीय सभापति जी, जिन डिग्गियों में पानी नहीं आता था, वे पूरी की पूरी डिग्गियां एक बारी में भरने लगीं तो बीकानेर जिले, विशेषकर लूणकरणसर में, जहां खाले जर्जर हैं, नरेगा के तहत काम नहीं हो सकता, सी ए डी को पुन: वे कार्य कराने के आदेश दिये जायें ताकि किसानों को लाभ मिले।

अन्त में, एक बात कहते हुए, माननीय सभापति जी, स्काडा जो सिस्टम है, उस स्काडा सिस्टम को फोलो किया जाये, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजिशन सिस्टम। तकनीक बदल रही है, जमाना बदल रहा है क्या हम टेक्नोलोजी का उपयोग नहीं करेंगे? रोज किसान लड़ते हैं कि हमारा पानी

(श्री सुमित गोदारा)

नहीं मिल रहा है, टेक्नोलोजी का उपयोग कीजिये, स्काडा सिस्टम इम्प्लीमेंट कीजिये, नहरों पर, लिफ्टों पर, ताकि किसान को पूरा पानी मिले और हमारा क्षेत्र, जिन विषम परिस्थितियों में हमारे पूर्वज रहे और आज हम नहर का पानी उस क्षेत्र में देख रहे हैं, हमको विश्वास है आगामी समय में जिस तरह अटल बिहारी जी का सपना था नदियां जोड़ने का, मोदी सरकार आने वाले समय में और नदियां जोड़कर इस क्षेत्र में और विकास करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है। इस सरकार के आने के बाद में पिछले तीन वर्ष तक राजस्थान की जनता को यह ही पता नहीं था कि इस विभाग का मंत्री कौन है। यह मैं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं, हकीकत है, यह गांव-गांव में चर्चा है कि सिंचाई का मंत्री कौन था। अब क्या बतायें, मैं मंत्री जी, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो अभी आये हो। मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह नहरी एरिया जो है, इस पर कांग्रेस के विधायक बहुत हैं जानकार, क्या हमारे करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य सही नहीं थे? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। वहां का जानकार व्यक्ति अगर मंत्री बने तो उसका लाभ, कोई हो चाहे, मैं एक्स-वाई-जेड नाम लूंगा तो फिर दिक्कत हो जायेगी। मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं, सरकार चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, आप लुहार का काम सुनार से करवाना चाहते हो, यह न्यायसंगत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं सरकार का, मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आपने बहुत सारा धन इन्दिरा गांधी नहर को पक्का करने में खर्च कर दिया। इतनी बड़ी फौज इंजीनियरों की आपके पास है। नहर का निर्माण करने के बाद सरहिन्द फीडर की तरफ नहर क्यों टूटी? जब आपने नहर नयी बनाई तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि जहां बीच में क्रोस रेगुलेटर बनना चाहिए था उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया। मैं अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि आप चाहे कितनी नहर पक्की बना दो, अगर क्रोस रेगुलेटर नहीं बनाया बीच में लोहगढ़ हैड के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पास तो यह आपकी स्कीम फेल हो जायेगी, आप लिख लो। मैं एक अनाड़ी आदमी हूं। मैं भी जानता हूं इस बात को कि पानी का पोंड मेन्टेन करने के लिए क्रोस रेगुलेटर जरूरी है। बी.जे.पी. की सरकार में तीन क्रोस रेगुलेटर राजस्थान के हिस्से में बने हैं। वे इसलिए बने हैं कि पानी का पोंड मेन्टेन करने के लिए आवश्यकता थी। यह नहर जब बनी थी तब से प्रस्तावित थे। आप पचास-साठ वर्ष तक नहर का नाम बदलते गये, नाम बदलने से नाम नहीं छिपता, नाम तो गंगासिंह बाबा का ही रहेगा। उनकी यह योजना है, उन्होंने इसकी योजना बनायी, सर्वे करवाया, सब कुछ करवाया। नाम चाहे आप बदल दो और हम बदल दें। जिस दिन से यह नाम बदला है तब से इस नहर पर सूर्यग्रहण लग गया है और देख लो आप पानी की स्थिति।

सभापति महोदय, 3291 करोड़ की परियोजना, पंजाब के हिस्से के अन्दर जो नहर है उस पर यह खर्चा होना है और यह खर्चा बेकार में पानी की तरह बह जायेगा। मैं फिर चेतावनी देता हूं कि क्रोस रेगुलेटर आप अवश्य बनायें।

सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं दूसरा एक बहुत गम्भीर विषय। इस डैम के अन्दर मिट्टी भर गयी, नीचे के तल पर दुनिया भर की मिट्टी भर गयी। 1988 की बात है, शायद 1988 में पंजाब के अन्दर उग्रवाद, खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों के कैम्प, अप्रैल और मई के अन्दर डैम के ऊपर बादल फटे थे। उस टाइम वहां का जो चैयरमैन था उसका नाम, वो पूना के रहने वाले थे। कुमार साहब सेना के रिटायर्ड जनरल थे, वे बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन थे, उनकी हत्या इसलिए की गयी कि एकदम गेट खोल दिये तो पानी से उग्रवादियों के जहां नदियों के किनारे कैम्प बने हुए थे, वे कैम्प सारे ध्वस्त हो गये, नष्ट हो गये। उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया और वह फरमान यह था कि पहले डैम में दस फीट ऊपर का हिस्सा खाली रहता था उन्होंने उस फरमान में यह लिखा कि बीस फीट फ्रीबोर्ड रखा जाये और सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि उनके बाद जो दुबारा चेयरमैन बने, उन्होंने उस आदेश को लागू कर दिया और आज दिन तक वह आदेश लागू है। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि आप सोचो नीचे तो मिट्टी भर गई, डैम आप साफ करवा नहीं सकते। मैं आपको फ्री की स्कीम बताता हूं कि डैम का पानी कम हो तो आप काश्तकारों को छूट दे दो, वह मिट्टी इतनी कीमती है कि लोग उठा-उठाकर ले जायेंगे। आपका ठेकेदार तो 6-12 महीने में

(श्री रामप्रताप कासनियां)

करेगा। लोगों को आप बोल दो कि फ्री में मिट्टी उठाओ तो हफ्ते में उस डैम की सफाई कर देंगे, इतनी कीमती मिट्टी है।

सभापति महोदय, ऊपर डैम का जो 20 फीट एरिया खाली रहता है, पानी का भराव उसी में ही होता है, नीचे तो कुएं की तरह है। ऊपर का दायरा ही पानी ज्यादा स्टाक करता है। मंत्री महोदय, आप मौका देख लेना उसमें दुनिया भर की अवैध खेती हो रही है। वह खेती करने वाले उस डैम में पानी नहीं भरने देते। आतंकवादियों का भय नहीं रहा, वे तो चले गये, लेकिन अवैध काश्त करने वालों का हाथ है। आप तुरंत यह आदेश दो कि इस डैम को 20 फीट फ्रीबोर्ड नहीं रखा जाय, 10 फीट ही फ्री रखो। उस डैम में जो पानी भरता है वह व्यर्थ में पाकिस्तान बहकर चला जाता है। वह इतना पानी है कि 365 दिन बराबर 2800 क्यूसेक्स पानी आपको पर-डे मिल सकता है। यह कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, आप थोड़ा-बहुत सोचो।

इस जीवनदायिनी नहर पर चाहे कंवरसेन लिफ्ट हो, चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे गंग कैनाल हो, चाहे भाखड़ा हो, इन पर पुलिया की हालत बहुत ही विकट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पुलिया, उस समय मुझे पता नहीं इंजीनियरों की क्या सोच थी, उनकी चौड़ाई बहुत ही कम है, 12-12 फीट की चौड़ाई है। उसको घोड़े और ऊंट निकलने वाली पुल कहते हैं। अब ट्रक हो गये 8-8 फीट चौड़े और दो ट्रक आमने सामने आ जायें तो रास्ता ही नहीं है। वह सारी की सारी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, कहीं भी कभी भी हादसा हो सकता है। मेगा हाईवे लखवाली पुल को ही सबसे पहले चैक कर लो, मसीतावाली हैड चैक कर लो, आगे 365 तक कर लो, सारी की सारी पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। चाहे घग्गर डाइवर्जन चैनल की पुल हो, चाहे राजस्थान कैनाल की हो। गंग कैनाल और भाखड़ा में फिर भी इससे हालत ठीक है। इस नहर को बनाने के बाद सिवाय खाने-पीने के कोई काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, अब निर्माण कार्य हुआ है, मैं कोई हमारी सरकार की तारीफ नहीं करता हूं। बीजे.पी. के समय जो कार्य हुआ, उसकी गुणवत्ता देखो और आपने अपने कार्यकाल में जो मरम्मत करवाई है, उसकी गुणवत्ता देखो। सभापति महोदय, इस नहर की क्षमता 18,500 क्यूसेक्स की है और आज तक इसमें कभी भी इसकी क्षमता के अनुसार पानी नहीं चला। उस समय तो इतनी सीमेंट खरीदने वाले भी नहीं थे और यह भ्रष्टाचार भी नहीं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

था। फिर भी इसमें इसकी क्षमता के अनुसार पानी क्यों नहीं चला? सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे, अब तो 10-11 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी इस नहर में चल ही नहीं सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को कि उन्होंने इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने के लिये राजस्थान को बजट दिया और यह बजट आपके पिछले कार्यकाल में भी था। इतना नहीं था तो आधा था, कम था। वह बजट आप खर्च ही नहीं कर पाये। कार्य करने के लिये हिम्मत चाहिये। आपके पास तो पैसा होते हुए भी आप कार्य शुरू नहीं कर पाये। अब जरूर काम शुरू किया है और जो किया, वह आप देख लो, सरहिंद फीडर के पास नहर टूटी है, वह सबको पता है। मैं कोई बदले की भावना से नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय, हरिके बैराज पर जो इंदिरा गांधी नहर के गेट बने हुए हैं..

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड कर लीजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): कन्क्लूड ही कर दूं?

श्री सभापति: आप दो मिनट और बोल लीजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 18,500 क्यूसेक्स के गेट का निर्माण नहीं हुआ। मौके पर जो निर्माण है उसका एग्जेक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है, पर गेटों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पानी ओवरफ्लो नहीं हो। जो पाकिस्तान में पानी बहकर जाता है, इसका कारण है कि आपके रेगुलेटर सही नहीं बने हुए हैं, उनकी भी मरम्मत करो, चाहे बड़े करो। वह पानी भी रोका जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा बी बी एम बी में बी बी एम बी के अधिकारियों के साथ राजस्थान का स्थायी सदस्य होना चाहिये। पानी कम-ज्यादा हो तो हमारी नहरें पिट जाती हैं। अगर हमारे राजस्थान का व्यक्ति हो तो हमारे को बहुत फायदा मिलेगा, हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 1981 के समझौते के मुताबिक राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम.ए.एफ. था, जो वर्तमान में 8 एम.ए.एफ. है। यह 0.6 कौन खा गया? मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे, उन्होंने यह कहकर सरप्लस पानी को पंजाब को दिया कि हमारा सैकण्ड

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चरण अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ तो इस एक्सेस पानी को आप ले लो। सभापति महोदय, इस तरह इस पानी को पंजाब सरकार को दे दिया और पंजाब सरकार ने इस 0.6 एम.ए.एफ. पानी से नई नहरें बना लीं और रकबा कमांड कर लिया और अब जूता निकाल लिया। हमारे हिस्से का पानी पंजाब खा रहा है। इस पानी को भी वापस लिया जाय, यह हमारे हिस्से का पानी है।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। प्लीज, समय की थोड़ी दिक्कत है। आप लास्ट में बोल दीजिए, जो बोलना है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आई.जी.एन.पी. कैनाल की 496 बुर्जी हैड लोहगढ़ सरहिंद फीडर का 0 आरडी हैड इंचार्ज मुख्य अभियंता, हनुमानगढ़, राजस्थान को बनाया जाय। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो चाहे भाखड़ा, गंग कैनाल हो, कोई नहर टूट गई और वह आउटलेट साथ में ही बह गया, उसको दुबारा लगाने के लिये सरकार के पास मंजूरी लेने के लिये आओ। इसे मैं सही नहीं समझता। अगर किसी काश्तकार की बारी गलत बना ली, एड-कमांड की काटनी है तो सरकार से पूछो कि काटनी है या नहीं काटनी। चौथा महीना, दसवां महीना, यह राइडर और है। मेरे कहने का भावार्थ सीधा-सीधा है कि आप कमेटी बनाकर तीन-तीन इंजीनियरों को लगाकर आउटलेट लगाते हो तो फिर वे आउटलेट गलत क्यों? अगर गलत हो उस कमेटी के अन्दर जो इंजीनियर हैं, उनको तुरन्त सस्पेंड करो और कार्यवाही करो, पर इन छोटी-छोटी बात के लिये...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुश्री दिव्या मदेरणा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, चौथे पेज पर ही हूं, अभी तो 12-13 पेज और पड़े हैं। ठीक है फिर। धन्यवाद।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): किसी आश्चर्य से कोई कम नहीं है कि रेगिस्तान का सीना चीर कर निकाली गयी इतनी लम्बी इन्दिरा गांधी नहर। रेत के समन्दर में इस तरह पानी लाने का यह इकलौता उदाहरण है। इस नहर के आगमन से रेगिस्तान का पूरा परिदृश्य बदल गया है। यह कहानी इन्सान की हिम्मत की कहानी है कि हिमालय से पानी लेकर रेगिस्तान की काया बदल दी। यह नहर राजस्थान की जीवन रेखा बनी है। आज इस तरह जो डेजर्ट जोन है, रेगिस्तान है, उसकी आप इन्दिरा गांधी नहर के बिना

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कल्पना नहीं कर सकते। पहले 10 इंच बारिश हुआ करती थी, आपके यहां अकाल पड़ा करते थे। लेकिन उस वक्त भी कभी पानी की कमी की वजह से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पलायन नहीं हुआ। तालाब, बेरी, कुंड बनाये जाते थे और वहां इस तरह से जल का संचय किया जाता था कि दो या तीन साल तक पानी रहता था। हां, लेकिन पशुधन पर आधारित, अगर पलायन होता था तो पशु का चारा न होने के कारण होता था, उसमें भी विशेषकर गाय और भेड़ के लिये क्योंकि बकरियां तो झाड़ियां-वाड़ियां चर लेती थीं।

इस नहर के आने से आबादी की वृद्धि हुई। गांव और कस्बे विकसित हुए। नयी मण्डियां खुलीं। कृषि आधारित उद्योग स्थापित हुए। सिर्फ पशुपालन पर आधारित रेगिस्तान को सक्षम रोजगार मिलने का कार्य हुआ। आजादी के बाद जो डिस्पुट था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से इंडस वाटर ट्रिटी हुई। ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स के बीच में पांच नदियों का बंटवारा हुआ। उसके बाद राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पानी के हिस्से का बंटवारा हुआ। रिवर्स बेस, जिसे उद्गम स्थान कहते हैं। जब वहां से चलती है और गुजरकर निकलती है तो बीच के एरिया को राइपेरियन एरिया कहते हैं। हिमालय से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई, रण आफ कच्छ से होती हुई पाकिस्तान की तरफ गयी तो राजस्थान का भी राइपेरियन राइट बना। राजस्थान गंगा बेसिन में आता है, यमुना भी गंगा बेसिन का पार्ट है। रावी, व्यास और सतलज के अन्दर 8 एम.ए.एफ. पानी के लिये तय हुआ। यह मिलियन एकड़ फीट के अन्दर क्वांटम है। 1980-81 के अन्दर रिवाइज होकर 8.6 एम.ए.एफ. हुआ।

मैं मानती हूं कि सुखाड़िया जी के टाइम पर हमारे फेज-I का निर्माण स्टार्ट हुआ और फेज-II शुरू नहीं हुआ था। सुखाड़िया जी ने कहा कि हमारा जितना भी पानी है, चाहे हम उसको ढोलें, चाहे कुछ भी करें, हम हमारा पानी लेंगे। उससे बहुत ज्यादा पानी हम ले रहे थे। हमारे पास लेने की क्षमता नहीं थी, इस कारण हम यह 0.6 पानी नहीं ले पा रहे थे। जब हमारे फेज-II का निर्माण कार्य प्रगति की ओर बढ़ा और हम इस क्षमता में आये कि हम ले सकते हैं तो 1991-95 के अन्दर हमने मांगना शुरू किया और पंजाब ने रिफ्यूज कर दिया। कांस्टीट्यूशन के अन्दर स्पेशल क्लाज है। पानी स्टेट का सब्जेक्ट है। नदी इंटर स्टेट है। वाटर कानफिलक्ट और डिस्पुट के लिये ट्रिब्यूनल बनाया गया कि सेटलमेंट होगा, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कर सकते। हिन्दुस्तान में 14 रिवर बेसिन हैं और इत्तेफाक की बात है कि 14 रिवर बेसिन राजस्थान में भी हैं। चैलेंज हुआ, उसमें जो निर्णय आता है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते और जो आता है, उससे हम खुश नहीं हैं। ट्रिब्यूनल ने भी कोई डिसीजन नहीं दिया।

जैसे कि पूर्व में वक्ता बता रहे थे कि बी बी एम बी को 49 परसेंट दे रहे हैं, अगेस्ट 52.7 परसेंट, जो कि इंटर स्टेट एग्रीमेंट डेटेड 31.12.1981 था। कोई बात नहीं। फिर 2016 में पंजाब की सरकार एक प्रस्ताव पारित करती है और 80 हजार करोड़ रायल्टी के रूप में मांगे। बी.जे.पी. की सरकार थी। आपका उनको समर्थन था, अकाली दल को। वे प्रकाश सिंह जी बादल कहते हैं कि राजस्थान में मार्बल होता है, उसको फ्री कर दें, पानी कुदरत की देन से हमारा कमाल है। यह तर्क नहीं, ये कुतर्क था क्योंकि पानी वहां पैदा नहीं होता। हमारे यहां पर और कोई संसाधन नहीं हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं और मार्बल से हमारा राजस्व आता है।

अभी मेरे से पूर्व कासनियां जी कह रहे थे कि हमें वह 0.6 पानी वापस लेकर आना चाहिये। सरकार बनते ही एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में पंजाब गया। पंजाब के मुख्य मंत्री जी से संवाद किया। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में भी कोयले के सम्बन्ध में राजस्थान के लोगों के लिये संवाद करके आये और विशेष रूप से आग्रह किया, लेकिन ये इश्यूज अब बियोन्ड सुप्रीम कोर्ट और स्टेट, अब इतनी रिजिड हो गयी है कि रिजाल्व ही नहीं करते। यह वह उदाहरण है कि आपको पांच लाख दिये कि भई, आप यूज कर लीजिये। मांगने का समय आया तो उसने कहा कि हमने तो खर्च कर दिये, हम तो देंगे नहीं। उस तरह की स्थिति हो गयी कि देने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर रिट फाइल की गयी, specific performance of contract dated 31.12.1981 के Statutory Body BBMB के अन्दर 0.6 एम.ए.एफ. पानी रिलीज करने के लिये। उसके नोटिस इश्यू हो गये। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि वे कहते हैं कि Thereafter, the matter placed before the regular bench for framing the issues. 12 weeks time has been given. यह लैटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हमारी सरकार ने प्रयास करने की कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हमने इसके लिये प्रयास किया और रिट फाइल की है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कांस्टीट्यूशनल स्ट्रेक्चर में अब कोई आप्शन नहीं है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आई जी एन पी, आपको इसके नाम की वजह से इस नहर से इतनी नफरत है तो इसका पानी मत पीया कीजिये। आप कोई नयी नहर लाते। 2014 से 2022 तक का आपका कार्यकाल है, सात साल हो गये। आजकल तो टेक्नोलोजी इतनी एक्सपेंड हो चुकी है कि आप कुछ कर सकते थे, ला सकते थे। इसकी कैपेसिटी 18 हजार 500 की है और हम यहां से 10 या 11 हजार ही ले पाते हैं, जो कि मेरे से पूर्व में सदस्य कह रहे थे, बिलकुल सही बात है। फेज-I और फेज-II के अन्दर यह है। आई.जी.एन.पी. का मुख्य उद्देश्य खेती का था, लेकिन इसका हिडन एजेंडा डिफेंस परपज भी था। दूसरा, ड्रिकिंग वाटर और कुछ क्षमता के लिये पहले 450 और अब करीबन 500 उद्योग, मिलिट्री और इनको भी देते हैं। Stage I, 189 km long up to RD 620 of IGNP, जो कि चीफ इंजीनियर डब्ल्यू/नोर्थ हनुमानगढ़ के यहां पर हैं। यहां पर पहले फ्लो मोड हुआ करता था। ग्रेविटी फ्लो से पानी दिया जाता था। दूसरा, लिफ्ट मोड है, जिससे वाटर पम्प करके देते हैं, जो कि एनर्जी मोड है। इसके अंदर केवल एक लिफ्ट कैनाल है, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, जिसकी अभी बात कर रहे थे, जो कि बीकानेर के लिये major source of drinking water है। कमांड एरिया को इर्रिगेशन फैसेलिटी देती है और यहां पर 61905 को भी। Stage-II, RD 620 to RD 1458, यहां पर लिफ्ट मोड से पम्पिंग होती है। एनर्जी बेस इर्रिगेशन होता है। यह एक कान्टोर कैनाल है अर्थात् इसका ग्रेविटी स्लॉप एक तरफ पाकिस्तान की तरफ है। इसलिये इसमें छह लिफ्ट कैनाल हैं। चौथी कुम्भाराम आर्य और पांच दूसरी लिफ्ट कैनाल, जो कि चीफ इंजीनियर बीकानेर के तहत आती है। वहां पर वाटर अलाइंस-2 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ है। कम अलाउंस होने के कारण इर्रिगेशन का काम स्प्रिंकलर्स से होता है। यह कम अलाउंस क्यों हुआ, उसके ऊपर मैं आगे आऊंगी।

फेज-I में हमने निश्चित रूप से ज्यादा पानी दिया, उसकी अलग समस्याएं हुईं। वाटर लागिंग, सेलिनिटी हुई, अलग-अलग समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुईं। जब फेज-II का निर्माण हुआ, हमें जो पानी वाटरलाग से देना चाहिये था, वह हम नहीं दे पाये। फेज-I में हमने पानी के लिये मना किया कि वाटर अलाउंस से इतना ही पानी देना है, तो निश्चित रूप से किसान आन्दोलित हुए। हमे उसका ओवरआल नुकसान यह हुआ कि वाटर ड्रिप इर्रिगेशन हुआ, हमने इनरजाइज इर्रिगेशन किया और ग्रेविटी फ्लो का काम बन्द हुआ।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

भाखड़ा नांगल की कमेटी डिसाइड करती है कि प्रपोर्शनेट वाटर कितना आना चाहिये, लेकिन ताले की चाबी पंजाब के पास है। यह कब रिलीज करे, टाइमली रिलीज करे या न करे, पूरा शेयर रिलीज करे या न करे। कैनाल किस कैपेसिटी में चलाये, सीपेज लॉस भी हैं, आपरेशनल लॉस भी, निश्चित रूप से क्वालिटी इश्यूज़ भी हैं। ये सब हमें देखने को मिले। जब हमारा 6 पूरा हुआ, स्टेज-2 को हमने पानी देने की कोशिश की तो बीच में कार्यकाल ऐसा भी आया, 2000 से 2004 के बीच का, जिसमें बारिश कम हुई। एक पैटर्न है कि पांच साल से छह साल अच्छी बारिश होती है और दो से तीन साल बारिश कम होती है। इस कारण उस अवधि के बीच में रबी और खरीफ की 10 से 11 बारी दे पा रहे थे। अगर 20 से 25 साल का एवरेज देखा जाये तो रबी और खरीफ की 16 से 18 बारी देते थे, लेकिन 2000 से 2004 के बीच में 3 से 4 बारी दे पा रहे थे, रबी और खरीफ की टोटल 8 बारी। पानी कम होने से किसान

(समय: 15.00 बजे)

आन्दोलित हुए। कई जगह हैड पर मिल रहा था, टेल पर नहीं मिल रहा था। अनूपगढ़ ब्रांच जो सबसे बड़ी 2500 क्यूसेक्स की है, वहां हैड पर डबल मिल रहा था। उपद्रव हुआ और आप आज जो पानी के सम्बन्ध में खड़े होकर, यहां मेरे से पूर्व के वक्ता बहुत गीत गा रहे थे कि हमने क्या किया। मोदी जी ने क्या किया, पानी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिये। किस तरीके से इन्दिरा गांधी नहर का नाम बदल दिया तो ग्रहण लग गया। मैं आज आपको सदन में बताना चाहती हूं, आप वे लोग हैं जिन्होंने घड़साना के अन्दर किसानों की छाती पर गोलियां चलायीं, आप वे लोग हैं। आज यहां पर किसानों के प्रति और पानी के प्रति गम्भीर होने की बात मत कीजिए। 6 मौतें हुई। 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में न तो पहले कभी ऐसा हुआ, न बाद में कभी ऐसा हुआ। ये हुआ तो आपके टाइम में हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? ये हुआ कि 2005 का आर्डर मैं साथ लेकर आयी हूं। एक हिटलरशाही आर्डर यहां पर निकलता है और उस आर्डर 19.63 जो इसके अन्दर मैंशन कर रखा है, इस प्रतिवेदन के अन्दर 2005 के अन्दर 14.10 लाख हमारा हैक्टेयर हो जाता है और हमारा यहां पर सिंचित क्षेत्र काट दिया जाता है। जिसके अन्दर सबसे ज्यादा नुकसान फेज-2 को होता है कि उसका 3.339 हैक्टेयर होता है। इतना निर्दयी निर्णय अगर कोई ले सकता था तो सिर्फ आप ले सकते थे। आपने राजस्थान के फेज-2 का, वे इंसान,

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

काश्तकार जो इंतजार कर रहा था कि फेज-2 की कैनाल आयेगी, पानी आयेगा, उसका इतना बड़ा क्षेत्र काट दिया। ये आपने किया। आपको आल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने की जरूरत थी। आप लिंक बनाते, डैम बनाते, री-लाइनिंग करते, किसी तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज करते, कुछ और व्यवस्था करते। ये आपने नहीं की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं उसमें पढ़ रही थी। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। यह कोई पोलिटिकल डिसीजन हो भी नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आया कि उस वक्त आप क्या सोच रहे थे।

इसके अन्दर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच हेतु न्यायाधीश के.एस. केजरीवाल की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ये होम मिनिस्टर का वक्तव्य है। मैं पढ़कर आयी हूं और अपने साथ भी लेकर आयी हूं। उस रिपोर्ट को आसमान निगल गया या धरती खा गयी, कहां गयी वह रिपोर्ट इतने सालों बाद? आज तक उस रिपोर्ट को नहीं ढूंढ पाये। मंत्री महोदय जी, मैं आपको कहना चाहती हूं कि वह रिपोर्ट आनी चाहिये क्योंकि यह जरूरी है कि इतना हैक्टेयर का डिसीजन हुआ है। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फाल्ट है। क्या कारण है जिसके कारण इतना 3.39 हैक्टेयर किसानों का इन्होंने काट दिया? राठौड़ साहब, आप उस तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल की उप समिति के सदस्य थे। चूरू की जनता के साथ अन्याय हुआ। एक मेजर शहर कटा। मुझे नहीं पता कैसे। उस वक्त तो आप मंत्री भी नैक्स्ट टू सी.एम. थे। सबसे प्रभावी मंत्री थे, फिर भी आपके नाक के नीचे इस तरीके का आर्डर कैसे हो गया?

मैंने सोचा कि जिन क्षेत्र में इतना बड़ा चक कटा, उस 2005 के आर्डर के बाद में उन किसानों के लिये कोई आल्टरनेट आक्यूपेशन, आल्टरनेट कोई डवलपमेंट हुई। एक स्टडी मैं लेकर आयी हूं मेरे साथ में। उस स्टडी का नाम है, Management and phenotypic characterization of donkeys of Rajasthan, इसमें विशेषकर पाया गया कि माल ढुलाई के लिहाज से गधा बेहद उपयोगी है और विशेष रूप से सरदारशहर, चूरू, राजगढ़, सीकर, रतनगढ़, झुंझुनूं, सिर्फ ये उसी की स्टडी है। लेकिन वहां पर क्या हुआ? बहुत मुश्किल हुई मुझे डिस्ट्रिक्टवाइज गधों की गिनती निकालने में। वहां पर पाया गया कि चूरू के अन्दर सिर्फ 965 गधे रहे हैं। वेस्टर्न राजस्थान, हम फिर भी बैटर हैं। बाड़मेर में 2,659, बीकानेर में 1,800, जैसलमेर के अन्दर 5,000 के करीब हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा सैक्टर अगर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

सिंचित का काटा गया तो कोई आल्टरनेट आक्यूपेशन भी नहीं हुई और वे गधे जो कार्टिंग का काम विशेषकर चूरू, तारानगर, सूरत में करते थे, उनकी भी घट गयी। उनके लिये उपाय मांगें हैं, वे भी आपने नहीं दिये।

अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि बी.जे.पी. ने गुणवत्ताभरा काम किया। ये था आपका गुणवत्ताभरा काम? लेकिन एक बात के लिये फिर भी मैं राठौड़ साहब को बधाई देना चाहती हूं कि जाते-जाते इन्होंने 10 हजार हैक्टेयर के करीब शायद बढ़वा लिये थे। लेकिन वह तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। मेरे से पूर्व में वक्ता बात कर रहे थे कि आई.जी.एन.पी. के रख-रखाव के लिये बजट दिया। जी हां, 2016 के अन्दर दिया था और 2017 में आपने बन्द भी कर दिया। आज की तारीख में आप कोई बजट नहीं दे रहे हैं और राजस्थान सरकार के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, लिमिटेड रिसोर्सेज से उन्होंने काम किया और मुख्य मंत्री जी ने बाद में यह आश्वासन देकर घोषणा की कि बाकी का सारा हम कराने का काम करेंगे।

एक जो मेजर प्रोब्लम यहां देखी जाती है वह सबसे बड़ी है कंटामिनेटेड वाटर की, क्वालिटी आफ वाटर की। फिर राठौड़ साहब, पता नहीं चूरू को मरे हुए गधों का पानी पिला रहे हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने उसके बारे में। गधे, घोड़ा, कुत्ता, आदमियों की लाशें, उस नहर से निकलती हैं। जहां दो गेट्स बने हुए हैं। अगर कोई मनुष्य की लाश आती है तो उस गेट से गेट के बीच में जो जोन है, वहां के व्यक्ति को पुलिस कम्प्लेंट करने की आवश्यता होती है लेकिन कोई नहीं करता। कोई रिपोर्ट्स नहीं आती। आप बता दीजिए, मंत्री महोदय, कितनी रिपोर्ट्स आती हैं? ऊपर से हिमालय से, पंजाब से इतनी लाशें आती हैं, ह्यूमन बॉडी आती हैं, जिसके पार्ट में आती है वह गेट ऊंचा कर देता है और आगे निकाल देता है। कोई नहीं, वहीं डिकम्पोज होती है, उसी के अन्दर। फिर एक नोमिनल ब्लीचिंग सिस्टम से हम आगे पानी पिला देते हैं। मुझे लगता है कि विशेष रूप से क्लीन वाटर के लिये हमें स्पेसिफिक प्लांस लेकर आने की जरूरत है। फिर बी.जे.पी. सरकार ने दवाइयां महंगी कर दीं। वाटर बोर्न डिजीजेज 60 टू 80 परसेंट इसी से होती है। डायरिया, डिसेंट्री, कुछ प्रकार के पेट की प्रोब्लम। अब कैसे लेगा? पैरासिटामोल महंगी हो गयी। डीजल-पेट्रोल के भाव क्या हो रहे हैं? बीमार हो गया, हास्पिटल भागेगा, तो कैसे जायेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य बता रही हैं कि प्रतिवेदन में लिखा है कि पैरासिटामोल महंगी हो गयी। मैंने तो प्रतिवेदन में पढ़ा, मुझको तो कहीं दिखा नहीं।

श्री सभापति: आप अपने उद्‌बोधन में बता देना।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): बिलकुल रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि क्वालिटी आफ वाटर के लिये हमने ये-ये प्लांट्स लगा रखे हैं। लेकिन उसके अन्दर नहीं होता। इस तरीके से लोग बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ेगा, वह व्यक्ति हास्पिटल तो जायेगा। हास्पिटल जायेगा तो उस वाहन का उपयोग करेगा जिसमें डीजल-पेट्रोल डालेगा। उस टोल से भी निकलेगा जो 1 अप्रैल से दस प्रतिशत आगे महंगा हो रहा है। वे दवाइयां भी खायेगा, जो आज आपने महंगी कर दी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भाइयों और बहनों, मित्रों, हरियाणा में जाकर प्रधान मंत्री जी कहते हैं पाकिस्तान पानी नहीं जायेगा। मेरे से पूर्व में वक्ता कह रहे थे सुमित गोदारा जी, पाकिस्तान पानी नहीं जाना चाहिये। आपने क्यों नहीं कुछ किया? सात साल हो गये। अभी कह रहे थे कि विशेष रूप से मोदी जी और गजेन्द्र जी, तीन कमेटी लेकर आये। कमेटी की बात भी तो प्रतिवेदन में नहीं थी। वे कह रहे थे कि भाइयों और बहनों, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मैं किसान के हक का पानी पाकिस्तान में नहीं बहने दूंगा। आज तक कोई डी.पी.आर. के नाम पर किसी कमेटी की चर्चा तक नहीं हुई है, उसके ऊपर। आपको हरिके बैराज पर कोई लिंक बनाना चाहिये था, कोई डैम बनाना चाहिये था। किसान विरोधी बिल बनाकर एक साल ठप किया। यू.पी. के चुनाव आये तो बिल वापस लिया। किसानों की आय 2022 में दुगुनी करनी थी, हवा-हवाई हो गये आपके सारे वादे।

लास्ट में मैं कुछ सजेशन देकर अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक जो दूसरी दिक्कत हमें आती है वह यह आती है कि भाखड़ा डैम और पोंग डैम के ऊपर दस-दस फीट पानी हमने कम कर दिया। 1400 रिड्यूस लेवल से 10 फीट पानी कम कर दिया। उसका कारण है कि नदी के दोनों तरफ एन्क्रोचमेंट है। जब यह फुल कैपेसिटी में खोलते हैं तो यहां पर पास में जो बसावट है, वह बह जाती है। 1984 के अन्दर बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन को मिलिटेंट्स ने शूट भी कर दिया क्योंकि उनके कैम्प्स वहां आते थे। परंतु आज मुझे लगता है कि इतने वर्षों, 1984 से आज हम 2022 के अन्दर बात कर रहे हैं, इतनी टेक्नोलाजी की वृद्धि हुई है और इसमें अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का, 10-10 परसेंट घटने में होता है तो राजस्थान का होता है क्योंकि हम 50 प्रतिशत स्टेक होल्डर हैं।

मुझे लगता है कि आजकल हमें पता लग जाता है बारिश का, फ्लड्स

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

का, we have enough technology, मंत्री जी, मैं चाहती हूं कि कोई एडवांस टेक्नोलोजी लाकर हम पहले से कोई ऐसी व्यवस्था करें तो हम ये 10-10 फीट का पानी भरवा सकें। 1,385 के ऊपर ही गेट खोल देते हैं जबकि इनको खोलना 1,390 पर चाहिये। जुलाई से पहले खोल देते हैं। बाद में ये डैम भरते नहीं हैं। सिर्फ आफिसर्स ये करते रहते हैं। ये सिर्फ गुणा-भाग का खेल है और मुझे लगता है कि वहां जो कोई बैठा है, वह +++ के जैसे कोई कमजोर मैथ्स का व्यक्ति ही है जो प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाता। यह भी पानी कोई कम नहीं है। ये भी 0.5 एम.ए.एफ. के करीब है। जो 6 एम.ए.एफ. का झगड़ा हम लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं हक के पानी के लिये, उसके करीब है। अगर हम इसको आल्टरनेट करके तैयार करें तो हमारे पास पानी की सुविधा हो सकती है, काम हो सकता है। लिफ्ट कैनाल्स के अन्दर स्प्रिंकलर्स और डिग्गी के लिये 50:50 के शेयर से 2016 के अन्दर, बी.जे.पी. की सरकार के टाइम पर 1,650 करोड़ रुपये दिये गये, मैं मानती हूं। कमांड एरिया डवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट को टेंडर हुआ और 2017 के अन्दर कासनियां जी सुनिए, जो आप कह रहे थे कि दिये-दिये, बन्द कर दिये 2017 में, नहीं दिये, बन्द हो गये। फिर गवर्नमेंट अवेलेबल फंड से उसे यूज किया और now this budget, 2022-23 के अन्दर स्टेट बजट से काम पूरा कराने की घोषणा की गयी है। वाटर कोस्टेज को भी हमें देखना पड़ेगा। स्टेज-2 जो जैसलमेर, बीकानेर के जोन थे, यहां पर सैटलमेंट ही नहीं हुआ। जिन लोगों ने वहां मुरब्बे खरीदे, खरीदकर वहां खालें नहीं बने, कुछ नहीं हुआ। वह वहां से वापस अपने घरों की तरफ चले गये। मुझे लगता है कि यहां भी विशेष प्रावधान करना चाहिये।

स्टेट गवर्नमेंट के पास फण्ड्स की किल्लत है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी यह कह रही हैं खालें रिपेयर करिये। इसके ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही। कुछ नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि विशेष पी.पी.पी. मोड में लें, जायका स्पोन्सर्ड करें, इस पर्टिकुलर बेल्ट के अन्दर भी देखने की जरूरत है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पांच मिनट में कन्क्लूड कर रही हूं। टेल पर पानी नहीं पहुंचता। जैसलमेर के वहां तक पानी आता है जब तक जबरदस्त फ्लेक्चुएशन होते हैं तो प्रोपर रेगुलेशन, फेयर रेगुलेशन के साथ आपको करना चाहिये, क्योंकि यहां पर पानी की कमी का सेटलमेंट भी नहीं है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मुरब्बा बंदी, हनुमानगढ़ और यहां पर विशेष रूप से बहुत ही सक्सेसफुल रही। आई जी एन पी की सबसे बढ़िया बात है कि बेस्ट मैनेजमेंट यहां पर इसके अन्दर रहा। 25 बीघा है तो आप उसको 5 बीघा में डिवाइड कर देते। एक-एक बीघा की लोकेशन पाइंट है। एक-एक व्यक्ति को इन्डिविजुअल पर्ची दी जाती है और किसी प्रकार का कोई डिस्पुट नहीं होता। पंजाब और यू.पी. में यह खतम हो चुका है। राजस्थान एक मात्र है जहां यह मुरब्बा बंदी है तो मुझे लगता है कि लिफ्ट कैनाल का एरिया था, जहां पर नहीं आई, वहां पर भी हमें इस तरीके के मुरब्बे करके लागू करना चाहिये खसरे के अन्दर, ताकि हम कम संसाधनों के अन्दर इफेक्टिव उसको दे सकें। फेयर सिस्टम हो।

पंजाब के फीडर की री-लाइनिंग की बात की थी। मुख्य मंत्री जी वार्ता के लिये 2019 में गये तो विशेषकर तीन मुद्दे लेकर गये। एक तो 0.6 एम.ए.एफ. की बात की, वह नहीं हुआ 0.6 एम.ए.एफ.। जब वह नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के अन्दर रिट फाइल हुई। दूसरी पंजाब पोर्शन के फीडर की री-लाइनिंग की बात की। 2019 के एफर्ट्स से यह हुआ बी जे पी के कार्यकाल में फण्ड तो आया लेकिन आपने वह ऐसे ही नहीं किया। आप रोज डेटा लेकर आते हैं, यहां कहते हैं फलां आपने फण्ड दिया, जीरो एक्सपेंडिचर, जीरो वेव, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत। आप क्यों फण्ड लेकर आते हैं और कुछ नहीं कराते जब पानी का इतना संवेदनशील मुद्दा था। वहां पर गये, विशेष रूप से पंजाब के मुख्य मंत्री जी से बात की और इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवाया। दो साल में काम हो चुका है, एक साल और होगा और करीबन 100 किलोमीटर इसकी री-लाइनिंग वहां इस फीडर पर होगी।

इससे एग्जीक्यूशन से जो बैनेफिट होने वाला है, वह बहुत ही बेस्ट बैनेफिट होने वाला है। कुछ पार्ट जो राजस्थान के अन्दर है, उसके अन्दर राजस्थान गवर्नमेंट उसको सही कराने का काम कर रही है। दो साल बाद हम 15 हजार क्यूसेक्स पानी लेने की क्षमता को डवलप कर पाएंगे। जो आज 10 व 11 हजार के बीच देते हैं, वह हम 15 हजार देने की क्षमता में आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी हैल्प हमें होगी।

कंवरसेन लिफ्ट 1974 में कम्प्लीट हुई। इसका मेंटिनेंस किसी ने नहीं कराया। पानी के लोस हो रहे थे, आपरेशनल लोस थे, 200 करोड़ देकर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

इसका रिहैबिलिटेशन दो साल के अन्दर पूरा कराया जायेगा। यहां पर 4 पम्पिंग स्टेशन हैं 200 करोड़ के अन्दर, एनर्जी सेविंग कम्पनीज के थ्रू इसको भी कराने का काम है। एक मुख्य बात कहना चाहती हूं हरिके बैराज। 15 हजार क्यूसेक्स इसकी कैपेसिटी है। हमारी कैनाल की है 18 हजार 500 क्यूसेक्स... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बस, लास्ट एक सैकण्ड में कन्क्लूड कर रही हूं, एक और पाइंट के साथ। इसके बैंक पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। पहले यहां की गवर्नमेंट थी वह बहुत रिलक्टेंट थी। चीफ मिनिस्टर ने 2019 में वार्ता की। दो चीफ इंजीनियर की कमेटी बनाई गयी और यहां पर एग्रीमेंट हुआ। मुझे लगता है कि कोई गेट या अदर तरीके से, बैराज पर या तो डैम की सम्भावना तय करके इस कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

लास्ट में, अभी क्लोजर चल रहा है 21 मई से 28 मई तक। क्लोजर के अन्दर पी.एच.ई.डी. का रोल भी आता है। पी.एच.ई.डी. का रोल आता है कि इस टाइम में वह अपने एक दिन का क्लोजर लेकर, किसी तरीके से डिग्गी और भण्डारण का काम करेगी, पर क्या वह कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता, यहां अगर इस तरीके से काम होगा। मैंने कल की कटिंग देखी थी, इसमें तो किसी को, दौसा के किसी चीफ इंजीनियर को हैड बनाने की जरूरत है, जिसकी भ्रष्टाचार में फाइल लम्बित है। मंत्री महोदय जी, उसकी चार्जशीट पर दस्तखत नहीं करें। अगर क्लोजर के अन्दर इस तरह के अधिकारियों को देंगे, पी एच ई डी का मैनेजमेंट इसके अन्दर इन्वाल्व है, किस तरीके से आप यहां पर कराएंगे।

जे जे एम को, जिसको भी पी एच ई डी के अधीन लिया गया है, पिछले साल भी हमने देखा कि पी एच ई डी की ट्यूबवैल, मार्च आ गया अभी तक तो आपने की ही नहीं। कंटींजेंसी का पीरियड आ रहा है। अप्रैल-मई ऐसा महीना है जिसमें पानी के लिये हाहाकार होती है। मुझे लगता है जे जे वाई जिन ट्यूबवैल को पी एच ई डी के अधीन..

श्री सभापति: धन्यवाद।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): उनकी एक सूची बनाकर, उनकी सैंक्शन निकालनी चाहिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री बलवीर लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, अभी

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

ओसियां से आने वाली माननीया विधायक जी कह रही थीं, मोदी जी ने सात सालों में क्या किया। जो मोदी जी ने किया वह कांग्रेस सरकार 60 सालों में नहीं कर सकी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज किसानों की आमदनी दुगुनी है। किसान का नरमा-कपास बाजार में 5-6 हजार में बिकता था, आज नरमा-कपास का भाव प्रति क्विंटल 12 हजार रुपये है। गेहूं का भाव 2,500 रुपये हैं। सरसों 3 हजार या 3 हजार 200 में बिकती थी आज सरसों का भाव 7 हजार 500 रुपये है। जौ 1200-1500 रुपये बिकता था, आज जौ 3200-3500 रुपये बिक रहा है। (व्यवधान)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे लम्बी व बड़ी परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण गंग नहर की तर्ज पर महाराजा सार्दुल सिंह जी बीकानेर द्वारा की गयी परिकल्पना के आधार पर किया गया था। इस परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। इस परियोजना से राजस्थान के 10 ज़िलों में पेयजल व सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है। इससे राजस्थान का आर्थिक विकास, कृषि एवं बंजर भूमि विकास और वृक्षारोपण आदि क्षेत्र का विकास सिंचित क्षेत्र में शामिल था। इस रेगिस्तानी इलाके की प्यास बुझाने हेतु इसका सर्वे तत्कालीन इंजीनियर रायबहादुर कंवरसेन द्वारा सन् 1948 में किया गया था।

सभापति महोदय, हरिके बैराज का निर्माण 1952 में हुआ और भारत सरकार द्वारा रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता 1995 में तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया। आई जी एन पी कैनाल बनाने की अनुमति सरकार द्वारा 1957 को जारी कर दी गयी एवं तत्कालीन केन्द्र सरकार के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 31 मार्च, 1958 को इस महती परियोजना की नींव रखी गई। दिनांक 10 सितम्बर, 1958 को नहर बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड का चेयरमैन इंजीनियर रायबहादुर कंवरसेन को बनाया गया। इस नहर का निर्माण दो चरणों में हुआ। पहला चरण 1958 से 1972 तक व दूसरा चरण 1972 से 1986 तक चला। इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा 11 अक्टूबर, 1961 को किया गया। शुरू में इस परियोजना का नाम राजस्थान कैनाल के नाम से था परन्तु 2 नवम्बर, 1984 को इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। आज इस परियोजना को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परियोजना का नाम बदलकर महाराजा गंगासिंह के नाम से कर दिया जाये।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

पोंग डैम के निर्माण के समय इस बांध की क्षमता 1430 फीट थी, परन्तु 1988 में आतंकवादियों द्वारा इंजीनियर्स पर हमला होने के कारण पोंग बांध का लेवल 1390 फीट तक भराव क्षमता कर दिया गया था। 1390 फीट से 1410 फीट तक के कैचमेंट एरिया में हिमाचल प्रदेश के भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करके अवैध खेती करवाई जा रही है। पोंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में भूमि दी गयी फिर पोंग बांध बहाव क्षेत्र में उन्हीं किसानों द्वारा अवैध खेती की जा रही है एवं पानी को अवरूद्ध किया जा रहा है जिससे वहां के क्षेत्रीय नेताओं के प्रभाव से अवैध काश्त की जा रही है।

वर्षा ऋतु के बाद 15 सितम्बर को 1390 फीट से लेवल ऊपर होने के बाद बढ़े हुए पानी को हुसेनीवाला हैड से पाकिस्तान की ओर छोड़ दिया जाता है। यदि इस पानी को हुसेनीवाला हैड से पुरानी बीकानेर कैनाल में छोड दिया जावे तो गंगनहर के किसानों को यह पानी मिल सकता है। 1390 फीट से ऊपर एक फीट में 3300 क्यूसेक्स के लगभग पानी स्टोरेज होता है। सभापति महोदय, अत: कैचमेंट एरिया बढ़ाया जाये एवं डैम में 1410 फीट की भराव क्षमता पूरी करवाई जावे, ताकि आई जी एन पी में किसानों को एक-दो बारिशों के लिये आंदोलन नहीं करना पड़े।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा सिंचाई पानी के लिये समय पर रेगुलेशन नहीं बनाया जाता। अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से नहरों में पानी छोड़ा जाता है। किसान को यह पता नहीं चलता कि मेरे खेत में पानी कब आयेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे में किसान फसल बिजाई कैसे कर पायेगा।

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि समय पर रेगुलेशन जन प्रतिनिधियों एवं विकास संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति से लागू हो। वर्ष 2021 में ख़रीफ़ की फसल का रेगुलेशन समय पर तय नहीं किया गया था। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): गर्मी में 21वें दिन की बारी खाली जाने पर, 28वें दिन पानी मिलने पर किसानों की आमूल-चूल फसल नष्ट हो जाती है। (व्यवधान) इसलिये यह सुनिश्चित किया जाये कि गर्मी में

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

ख़रीफ़ की फसल के लिये 21वें दिन से पहले-पहले पानी मिले। रबी में 28 से 35 दिनों से पहले-पहले पानी मिलना तय हो, अन्यथा फसलें उजड़नी तय हो जाती हैं।

हरिके हैड की 18,500 क्यूसेक्स की क्षमता के मुताबिक गेटों का निर्माण हो ताकि फ्लड आने पर हरिके हैड पर नदी के लेवल को डाउन न करना पड़े एवं पानी का उपयोग आई जी एन पी में लिया जा सके। मौके पर 15 हजार क्यूसेक्स पानी के ही गेट हैं। गत वर्षों में फ्लड आने से पंजाब के 100 गांवों में चार-चार, पांच-पांच फीट पानी भर गया था जिसे निकालने के लिए हरिका पोंड गिराया गया, जिससे चार दिनों के लिए आई.जी.एन.पी. कैनाल की शाखाएं एवं वितरिकाएं बंद हो गयीं, किसानों की बारियां आयीं और फसल बरबाद हो गयी।

हरिके हैड का संचालन बी.बी.एम.बी. के नीचे हो ताकि यह राजस्थान को जितना पानी लिखा जाये, उतना पानी मिल सके। गत वर्षों में राजस्थान को हरिके हैड से लगभग 5 से 1000 क्यूसेक्स पानी कम मिला, जिससे टेल जोन पिट जाता है। माननीय सभापति महोदय, बी.बी.एम.बी. में राजस्थान के स्थायी सदस्य की नियुक्ति करवायी जाये, ताकि राजस्थान अपने हिस्से का पूरा पानी लेने की पैरवी कर सके।

माननीय सभापति महोदय, 1981 के समझौते के मुताबिक राजस्थान का शेयर 8.6 एम.ए.एफ. है जबकि 8 एम.ए.एफ. के हिसाब से राजस्थान का शेयर तय किया जाता है, परन्तु अक्टूबर, 2005 के प्रस्तावित प्रपोजल से 19.63 लाख हैक्टेयर के पानी की कमी के रहते रकबा 16.17 लाख हैक्टेयर करके सी.सी.ए. फ्रीज किया गया था। माननीय सभापति महोदय, सी.सी.ए. फ्रीज के अनुसार 16.17 लाख हैक्टेयर का रकबा 2009 में पूर्ण निर्माण कर लिया गया था फिर भी आज तक 0.6 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को नहीं दिया गया जो कि 3 लाख क्यूसेक्स पानी होता है और इससे आई.जी.एन.पी. की सभी नहरें 30 दिन तक चल सकती हैं अर्थात् सभी किसानों को दो-दो पानी की बारियां मिल सकती हैं। हर साल एक-दो बारी, सिंचाई का पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की फसलें बरबाद हो जाती हैं और सिंचाई के पानी के लिए किसानों को आन्दोलन करने पड़ते हैं। आई.जी.एन.पी. का स्काडा सिस्टम को दुरुस्त कर प्रभावी ढंग से स्थापित किया जाये जिससे अन्तिम छोर के किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सके।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाये। चूंकि, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण की राशि स्वीकृत होने पर भी गत वर्षों में पंजाब द्वारा यह राशि खर्च नहीं किये जाने से यह राशि लैप्स हो गयी थी अत: हरिके हैड से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भविष्य में निर्माण राजस्थान के इंजीनियर्स द्वारा ही करवाया जाये ताकि निर्माण कार्य में लीपापोती न हो, क्योंकि गत वर्षों में पैच वर्क कार्यों में पंजाब के अधिकारियों द्वारा केवल खानापूर्ति ही की गयी एवं कार्य में भ्रष्टाचार किया जाता रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 7.59 एम.ए.एफ. शेयर होते हुए भी 6.99 एम.ए.एफ. शेयर तय होता है जो पूरे वर्ष का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्या, क्या बोलना चाह रही हैं आप?

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह पांच पन्ने वर्बेटम पढ़ चुके हैं। आंकड़े पढ़ते तो ठीक है, एक पढ़ दिया, दो पढ़ दिया, सारी ही वर्बेटम पढ़ रहे हैं।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): जो आंकड़े हैं वे ही पढ़ेंगे। मैडम, मेरे आंकड़ों को आप चैलेंज कर देना।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): वर्बेटम पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना कम्प्लीट करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 7.59 एम.ए.एफ. शेयर होते हुए भी 6.99 एम.ए.एफ. से यह शेयर तय होता है जो पूरे वर्ष का 35 लाख क्यूसेक्स व 9589 क्यूसेक्स प्रतिदिन का बैठता है। पूरे सिस्टम की नहरों में 10652 क्यूसेक्स की डिमांड है, लगभग 1093 क्यूसेक्स पानी शोर्ट हो रहा है। निर्माण होने के बाद 16704 क्यूसेक्स के नहरों का, नहरों को चार में से दो ग्रुप चलाने के लिए 8352 क्यूसेक्स सिंचाई हेतु, 1100 क्यूसेक्स फीडर लोसेज एवं 1200 क्यूसेक्स अनिवार्य

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

आवश्यकता का जोड़ने पर कुल 10652 क्यूसेक्स प्रतिदिन की आवश्यकता रहती है। पूरे वर्षभर के लिए पानी 78 लाख 87 हजार 980 क्यूसेक्स या 7.78 एम.ए.एफ. पानी चाहिए, जिसमें से यह 2300 क्यूसेक्स अनिवार्य आवश्यकता एवं फीडर लोसेज 1.68 एम.ए.एफ. के बाद शेष 6.10 एम.ए.एफ. सिंचाई के लिए चाहिए जबकि पूरे वर्षभर स्वीकृत 1981 के समझौते के अनुसार 5.91 एम.ए.एफ. ही है जबकि 2001 से औसतन इसका आधा ही पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पानी की कमी के चलते ही किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, नदियों से नदियों को जोड़ने हेतु योजना बनाई जाकर यमुना नदी का पानी राजस्थान में लाया जाये तो आई.जी.एन.पी. के किसानों का भला हो सकता है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सरहिंद फीडर का निर्माण होने के बाद सरहिंद फीडर की करणीसिंह ब्रांच, सार्दुल ब्रांच को पानी सरहिंद फीडर से दिया जाये न कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। 496 आर.डी. लोहगढ़ हैड से क्योंकि यह भाखड़ा की एक अलग परियोजना है, केवल निर्माण जैसी परिस्थितियों में ही 496 आर.डी. से पानी दिया जाये। आई.जी.एन.पी. के सी.सी.ए. को क्लाज किया जाये ताकि किसान सकते में न रहें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): आदरणीय सभापति महोदय, शाहपुर कंडी डैम निर्माणाधीन है, स्थिति स्पष्ट करायी जाये कि कहीं राजस्थान राज्य को नुकसान तो नहीं हो रहा है?

श्री सभापति: थैंक यू वेरी मच। श्री बलवान पूनियां। दस मिनट का टाइम है आपके पास। दस मिनट। (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सिंचाई जल की कमी के रहते आई.जी.एन.पी. क्षेत्र के सभी किसान सकते में हैं कि आने वाले समय में खेती कैसे होगी। ऐसे इलाके में जनता का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दस मिनट।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): किसानों को आन्दोलन करना पड़ता है।

श्री सभापति: थैंक यू, धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आई.जी.एन.पी. जो दुनियां में स्वेज नहर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सपना है और यह सपना देखने वाले लोग भविष्य के निर्माता थे।

माननीय सभापति महोदय, बुजुर्ग बताते हैं कि जब यह नहर बन रही थी तो मसीतावाली हैड के बाद जब यह बीकानेर पूगल की तरफ चली तो ऐसे धोरे थे जिनके अन्दर लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि यहां पर खेती कैसे होगी। इंजीनियरों का कमाल था, रात-दिन की मेहनत थी। मेरे सूरतगढ़ से आने वाले साथी एक बात को बताना भूल गये कि उन आस-पास के सारे गांवों के लोग ऊंटों से और दूसरे पशुओं, वैशाखनन्दन से इतना काम करा कि इंजीनियर्स की मदद हुई।

माननीय सभापति महोदय, 1956 में जिस नहर का उद्घाटन हरिके बैराज से हो गया था वहां 1961 में गोविंद बल्लभ साहब ने मसीतावाली हैड पर पानी पहुंचने पर उद्घाटन कर दिया था महज पांच साल में। मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इंजीनियर्स को इस बात के लिए तो धन्यवाद करूंगा कि यह तीस दिन की, चालीस दिन की बंदी के अन्दर काम कर रहे हैं, बंदी बढ़वा नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तीन साल से यह लगातार हम बंदी ले रहे हैं और हमारी सावनी की फसल, पूरी की पूरी नरमे की फसल, यह जो 12 हजार भाव बता रहे थे, रज़ाई में डालने के लिए 12 हजार भाव, किसान की मंडी में नरमा नहीं बचा है क्योंकि बिजाई कर ही नहीं पा रहे हैं। आई.जी.एन.पी. में सबसे ज्यादा बिजाई नरमे की होती है। कर ही नहीं पा रहे हैं। मेरा इंजीनियर्स से यह आग्रह है कि इतनी टेक्नोलॉजी है, जो पूरे का पूरा पोर्शन आपको, पंजाब में जो करीब 170 किलोमीटर का पूरा पोर्शन इसको एक साथ करना चाहिए जो बचा हुआ है उसको। उसके बाद इसकी री-लाइनिंग। जो सेम की समस्या पैदा हुई, वह सेम की समस्या भी इसीलिए पैदा हुई कि यह लाइनिंग बैठ गयी। एक सबसे बड़ी बात लाइनिंग बैठने के साथ-साथ आप खुद देखेंगे कि पूरी नहर पर, आप निकल जाइये पूरे राजस्थान में जहां से एंटर करते हैं, आप तो उस जिले में रहे हैं, टिब्बी के क्षेत्र के सारे पुल, रावतसर के क्षेत्र के सारे पुल, घड़साना तक के सारे के सारे पुल अन्दर बैठ गये और वे पुलियाएं टूट रही हैं, उसकी वजह यह है कि वह लाइनिंग धंसी। लाइनिंग धंसने की वजह से पूरे इलाके में सेम समस्या आयी हुई है। सूरतगढ़ का क्षेत्र सेम से प्रभावित है, रावतसर का क्षेत्र सेम से प्रभावित है, टिब्बी का क्षेत्र सेम से प्रभावित है।

(श्री बलवान पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, इसमें इतना लीकेज और सीपेज है, जो आकड़ा मान रहे हैं कि 1200 क्यूसेक्स, प्रतिवेदन में दिया है कि 1200 क्यूसेक्स लीकेज और सीपेज है, इससे कहीं ज्यादा है। इस री-लाइनिंग की वजह से, मैं यह धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसकी तेजी बढ़ाई जाये, इसकी री-लाइनिंग की वजह से पानी बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारी सदस्या ने एक जिक्र किया कि जो हरिके बैराज के पास एक गुरुद्वारा जहां से इसके 15 गेट हैं, इन गेटों की संख्या बढ़ाई जाये। मैं मौका देखकर आया हूं, गुरुद्वारे और उसके बीच में भी अभी जगह है। गुरुद्वारा साहब को कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बीच में ही इतनी जगह है कि जो हमारा चीफ इंजीनियर, हमारे इंजीनियर का जो कार्यालय बना हुआ है, उसके पास इतनी जगह है कि हम पांच गेट और बना सकते हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़े। 18500 क्यूसेक्स की नहर मात्र 11000 पर आकर अटक गयी। 2004, 2005 और 2006 का आन्दोलन था, वह इसी बात का था कि, साहब, पानी हम पूरा नहीं ले पा रहे हैं, पानी कैपेसिटी के अनुसार पूरा लीजिए। उसके बाद री-लाइनिंग का काम शुरू हुआ। काम शुरू होतेहोते 2004-05 के आन्दोलन में 9 लोगों की कुर्बानी हुई थी, 6 की नहीं हुई थी और लोग जेलों में गये थे। लाठियां चलीं, आंसू गैस के गोले चले और सेना को उतारना पड़ा, उसके बाद विभाग खड़ा हुआ और विभाग ने री-लाइनिंग का किया शुरू करा, उस पर खर्चे शुरू किया।

माननीय सभापति महोदय, उस खर्चे के बाद इंदिरा गांधी नहर पर आज तक हम उस स्पीड से काम नहीं कर पाये जिस स्पीड से यह काम होना चाहिए। कहने को तो सारे लोग यह कहते हैं, दस जिलों में यह पेयजल का पानी जाता है। दस जिलों में यह पेयजल का पानी और 2004 से पहले जब 1995 में इसका काम प्रथम चरण का लगभग पूरा हो चुका था, इसके बाद द्वितीय फेज जब शुरू हुआ, तेजी से इसको और तेजी से बढ़ाया जा सकता था, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया जहां, आज इस गम्भीरता के साथ में सारे साथी बात कर रहे हैं, यहां तक भी चिंता कर रहे हैं कि कैचमेंट एरिया में जो लोग अनूपगढ़ क्षेत्र में जिनको यह मुरब्बे मिले थे, वे यहां से जमीन बेचकर कैचमेंट एरिया में वापस चले गये। जहां से उठे हैं, वहीं पर चले गये। इसलिए डैम में पूरा पानी भर ही नहीं रहे हैं हम। दस फीट डैम हर बार खाली रहता है। उस समय जब पानी स्टोरेज करने की जरूरत होती है, उस समय

(श्री बलवान पूनियां)

हुसेनीवाले हैड से जो गेट, जिनकी मरम्मत हुई ही नहीं, इतना पानी निकलता है कि ढाई-तीन हजार क्यूसेक्स को आप रोक लो तो भी पानी निकलता है, उस स्थिति में हम पानी को कण्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति यह आ जाती है कि जनवरी, फरवरी में हम एक-एक बारी के लिए लड़ते हैं और एक-एक बारी के लिए तरसते हैं। यह चिन्ता हमारी है। टेल के लोग हम हैं इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा चिन्ता हमारी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी का, कि वह गये तो सही। मैं कहना चाहता हूं कि वे सिर्फ पंजाब में चण्डीगढ़ में मीटिंग करके नहीं आये हैं, अबकी बार मंत्री महोदय, आप दौरा रखिये और पंजाब के उस हैड पर जाइये, आप हरिके बैराज पर जाइये और उस डैम का निरीक्षण करके आइये। आप देखिये किस तरीके से सतलज के दरिया का पानी पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान हमसे मुआवजा क्लेम करता है कि हमारी फसलें बरबाद हो जाती हैं। रामप्रतापजी का सुझाव गलत नहीं था। ये लोहगढ़ हैड पर एक और रेगुलेटर बनाने की बात कर रहे हैं और अभी दिव्याजी कह रही थीं कि जो पानी पाकिस्तान जाता है, वह पानी हम बीकानेर कैनाल से हमारे क्षेत्र में ले सकते हैं।

सभापति महोदय, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसका अगर 18 हजार क्यूसेक्स पूरा पानी हम ले लें तो आप दस जिलों में ही नहीं, आप इसका विस्तार कर सकते हैं। उस समय 2005 में राठौड़ साहब डर गये थे। इन्होंने एकदम पैर चौड़े कर दिये और यह कह दिया कि हम कोई एरिया नहीं बढ़ायेंगे। इन्होंने 16 लाख से घटाकर, तीन लाख हैक्टेयर जमीन अन-कमाण्ड कर दी थी। क्यों कर दी जमीन अन-कमाण्ड? जमीन अन-कमाण्ड करने की जरूरत नहीं थी, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी, कार्ययोजना को और मजबूत करने की जरूरत थी।

खालों के बारे में अभी मेरे साथ जिक्र कर रहे थे कि मोदीजी ने किया। बहुत अच्छी बात है। मोदीजी ने बहुत अच्छा काम किया, 2014-15 में सी ए डी खतम कर दी। एक पैसा खाले का नहीं आ रहा। अब मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की है बजट में, कि इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में खाला निर्माण होगा। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। केन्द्र से तो 2014-15 में सी ए डी विदा कर दी इन्होंने।

सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर का एरिया और बढ़े, हम इसके पक्ष में हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने

(श्री बलवान पूनियां)

साहवा लिफ्ट कैनाल के लगते हुए हमारे क्षेत्र को कमाण्ड करने की घोषणा की है। मंत्रीजी आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इंजीनियर हमारी नहर जल्दी बना देते हैं, अभी वहां एग्रीकल्चर कालेज खुले हैं, वहां अनार की खेती पैदा होगी, अंगूर लगेंगे, कोयल बोलेंगी, किसान अन्न पैदा करेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी तो सात मिनट हुई है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: दो मिनट बाकी हैं। आप बोलो।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर, जिसके दम पर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया और दस जिलों में पेयजल की बात चल रही है, जहां पेयजल देना है, वहां पाइपों से पानी दें और उसका कन्ट्रोल सही रखें तो हम यह पानी और ज्यादा लोगों को पिला सकते हैं।

सभापति महोदय, अभी जिक्र कर रहे थे कि हरीशजी पंजाब रह कर आये, कई दिन जाकर आये। इन्होंने कहा कि मुझे इलाका देखने का मौका मिला जहां से दूषित पानी आ रहा है और सारा का सारा कचरा इस नहर में डाला जा रहा है। दस के दस जिलों में जहर पिलाया जा रहा है, सभापति महोदय। जिस इन्दिरा गांधी नहर के पानी से ईंट को लूणी नहीं लगी थी। खाजूवाला में आपने उस समय खाले बना दिये थे मंत्रीजी, जिस समय वहां आदमी नहीं थे, बहुत कम आदमी थे और ऐसे खाले बने जो आज तक खराब नहीं हुए लेकिन पिछले सात-आठ साल में जो दूषित पानी आने लगा है, वह ईंटें खराब हो गयीं और आपके सारे खाले खतम हो गये और नहरों की सारी की सारी लाइनिंग खराब हो गयी। आज से दस साल पहले तक यह स्थिति नहीं थी। इतना खतरनाक पानी आता है, जहां गिरता वहां स्पॉट देकर जाता है। इसको नियंत्रण करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, यह इन्दिरा गांधी नहर, इसका हिस्सा नहीं थी कि हम सिंचाई के काम में लेंगे और पेयजल के काम में लेंगे, इससे राजस्थान के सपने और राजस्थान का भविष्य छिपा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमारा 0.6 एम.ए.एफ. पानी पूरा लिया जाये। हमारी कैपेसिटी जो घटकर आज 11 हजार क्यूसेक्स आ गयी, इसको 18 हजार क्यूसेक्स किया जाये। मरम्मत के बाद लीकेज और सीपेज बन्द होंगे तो कैपेसिटी और बढ़ेगी।

(श्री बलवान पूनियां)

हमारे राजस्थान की उपजाऊ जमीन है, जिसका जिक्र अभी तक हमारे साथियों ने किया नहीं। जहां एक बरसात हो जाती है, बीस मन बीघा के चने देती है, ऐसी जमीन है हमारी। हमारी जमीन को एक फसली पानी मिल जाये, चाहे दूसरी फसल पर पानी नहीं, एक फसली पानी मिल जाये तो जमीनें ठण्डी हो जायें जिससे पूरे इलाके में किसान अन्न पैदा कर सकता है। इसलिए यह, प्रतिवेदन आपने जो रखा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपने शुमार कीं। अगली साल जब आप यह प्रतिवेदन रखें तो आप जरूर हमें सूचना करें कि आपकी कैपेसिटी, आज जो हम 11 हजार की बजाय 15 हजार क्यूसेक्स ले रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मंत्री महोदय, आप दौरा करेंगे पूरे इलाके का चीफ सेक्रेटरी साहब को और सारे चीफ इंजीनियर्स को लेकर, आप हरिके बैराज तक जायेंगे, आप उस गुरुद्वारे से लेकर उस पूरे डैम का निरीक्षण करेंगे, एक-एक चीज आंखों से देखेंगे तो राजस्थान के किसानों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। आज आपने इन्दिरा गांधी नहर के प्रतिवेदन पर चर्चा रखी है, इस बात के लिए मैं आसन को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद। किसान एकता जिन्दाबाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर जिसका नाम है, उसका जब काम शुरू हुआ था तब उसका नाम राजस्थान नहर था। उस वक्त के राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वर्गीय मोहन लाल सुखाड़िया ने इस नहर का प्लान बनाया। मोहन लाल सुखाड़ियाजी भी आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे और इस देश के सभी लोगों के दिलों में माना हुआ देशभक्त और काबिल इंजीनियर था कंवरसेन, उसकी सलाह से इस नहर की प्लानिंग हुई। उसने भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार को यह सुझाव दिया कि पंजाब से राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में इस नहर का पानी डाला जाना चाहिए और इतना काम पूरा होने से पाकिस्तान से लगती हुई सीमा से इस देश की सुरक्षा का काम भी यह नहर करेगी। दूसरी बात, पश्चिमी राजस्थान में हर दूसरे साल अकाल पड़ते हैं और इस अकाल में राजस्थान की सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के लोगों के हक का पैसा काट कर पश्चिमी राजस्थान के लोगों को बचाने का काम किया जाता है तो वह भी उनको हक मिल जायेगा। इसकी सारी सर्वे हुई और सर्वे में तमाम देश के इंजीनियर्स और नेताओं ने यह माना कि इस नहर का गुजरात के कच्छ रण में पानी डालेंगे तो पूरा काम होगा।

(श्री अमीन खां)

आखिर में 1980 में जब देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी थीं और राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के मंत्री स्वर्गीय चन्दनमलजी बैद थे और चन्दनमलजी बैद बाड़मेर जिले के गडरा रोड गांव में आये और वहां शिलान्यास किया कि यहां पर नहर का अन्तिम छोर होगा। तब गडरा रोड तहसील नहीं थी, तहसील शिव थी। शिव तहसील के 6 लाख बीघा जमीन में सिंचाई होगी और बाकी गांव में पीने का पानी दिया जायेगा। उसके बाद सी ए डी ने उस 6 लाख बीघा जमीन का सर्वे करके खालों का प्लान बनाया और आदेश हुआ कि यहां सब जगह इस तरह से खाले बनेंगे। आज हमको लोग सुना रहे हैं कि पीछे पानी नहीं है इसलिए अब आपको यहां 6 लाख बीघा की सिंचाई तो दूर रह गयी, पीने के पानी के लिए भी मना कर रहे हैं। अब पानी लाओ तो पीने का पानी नर्मदा नहर से लाओ या जमीन के नीचे जो पानी का सोर्स है, उसका जरिया बनाओ। हम तो यह सोचते हैं कि यह क्या हुआ। ये इतने बड़े जिम्मेदार इंजीनियर, उनको यह पता नहीं था कि अगले टाइम में यह पानी यहां तक नहीं आ सकता इसलिए इस तरह की प्लानिंग बनाना फिजूल है। अगर वह काबिल नहीं थे तो यह सरकार कोई भी रही हो, उसकी जिम्मेदारी है कि जहां देश की सुरक्षा के पाइन्ट आफ व्यू से लोगों में खुशहाली आये, इस प्रयोजन से उस नहर का काम वहां तक पूरा होना चाहिए।

अभी कोई इसके लिए जवाबदार ही नहीं है। अभी ओसियां से आने वाली सदस्या ने आपको डिटेल में बताया, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। तरह-तरह के बड़े-बड़े जानवर नहर में खतम हो जाते हैं, कई इंसान खतम हो जाते हैं। इसका मतलब साफ दिखता है लोगों को कि नहर को देखने वाला कोई नहीं है, यह खुदा भरोसे चल रही है। अगर देखने वाला हो तो जहां सरकार ने कमिटमेंट किया था, उस जगह पानी हर हालत में पहुंचना चाहिए और उस जगह पानी अगर पहुंचेगा तो सबसे बड़ा काम तो यह होगा कि यहां पाकिस्तान की लगती हुई सीमा है, यहां देश की सुरक्षा मजबूत होगी और उस सुरक्षा पर आज जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उन पैसों में भी सरकार की काफी बचत हो जाएगी। देश की जहां तक मजबूती और सुरक्षा का सवाल है, उसका सरकार को कोई ज्ञान ही नहीं। अब हमारे जैसे गंवार आदमियों को बता देते हैं कि पीछे से पानी खतम हो गया। पीछे से पानी खतम हुआ तो प्लानिंग करने वालों का दिमाग इतना तो था कि पानी कितना है और कहां तक पहुंचेगा और किस तरह से पहुंचेगा? वह कोई नाकाबिल आदमी नहीं थे। यह उनका कसूर

(श्री अमीन खां)

कुछ नहीं है? उन्होंने प्लान सही बनाया था? अपने राजस्थान की सरकार की कमजोरी है कि उस पानी को पंजाब दबा ले, चाहे हरियाणा दबा ले। वह मैं मानता हूं कि अपने से ज्यादा ताकतवर है। उनकी ताकत के सामने अपन लड़ाई नहीं लड़ते। एक तो वह कमजोरी, दूसरा जो नहर का मैनेजमेंट है, वह भी बहुत कमजोर है, उसकी देखरेख के लिए भी कोई जवाबदार नहीं है, जिससे सरकार के पैसों की ख्वामखाह बरबादी हो रही है और गरीब किसानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है।

इन्दिरा गांधी नहर बाड़मेर जिले की, मैंने कहा गडरा रोड तक चन्दनमल जी शिलान्यास करके आये थे, वह तो दूर रहा, जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ तहसील तक जाकर बन्द हो गयी। यह क्या हुआ? इसका सरकार के पास कोई जवाब है क्या जबकि देश की प्रधान मंत्री ने चन्दनमल जी बैद को भेजा कि आप वहां घोषणा करके आओ कि गडरा रोड तक इस नहर का पानी जाएगा। आज कोई जवाबदेह भी नहीं है, तो यह अपनी एक कमजोरी है और लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। पंजाब और हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी लड़ाई करनी पड़े तो राजस्थान सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए और हर हालत में गुजरात के कच्छ रण तक इसका पानी ले जाना चाहिए, तभी जाकर यह देश हित में होगा और राजस्थान खुशहाल बनेगा। यही बात कहकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सम्बन्ध में बोलने के लिए समय दिया। माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर हरिके बैराज से राजस्थान में 445 किलोमीटर लम्बी बनी हुई है और हमारे हिस्से का पानी 8.6 एम.ए.एफ. है, जबकि 0.6 एम.ए.एफ. पानी हमारा आज भी पंजाब हमें नहीं दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस नहर के प्रथम चरण एरिया का रहने वाला हूं और हमारे यहां नोर्थ चीफ का दफ्तर भी है। वह दफ्तर जरूर है, उसमें जन-प्रतिनिधियों की बैठक भी होती है और पानी के लिए चर्चा भी होती है पर जो निर्णय जन-प्रतिनिधि करते हैं वह लागू नहीं होता, मंत्री महोदय। चीफ नोर्थ के नाम से बहुत पुराना दफ्तर है और लगभग सिंचित क्षेत्र के उसके आस-पास के विधायक हैं, परन्तु यह निर्णय वहां से होकर पानी की उपलब्धता के आधार पर बीकानेर जाता है और

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

बीकानेर का चीफ इंजीनियर उसको रिजैक्ट भी कर देता है या फिर आपके यहां भेज देता है। मेरा आपसे यह निवेदन है, मुझे बीकानेर से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ यह है कि जब नोर्थ चीफ हनुमानगढ़ में बैठा है, तो पानी के अधिकारों के बाबत उसको निर्णय करने का अधिकार दिया जाए। कारण यदि रेगुलेशन की बात आती है और नोर्थ चीफ से बात करते हैं तो वह कहता है कि आप बीकानेर बात करो। जब नहर के अन्दर डैड बॉडी आ जाती है और उसको निकालने की व्यवस्था नहीं बैठती है, जब नोर्थ चीफ से बात करते हैं तो वह कहते हैं बीकानेर बात करो। यह अधिकार तो चीफ हनुमानगढ़ को दे दो ताकि हमें कोई तकलीफ न हो, क्योंकि राजस्थान कैनाल हनुमानगढ़ जिले के अन्दर सबसे ज्यादा निकलती है और चीफ का आफिस भी वहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नहर के जो पुराने नीति-नियम हैं, उनको चेंज करो और जो नोर्थ चीफ हनुमानगढ़ है, उसको भी ऐसे अधिकार दो ताकि जन-प्रतिनिधि द्वारा जो निर्णय लिये गये हों, उनका निर्णय पूरी तरह से लागू कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1965 में नहर का निर्माण हुआ था और 2018 में प्रथम चरण सुधार आया था।

श्री सभापति: मैं आपको सुझाव दूंगा, माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट रुकें। रिपीटेशन मत करें। मैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब जिलों को देख चुका हूं और यह सारा सिस्टम देख चुका हूं तो इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं आपका जो क्षेत्र है, उसमें सेम की समस्या पर बोलो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): बोल रहा हूं, साहब। हम पीड़ित हैं, हम बताते हैं, आप तो मात्र साल-डेढ़ साल गये थे। जो बात मैंने नोर्थ चीफ के लिए बोली है, वह गलत नहीं बोली है। निर्णय वह लागू करते हैं और तकलीफ हमें होती है। रेगुलेशन हम बनाते हैं और निर्णय करके पानी की क्षमता को वह रिजैक्ट कर देते हैं। जब वहां चीफ आफिस में है तो उसको अधिकार देने की बात करो। जब उसमें डैड बॉडी आ जाती है तब वह कहते हैं कि बीकानेर बात करो, जबकि चीफ वहां बैठा है। ये छोटी-छोटी बातें हैं, साहब, इसलिए हमें पता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर आर.डी. पर पहले बेलदार होता था पर आज एक भी बेलदार की पोस्ट नहीं है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

पहले नहर की पटरी बहुत सुरक्षित होती थी और नहर पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था क्योंकि बेलदार वहां उस पर घूमता रहता था। बेलदार पटरी पर पानी छिड़कता था। आज नहर की पटरी की स्थिति बहुत खराब है जिसके कारण से नहर क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है। मेरा आपसे निवेदन है आज उसके जो हालात हैं, वह सिर्फ बेलदारों के कारण बिगड़ी हुई है कि बेलदार समय पर नहर पर होता तो वह अधिकारी को सूचना दे देता कि यहां से नहर बैठ गयी, यहां पर पटड़ा धंस गया, परन्तु आज वहां पर बेलदारों की एक भी पोस्ट नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि उन पटड़ों को सही कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर 1980 के अन्दर सेम में आयी थी। मैं उस प्रथम चरण का हूं, सेम की पीड़ा हमें भी है। रावतसर मण्डी सबसे पहले सेम के अन्दर आयी थी और 1980 के अन्दर सेम के आने के कारण से उस भूमि के अन्दर पांच-पांच, सात-सात फीट पानी का भराव हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सर्वे करवा लीजिए टिब्बी, बिशनावाली, रावतसर, गंदेली, कनवाडी, 15-16 KLD, कल्याण मल ढाणी, जाखड़ा वाली, मोसलपुरिया तक, भैंरूसर, 18 SPD बढोपल, ठाकुर वाला चक, जूरिया वाला चक, मालियाखेड़ी कृषि भूमि, जो हजारों बीघा कृषि भूमि है, वह आज लवणीय हो गयी है और बंजर भूमि होकर पड़ी है। सेम तो वहां से निकल गयी और वहां सेम नाला निकला जिसके कारण से पानी तो चला गया, परन्तु भूमि बहुत लवणीय हो गयी और उस भूमि के अन्दर आज फसल नहीं होती। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण की बहुत बढ़िया जमीन है, यह जमीन सोना उगलती है। उससे जो फसल होगी उससे सरकार को टैक्स भी आएगा। यदि आप उसमें सुधार के लिए कुछ कर सकते हो, पानी भी उसका बंधा हुआ है, उसमें सुधार करने से हुए निश्चित रूपसे उस सेम भूमि में वापस लोगों की हरी-भरी फसल हो जाएगी, यदि आप प्रथम चरण के अन्दर ध्यान देना चाहते हो। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं।

हमारे यहां पर पहले प्रथम चरण के खाले बने थे और यह 30-40 साल पहले बने थे, आज वह जर्जर हो चुके हैं। प्रथम चरण के लिए मेरा निवेदन है कि जैसलमेर-बाड़मेर में तो आप खाले वापस बना रहे हैं, परन्तु इसमें भी जो खाले जर्जर हो गये हैं, जो 40 साल पहले बने थे, उनको वापस बनाएं। काश्तकारों के खेत में पानी ले जाने में कठिनाई आती है। इसी प्रकार भाखड़ा में भी इन खालों से दिक्कत आ रही है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि काफी बरस पहले नहर बनने के कारण इसकी क्षमता घट गयी है। अभी क्षमता की बात कर रहे हैं, 18 हजार क्यूसेक्स की क्षमता है, परन्तु आज उसमें 11-12 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं चल सकता। इसका कारण यह है कि इतनी दलदल हो गयी, 82 से 84 आरडी, यह मैं एक विशेष पाइंट कह रहा हूं, आप भी कभी जाओ तो वहां देख लेना। नहर का काम पीछे शुरू हुआ था। यह वह एरिया था जहां से रिसाव हुआ था, लेकिन जब नहर का काम शुरू हुआ तो यहां पर अधिकारियों ने किसी प्रकार से गौर नहीं किया जबकि मैं वहां 15 बार गया। वहां बार-बार चेताता रहा कि यह बहुत ही गम्भीर पाइंट है। हमारे जीवन का सवाल है। यह नहर भी हमारी जीवनदायिनी है। इसका जो निर्माण कार्य हो रहा है, इसको सही से देखो, लेकिन अधिकारियों ने किसी प्रकार से सही ढंग से नहीं देखा। वहां दलदल के कारण से गाड़ियां फंस गयीं। वहां देखा और उनको चेताया कि यह टांके भरो, लेकिन वह नहीं भरे जिसके कारण से वापस वाल्व गिरा दिया।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उससे पहले 2019-20 में भी काम हुआ था। वह भी लखवाली हैड के पास, जहां से सूरतगढ़ ब्रांच निकलती है। वहां से पानी इतना बहा जिसके कारण से पीछे जो बैक बना था, वह भी ऊपर आ गयी। मंत्री महोदय, अब जो आप काम करो, उस पर आप कमेटी बनाओ और यहां से भी आदमी भेजो। काम तो फिर चलेगा ताकि जिस सेम से हम पीड़ित हैं, इस रिसाव के कारण से ही हमारी स्थिति दयनीय बनी है। इस रिसाव को रोकने के लिए क्वालिटी पर ध्यान दीजिये। आप चीफ इंजीनियर को कहिये कि आप नहर पर जाइये। नहर पर जाते नहीं हैं और वहां बैठे-बैठे काम करते हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एक मिनट, सर। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर सरकार ने 2008 से 2013 के कार्यकाल में एटा-सिंगरासर माइनर की घोषणा की थी लेकिन वह एटा सिंगरासर माइनर नहीं बनी, लेकिन अब नोहर-भादरा में 30 गांवों को पानी की बात की। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पानी आपके पास है नहीं और आपने डी पी आर एटा-सिंगरासर की बना ली लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ है। वहां आन्दोलन भी होते हैं। यदि पानी बचाने की

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

बात करें तो आप एटा-सिंगरासर में पानी नहीं दे सके तो नोहर-भादरा में पानी कैसे दे सकते हो?

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि पीछे घग्घर नदी में आज से 4 महीने पहले पानी आया था। उस पानी के कारण से हमारी हजारों बीघा में फसलें बरबाद हुई थीं। वह आगे जाकर के जमीनों में फैल गया, जिसके कारण हजारों बीघा फसल खराब हो गयी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो हजारों क्यूसेक्स पानी था, यदि आप राजस्थान कैनाल में डालोगे तो निश्चित रूप से पानी एटा-सिंगरासर माइनर को मिलेगा, जिससे वह योजना शुरू होगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि घग्घर नदी जो हरियाणा से आती है, उसके पानी को राजस्थान कैनाल में समायोजित करें ताकि जो हमारे यहां पानी की कमी है, वह पूरी हो सके। एटा-सिंगरासर माइनर को भी पानी मिल सके। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्थान में कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, निश्चित रूप से पानी उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस प्रदेश की 70 परसेंट आबादी खेती पर आधारित है। करीब-करीब 30 परसेंट जी डी पी खेती से आती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी कैनाल पर सदन में चर्चा करना बहुत ही जरूरी था, मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं 2013 से 2018 के बीच में जाना चाहूंगा। हमारे विपक्ष के साथी बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कर रहे थे। राजस्थान की 1952 के बाद पहली सरकार है जब 3 साल में पानी को लेकर एक भी आन्दोलन नहीं हुआ। आये दिन धरने, प्रदर्शन होते थे। सीसेड़ की वह घटना भी मुझे याद है जब किसान मुख्य मंत्री जी से पानी मांग रहे थे तो लाठीचार्ज किया गया था। 302 के मुकदमे आज भी उनके खिलाफ दर्ज हैं। उनकी आज भी किसी ने परवाह नहीं की।

इन्दिरा गांधी कैनाल राजस्थान की लाइफ लाइन है। इससे करीब 19 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है। 1200-1300 क्यूसेक्स पीने के पानी या

(श्री जगदीश चन्द्र)

दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको 1977 में ले जाना चाहता हूं जब इन्दिरा गांधी कैनाल के एक्सपांशन की बात आई थी। कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने नहर की कैपेसिटी से दुगुनी जमीन अलाट कर दी। उस समय कौन मुख्य मंत्री था राजस्थान का? राजस्थान में इन्हीं की पार्टी के मुख्य मंत्री थे। नहर की कैपेसिटी से ज्यादा जमीन अलाट कर दी। नहर की कैपेसिटी 18 हजार क्यूसेक्स के आस-पास है। आपने जमीन अलाट इतनी ज्यादा कर दी तो निश्चित रूप से पानी की कहीं न कहीं कमी रहेगी। मैं राजस्थान सरकार का, मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले बजट में और इस बजट में नहर की मेंटिनेंस के लिये, री-लाइनिंग के लिये 750 करोड़ के आस-पास व्यवस्था की है। पिछले बजट में भी व्यवस्था की गयी थी। करीब-करीब 1500 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही जो सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग का काम था, जहां से इस नहर में पानी आता है, उसमें भी पिछली दफा 3 हजार करोड की व्यवस्था की थी। इन्दिरा गांधी कैनाल हमारी लाइफ लाइन है। इस पर राजस्थान के करीब 12-13 जिले डिपेंड हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी की मंशा थी कि किसान को पूरा पानी मिले।

मुझे वह समय भी याद है जब पानी के लिये आये दिन आन्दोलन होते रहते थे। मुझे वह समय भी याद है जब 1984 में इस देश में किस तरह का कत्लेआम हुआ था। 2 लाख नौजवान पंजाब में शहीद हुए थे। पानी को लेकर 2 लाख का कत्लेआम हुआ था। अकाली दल की सरकार ने बार-बार पानी को लेकर इस देश में आन्दोलन किया। अकाली दल की सरकार को किन लोगों का समर्थन था? इन्हीं लोगों का समर्थन था। तब यह पानी के लिये कभी नहीं बोलते थे। अब यह नरेन्द्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, गजेन्द्र सिंह जी की बात यह कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सिंचाई का मंत्री देश में कौन है? गजेन्द्र सिंह जी मंत्री हैं। बी बी एम बोर्ड को भंग कर दिया गया। 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बी बी एम बी के बनने हैं, उसमें अगर राजस्थान का एक बना सकते हैं तो इनको बनाना चाहिए। बार-बार बात करते हैं कि राजस्थान का आदमी होना चाहिए। आज दिल्ली में सरकार किसकी है? इनकी सरकार है। एक्ट में एमेंडमेंट कर दिया तो क्यों नहीं बना देते हैं? कहां दिक्कत आ रही है? राजस्थान का 135 किलोमीटर का

(श्री जगदीश चन्द्र)

हिस्सा आता है। बाकी पंजाब का इसमें आ रहा है मेन फीडर का, उसका मेंटिनेन्स उनके हाथ में है। एक बेलदार था, उसकी भी डैथ हो गयी थी। आज वहां कोई बेलदार नहीं है। एक एक्स.ईएन. है, उसको भी एडिशनल चार्ज दे रखा है। कोई ए ईएन. वहां नहीं है। जहां 4-4, 5-5 आदमी का स्टाफ है, उसमें निश्चित रूप से कमी है, इसको हमें मानना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब तक हमारा कोई चौकीदार नहीं होगा तो हमारा पानी चोरी होगा। उसकी पहरेदारी करनी अति-आवश्यक है। बार-बार हमारे साथी कह रहे हैं कि राजस्थान का जो कुल हिस्सा है पानी का वह 8.6 एम.ए.एफ. है और 7.59 मिल रहा है। यह क्यों मिल रहा है? हमारे पास कोई बर्तन था क्या? हमारे पास पानी स्टोर करने की कोई कैपेसिटी नहीं थी। मुख्य मंत्री जी ने जो पैसे का प्रावधान किया नहर के मेंटिनेंस के लिये, री-लाइनिंग के लिये, जिस दिन यह व्यवस्था हो जायेगी तो हम हमारे पानी का पूरा हिस्सा ले पायेंगे और राजस्थान की जनता को इस पानी का लाभ दे पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरी योजना के लिए करीब-करीब 6,03,095 करोड़ के आस-पास हम खर्च कर चुके हैं। इतना पैसा खर्च करना कोई छोटी बात नहीं थी। जब-जब भी कांग्रेस की सरकार रही है नहर का ध्यान दिया है। खास कर के सिंचाई पर ध्यान दिया है। बार-बार हमें एक साथी कह रहे थे कि इसका नाम बदलकर गंगासिंह जी के नाम से कर दिया जाये। 1927 में गंग कैनाल आई थी, उसकी पहली बार मेंटिनेंस के लिये अगर पैसा दिया था तो अशोक गहलोत की सरकार ने 446 करोड़ रुपये दिया था। अब दुबारा इस बजट के अन्दर भी फिरोजपुर फीडर के माध्यम से 200 करोड का प्रावधान हमने किया है ताकि गंग कैनाल से पूरा पानी मिले। जब कंवरसेन जैसे हमारे चीफ इंजीनियर थे, जिन्होंने इस नहर को प्रपोज किया था। वह प्रपोज करके गये थे। तत्कालीन मंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त थे, कांग्रेस के राज में बनी थी। जब दुबारा हमने इसका उद्घाटन किया था तब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, विभाग द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिये, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये, रख-रखाव के लिये वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक 263.66 करोड़ रुपये, 280.59 करोड़ रुपये, 298.58 करोड़

(श्री जगदीश चन्द्र)

रुपये हमने अब तक खर्च किये हैं। 2021-22 दिसम्बर तक 206.56 करोड़ रुपये हमने इस नहर की मेंटिनेंस के लिये और पानी की स्पीड बढ़ाने के लिये खर्च किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय तक पानी की कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सिंचाई का जो तरीका है, उसको बदलने की कोशिश की। इजरायल पद्धति के आधार पर हमने स्प्रिंकलर के माध्यम से स्थायी योजना को स्टार्ट किया। उस पूरे क्षेत्र में करीब 800 के आस-पास डिग्गियां बननी थीं। केन्द्र सरकार का 50 परसेंट का हिस्सा था। केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। करीब 450 के आस-पास जो डिग्गियां बनी हैं वे राजस्थान सरकार के पैसे से बनी हैं। इन्होंने तो बन्द कर दिया। इसी तरीके से सी ए डी डिपार्टमेंट को 2017 में बन्द ही कर दिया। खाले बनने तो दूर की बात थी। जितना भी किसानों के लिए काम हुआ है, वह कांग्रेस के जमाने में हुआ है। मुख्य मंत्री जी इस पर नजर डाले हुए हैं। जब भी किसी प्रकार से नहर में दिक्कत आई है, हमने पैसे की व्यवस्था की है।

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डब्ल्यू एच ओ की 2020 के आस-पास गंगानगर जिले की एक रिपोर्ट आयी थी और करीब 400 हमारे कैंसर के मरीज थे। वो इसलिए कैंसर के मरीज थे कि पंजाब से जो पानी आ रहा है वो पानी सतलज नदी के माध्यम से हमारी नहरों में आता है। लुधियाना और जालन्धर करीब 250 किलोमीटर गंगानगर से दूर है, उसमें जिस तरीके से वहां की फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, इस पानी के माध्यम से जो जहरीले पदार्थ पानी में आ रहे हैं उससे कैंसर की बीमारी गंगानगर में फैल रही है। एक ट्रेन भी जाती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। इसलिए पंजाब सरकार को राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने आग्रह भी किया और एक एन जी टी के रिटायर जज थे, प्रीतमपाल सिंहजी, उनकी रहनुमाई में एक कमेटी बनायी गयी। उस कमेटी ने पंजाब सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी किया था। करीब-करीब 40 ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाये थे जिनमें से आधे के करीब तो बन्द हो गये और आधे उनमें से थोड़ा-बहुत काम कर रहे हैं लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मैं अब माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वो लोगों की हैल्थ को देखते हुए इस पर थोड़ा गौर करें। यह अति आवश्यक है। एक तरफ तो राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाह रही

(श्री जगदीश चन्द्र)

है, मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि पूरा राजस्थान ठीक रहे पर पानी की वजह से जो कई क्रोनिक बीमारियां हो रही हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि परियोजना में उपलब्ध पानी के अधिकतम, कुशलतम उपयोग के लिए सैकण्ड चरण में लिफ्ट योजनाओं में स्प्रिंकलर सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय किया गया। वर्ष 2007-08 में 27,429 हैक्टेयर जमीन में पायलट परियोजना के माध्यम से हमने काम शुरू किया था जो करीब-करीब पूर्ण हो गया है। विभाग ने परियोजना की तेजपुरा माइनर पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित की जिसको देखते हुए भारत सरकार के जल उपयोग की हमारी जो कैपेसिटी, जो तरीका था, उसको ध्यान देते हुए राजस्थान सरकार को 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। हमारी सरकार का एक मैनेजमेंट था पानी का, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, वो बिलकुल इस बात में मुस्तैदी से ध्यान देते हैं और काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी कह रहे थे, बार-बार मोदीजी का नाम ले रहे थे। जब देश में किसान आन्दोलन चल रहा था, किसान आन्दोलन चल रहा था तो क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, पानी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन करने की कोशिश की गयी लेकिन उसमें ये फेल हो गये। फेल इसलिए हो गये कि 5 स्टेट के चुनाव आ रहे थे और मोदीजी ने वो कृषि कानून वापस भी ले लिये थे। ये कौनसे मुंह से किसान की बात कर रहे हैं? किसान की बात करने का तो हक ही नहीं है इन लोगों को। ये जानते ही नहीं किसानी, ये तो व्यापारियों की पार्टी थी, ये तो व्यापार करने वालों की पार्टी आयी है। इस पार्टी का किसान से कोई लेना-देना नहीं है। न पानी से कोई लेना-देना है, न इनका बिजली से कोई लेना-देना है, न किसान की आर्थिक स्थिति से कोई लेना-देना है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं, यह वादा तो 2014 में किया था कि 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी होगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज किसान की जो स्थिति है वो बिलकुल दयनीय स्थिति है। हनुमानगढ़-गंगानगर जिले का 90 परसेंट किसान कर्जे के नीचे दबा हुआ है लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे जन घोषणा पत्र के माध्यम से 50-50 हजार रुपये का जो कोआपरेटिव का ऋण माफ किया

(श्री जगदीश चन्द्र)

था, थोड़ा-बहुत किसानों को हमने सम्बल देने का प्रयास किया है। लेकिन दूसरी तरफ केन्द्र सरकार को बार-बार चिट्ठी लिखी गयी और केन्द्र सरकार के किसी भी बैंक ने आज तक राजस्थान के किसी किसान के कर्जे माफी की बात ही नहीं की।

श्री सभापति: आप इन्दिरा गांधी नहर पर आइये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं इन्दिरा गांधी नहर पर ही आ रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसान से जुड़ा हुआ मसला है। खेती के लिए यदि पानी ही नहीं होगा तो किस तरीके से खेती को हम ठीक कर पायेंगे? री-लाइनिंग के लिए इस सरकार ने पैसा दिया, उसकी व्यवस्था को ठीक करने की बात है लेकिन इसके साथ-साथ इस कैनाल की वजह से काफी नुकसान भी हो रहे हैं।

एक बहुत बड़ी समस्या सेम की हमारे सामने आ गयी है। गंगानगर-हनुमानगढ़ से लेकर, मसीतावाला हेड से लेकर मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ के आस-पास पूरी जमीन दलदल हो गयी है, खेती नहीं हो सकती वहां पर, उसका भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसका कोई न कोई समाधान करे। गंगानगर, हनुमानगढ़, रावतसर, सूरतगढ़, मोहनगढ़, सुथारों वाली मण्डी तक, जमीन दलदल हो गयी है, इसलिए कि पानी की सीपेजिंग ज्यादा हो रही है। इसके साथ-साथ वहां पर दुनियां भर के मच्छर भी पैदा हो गये हैं, पर्यावरण को भी खतरा पैदा हो गया है, जमीन में से निकलकर नमक का पानी बाहर आ रहा है। वो पानी न तो खेती के लायक है, न किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए बड़ा गम्भीर विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कोई न कोई कमेटी बिठाकर इस पर निश्चित तौर पर चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल जिसके बारे में हमारे साथी कह रहे थे, इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलने की परम्परा तो आपने शुरू की है। कश्मीर में एक टनल बनी थी, डाक्टर मनमोहन सिंहजी ने बनायी थी, प्रधान मंत्रीजी चार दिन में टनल का उद्घाटन करके आ गये, कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने टनल बनायी है। टनल बनने में समय तो लगा होगा, एक दिन में तो बनी नहीं है। इस देश में भाखड़ा डैम, यह भाखड़ा डैम

(श्री जगदीश चन्द्र)

भी पंडित नेहरू का बनाया हुआ है जिससे उस क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। आज डैम की स्थिति क्या है? आज डैम की सफाई की बार-बार मांग आ रही है कि डैम की ओरिजिनल कैपेसिटी है पानी की, उससे पानी कम आ रहा है। बरसात भी कम हो रही है, पानी कम हो रहा है। डैम के अन्दर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 18-18 फीट मिट्टी भरी हुई है। केन्द्र में बीजे.पी. की सरकार है, मैं आग्रह करना चाहूंगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता कटारिया साहब बैठे हैं, वो गजेन्द्र सिंहजी से बात करें, कम से कम डैम की सफाई तो करायें। आप बार-बार कह रहे हैं कि राजस्थान अपने हिस्से का पानी नहीं ले पा रहा है, डैम की कैपेसिटी ही इतनी है, डैम की कैपेसिटी होगी तब हम बात करेंगे कि आगे पानी का हिस्सा लेना है। बार-बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारा पानी जा रहा है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, न आप और हम कुछ कर सकते हैं न कोई दूसरा कोई कर सकता है। ये जिस दिन पाकिस्तान-हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ था, तब पानी का यह तय किया गया था, इसमें नहीं कर सकते। (व्यवधान) कासनियांजी, आप बैठें, यह इंटरनेशनल ट्रीटी है। अन्तरराष्ट्रीय जल समझौता है, उस दिन यह बात तय हुई थी कि पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, हमारे पास पानी को स्टोर करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, हमने बड़ी मजबूरी में पानी उनको दिया था, आज वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, भारत सरकार बार-बार आग्रह कर रही है लेकिन यह निश्चित तौर पर इस मसले के समाधान के पक्ष में हम हैं लेकिन इस तरीके से सरकार के ऊपर आरोप लगाना, पूर्व सरकारों पर आरोप लगाना कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। ओरिजिनल अगर नहर को ठीक करना चाह रहे हैं, किसान के हक की बात करना चाह रहे हैं तो रियलिटी में आपको बात करनी पड़ेगी। जब तक आप रियलिटी में बात नहीं करोगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, सदन में बोलने से या जोर-जोर से बोलने से समाधान नहीं हो सकता, इसकी असली ग्रेविटी क्या है इस आफेंस की उस पर जाना पड़ेगा। किसान के पानी का जो हिस्सा है उसका किस तरीके से पंजाब के लोग, किस तरीके से हरियाणा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अन्दर तीन-तीन, चार-चार मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वो इसकी प्रभावी ढंग से पैरवी करे। वही अकाली दल की सरकार एस वाई एल की बात आयी थी, सुप्रीम कोर्ट

(श्री जगदीश चन्द्र)

के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था हरियाणा की, पंजाब की सरकार ने और आज तक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को होल्ड किया, लेकिन आपकी अकाली और बी.जे.पी. की सरकार ने उस एस वाई एल का निर्माण करवाया था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर का कि उसे रोका गया और हमारे हिस्से का पानी हमको मिला। अगर वो नहर बनती तो निश्चित तौर पर हमारे हिस्से का पानी वो लोग इस्तेमाल करते और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है उस पानी को रोकने के लिए इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो स्टाफ पंजाब में बैठता है उस स्टाफ की मंत्रीजी व्यवस्था करें ताकि हम अपने हिस्से का पूरा पानी ले सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लम्बे समय तक इस नहर को पक्के करने की बात है, अभी काफी जगहें ऐसी हैं जहां जमीन दलदली है, जो नेचुरली किसी जमाने में कहा करते थे कि सरस्वती नदी यहां से निकलती है, उसको ठीक करने के लिए सरकार को अलग से कोई बजट का प्रावधान करके उस दलदल को भी रोकना चाहिए वो भी हमारे किसानों का फायदा होगा क्योंकि ज्यादा समय तक जमीन खेती के लिए नहीं बच पायेगी इसलिए सरकार इस पर कोशिश करे और कुछ न कुछ करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, हरिके बैराज से, जहां से हमारे यहां पानी आ रहा है, आप सरकार की तरफ से कम से कम एक टास्क फोर्स बनाओ। एक पुलिस दल का गठन करो, जो कम से कम वहां जाकर मानिटरिंग करे। जब चावल का सीजन आता है उस समय हमारा पानी चोरी हो रहा है, उस पानी की चोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे हमारी सरकार रही हो या आपकी सरकार रही हो, इस चोरी को कोई नहीं रोक पाया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप चर्चा कर ही रहे हैं इस विषय को लेकर तो सरकार एक कमेटी बनाकर, एक स्पेशल पुलिस दल का अगर गठन करने की जरूरत पड़े तो वह गठित करे। नहर की मानिटरिंग करने के लिए

(श्री जगदीश चन्द्र)

आपका जो चण्डीगढ़ का दफ्तर है, जहां पर एक्स.ईएन. बैठता है, वहां एक भी बेलदार नहीं है रात को चौकीदारी करने के लिए, वहां पर आप स्टाफ बढ़ायें नहरी कालोनियां आपकी बनी हुई हैं इन्दिरा गांधी कैनाल के साथ-साथ वो करीब-करीब खतम हो गयी हैं, पिछली सरकार के हमारे जो मंत्री थे, जो नहर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पास पांच साल का समय था, वो नहीं कर पाये उस समय, आज यह मांग बार-बार उठा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं कर पायी। आपके पास पांच साल का समय था, आपका हाथ किसने पकड़ा था? मंत्री तो आपके थे, वो तो किसानी से सम्बन्ध रखते थे, उनकी खुद की जमीन में इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी लगता है, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? आज आप आरोप लगा रहे हो, यह आरोप लगाने का समय नहीं है। आज सरकार इस प्रतिवेदन पर चर्चा करा रही है, इस पर गम्भीरता से सदन को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से राजस्थान का किसान बचे, किस तरीके से हमारे उस क्षेत्र के किसानों को बचा सकते हैं, हम कैसे पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। वह जमाना आयेगा कि पीने के पानी के लिये लोग तरसेंगे। इसका प्रावधान हमें करना चाहिये। यह चिन्ता की बात है, बहुत गम्भीर विषय है। जिस तरीके से विशेषज्ञ जो आकलन कर रहे हैं, मुझे यह कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि आने वाले समय में जब कभी लड़ाई होगी दुनिया में तो पानी को लेकर होगी। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह जी।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय, आपने मुझे इन्दिरा गांधी नहर पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। सबसे पहले तो जो पोस्टें हमारी खाली हैं एक्स.ईएन., एस.ई. की, उन्हें भरना बहुत जरूरी है। इस कारण हमारे नहरी क्षेत्र में मॉन्टिरिंग सही नहीं हो पा रही है। हमारे यहां अधिकारी-कर्मचारी नहीं हैं। हमारे यहां हरिके बैराज से दो नहरें निकलती हैं- सरहिन्द फीडर, एस वाई एल और इन्दिरा गांधी कैनाल। वहां से हमारे कर्मचारी चार-पांच साल पहले रिटायर हो चुके और वहां हमारा कोई भी आदमी नहीं है।

वहां जो स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, वह भी नहीं है। हमें वहां पानी

(श्री गुरदीप सिंह)

का पता नहीं चलता कि कितना पानी है, कितना नहीं। हम पंजाब के सहारे चलते हैं। दूसरा, नहरों के ऊपर जो हमारे पुल हैं, वे 60 साल पुराने हैं। हमें उसके अन्दर बड़ी भारी दिक्कत है। हमारे किसान 20-25 किलोमीटर दूरी से आकर, बैरीकेड लगाकर काफी पुल बन्द कर दिये गये हैं, मेरा निवेदन है उन पुलों का भी काम करवाया जाये।

इन्दिरा गांधी नहर की कैपेसिटी है हरिके बैराज से, वह साढ़े 18 हजार क्यूसेक्स है। उसके जो हैड की कैपेसिटी है, वह 15 हजार क्यूसेक्स की है, वह भी बढ़ायी जाये। क्रॉस रेगुलेटर वर्कशाप, 2018 से इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण कार्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक केवल री-लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। इन्दिरा गांधी कैनाल के जगह-जगह रेगुलेटर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो लगभग 60 साल पुराने हैं। पिछले 4-5 वर्षों से नहर बन्दी के दौरान इन पर कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। नहर बन्दी के दौरान इनका सुधार कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

री-लाइनिंग के कार्य से इन स्ट्रक्चर्स का पुनर्निर्माण किया जाना जरूरी है, क्योंकि जब वे नहर बन्द कर देते हैं, उनके बाद भी पानी चलता रहता है। हमारी ये दो पहले वर्कशाप्स थीं, एक तो हनुमानगढ़ के अन्दर और एक सूरतगढ़ के अन्दर, वे दोनों वर्कशाप्स बन्द हो चुकी हैं। न उसके अन्दर कोई कर्मचारी हैं, न कोई अधिकारी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दो जगह नहीं तो कम से कम उसकी वर्कशाप एक जगह चालू करके वहां अधिकारी लगाये जायें ताकि जो हमारे रेगुलेटर बने हुए हैं, उनकी देखभाल हो सके।

हमारी जो इन्दिरा गांधी कैनाल है, उससे हमारे भाखड़ा का सिस्टम भी चलता है। हमारी जो पुरानी भाखड़ा थी, उसके अन्दर जो जीरो हैड हैं, वहां पर पुरानी नहर जो हरियाणा की तरफ से जाती है, जब हम पानी वहां हैड-अप करते हैं तो हमारा जो पानी है, वह सौ-डेढ़ सौ क्यूसेक्स हमेशा हरियाणा को जाता है, वहां पर भी रेगुलेटर बनना जरूरी है। मेरे क्षेत्र में मसीतावाली हैड के आस-पास काफी गांव, तीन-चार गांव सेम की समस्या से ग्रस्त हैं, उनके लिये भी पानी एकमुश्त निकाला जाये ताकि लोग अपनी जमीन काश्त कर सकें, क्योंकि वहां पानी निकालने के लिये पहले कनेक्शन दिये हुए थे बिजली के। उनका बिल बहुत ज्यादा हो चुका है किसान भर नहीं पा रहे क्योंकि खेती

(श्री गुरदीप सिंह)

उनकी होती नहीं। अगर सरकार वहां, जैसे पीलीबंगा क्षेत्र में, बड़ोपल में कनेक्शन सरकार ने फ्री किये हैं, बिजली के कनेक्शंस फ्री कर दे तो उनकी जमीन का जो भरा हुआ पानी है, वह निकल जायेगा। लोगों ने काफी जमीन भर्ती कर-करके काश्तकारी ऐसी कर ली है। अगर वह पानी निकालने की व्यवस्था करवा दें तो हमारे यहां काफी खेती हो सकती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किये। इन्दिरा गांधी नहरी क्षेत्र से लगते हुए जिले के लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं बतायीं और अपने-अपने तरीकों से सुझाव दिये। मैं इस पर ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना-सा अपना अनुभव शेयर करूंगा कि हमारे गांव में कुएं से जब हम खेत तक पानी पहुंचाते थे तो कच्चे धोरे से पानी जाता था। आज-कल तो फव्वारा सेट वगैरह हो गये।

श्री सभापति: आपकी तरफ यह कैनाल आ गयी क्या?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): नहीं, अभी नहीं आयी हमारे यहां।

श्री सभापति: तो इन्दिरा गांधी कैनाल पर बोलिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हां, इसी पर बोल रहा हूं। कच्चे धोरे से पानी खेत तक पहुंचता था। मैं इसका एग्जाम्पल आपको इसलिये दे रहा हूं कि यह चीज इन्दिरा गांधी नहर से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि रिलेटेड नहीं है। मैं कोई भी बात बोलता हूं, वही बोलता हूं, जो रिलेटेड होती है। फालतू मुझे बोलने की आदत भी नहीं है। मुद्दे के अलावा मैं बात करता भी नहीं हूं।

मैं कहना चाह रहा हूं, जो इन्दिरा गांधी नहर की बात है, सभी लोगों ने कही, हमने भी सुनी कि उसकी हालत खस्ता है। वर्ल्ड बैंक ने जो फाइनेंस किया था कि इसे बनाएं तो आपको ध्यान होगा माननीय सदस्य, जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, कि जब वे चल रहे थे तो उसके ब्लाक्स उठा-उठाकर पकड़ा रहे थे। उसकी हालत ऐसी टूटी हुई थी कि पूरी गाड़ी चली जाये उसमें।

सभापति महोदय, धोरे में जरा-सा बिल हो जाता है तो पानी आगे

(श्री बलजीत यादव)

नहीं जाता है खेत में। यह मुझे अनुभव है। मेरा वह छोटा-सा अनुभव हो सकता है आपके बड़े काम की चीज हो। ऐसा नहीं है कि उसका कोई मोल नहीं है। वह एक छोटा-सा बिल रोक सकता है, बड़ी-बड़ी जो गाड़ियां चली जाएं इन्दिरा गांधी नहर में, वह पानी कैसे आगे जायेगा? चलेगा नहीं।

मेरे यहीं पर अभी भिवानी से नहर आ रही है हरियाणा के अन्दर नारनौल तक। वह पानी 6 दिन में पहुंचता था वहां छोड़ने के बाद। सभापति महोदय, प्लास्टर किया है, 12 घण्टे में पानी पहुंच जाता है और कितना पानी पहुंचता है? 10 गुना ज्यादा पानी पहुंच रहा है पहले से। वह 15 दिन चलता था, रेगुलर चले तो आता था, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गयी तो फिर पानी आता ही नहीं था। इन्दिरा गांधी नहर की जो लम्बाई है, वह 400 किलोमीटर के लगभग बता रहे हैं। उसमें सवा सौ किलोमीटर के लगभग अभी कह रहे हैं प्लास्टर का काम तीन साल में कुछ चालू किया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उसे फास्ट करें। अगर टोटल प्लास्टर करें तो पूरा पानी पहुंचेगा यहां पर। जब उस छोटी-सी नहर का 10 गुना पहुंच रहा है, यह भी अगर 10 गुना पहुंचेगा तो कितना फायदा राजस्थान को होगा!

राजस्थान के लिये पानी अमृत से कम नहीं है। जहां पानी की इतनी शॉर्टेज हो, वहां पर पानी की एक-एक बूंद की कीमत है। 10 जिलों को पानी जा रहा है, बाकी 23 जिलों में भी पानी जा सकता है। मेरे यहां डार्क जोन में आ गया पूरा क्षेत्र। हम भी मांग करते हैं कि कोई नहर से पानी पहुंच जाये हमारे यहां पर। किसी भी तरह से आ जाये।

मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने बताया कि पानी जब ज्यादा आता है, जरूरत नहीं होती, उसको सेव नहीं करते तो वह पाकिस्तान चला जाता है। बांध बनाकर उस पानी को रोका जा सकता है। जब पानी हमारे लिये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम और चीजों पर पैसे खर्च करते हैं, क्या उस पाकिस्तान जाते हुए पानी को नहीं रोक सकते? अमृत पाकिस्तान जा रहा है, हम उसे नहीं रोकेंगे तो फिर मरना तय ही है हमारा अगर हम सीरियसली उस पर ध्यान नहीं देंगे तो।

आंकड़े वगैरह सब पढ़ दिये गये, उन्हें रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है कि मैं उन्हें रिपीट करूं। जो हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बोर्डर से नदियां

(श्री बलजीत यादव)

निकलती हैं, उनका 72 परसेंट पानी पाकिस्तान में जाता है। मात्र 18 परसेंट पानी हिन्दुस्तान को मिलता है। दादागीरी की बात कर रहे थे कि हरियाणा के लोग दादागीरी कर लेते हैं, पंजाब के दादागीरी से रोक रहे हैं तो हिन्दुस्तान पाकिस्तान से थोड़ी-सी दादागीरी कर ले तो भला हो जायेगा जनता का। वहां 72 परसेंट जा रहा है। हम दादागीरी नहीं कर सकते क्या? इतने कमजोर, कायर हो गये क्या हम? उसे रोकना चाहिये।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, 1965 में यह बना था भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें तय हुआ था कि इसका कंट्रोल केन्द्र सरकार के पास होगा, लेकिन 1965 से लेकर आज तक राजनीतिक कारणों से, किसको तुष्ट करूं, इसको राज़ी करूं, उसको राज़ी करूं, कांग्रेस ने राज़ी किया कांग्रेस की सरकार को; बी.जे.पी. ने राज़ी किया बादल की सरकार को और भुगत हम रहे हैं, जनता भुगत रही है। उसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नोटिफिकेशन करने वाले थे, लेकिन वह भला आदमी उसी दिन चला गया और उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। इस कारण से वह रह गया।

अगर उसका कंट्रोल वे पूरा ले लें तो ये जो कह रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ रहे, यह नहीं छोड़ रहे, केन्द्र कंट्रोल ले ले, उस हिसाब से हमारा जो 52 परसेंट समथिंग पानी है, वह राजस्थान को पूरा मिले। हम उसकी मरम्मत कर दें तो कितना फायदा राजस्थान को होगा? मैं तो यह कहूंगा कि यहां से हम सब लोग प्रयास करें कि केन्द्र सरकार उसका नोटिफिकेशन करके भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का सम्पूर्ण कंट्रोल केन्द्र सरकार ले और राजस्थान के साथ न्याय करे। इसका प्रयास करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इसमें विस्तार हो रहा है नहर का, वह भी फास्ट हो और जो इसका प्लास्टर करना है, वह भी फास्ट हो। ऐसा नहीं कि तीन साल के अन्दर सवा सौ किलोमीटर ही हम कर पाये हैं और अगर इसी ढंग से करेंगे तो कितने दिन और लगेंगे? जैसे अभी बात हो रही थी और ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या बता रही थीं कि जो बोरिंग जे जे एम वाली खुदनी हैं वे अभी चालू ही नहीं हुई हैं तो अगर ऐसे स्लो चलेंगे तो गर्मी आ जायेगी और क्या मरने लगेंगे तब याद करेंगे? अब दवा लाओ बस मरने वाले ही हैं तो उससे पहले ही दवा क्यों न ले ली जाये।

(श्री बलजीत यादव)

इसलिए इतना स्लो चलने के बजाय मैं तो चाहूंगा और मैं तो इसके अन्दर बार-बार बोल चुका हूं। इसके अलावा कल मैं तो 12 घंटे 20 मिनट दौड़ भी चुका हूं कि कैसे ध्यान में आ जाये और कुछ आ जाये तो इस बार तो सीधा दौड़ा था, अब उल्टे पैरों से दौड़ लेता हूं, पेट पलनियां दौड़ लेता हूं कि जो बातें यहां पर कही जायें उन बातों को सीरियसली लिया जाये, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाये, यही मैं कहना चाहता हूं।

मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी जो योजना बनी कि चम्बल का पानी आयेगा, लेकिन योजना बनती ही जा रही है। पिछली सरकार में भी बनी, इस सरकार में भी बनी और मेरा पूरा क्षेत्र बरबाद हो रहा है। वहां पर इतनी उपजाऊ जमीन थी और वहां प्याज इतनी पैदा होती थी, सरसों पैदा होती है, कपास पैदा होती है लेकिन आज पूरा क्षेत्र बरबाद हो रहा है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। सभापति महोदय, आज वहां पीने का पानी ही नहीं है तो खेती करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जो भी कुछ योजना बने तो पानी लेकर आयें। मैं पढ़ता हूं कि चम्बल हमेशा ओवरफ्लो बह रही है, चम्बल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस बार भी जब गया तो मेरा दिल रो रहा था कि कितना पानी वेस्ट जा रहा है और वह बह रही है। उस पानी पर अगर एक बांध बना दें तो उस पानी का कितना उपयोग हो सकता है। माही डैम हरिदेव जोशी जी ने बना दिया तो पूरा का पूरा बांसवाड़ा आबाद हो गया और आज तक लोग याद करते हैं, कमा कर खा रहे हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में गंगासिंह जी यह नहर ले आये, उनकी दूरदृष्टि थी और उस आदमी ने उस वक्त सोचा कि पानी की जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको लाऊं तो ले आये। आज हम इतना कह रहे हैं कि आधुनिक युग में हम सबको पता है कि हमें इतनी जरूरत है फिर भी हम उस पर इतनी गम्भीरता से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल चर्चा ही नहीं करें, गम्भीरता से काम भी हो और यह काम होता है दृढ़ इच्छा शक्ति से। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और स्पीड बढ़ेगी तो रिजल्ट अच्छे आयेंगे और धक्का स्टाइल में गाड़ी चलती रहेगी तो चलती रहेगी। इसलिए मैं तो चाहूंगा और राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए पंजाब पर भी दबाव बनायें। हम इतने कमजोर

(श्री बलजीत यादव)

नहीं हैं और केन्द्र में भी जाते तो हमारा उनसे बड़ा स्टेट है, दोनों राज्यों को मिला लें तो भी उनसे बड़ा स्टेट है। डेमोक्रेसी में जिसके पास सिर ज्यादा होते हैं उसी की ज्यादा पावर होती है। उससे पावर नहीं होता कि यह कुश्ती लड़ रहा है इसलिए इससे पावर ज्यादा होगी। हम अपने आपको अण्डर एस्टिमेट न करें और अपने हक को मांगने में कोई शर्म नहीं होती है, कमजोरी नहीं होती है, पूरी मजबूती के साथ अपने हक की मांग करें और केन्द्र सरकार से भी बात करें कि जल्दी से जल्दी इसको खुद के कंट्रोल में ले। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी परिस्थिति है और अभी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें एफर्ट्स करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी केन्द्र इसको ले ले। हमारे विपक्ष के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी मोदी जी से निवेदन करें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर खतम कर दूंगा कि यह नेशनल वाटरवेज बिल 2015 में पास हो गया और करीब एक लाख करोड़ रुपये इसमें खर्च होने थे। इसके अन्दर 101 मार्ग थे उनमें हमारे कच्छ के समुद्र के मुहाने से सांचौर, पाली में आने का एक बना था जिसका बिल पास हो गया तो उसके लिए प्रयास किया जाये कि अगर यह पानी आ जाये तो कितना ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा तो इस चीज के लिए भी हमको एफर्ट्स करने चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी पूरा हो।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर से दूसरे जिले हैं इनमें सिंचाई का भी न हो तो वहां पीने का पानी तो पहुंचाने का प्रयास किया जाये। अब यह जो जे जे एम है, इसके अन्दर कोई कहता है कि 60 हजार करोड़ का बजट आ गया और एक लाख करोड़ तक बजट खर्च होगा पर अगर वह बोरिंग सूखी, ड्राई निकल जायेगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा इसलिए कम से कम पानी वहां पहुंचे तो वह सपना पूरा होगा कि घर-घर नल से पानी गया। तो सबसे पहले तो एफर्ट्स करें जहां डार्क जोन है उसके अन्दर पानी पहुंचे, यह मैं कहना चाहता हूं, यह मैं मांग करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान की जीवनदायिनी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत रावी एवं व्यास नदियों का 7.59 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिंचाई, पेयजल व अन्य कार्यों के लिए काम में लिया जा रहा है।

पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज पर इस नहर का उद्गम स्थल है। राजस्थान के इतिहास में 01 जनवरी, 1987 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा जब मरु गंगा इन्दिरा गांधी नहर ने विशाल एवं दुर्गम मरुस्थल को भेदते हुए 649 किलोमीटर लम्बी जल यात्रा पूरी की। इस दिन हिमालय के पावन जल ने एक लम्बा सफर तय कर हनुमानगढ़-गंगानगर से होते हुए जैसलमेर जिले के सुदूर मोहनगढ़ का स्पर्श किया।

माननीय सभापति जी, इन्दिरा गांधी नहर हमारे क्षेत्र के निवासियों व पशुओं के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत साबित हुई है। नहर निर्माण से पूर्व यहां के निवासी कई-कई मील चलकर मुश्किल से पीने का पानी जुटा पाते थे। नहर बनाने के बाद यह स्थिति बदली है और अब हिमालय का पवित्र जल लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इस नहरी क्षेत्र में लाखों किसानों का जीवन निर्भर है। आज यह नहर प्रणाली अव्यवस्थाओं और सरकार की अनदेखी और मनमाने तरीके से जल वितरण का शिकार हो रही है। आई.जी.एन.पी. प्रथम चरण का पानी घटाया जा रहा है जिससे किसानों में चिन्ता बढ़ रही है। सभापति जी, इसमें टेल पर बैठे किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। आई जी एन पी की अनूपगढ़ शाखा सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। मेरा क्षेत्र अनूपगढ़, घड़साना, रावला बिलकुल टेल पर स्थित है और उसको समय पर पूरा पानी नहीं मिल रहा है। मेरे क्षेत्र का भूमिगत जल भी खारा है और एकमात्र इन्दिरा गांधी नहर पर ही उनका जीवन निर्भर है। आज राज्य सरकार वाटर अलाउंस घटाने की बात कर रही है। आई.जी.एन.पी. में प्रथम चरण के किसानों के लिए 5.23 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ निर्धारित है और उसी के अनुसार सिंचाई पानी देना सुनिश्चित किया जाये। 8.6 एम.ए.एफ., जो प्रथम चरण का निर्धारित पानी है इसमें से 0.6 एम.ए.एफ. पानी आज भी किसानों को कम दिया जा रहा है। मैं सरकार से यह मांग करती हूं कि किसानों को पूरा पानी दिया जाये जो उनके हिस्से का पानी है। प्रथम चरण के किसानों का हक है

(श्रीमती संतोष)

और मेरे क्षेत्र के किसानों को पूरा पानी दिया जाये जिससे किसानों को दो-दो बारी अतिरिक्त मिल सकती है पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो 0.6 एम.ए.एफ. पानी है वह किसानों को पूरा नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से आज इतने आन्दोलन वगैरह हो रहे हैं इसलिए इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रथम चरण का 5.23 वाटर अलाउंस है जो सुनिश्चित किया जाये। हमारे हिस्से का पानी जो 58 परसेंट है उसको रिजर्व किया जाये।

इसी के साथ, माननीय सभापति महोदय, वाटर अलाउंस के हिसाब से सीलिंग सीमा कम रखी गयी है। मेरे क्षेत्र में जो सिंचाई क्षेत्र है आई.जी.एन.पी. प्रथम चरण का, वहां वाटर अलाउंस के हिसाब से वहां की जो सीलिंग सीमा है वह कम रखी गयी है। भूमि की अलाटमेंट कीमत अन्य परियोजनाओं से वहां पर दोगुनी रखी गयी है। जो यह दोगुनी है उसमें सीलिंग सीमा को कम रखने के कारण किसानों के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं इसलिए इस सीलिंग सीमा को भी बढ़ाया जाये।

राज्य सरकार आज आई जी एन पी की नहरबन्दी बार-बार ले रही है। पहले भी नहरबन्दी ली गयी थी, बहुत लम्बी नहरबन्दी थी, लेकिन काम समय पर नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष इतनी लम्बी नहरबन्दी ली गयी थी, उसमें जो टेंडर था वह 42 किलोमीटर कार्य का लिया हुआ था और उसमें से सिर्फ 20 किलोमीटर का पूर्ण हुआ है तो जो 22 किलोमीटर का बचा हुआ है वह काम कब पूरा होगा? इतनी लम्बी बन्दी लेने के बाद भी काम पूरा नहीं हो रहा है तो यह एक सोचने वाला विषय है। इस बार नहरबन्दी ली गयी है और टेंडर हुआ है 53 किलोमीटर का। जब पहले वाला काम ही पूरा नहीं हुआ है तो इस बार काम पूरा होगा इसकी क्या गारंटी है तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और नहरबन्दी इतनी लम्बी ले रहे हैं तो समय पर काम पूरा होना चाहिए। समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण जब नहर में पानी छोड़ दिया जाता है तो लाइनिंग डेमेज होने के कारण नहर बैठ जाती है जिसको कोई सम्भालने वाला तक नहीं है क्योंकि आई.जी.एन.पी. प्रथम चरण के लिए सरकार के पास कोई मंत्री तक नहीं है। तीन साल से हम देख रहे हैं कि इस विभाग में कोई मंत्री भी नहीं है तो इसको कौन सम्भालेगा? नहरबन्दी में काम पूरा होना चाहिए लेकिन सरकार जो किसान हितैषी की बात कर रही है वह किसान हित सरकार कितना चाह रही है वह इस बात से स्पष्ट हो रहा है।

(श्रीमती संतोष)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, जो री-लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है उसमें भी सरकार और सरकार के नुमाइंदे गम्भीर नहीं हैं। सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, नहर निर्माण कार्य में इतनी खामियां हैं कि रोज शिकायतें आ रही हैं। बिलकुल घटिया सामग्री से निर्माण कर रहे हैं। किसानों का जीवन इस नहर प्रणाली पर निर्भर है, लेकिन सरकार इस ओर गम्भीर नहीं है।

इस प्रकार से जो घटिया निर्माण हो रहा है, उसको भी रोकना चाहिए। सरकार जब रेगुलेशन जारी कर रही है, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, वह भी फसल चक्र के अनुसार नहीं बनाया जाता है। मेरी मांग है कि फसल चक्र के अनुसार सही समय पर रेगुलेशन जारी किया जाये और निर्धारित समय पर फसलों को पूरा पानी मिले। जो फसल का बीजान होता है, उस फसल को पकाव तक पानी दिया जाये। इसकी भी व्यवस्था सरकार करे।

आज सिंचाई पानी टुकड़ों में दिया जा रहा है, एक-एक महीने का रेगुलेशन बनाया जा रहा है। किसानों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी बारी कब आयेगी, कितना पानी उनको मिलेगा। इस ओर सरकार गम्भीरता से सोचे। इसी के साथ हम केमिकल वाले पानी की बात कर रहे हैं, पंजाब से राजस्थान की नहरों में आ रहे केमिकलयुक्त पानी की समस्या दोनों राज्यों के आमजन के स्वास्थ्य को लेकर जुड़ी हुई है। पंजाब की फैक्ट्रियों का केमिकलयुक्त पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है, इससे राज्य की इन्दिरा गांधी नहर, गंग नहर, भांखड़ा नहर पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। जो लोग इन नहरों पर निर्भर हैं, वे कैन्सर जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार पंजाब सरकार पर दबाव बनाये। इस प्रकार से फैक्ट्रियों से जो गन्दा पानी, जो केमिकलयुक्त पानी छोड़ा जा रहा है, उसको बन्द किया जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्या।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो इस क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों का जीना दूभर हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक पाइन्ट और है। मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि एक ही दिन में हरिके बैराज में फिरोजपुर बोर्डर से होते हुए 14 लाख क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान चला गया। पंजाब ने अपने गांव बाढ़ में

(श्रीमती संतोष)

डूबने से बचाने के लिये पानी आगे पाकिस्तान में छोड़ दिया। इस प्रकार से जो पानी आगे छोड़ा जा रहा है, अगर उस पानी को हम बचा लें तो राजस्थान के जो किसान हैं, उनको पूरा पानी मिल सकता है तो इस पर भी अंकुश लगना चाहिए।

एक जो पानी की चोरियां हो रही हैं, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा कुछ हो नहीं सकता तो इस चोरी को भी गम्भीरता से लेकर के, उस पानी का सही उपयोग किया जाये।

सभापति महोदय, हरिके बैराज, सरहिन्द फीडर और इन्दिरा गांधी नहर एक साथ निकलती हैं, दोनों नहरों के बीच शुरू में ही 12 फीट का अन्तर बचा है, जो पहले 30 फीट से ज्यादा था। अगर यह 12 फीट का पटड़ा टूटा तो राजस्थान को आगे आने वाले समय में पीने का पानी भी नहीं मिलेगा।

अभी जो 18 हजार 500 क्यूसेक्स पानी राजस्थान को नियमित हरिके बैराज से मिलना चाहिये, वहां 11 हजार क्यूसेक्स ही मिल रहा है। जो बचा हुआ पानी है, वह पंजाब खुद ले लेता है तो सरकार ध्यान देकर अपने हिस्से का पानी दिलवाये।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्या।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ जैसा सभी ने कहा, मैं भी यही चाहूंगी कि बी.बी.एम.बी. में प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण यह समस्या आ रही है तो बी.बी.एम.बी. में राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इसी के साथ एक विषय यह भी आता है कि राजस्थान का हरिके बैराज से 18 हजार क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिये, लेकिन 11 हजार क्यूसेक्स मिलता है। इसमें से भी कम कटौती कर दी जाती है और सरकार को पता ही नहीं चलता है।

श्री सभापति: रिपीटेशन नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): राजस्थान की सीमा पर स्थित आरडी 243 का पानी कब एक फीट तक कम हो जाता है, कोई नहीं समझ पाता है। पता तब चलता है, जब हनुमानगढ, गंगानगर के खेतों में किसानों को पानी नहीं मिलता है। विडम्बना यह है कि हरिके बैराज पर पंजाब के तो कई कर्मचारी तैनात हैं, मगर राजस्थान का कोई कर्मचारी नहीं है। एक बेलदार ही यहां

(श्रीमती संतोष)

राजस्थान के हिस्से के पानी की निगरानी रखता था, मगर अक्टूबर, 2019 में वह भी रिटायर हो गया और कई महीनों से वहां पद खाली है। वहां कोई रखवाली करने वाला नहीं है।

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट और है, अगर हम आई जी एन पी नहर का आंकड़ा देखें तो इस साल 1,383 शव मिले हैं, लगातार शव बढ़ रहे हैं, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मर्डर करके भी उसमें डाल दिये जाते हैं या किस प्रकार से उसमें लाशें आ रही हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, अन्त में इतना ही कहूंगी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले और किसानों को पूरा पानी मिले, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है, वह सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है और सिर्फ आई.जी.एन.पी. का जो पानी है, वही उनके लिये जीवनदायी है। वह पानी भी जो टेल पर बैठे किसान हैं, उनको नहीं मिल रहा है। इस पानी को लेकर आंदोलन भी होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे आंदोलन नहीं हों तो किसानों को समय पर पानी मिले और पूरा पानी मिले, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्या। डा. जितेन्द्र सिंह जी।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर पर चर्चा है और इन्दिरा गांधी नहर is the lifeline of Rajasthan. पूरे विश्व में पानी का भारी संकट है। दर्जनों कैपिटल्स जीरो वाटर के कगार पर आ गयी हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बारिश खतम हो गयी है और पानी आना कम हो गया। यह बहुत अलार्मिंग इश्यू है पूरे विश्व के लिये।

सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर के बारे में बहुत-बड़े आंकड़े दिये गये हैं। मैं सलाम करता हूं, हिज हाइनेस गंगासिंह जी को, जिन्होंने आज से 100 साल पहले hundred years back. सभापति महोदय, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राजस्थान जैसा बैकवर्ड स्टेट in whole of the country पूरे भारत में राजस्थान ऐसी जगह थी, जहां हिज हाइनेस ने 1927 में सोचा कि कैनाल आनी चाहिये। आप तो शेखावाटी से आते हैं, आप चूरू से

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आते हैं, हमारे लोग जानते ही नहीं, कैनाल क्या होती है? हिज हाइनेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ट्रीटी करके अपनी नहर बनायी। हमारे लोग तो खेती करना ही नहीं जानते थे, पंजाब से लोगों को लाकर नहर के दोनों तरफ बसाया।

सभापति महोदय, मुझे बाहर जाने का मौका मिला, नाइल रिवर is the lifeline of Arabian Countries. मुझे इजरायल जाने का मौका मिला, पानी नहीं है। जब इजरायल को अडोल्फ हिटलर के वक्त के बाद, जो अलोकेशन हुआ था इजरायल का। Israel was a place of sand dunes. एक बून्द पानी नहीं था।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी भी साथ थे, हम लोगों को जाने का मौका मिला, तब मैं मंत्री था। इजरायल ने किस तरह से पानी को री-स्टोर किया, यह सोचने की बात है। पानी को लेकर जैसे सेम की समस्या आ रही है, excess of water is सेम. जो एक जगह पानी का कलेक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ पानी नहीं है।

सभापति महोदय, I was surprised, इजरायल में एक किलोमीटर डीप कुआ था और उससे जो पानी बाहर आ रहा था I was just like 100 डिग्री फारेनहाइट पर हो और ड्रिप इरिगेशन का उन्होंने सिस्टम बना रखा है। It is the origin of Israel. जिस तरह से 1996 में इन्दिरा गांधी नहर बनी बाद में हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ तक और आगे गडरा रोड तक चली गयी है। यह कैनाल आयी, सारी ड्रिब्यूटरीज बनीं, जब पानी आता है तो सारी प्रोब्लम्स भी आती हैं। आज हम और आप पानी के लिये तरस रहे हैं।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं है, वहां पर पानी नहीं है। 18 हजार क्यूसेक्स टोटल वाटर है और उसमें ड्रिंकिंग वाटर और सोलर प्लान्टस हैं उनके लिये 1200 क्यूसेक्स वाटर है। That is separate. मैं खुद उस समय एनर्जी मिनिस्टर था, अलॉटमेंट आफ वाटर करवाया। झुंझुनूं सीकर के लिये अलग से पानी का अलोकेशन करवाया। इतना पानी आने के बावजूद how to maintain it, how to regularize it. एक तरफ पानी बहुत आ रहा है। पूरा ग्लेशियर इंडो-चाइना बोर्डर से भाखड़ा नागल में पानी आता है, भाखडा नांगल से आता है पोंग में, वहां से हरिके डैम बीच में बना हुआ है, हरिके से आता है रावी में, सतलुज का पानी जो आ रहा है, पाकिस्तान में जैसा कह रहे थे, वह वहां से जा रहा है। जब इस कैनाल को बनाया था, तो

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इंडो-पाक बार्डर के ऊपर उन्होंने इस कैनाल को इस तरह से डिफेंस लाइन बनायी ताकि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो जाये।

सभापति महोदय, जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है, उनके सामने इश्यू तो यह है कि पानी में जिस तरह से सेम हो रहा है, साल्टी वाटर हो रहा है, उनकी बहुत-बड़ी समस्याएं हैं, किस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन आफ वाटर होना चाहिये। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए it's inter-linked, ड्रिंकिंग वाटर भी इन्दिरा गांधी नहर का पार्ट है। 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करके वेस्टर्न राजस्थान में, जो पहले से था, आज उससे बीच का पोर्शन भी जुड़ा। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट आलरेडी इससे बैनिफिटेड हो रहे हैं इन्दिरा गांधी नहर के ड्रिंकिंग वाटर से। आपका स्वयं का विधान सभा क्षेत्र अभी बचा हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिये अलग से बजट दे रखा है। सभापति महोदय, drinking water is the first priority, ड्रिंकिंग वाटर पहली प्रायोरिटी है, हम लोग भूल रहे हैं। जैसे हमारे सारे ट्यूबवैल ड्राई हो गये हैं, धरती के अन्दर एक परसेंट पानी है। कहां से आयेगा? सारे ट्यूबवैल ड्राई हो रहे हैं। हैंडपम्प्स का वजूद खतम हो गया। अब उस नहर के पानी से ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इन्दिरा जी के वक्त में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, नहीं तो अमेरिका से लाल रंग के गेहूं आते थे उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। आज हिन्दुस्तान में व्हाइट एंड ग्रीन रिवोल्यूशन ने पूरी कंट्री का एक सिनेरियो चैंज कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इस समय महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो पानी जा रहा है इन दस जिलों के अन्दर उनकी अपनी प्रोब्लम्स हैं। एक्सेस वाटर हो गया, सिल्टिंग हो गया। दूसरा, द पोल्यूशन आफ द वाटर, मैं तो डाक्टर होने के नाते बता रहा हूं कैंसर इज द मदर आफ वाटर पोल्यूशन। यह वाटर पोल्यूशन हो रहा है जिसमें लुधियाना के केमिकल्स आ रहे हैं, अफैक्ट कर रहे हैं, सारा का सारा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था कि किस तरह से टैम्स नदी, सभापति महोदय, इंग्लैंड की टैम्स नदी को तीन बार री-साइकल कर दिया उन्होंने। गंगा के बारे में कह रहे हैं कि इसकी सफाई होगी। अभी तक खयालात हो रहे हैं। सबसे पहले जरूरी है जो पंजाब से हमारा पानी घुस रहा है

(श्री जितेन्द्र सिंह)

उसको सबसे पहले हमें वहां पर किस तरह से उस पानी को री-साइकल करके ठीक किया जाये वह इम्पोर्टेंट इश्यू है।

सभापति महोदय, ड्रिंकिंग वाटर, डिग्गियों में आकर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये इधर के जो बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उनमें डिग्गियां हैं, डिग्गियों से फिल्टर होता है पानी, फिल्टर होकर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है। डिग्गियां अभी प्रोपर पोजिशन में हैं नहीं, इतनी संख्या में हैं नहीं और उन डिग्गियों का जो पोल्यूटेड वाटर जब लोग पिएंगे तो पंजाब जैसी हालत हो जायेगी जैसा कि हमारे माननीय विधायक साहब फरमा रहे थे कि कैंसर ट्रेन आ रही है बीकानेर के अन्दर। यह की यह हालत सभापति महोदय, जो एक्सेस है, दीज आर द कैंसर, किस तरह से ग्रो कर रहा है इट इज, सबसे बड़ी दुनिया में मौतें इससे हो रही हैं। वी हैव टू बी वैरी कॉशस कि किस तरह से पानी का हमें, तो जो तीन इम्पोर्टेंट मैटर हैं सभापति महोदय, करीबन इन्दिरा गांधी नहर पर अब तक बीस हजार करोड़ रुपये डिफरेंट स्टेजेज में लगाये जा चुके हैं किस तरह से उनका डिसिल्टिंग और किस तरह से इसके ब्रिजेज बने हुए हैं बहुत पहले से ऊपर, कोई मेंटिनेंस नहीं है उनका और उनकी ये तीन-चार जो इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं मैं समझता हूं सरकार को उस पर गौर करना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि जिसका जितना एरिया ज्यादा है हालांकि लिमिटेशन आफ वाटर इज देयर, 18,000 क्यूसेक्स पानी मिलता है, 18,000 क्यूसेक्स पानी राजस्थान में कहां-कहां जायेगा? अल्टीमेटली जब हिन्दुस्तान ब्रिटिश एम्पायर था यहां पर उन्होंने डिसाइड किया था इंटरलिंकिंग आफ द रिवर्स। हमारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सतलज है इन सबको इंटरलिंक करके राजस्थान की चम्बल में जोड़ें। यह प्रोजेक्ट नहीं बन पाया क्योंकि रेलवे आ गया उस वक्त, इट वाज ए फास्टर मोमेंट कि रेलवे से फास्टर हो सकता है।

सभापति महोदय, जिस तरह से आज धीरे-धीरे ग्लोबल वार्मिंग से बारिश कम हो रही है और आपके और हमारे, हम तरस रहे हैं पीने के पानी को। अधिकतर हमारे साथियों के सारे ट्यूबवैल्स नीचे चले गये, पानी नहीं है। सरफेस वाटर इज द ओनली लाइफ सरफेस वाटर। कहां-कहां ले जायेंगे हम? सरफेस वाटर यही है जो इन्दिरा गांधी नहर से आ रहा है। दस जिलों में जा रहा है राजस्थान में तो 33 जिले हैं कहां-कहां ले जायेंगे हम इसको?

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इंटरलिंकिंग आफ द रिवर्स इज वैरी इसेंसियल। यह भारत सरकार का मामला है और भारत सरकार को चाहिये कि अगर हिन्दुस्तान को और हमारे इन प्रान्तों को बचाना है तो इंटरलिंकिंग आफ द रिवर्स पालिसी को एज सून एज पासिबल करें। सभापति महोदय, समुद्र से पानी लाना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर जैसे कि कुवैत में और वहां आ रहा है मैंने देखा मेरी आंखों से, वहां से लाना पड़ेगा, यह नौबत आ जायेगी। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट जिसके अन्दर, सबसे बड़ा है कंट्री में, आप जैसलमेर में क्या सोच सकते हो, केरल के बराबर है, कहां से पानी जायेगा इनके? पीने का पानी है हमारे विधायक महोदय बैठे हैं यहां पर।

सभापति महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहनी है, मैं तो शोर्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि जो इन्दिरा गांधी नहर है उसका ड्रिंकिंग वाटर का इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कृषि के अन्दर आलरेडी 1,200 क्यूसेक्स है जो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर में और इंडस्ट्रिज में लग रहा है बाकी 1,700 क्यूसेक्स तो उसी में लग रहा है। 1,700 क्यूसेक्स नहीं है उसमें मिलता है 11,000 क्यूसेक्स, 17,000 क्यूसेक्स नहीं है, 11,000 क्यूसेक्स ही पंजाब से मिलता है बिकाज वी हैव गोट नो, हमारी जो भाखड़ा नांगल की उनकी कमेटी बनी हुई है उसमें राजस्थान का रिप्रजेंटेशन नहीं है। वो विधायक महोदय बोल रही थीं हमारे सामने बैठी हुई, कोई रिप्रजेंटेशन नहीं है, हू विल प्लीड अस इन द वाटर रिवीजन? कोई नहीं करेगा।

सभापति महोदय, अन्त में, माननीय मंत्री महोदय आप भी विराजे हुए हैं, हमारे जो ईस्टर्न साइड में यमुना कैनाल बन रही है इट इज नोट रिलेटेड विद इन्दिरा गांधी नहर बट आई वुड लाइक टू से यू कि जो यमुना कैनाल हमारे शेखावाटी के अन्दर कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है वहां से बहुत दूर है इन्दिरा गांधी नहर। हमारा आपसे आग्रह है कि झुंझुनूं जिले को आप प्रायोरिटी के आधार पर जो इन्दिरा गांधी नहर हमारी यमुना कैनाल है उससे माननीय मंत्री महोदय, जोड़ने का कष्ट करें और उसको इन्क्लूड करें ताकि मंडावा को, खेतड़ी को, सूरजगढ़ को और सबको पानी मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, आज सदन का और हम

(श्री बिहारीलाल)

सबका सौभाग्य है कि हम उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की भागीरथी की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी नहर इन्दिरा गांधी नहर पर चर्चा कर रहे हैं। इस नहर पर चर्चा करें और बीकानेर के महाराजा गंगासिंह को याद न करें, ऐसा हो नहीं सकता और महाराजा गंगासिंह जी कितने दूरदृष्टा थे, गंग कैनाल और इस कैनाल का भी डिजाइन उनके इंजीनियर कंवरसेन ने बनाया। अभी हमारी साथी विधायक लाडपुरा से आने वाली कल्पना कुमारी जी बात कर रही थी अपनी दादी सास की। वे स्ट्रिक्ट थीं, अनुशासनप्रिय थीं सभापति जी, निश्चित तौर पर थीं क्योंकि वो महाराज गंगासिंह जी की बेटी थी। ऐसे महाराजा गंगासिंह जी और ऐसा उनका डिजाइन, ऐसी उनकी कल्पना। गंगनहर आज गंगानगर, हनुमानगढ़ की जीवनरेखा है और इन्दिरा गांधी नहर पूरे उत्तर-पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है।

माननीय सभापति जी, मैं छोटे-छोटे पाइंट्स के माध्यम से बात करना चाहूंगा। 8.6 मिलियन एकड़ फीट हमारा शेयर है और उसमें से 0.6 एम.ए.एफ. पानी पंजाब से अभी तक हमको नहीं मिलता है। जैसा आदरणीय कासनियां जी ने बताया कि हमारा सैकण्ड फेज तैयार नहीं था इसलिए पंजाब को एक बार यूज करने के लिए दिया, पंजाब मालिक बन बैठा। आज सुप्रीम कोर्ट में हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अधिकारियों को, सरकार को पूरी ताकत से उस लड़ाई को लड़ना चाहिये और जीतना चाहिये यह राजस्थान के हक की बात है। बी बी एम बी में राजस्थान का कोई मैंबर नहीं है, 57 वर्षों से हमारी मांग है। मैं भास्कर अख़बार और उसके संवाददाता लोकेन्द्र जी और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगातार लम्बी नहर की यात्रा करके एक लम्बी सीरीज के रूप में नहर की एक-एक बात को उन्होंने छापा। यह जब संज्ञान में आया, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का खुलासा हुआ तो सारी बातें सामने आयीं और केन्द्र की सरकार ने, केन्द्र के जल शक्ति मंत्री ने इनिशियेटिव लेते हुए आज उसमें तीसरे मैंबर की व्यवस्था भी हुई है तो राजस्थान की सरकार को, अधिकारियों को चाहिये कि कैनाल के सिस्टम को समझने वाले मूर्धन्य जानकार व्यक्ति को राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में उसमें तीसरे मैंबर के रूप में जगह दी जाये ताकि राजस्थान के हितों की बात पुरजोर तरीके से वहां की जा सके।

आदरणीय सभापति जी, हरिके बैराज पर जैसा अभी सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अधिकारियों की क्या स्थिति है, पंजाब के तो

(श्री बिहारीलाल)

अधिकारी वहां भरे पड़े हैं बड़ी संख्या में और राजस्थान की तरफ से मात्र एक एक्स.ई.एन. और एक बेलदार तो कैसे मानिटरिंग कर पायेंगे हम इतने बड़े कैनाल सिस्टम की? वहां हमारे अधिकारियों की भी बहुत मजबूत उपस्थिति होनी चाहिये।

माननीय सभापति जी, कासनियां जी ने कहा, हरिके बैराज पर पांच गेट से राजस्थान को पानी मिलता है दो गेट अभी बनने और हैं और वहां पंजाब में गुरुद्वारा बन गया है उनके बीच से दो गेट नये निकालकर माननीय सभापति जी, हमारे फीडर में डाले जायें तो हमारे हक का पानी राजस्थान को पूरा मिल सके। तीन सालों में 77 दिनों की नहरबंदी से री-लाइनिंग हुई है तो निश्चित तौर पर नहर की स्ट्रेन्थ हुई है ताकत बढ़ी है तो क्यों नहीं उसमें हमारे हक का 15,000 क्यूसेक्स तक का पानी जबकि हमारी क्षमता तो 18,500 क्यूसेक्स की है तो उसमें हमारा 15,000 क्यूसेक्स पानी तो हमारी नहर में चल सकता है तो वह भी किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति जी, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि डैम का लेवल कभी 1,910 तक भी भरा जाता था। आज डैम का लेवल घटा कर 1,390 तक कर दिया गया है और उस डैम में पानी भी कम आ रहा है क्योंकि डैम का जो कैचमेंट एरिया है वहां से जो विस्थापित हुए थे किसान, उन विस्थापितों को राजस्थान में जो हमारे क्षेत्र में जमीनें दी गयी थीं वो अपनी जमीनें बेच-बाच कर वापस अपने क्षेत्र में चले गये और डैम के कैचमेंट एरिया में खेती करने लग गये हैं जिससे जलभराव में भी समस्या उत्पन्न हो गयी है। डैम की भराव क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये, डिसिल्टिंग भी की जानी चाहिये और वहां जो किसान वापस बस गये हैं और खेती करने लग गये हैं कैचमेंट एरिया में तो वहां के लिए भी राजस्थान की सरकार एक प्रतिनिधिमंडल बनाये और उस प्रतिनिधिमंडल में अधिकारियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधि भी हों और जन प्रतिनिधियों में कोटा से आने वाली हमारी माननीय सदस्या तो जरूर हों क्योंकि ये उसी क्षेत्र हिमाचल से आती हैं, हमारा नेतृत्व करती हैं, वहां जायें और वहां की सरकार से बात करें कि वहां के कैचमेंट एरिया में खेती बंद करें। हमारे डैम में पानी आये तो राजस्थान की नहर में बहुत पानी आये।

आदरणीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात वैज्ञानिकों को, कृषि

(श्री बिहारीलाल)

विशेषज्ञों को और हम सबको चिंता करनी होगी। माननीय मंत्री महोदय, जिस तरह से हम फ्लड इर्रिगेशन पर डिपेंड हैं, नहरों से हम फ्लड इर्रिगेशन करते हैं, उस सिस्टम को छोड़ना होगा। स्प्रिंकलर और ड्रिप इर्रिगेशन की तरफ हम सबको बढ़ना होगा और हम सबको क्रॉपिंग पेटर्न भी बदलना होगा। समय के साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, कौनसी क्रॉप कामयाब हो सकती है, कम पानी में हम उस क्रॉप को ले सकते हैं जिससे किसान को फायदा हो, ऐसे क्रॉपिंग पेटर्न भी बदलना होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी बात आयी कि 10-11 जिलों में पीने का पानी इस जीवनदायिनी नहर से आता है और नहर बंदी के बाद हमने देखा कि जब नहरों में पानी छोड़ा गया तो तीन दिन तक लगातार काला पानी, केमिकलयुक्त पानी चला। पंजाब के लुधियाना, जालंधर में सीवरेज का पानी, एस.टी.पी. का पानी, सी.टी.पी. का पानी, गौशालाओं का पानी इसमें डाल दिया जाता है। उसको लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी हुई और एन.जी.टी. ने पंजाब सरकार पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया, उन फैक्ट्रीज पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है, लेकिन अभी तक भी उस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। यह गंदा पानी आता है, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। राजस्थान की सरकार, माननीय मंत्री जी, हमारे अधिकारी पुरजोर पैरवी करें कि एन.जी.टी. के फैसले लागू हों और जो सीवरेज का पानी हमारे पानी में मिलता है, पंजाब सरकार उसको बंद करे।

माननीय सभापति महोदय, यह तो बात हुई बहते और निर्मल पानी की। एक बीकानेर में ठहरे हुए जहरीले पानी की आधा मिनट की बात है। बीकानेर में हमारे करनी औद्योगिक क्षेत्र में 551 फैक्ट्रियों के सीवरेज के पानी का 58 बीघा में तालाब बन चुका है और 551 फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। कल ही वहां एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक फैक्ट्री में ईटीपी टैंक खाली करते वक्त हमारे वाल्मीकि समाज के और नायक समाज के चार साथी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। रीको ने जब इस औद्योगिक एरिया को काटा तब यह तय किया था और विश्वास दिलाया था कि सी.टी.पी. का निर्माण रीको करेगा और उसके लिये 29 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रीको करेगा। माननीय मंत्री जी बैठी हैं, यह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उन चारों को 25-25 लाख मुआवजा मिले, परिवार के

(श्री बिहारीलाल)

एक एक सदस्य को नौकरी मिले और रीको अपना वर्षों पुराना वादा पूरा करे, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर साढ़े पांच बजे तक कर दिया जाय।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया गया। समय का थोड़ा ध्यान रखें, साढ़े पांच बजे अपने को कार्यवाही समाप्त करनी है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विभिन्न विषयों पर विचार

इन्दिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे दीर्घ संसदीय जीवन में शायद यह पहला मौका है जब किसी विभागीय प्रतिवेदन पर यह सदन चर्चा कर रहा है और इस चर्चा के माध्यम से मंथन के बाद जो बात निकलेगी, कम से कम राजस्थान के लोगों को जो जिज्ञासा सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, आज तक यह मालूम नहीं कि राजस्थान की जीवनदायिनी इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कमान किसके हाथ में है। मालविया जी, कम से कम अब राजस्थान की अवाम को यह मालूम तो पड़ेगा कि वागड़ के एक आदमी के हाथ में राजस्थान कैनाल की कमान है।

सभापति महोदय, एक ओर केन्द्रीय सरकार ने जल संसाधन की महत्वता को देखते हुए जल संसाधन से जुड़े हुए सारे मंत्रालयों को एक छत के नीचे लाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया। वहीं इस बार सिंचाई विभाग और विशेष तौर पर सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के इतने टुकड़े किये हैं कि आज आम आदमी भ्रमित है कि किसके पास जाये, किसको कहे। मंत्री महोदय, इसका नतीजा भी है, मैं मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जब साल-साल भर रेगुलेशन तय नहीं हो। सभापति महोदय, जब रेगुलेशन तय नहीं होगा, किसान को मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको कितनी बारी पानी मिलेगा तो वह किस प्रकार अपनी फसल के बोये जाने की प्रक्रिया में अपनी प्राथमिकता तय करेगा। मंत्री महोदय, मेरी मांग है कि कम से कम साल के प्रारम्भ में रबी और खरीफ, दोनों का आप एक साथ रेगुलेशन तो तय करें।

सभापति महोदय, महाराजा गंगासिंह जी का यहां जिक्र हुआ और सही में उनको सन आफ सोइल इसीलिए कहा गया कि उस समय कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा था, 1903 में तत्कालीन समय में इंजीनियर स्टेंडली को उन्होंने गंग केनाल की परियोजना को बनाने का काम दिया। जब 1903 में अंग्रेजी इंजीनियर स्टेंडली इस योजना को क्रियान्वित कर रहे थे, बहावलपुर के नवाब ने एतराज किया कि मेरी धरती से मैं यह नहर नहीं निकलने दूंगा। उस समय लार्ड कर्जन को उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में अकाल दर अकाल नियति बन गई। लार्ड कर्जन की मध्यस्था में बहावलपुर के नवाब को उन्होंने मुआवजा देकर मनाया और इस नहर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। जब मैं पूरे इतिहास को देख रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, 5 दिसम्बर, 1925 को उन्होंने नहर निर्माण प्रारम्भ किया और 26 अक्टूबर, 1927 को गंगानगर तक नहर का निर्माण हो गया। सभापति महोदय, आपको मालूम है इसमें कितना पैसा लगा, 3 करोड़ 10 लाख 97 हजार। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो यह मांग उठी कि इस कैनाल में कहीं न कहीं ऐसी जगह बनानी चाहिये ताकि उनके द्वारा कृत्यों को आने वाली पीढ़ियां याद रखे। सभापति महोदय, 1948 में जब बीकानेर रियासत के तत्कालीन चीफ इंजीनियर कंवरसेन ने राजस्थान कैनाल की योजना बनाई, अभी आप सही कह रहे थे, 1948 में योजना बनी 66 करोड़ 67 लाख की और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज इस योजना का सैकण्ड फेज अधूरा है और उसके बाद भी 6265 करोड़ रुपया खर्च हो गया।

मुझ से पहले यहां इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई। मुझ से पहले यहां इराडी कमीशन की बात हुई। सभापति महोदय, जब देश में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, उस समय रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब नदियों के बारे में, इनके बहाव क्षेत्र का पानी कौनसे मुल्क को जायेगा, उसमें वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में इंडस वाटर ट्रीटी हुई। इराडी कमीशन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बना और इराडी कमीशन के आधार पर हमारा शेयर उस समय 52.70 तय हुआ था, 8.6 एम.ए.एफ.। यह मैं सरप्लस वाटर के फ्लो वाटर की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन की स्वीकृति पर रावी, व्यास और सतलुज के संगम पर यह पोंग डैम बना। पोंग डैम जब बन गया, उस समय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि लोंगेवाला अकोर्ड हुआ था। उस समय 1981 में वह राजस्थान के लिये काला दिन था जिसका जिक्र सदन में कई लोगों ने किया। तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में राजस्थान के मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर, पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में 1981 का एक समझौता हुआ और हमने 8.6 एम.ए.एफ. में से 0.6 एम.ए.एफ. पानी यह कह कर छोड़ा कि अभी हमारी नहरों की क्षमता पूरी नहीं हुई है। उस समझौते में लिखा गया कि जिस दिन राजस्थान की नहरें 0.6 एम.ए.एफ. अतिरिक्त पानी को लेने की क्षमता पैदा कर लेंगी, उस दिन राजस्थान को यह पानी मिल जायेगा। वो दिन है और आज का दिन है, वर्ष दर वर्ष निकलते गये, 41 वर्ष से ज्यादा समय निकल गया। इस 0.6 एम.ए.एफ. पानी से दो लाख हैक्टेयर से ज्यादा इर्रिगेशन हो सकता था। एन.डी.सी. की मीटिंग में माननीय प्रतिपक्ष के नेता एक बार गये, इन्होंने यह बात उठाई। एन.डी.सी. की मीटिंग में मुझे एक बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, मैंने यह बात उठाई। हमारे सदन के माननीय नेता ने यह बात उठाई, परन्तु सभापति महोदय, हमें वह पानी नहीं मिला और हमें अब उस पानी की उम्मीद इसलिए भी नहीं करनी चाहिये कि अभी पंजाब में चुनाव हुए हैं और मैं सारे राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र देख रहा था, हर राजनीतिक दल ने एक ही बात कही कि पंजाब के पानी पर पंजाब का पहला हक है। पंजाब की धरती से दूसरे राज्यों में जो पानी जा रहा है, उसको हम रोकेंगे। जब नीयत यह हो जाये तो फिर होगा क्या? सभापति महोदय, जब आप कलेक्टर विराजते थे, अचानक एक बार आपके पास समाचार गया और हम सब एम.एल.एज. को बुलाया गया। उस समय 1 जुलाई, 2004 को, शायद सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य या और कोई कह रहे थे, उस समय प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे। प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, कैप्टन अमरिन्दर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और 1960 के समझौते को रद्द करने के लिये पंजाब की असेम्बली ने पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट, 2005 पारित कर दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम सब विधायकों का विशेष सत्र बुलाया गया, हम सब लोग आये और हमने उस टर्मिनेशन एक्ट को सिरे से खारिज किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधरा जी को, उसी समय राजस्थान के सारे सांसद, चाहे किसी भी दल के सांसद हो, वे सारे उनके साथ तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के पास गये उसका नतीजा यह हुआ कि आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस

(समय: 17.00 बजे)

हुआ। भारत के राष्ट्रपति ने इसकी वैधानिकता के लिये इसको सर्वोच्च न्यायालय में भेजा। आज की तारीख में भी वह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में 143 में पैंडिंग है।

सभापति महोदय, मैं एक बड़ी गम्भीर बात कहना चाहता हूं। अभी केन्द्र सरकार ने अन्तरराज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है। इससे अन्तरराज्यीय नदी-जल विवाद अधिनियम, 1956 को रिप्लेस किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1956 का जो Inter State water dispute Act था, उसमें यह था कि जब दो राज्यों के बीच में डिस्पुट होगा, जल विवाद होगा तो उसके लिये एक ट्रिब्यूनल बनेगा और वह ट्रिब्यूनल तय करेगा। अन्तरराज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 जो संशोधन हुआ, उसमें यह तय किया गया कि अब यह नहीं, अब सारे देश के अन्दर जितने भी राज्यों के बीच में, कावेरी का मामला जब चला था, उस समय यह संशोधन लाना पड़ा था। इसलिये लेकर आये कि पूरे देश के सारे जल विवाद..। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य पढ़ते हैं, इसलिये मैं उनको कहूंगा कि आप जाकर अध्ययन करना। सारे देश के जितने भी वाटर डिस्पुट हैं, इस अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने कहा कि एक ट्रिब्यूनल बनेगा। उसका एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और उसमें 6 एक्सपर्ट मैम्बर होंगे।

सभापति महोदय, इसमें एक और संशोधन कर दिया। आर्टिकल 264 (2) में उन्होंने कह दिया कि ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है, वह सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू केस से बाहर रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रिब्यूनल के फैसले में जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकता। आर्टिकल 262(3) में सारी राज्य सरकारों को कह दिया कि अगर आपका इस प्रकार कोई डिस्पुट हो तो आप आर्टिकल 262(3) के अनुसार केन्द्र सरकार को लिखें और केन्द्र सरकार जो वाटर डिस्पुट ट्रिब्यूनल बना है, उसमें भेज दे। आज वह स्थिति नहीं है। मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2019 के इस संशोधन के बाद जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्थायी वाटर डिस्पुट ट्रिब्यूनल बना है, उसके अन्दर हमें अपनी पैरवी मजबूती से करनी चाहिये, 0.6 एम.ए.एफ. के लिये। मैं समझता हूं कि इसके लिये पूरा सदन एकमत है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। 1981 के बाद पुल के नीचे से कितना पानी बह गया। 0.6 एम.ए.एफ. पानी उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने छोड़ा और उसके बाद हम भी शासन में आये। हम भी उसको नहीं ला पाये। आज की तारीख में इस सदन को एकमत होकर 0.6 एम.ए.एफ. पानी के लिये लड़ना चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, मुझसे पहले, क्योंकि मुझे आपने कहा, इसलिये मैं निश्चित समयावधि में अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान कैनाल इसका नाम था। 2 नवम्बर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के नाम से इंदिरा गांधी कैनाल हुआ। इसकी बुनियाद तो महाराजा गंगासिंह जी ने रखीं थी। यह गंग कैनाल का वृहत प्रोजेक्ट ही था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि 1958 की बात इन्होंने की। इसका शिलान्यास गोविन्द बल्लभ भाई पंत ने किया। 11 अक्टूबर, 1961 को नौरंगदेसर से जल प्रवाह करके तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया। सभापति महोदय, मैं लम्बी बात इसलिये नहीं करूंगा। फिरोजपुर हैड से राजस्थान नहर, पंजाब और हरियाणा के अन्दर हमारी मेन कैनाल 204 किलोमीटर है। उसके मसीतावाली से मोहनगढ़ तक की हमारी 445 किलोमीटर है और 9060 किलोमीटर की इसकी वितरिकाएं हैं। जब एक समय था, जब एक-एक बूंद पानी के लिये तरसा करते थे। अभी टिब्बी से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे कि उनका इलाका सेमग्रस्त हो गया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हमें इस बात की चिन्ता करनी पड़ेगी। यह आज की बात नहीं है, सभापति महोदय, हर वर्ष। मंत्री महोदय, मैं कोई सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा। पाकिस्तान में पानी नहीं जाये, इसलिये गेटों की मरम्मत पर आवश्यक धनराशि भी खर्च की थी पर, आप पिछली बार का ही देख लें। 6 हजार क्यूसेक्स पानी गेट से निकालना पड़ा। गेट से इसलिये निकालना पड़ा कि आज की तारीख में हमारी नहर की एक्चुअल कैपेसिटी 18 हजार 500 क्यूसेक्स की नहीं है। हम जब 12 हजार क्यूसेक्स पानी लेते हैं तो नहर हांफने लग जाती है।

मैं एक और बात सदन को याद दिलाना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के नेता को भी याद दिलाना चाहता हूं। 2007 का जून का महीना, हमारी तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने फिरोजपुर हैड वर्क्स से लेकर मोहनगढ़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के टेल तक की यात्रा की, जिसमें हम लोग भी समय-समय पर शामिल हुए। उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा, नहर के रिसाव को देखा और पानी की बर्बादी को देखा, क्षतिग्रस्त फीडर को देखा, 2008 में। मंत्री महोदय, आप चाहें तो लिख लें। 2008 में पंजाब क्षेत्र में जो फीडर बने हैं, उनके लिये 952 करोड़ रुपये, हरियाणा में बने हुए फीडर के लिये 421 करोड़ रुपये, लाइनिंग और मरम्मत के लिये सेंट्रल वाटर कमीशन से मन्जूर कराये। जब आपके पास मन्जूरी आयी, तब तक हमारी सरकार बदल गयी। नवम्बर, 2009 में मन्जूरी आयी और उसमें शर्त रखी थी कि 2014 तक यह काम पूरा होना है। चूंकि हम कई बार राजनीतिक रूप से कि इसको वाहवाही मिलेगी, उसको वाहवाही मिलेगी, इस चक्कर में हमने इस काम को चालू नहीं किया। सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या निकला?

अभी ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या कई बातें कह रही थीं। मैं उनकी बात को नहीं काटूंगा, पर मैं जो तारीख बता रहा हूं मैं चाहूंगा कि मंत्री जी चाहें आप लिख लें। 13 नवम्बर, 2015 को केन्द्रीय जल आयोग की 127वीं बैठक हुई, उसमें एक हजार 305 करोड़ रुपये सरहिन्द फीडर और 671 करोड़ रुपये हरियाणा के पोर्शन के लिये मन्जूर हुए हैं। आप जो 1976 करोड़ की परियोजना की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हर मामले में नहीं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार अपने खुद के बजट हैड से कर रही है। सरकार खुद के बजट हैड से नहीं कर रही है। मैं यह मानता हूं कि इसमें राजस्थान सरकार का शेयरिंग है। पहले 90:10 था, उसके बाद 60:40 हुआ। यह वही स्कीम है, जो मैंने कहा कि वाटर कमीशन की 127वीं बैठक हुई, उसके अन्दर यह पैसा, जो कि आपने इस बार बजट में घोषणा की। मैं निवेदन करूं कि मंत्री महोदय आपने बजट में घोषणा करवायी। 2020 के पैरा 55 में 1976 करोड़ की, जो कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के समय में केन्द्र सरकार के सहयोग से पारित हुआ। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि यह जो लाइनिंग का काम है, जिस लाइनिंग के काम का जिक्र मुझ से पहले सब वक्ताओं ने किया, कम से कम ईश्वर के लिये, जब यह प्रगति प्रतिवेदन चर्चा के लिये आ गया, आप एक बार भगवान के लिये लाइनिंग के काम को देखने के लिये जायें। लाइनिंग के काम में इतना खोटा काम, इतना निम्न स्तर का काम, मैं सदन में जिम्मेवारी से कह रहा हूं। यह आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम क्लोजर ले रहे हैं। सभापति महोदय, तीन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बार क्लोजर लिया। सभापति महोदय, आपने उस क्लोजर की पीड़ा को भुगता है। आपके यहां भी यही पानी जाता है, मेरे यहां भी यही पानी जाता है, पर जिस प्रकार से मन्थर गति से यह काम चल रहा है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

अभी मुझसे पहले बी बी एम बी की बात चली, भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट की बात चली। सभापति महोदय, कई बार इतिहास में वे गलतियां हो जाती हैं, जिनको हम वर्षों तक नहीं सुधार सकते। जब पंजाब री-आर्गेनाइजेशन हुआ और पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना। 01 नवम्बर, 1966 को जब पंजाब और हरियाणा अलग-अलग हुए तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के नियम 79, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। Bhakhra Management Board. The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakra Management Board for the administration, maintenance and operation of the following works, namely:- (a) The irrigation headworks at Rupar, Harike and Ferozepur. सभापति महोदय, मतलब इसमें क्या है? The Central Government shall... यही नहीं, सभापति महोदय, राजस्थान न्यायालय का एक निर्णय है। मंत्री महोदय, चाहें आप लिख लें। यह डी.एम. सिंघवी वर्सेज राजस्थान सरकार। इसमें साफ कहा कि बी.बी.एम.बी. के अन्दर राजस्थान को स्थायी सदस्यता दो। कोर्ट ने सारी बात सुनकर यह कहा। उसके बाद पंजाब ने स्टे ले लिया और वह स्टे पड़ा है। मैं समझता हूं कि हमको दो तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिये। जब तक बी.बी.एम.बी. में हमारा प्रतिनिधि नहीं बैठेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि गंगानगर में आंदोलन चला। गंगानगर में आन्दोलन चला तो किसानों ने कहा कि पंजाब हमारे पानी पर डंडी मार रहा है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर। यह जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का शब्द आया था कि The Central Government shall constitute...तो हमें केन्द्र सरकार पर भी दबाव डालना चाहिये। जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है, उस स्टे को खारिज कराने की कोशिश करनी चाहिये। हमें संकल्पबद्ध होना चाहिये कि बी.बी.एम.बी. में राजस्थान सदस्य बने, इसके लिये हम संकल्पबद्ध रहें। सभापति महोदय, मुझे मालूम है। मैं निश्चित समय पर अपनी बात पर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। सभापति महोदय, मुझे भी पीड़ा है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को भी पीड़ा है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है, उसको दस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिले पीते हैं। हालत यह है कि मेरे से पहले जिन्होंने बताया कि 2 करोड़ 26 लाख लोग पीते हैं और उसमें भी 20 परसेंट लोग तो ढाणियों में रहते हैं। इन दस जिलों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनूं और सीकर। नेता प्रतिपक्ष, 20 परसेंट लोग आज भी ढाणी में रहते हैं। नहर का पानी आता है, रॉ वाटर को अपनी डिग्गी में डालते हैं और उसको पीते हैं।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा ये जो सतलुज नदी है, इसके पैरेलल दो नाले चलते हैं बड़े-बड़े, एक चित्तीबेन नाला और कला संघियन नाला। एक तो सतलुज के उत्तर की तरफ चलता है और एक दक्षिण की तरफ चलता है। जालन्धर, फगवाड़ा, कपूरथला, नकोदर का सीवरेज का, फैक्ट्रियों का, चमड़ा उद्योग का पानी, चित्तीबेन नाले से उस सतलुज के दरियाव में, 35 नगरपालिकाओं का और 2,500 फैक्ट्रियों का सीधा पानी ड्रेनेज और सीवरेज का आता है। ये 723 क्यूसेक्स है। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। एन.जी.टी. ने जुर्माना किया। मैं समझता हूं अभी भास्कर का जिक्र इन्होंने किया। भास्कर की नहर यात्रा में मैं एक शीर्षक पढ़ रहा था 'जानिये कैसे जीवनदायिनी पानी, बीमारी बांट रही है आपको'।

सभापति महोदय, अभी बीकानेर के अन्दर जब यह मामला चला तो प्रदूषण मंडल से आपने सैम्पल लेने की बात कर दी। मैं आपके प्रदूषण मंडल के सेम्पल को देख रहा था। उसमें जिंक है, निक्कल है, क्रोमियम है, लैड है, नाइट्रेट है, लोहा है, ईकोलाई, मतलब 13-13 लाख ईकोलाई और पंजाब प्रदूषण मंडल के अध्यक्ष संत बलबीर सिंह ने भी माना कि निश्चित तौर पर हमें पंजाब में चार ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, खतम कर रहा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमानगढ़ की एक संस्था है 'सावधान', मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस संस्था के अध्यक्ष शंकर सोनी एडवोकेट को। शंकर सोनी, एडवोकेट लोक अदालत में मामला लेकर गये। लोक अदालत ने प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान लेकर कहा कि राजस्थान सरकार को, पोल्यूशन बोर्ड को, इन दस डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले पानी को बंद कीजिए। यही नहीं, लोक अदालत के निर्णय पर राजस्थान की सरकार गयी हाई कोर्ट में। लोक अदालत का फैसला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मान नहीं ले, एन.जी.टी. जुर्माना कर रहा है और ये रिट पिटीशन 1291/2012 में स्थगन ले लिया। आप ही थे, मैं नहीं था। मतलब 2012 के अन्दर, ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या, एक लोक अदालत फैसला करती है कि ये प्रदूषित पानी इन दस जिलों में मत पिलाओ, मौत मत बांटों और आप स्टे लेते हैं।

मैं समझता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी एक रिट पिटीशन थी 25 मई, 2018 को डी.के. गौड की, उसमें भी एडवाइजरी जारी की। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसलिये मैं चाहता हूं अभी संसद में भी मामला उठा। इस एक मामले के लिये इस पंजाब ने सारी कोशिश करने के बाद, एन.डी.सी. की बैठक में बात करने के बाद अभी तक प्रदूषित पानी डालना बंद नहीं किया है। ये मौत का मंजर है, ये मौत बांटने का काम हो रहा है। मैं समझता हूं इसके लिये हम सब लोगों को मिलकर दबाव बनाना चाहिये।

अंत में, मैं इस प्रगति प्रतिवेदन को देख रहा था, मैं एक बात कह कर बात समाप्त करता हूं। इस प्रगति प्रतिवेदन में दो तालिकाएं दी गयी हैं। मैं कहना तो बहुत चाहता था। प्रगति प्रतिवेदन 2021-22, पृष्ठ 6, मतलब आपका बजट जो आपने 431 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 206 करोड़ रुपये खर्च किये। सभापति महोदय, आप नहर की मरम्मत को देखिए, ये भौतिक प्रगति आय-व्यय निष्पादन, नहर की मरम्मत होनी थी 172 किलोमीटर में और की 65 में, जैसलमेर क्षेत्र में होनी थी 137 में और की 17 किलोमीटर में। मतलब किस प्रकार का खिलवाड़ है? नहर की मेंटिनेंस का पैसा भी हम पूरा नहीं करते।

मैं, अंत में, धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम वार्षिक प्रतिवेदन जो कभी खोलते नहीं थे, उस वार्षिक प्रतिवेदन पर आपने बहस चलाकर एक मौका दिया और मैंने जो बुनियादी सवाल खड़े किये बी.बी.एम.बी. के लिये, प्रदूषित पानी आ रहा है इसके लिये और जो पाकिस्तान में रिसाव होकर पानी जा रहा है इसके लिये और जो 1976 करोड़ रुपये तत्कालीन बी.जे.पी. की सरकार में मंजूर हुए, उन पैसों से लाइनिंग का काम अपमार्क हो, सही हो, इसके लिये निश्चित तौर पर मंत्री महोदय आपको संज्ञान होना चाहिये। एक आप अपना फोटो का विज्ञापन प्रकाशित करायें, पैसे लगेंगे मैं दूंगा, मैं हूं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का मंत्री ताकि सब लोगों को मालूम पड़ जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। देखिए 5 बजकर 30 मिनट पर आज की कार्यवाही समाप्त करने का संकल्प हमने ले रखा है और बोलने वाले दो माननीय सदस्य हैं। माननीय मंत्री महोदय को भी बोलना है। इसलिये तीन-चार मिनट आप बोलें। श्री नरेन्द्र बुडानिया साहब कुछ बोलना चाह रहे थे।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, आपने बहुत समय सीमा बांध दी मेरे लिये, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रगति प्रतिवेदन पर उन्होंने डिस्कशन किया। एक नयी शुरुआत की। इसका बहुत अच्छा संदेश जायेगा और भविष्य में बाकी प्रतिवेदनों पर डिस्कशन होगा।

सभापति महोदय, यह सही है कि इन्दिरा गांधी कैनाल हमारी लाइफ लाइन है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के लिये। इसमें हमारे लिये 8.6 एम.ए.एफ. पानी स्वीकृत हुआ जबकि हमें मिल रहा है 7.59 एम.ए.एफ.। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिये, सभी को मिलकर, पक्ष को, विपक्ष को साथ मिलकर जो पानी हमारा बचा हुआ है, उस पानी को लेने पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद पंजाब का दौरा किया और इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया और एक अच्छी शुरुआत की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर उनको शक्ति दे और हमारा पानी हमारे राजस्थान के लोगों को मिले।

सभापति महोदय, 19.63 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होनी चाहिए थी। योजना बनी थी इसके लिये। मैं सारे डिस्कशन पर नहीं जाकर सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। 2005 में हमारी तत्कालीन सरकार, बी.जे.पी. की सरकार ने हमारे क्षेत्र का रकबा काट दिया। कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की 1.38 हैक्टेयर जमीन जो सिंचित थी, उसको असिंचित घोषित कर दिया। इस प्रकार के निर्णय लेना, ये कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की नहीं बल्कि राजस्थान की अन्य 7 लिफ्ट कैनालों के लिये भी निर्णय लिया गया लेकिन दु:ख की बात यह है कि सारी कैनालों का एक तरफ, लिफ्ट कैनाल का एक तरफ रकबा काटा और आधा रकबा हमारी इस कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का काटा।

सभापति महोदय, आज किसी प्रकार की योजना बनाना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत पैसा खर्च होता है लेकिन हमारे नेताओं ने अपनी इच्छाशक्ति को दर्शाते हुए ये जमीन किसानों के लिये, किसानों के हित के लिये, किसानों की आने वाली पीढ़ियों के लिये सिंचाई का रकबा जोड़ा, उसके लिये प्लान बनाया, लेकिन 2005 में ये होना चाहिये था। उस तत्कालीन सरकार को इस प्रकार का रिसर्च करना चाहिये था। योजना बनानी चाहिये थी कि हम किसान का रकबा

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

नहीं काटकर पानी की उसको कैसे पूर्ति कर सकते हैं, तब तो बात समझ में आती, लेकिन बहुत आसान था कि मंत्रिमंडल में बैठकर रकबा काटने का निर्णय ले लिया। आज किसान जानते हैं इस बात को कि उनके पेट के ऊपर लात मारी। आने वाली पीढ़ियां जिनके सपने थे, वे सपने उनके चूर हो गये।

सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे तारानगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 20 हजार 641 हैक्टेयर जमीन सिंचित हो चुकी है। इस पर सारा सिस्टम बन चुका है। 20 हजार हैक्टेयर जमीन की माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी। उनका एक ऐतिहासिक फैसला था। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा एक ताला लगा हुआ था इस निर्णय के ऊपर कि रकबा काट दिया गया था और उस रकबे को जोड़ने के अन्दर 20 हजार हैक्टेयर जमीन को उन्होंने सिंचित घोषित किया। तब यह कहा गया कि जमीन पर आयेगा तब देखेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अन्दर कि सैकड़ों ट्रैक्टर चल रहे हैं, नहर बन रही है। उस नहर को देखने किसान आ रहे हैं दूर-दूर से। आज मुख्य मंत्री जी ने ये ताला खोला है, ये रास्ता खोला है। आगे भी जमीन रकबे को बढ़ाने के लिये सरकारें प्रयास करेंगी, हमारे जन-प्रतिनिधि प्रयास करेंगे और किसानों को पानी मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बीस साल के अन्दर एक ईंट नहीं लगी। एक ईंट नयी नहर के लिये नहीं लगी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 हजार हैक्टेयर जमीन की स्वीकृति देकर एक बहुत बड़ा काम किया है। 10 हजार हैक्टेयर पर काम चल रहा है। घोषणा के अनुसार 10 हजार पर काम होना बाकी है। मैं समझता हूं जल्दी ही सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ेगी और जो बचा हुआ रकबा है, उस पर निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास करेगी। मैं मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बुडा तीन तहसीलों से बना हुआ है। सरदारशहर का क्षेत्र भी लगता है, राजगढ़ का क्षेत्र भी लगता है, तारानगर का क्षेत्र भी लगता है। 20 हजार हैक्टेयर में तीनों तहसीलों के अन्दर इसका रकबा जुड़ेगा। जो राजगढ़ है, सरदारशहर है, उस क्षेत्र का भी रकबा कट गया। वहां पर आज हमारी इतनी अच्छी जमीन है, उस पर विचार करना चाहिए और उसको जोड़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। महोदय, मेरा बहुत थोड़ा रकबा बचा है, मात्र 8-10 हजार रकबा बचा है। मैंने मुख्य मंत्री जी को निवेदन किया है, मैंने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी निवेदन किया है, हमारे

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

इंजीनियरों को भी निवेदन किया है। हमारे इंजीनियरों और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेहनत करके किस प्रकार से हम पानी ले सकते हैं, इस ओर प्रयास किया।

श्री सभापति: थैंक यू, माननीय सदस्य। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): महोदय, हम आज कैसे आगे बढे। इसमें फव्वारा पद्धति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी जमीन रेतीली है, उपजाऊ है, यहां रकबा बढ़ाने के लिये फव्वारा पद्धति की आवश्यकता है। इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से आगे पानी बच सकता है। किस प्रकार से नई टैक्नोलॉजी आ सकती है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने का काम हो सकता है।

(समय: 17.21 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। इसके ऊपर एस्को सिस्टम लागू होना चाहिये। आज हमारे जितने भी पम्पिंग स्टेशन हैं, चूरू से आने वाले मेरे प्रिय मित्र, इस बात को जानते हैं कि कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल पर 5 पम्पिंग स्टेशन हैं। इन पांचों पम्पिंग स्टेशनों में दो तो अक्सर खराब रहते ही रहते है, जिससे हमें पानी नहीं मिलता। हमारे टेल के किसान हैं, वे किसान पानी के लिये तरसते हैं। आज उन्होंने यह बहुत सही बात कही कि रेगुलेशन होना चाहिये। रेगुलेशन होगा, तभी किसान को फायदा होगा।

महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमें पीने का पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुछ एरिया ऐसे होंगे, जहां जमीन में बिलकुल पानी नहीं है। तारानगर विधान सभा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र हैं जिसमें जमीन के अन्दर एक बूंद मीठा पानी नहीं है। हम लोग पूरी तरह से कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल पर निर्भर रहते हैं। इसी से पानी मिलता है। आज पानी के बारे में सब लोगों ने बताया कि किस प्रकार से गंदा पानी आ रहा है। किसान इसको पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, फिर भी, वह पानी भी हमें पूरा नहीं मिलता। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये 42 क्यूसेक्स पानी स्वीकृत है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 42 में से सिर्फ 22 क्यूसेक्स पानी हमें मिल पाता है। 22 ही मिल पाता है। बाकी पानी हमें नहीं मिल पाता है, पानी चोरी हो जाता है और फ़सलें खराब हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): इसलिये इस पर विचार करना चाहिये। तारानगर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर से तीन ज़िलों में पानी जाता है। अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, झुन्झुनूं में पानी जाता है, सीकर में पानी जाता है, नागौर में जाता है। तारानगर सबको पानी दे रहा है और तारानगर में पीने के पानी की कमी होती है तो अध्यक्ष महोदय, इसकी बड़ी भारी तकलीफ है। इसलिये इसको प्राथमिकता देकर, इसकी समस्या को सुधारना चाहिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपाराम। माननीय सदस्य, पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रतिवेदन पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

मैं अपनी बात जैसलमेर ज़िले पर ही सीमित रखूंगा। आज से कई वर्ष पहले, जब राजस्थान और भारत सरकार, दोनों में कांग्रेस का राज था, उस वक्त परिकल्पना की गई। चाहे सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, इण्डस्ट्री के लिये आवश्यकता हो, पशुधन, पक्षियों के लिये आवश्यकता हो। यह सोचा गया कि करोड़ों वर्ष का भूमि में जो पानी है उसके निरन्तर दोहन होने से, एक दिन ऐसा आयेगा जब सरफेस सोर्स पर निर्भर होना पड़ेगा। उसी परिकल्पना में, जब राजस्थान में सरफेस सोर्स लिमिटेड उपलब्ध है, इंदिरा गांधी नहर है जिससे 10 या 11 जिले जुड़ गये हैं व और भी जोड़े जाएंगे। नर्मदा, बीसलपुर डैम, जवाई डैम है व चम्बल नदी है। इस प्रकार एडवान्स में सोचा गया। अभी क्रेडिट कोई भी ले, उस वक्त यह सोचा गया कि इंदिरा गांधी नहर ठेठ राजस्थान के बोर्डर होती हुई, बाड़मेर के एंड तक जावे। जैसलमेर के अन्दर इंदिरा गांधी नहर से एरिया कवर है, वह लगभग साढ़े चार लाख हैक्टेयर है। उस एरिया में हम खुद बचपन में जाते थे। कई लोग भेड़-बकरियां लेकर जाते थे। पास में पानी नहीं होता था, प्यास से मर जाते थे। उस क्षेत्र में 5 से 10 डैथ हर साल होती थी। उस एरिया में छोटी-मोटी सेवण घास वगैरह होती थी पर पानी का कोई साधन नहीं था। तब किसी ने कल्पना नहीं की थी।

वहां अभी बुजुर्ग लोग 70-70, 80-80 साल के हैं वे इस हरियाली को देखकर इंदिरा जी को याद करते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं। उस टाइम, हम लोग यहां नरक में बैठे थे, पीने के पानी के लिये देखते थे कि पानी कहां

(श्री रूपाराम)

मिलेगा, कुओं से पानी खींचते थे। इस प्रकार जो परिकल्पना जैसलमेर के अन्दर की गयी जिससे लगभग साढ़े चार लाख हैक्टेयर में खेती होती है।

समय लिमिटेड है। मैं इस मौक़े पर यह कहना चाहूंगा, हमारे यहां जैसलमेर में टेल एंड पर पानी पहुंचता है, वह हरिके बैराज से 800 किलोमीटर दूर है। मेरा इसमें यह निवेदन है कि इसके अन्दर जो पूरा सिस्टम है, इसमें सुधार करना है। एक-एक बूंद को बचाना है। आने वाले 2075 या 2080 तक यह सरफेस सोर्स खेती के लिये नहीं बचेगा, सिर्फ पीने के पानी के लिये काम आयेगा। इसके अन्दर जितने भी आपरेशनल लोसेज हैं, चाहे लीकेजेज हो रहे हैं, सीपेजेज हो रहे हैं, जितने भी लोसेज हैं, आज की तारीख में मैंने खुद ने जैसलमेर में कैलकुलेशन करके देखा है, हमारे यहां साढ़े चार लाख हैक्टेयर में खेती होती है वह करीब 800-850 करोड़ की होती है। अगर इसको फव्वारा सिस्टम पर कर दिया जाये, तो यह खेती 800 से लेकर 2,500 करोड़ तक की खेती हो सकती है, सिर्फ एक ज़िले में। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में, अभी बजट में, पूरे सिस्टम में स्प्रिंकलर से खेती करने के लिये 600 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें आउटलेट के बाद जो खालें हैं, डिग्गियां बननी हैं, उन पर सोलर सिस्टम स्थापित करना है। यह सब करके, फव्वारा व पाइप लगने हैं जिससे हर जगह उत्पादन दो से ढाई गुना हो सकता है। धीरे-धीरे एग्रीकल्चर में अपन जो और फ़सलें करते हैं उनकी जगह फलदार वगैरह, ड्रिप में चले जाए तो अभी जो फसल हो रही है उससे सात-आठ गुना हो सकती है।

मेरा इस मौक़े पर यह निवेदन है कि जहां पानी इकट्ठा होता है, चाहे डैम के कैचमेंट में जो इम्प्रूवमेंट करना हो, जो अतिक्रमण वगैरह हो गये हो, डैम में सिल्टिंग हो गयी हो, उसको ठीक करना है। वहां से पानी बहकर लास्ट 600 किलोमीटर मोहनगढ़ तक आता है, उसमें जो भी है उसको लीक प्रूफ किया जाये। जितना मिनिमम लीकेज या नहीं के बराबर लीकेजेज हो।

जो फील्ड है, जहां एग्रीकल्चर खेती करते हैं, उस खेती का अल्टीमेट एक प्लान बनाकर ड्रिप सिस्टम पर चले जाएं, तो 30-40 वर्ष खेती और कर सकते हैं और पीने का पानी भी उपलब्ध होता रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद, बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाया जाता है। माननीय मंत्री जी।

विभिन्न विषयों पर विचार

इंदिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) पर विचार

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर प्रतिवेदन पर आज सदन में तमाम सदस्यों ने अपनी बात रखी है। करीबन 17 सदस्यों ने पूरी इंदिरा गांधी नहर, अपने-अपने ज़िले, अपने-अपने क्षेत्र के बारे में भी अपनी बात कही है।

मैं तमाम सदस्यों से यह अपील करता हूं कि आपकी ओर से मांग उठाई गई है या सदन में समीक्षा की गई हैं, इसको समय रहते आप तक मैं अवगत करा दूंगा व्यक्तिशः भी, यह बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसने सोचा था कि हिमालय से उद्गम होने वाली रावी व्यास नदियों के जल से इस मरु भूमि को सिंचित भी किया जा सकता है, लेकिन तत्कालीन जन-प्रतिनिधियों की सकारात्मक सोच तथा उसे धरातल पर फलीभूत करने के लिए तकनीकी अधिकारियों की दूरदृष्टि एवं मेहनत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है- 'इंदिरा गांधी नहर परियोजना।' इस परियोजना को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूजी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के द्वारा जुलाई, 1957 में स्वीकृत किया गया तथा 31 मार्च, 1958 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखी गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में परियोजना का नाम राजस्थान नहर परियोजना था, जिसे वर्ष 1984 में पूर्व प्रधान मंत्री यशस्वी श्रीमती इंदिरा गांधीजी की स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

इस परियोजना का उद्‌गम पंजाब राज्य में स्थित हरिके बैराज से है, जहां कुल 649 किलोमीटर फीडर व मुख्य नहर पंजाब, हरियाणा से गुजरते हुए राजस्थान में जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है जिससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कुल 6 जिलों की 24 तहसीलों में फैले 16.17 लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने के लिए 8 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं उद्‌योगों हेतु जल उपलब्ध कराना, क्षेत्र में अकाल से राहत तथा यहां के निवासियों के जीवन-यापन की परिस्थितियों में सुधार, पशुधन की पेयजल तथा चारे इत्यादि की आवश्यकता पूर्ति, रोजगार तथा सम्पूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना था। परियोजना ने अपने उपरोक्त उद्देश्यों को भली-भांति पूर्ण कर देश में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मरुस्थलीय क्षेत्र में पीने के पानी के लिए भी महिलाओं को कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, जहां दूर-दूर तक हरियाली का नाम नहीं था, वहां आज खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और पी.एच.ई.डी. के माध्यम से 10 जिलों की करीबन दो करोड़ आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी फीडर का निर्माण 1960 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में 18500 क्यूसेक्स क्षमता के लिए किया गया था। लगातार पानी चलते रहने से समय के साथ-साथ नहर की लाइनिंग जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी जिससे नहर की क्षमता 18500 क्यूसेक्स से घटकर 11500 क्यूसेक्स ही रह गयी। फीडर की मूल क्षमता को रेस्टोर करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था।

राजस्थान द्‌वारा इंदिरा गांधी फीडर की री-लाइनिंग के लिए वर्ष 2009 से प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु ये प्रयास मूर्त रूप नहीं ले सके। अन्तत:

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों से भारत सरकार, राजस्थान व पंजाब के मध्य दिनांक 23 जनवरी, 2019 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ। समझौते के अनुसार इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) में री-लाइनिंग के लिए 1305 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई। परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र के द्वारा 725 करोड़ रुपये वहन किये जाएंगे एवं शेष बची हुई राशि 578 करोड़ का वहन राजस्थान सरकार के द्वारा किया जायेगा जिसके अन्तर्गत तीन वर्ष में इंदिरा गांधी फीडर की 97 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग करायी जानी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी दिनांक 25 जुलाई, 2019 को माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब सरकार से इसकी कार्ययोजना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

इंदिरा गांधी फीडर की री-लाइनिंग का कार्य जून, 2020 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका किन्तु मार्च-मई, 2021 की नहरबंदी में पंजाब द्वारा 23 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग कार्य करवाया जा चुका है। अब मार्च, 2022 में 53 किलोमीटर लम्बाई में तथा मार्च-मई, 2023 में शेष रही 21 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कार्यों हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अब तक 413 करोड़ रुपये की राशि भी पंजाब को हस्तांतरित की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, री-लाइनिंग का कार्य होने से इंदिरा गांधी नहर की पूर्ण क्षमता रेस्टोर हो जायेगी, जिससे मानसून के दौरान पाकिस्तान जा रहे पानी में से अधिकांश मात्रा के पानी का राजस्थान में उपयोग हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी फीडर (राजस्थान) व मुख्य नहर तथा प्रथम चरण की नहरों के जीर्णोद्धार हेतु भी रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अन्तर्गत 3,291 करोड़ रुपये की राशि की परियोजना स्वीकृत है।

इस परियोजना को न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुन्झुनूं, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इसके अन्तर्गत मुख्यत: इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान भाग में 53 किलोमीटर तथा इंदिरा गांधी मुख्य नहर में 126 किलोमीटर, कुल 179 किलोमीटर के जीर्णोद्धार का

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

कार्य, इंदिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अन्तर्गत वितरण प्रणाली (2499 किलोमीटर) में जीर्णोद्धार का कार्य तथा 22,851 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र को सेम मुक्त करने के कार्य किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा नहरों के जीर्णोद्धार कार्य की योजना तैयार कर सफल क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2018 में 7 किलोमीटर, वर्ष 2019 के क्लोजर के समय में 2018 की तुलना में, लगभग तीन गुना, 23.5 किलोमीटर व वर्ष 2021 के ऐतिहासिक क्लोजर में छह गुना से अधिक, 47 किलोमीटर कार्य पूर्ण कर सीमित समय में कुशल प्रबन्धन व सफल कार्ययोजना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार फरवरी, 2022 तक रुपये 1,237 करोड़ व्यय कर इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर में 77 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग कार्य तथा प्रथम चरण की वितरण प्रणाली में 1074 किलोमीटर, कुल 1,151 किलोमीटर लम्बाई में जीर्णोद्धार/री-लाइनिंग कार्य करवाये जा चुके हैं तथा शेष रहे कार्य भी फरवरी, 2025 तक पूर्ण किया जाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परियोजना में उपलब्ध जल के कुशलतम व अधिकतम उपयोग हेतु द्वितीय चरण लिफ्ट परियोजनाओं में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने हेतु लिफ्ट परियोजनाओं के कुल 3.47 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 1.68 लाख हैक्टेयर में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था स्थापित करने के कार्य 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति मिलने पर आबंटित किये गये थे, किन्तु तत्पश्चात्, केन्द्रीय सहायता नहीं मिलने के कारण 865 डिग्गियों के आबंटित कार्यों में से प्रगतिधीन 468 डिग्गियों के कार्य राज्य बजट से पूर्ण करवाये जा रहे हैं। इस हेतु विगत 3 वर्षों में माह फरवरी, 2019 से 20 मार्च, 2022 तक 161 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को परियोजना की तेजपुरा माइनर पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित कर जल उपयोग क्षमता (दक्षता) बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परियोजना के द्वितीय चरण के प्रवाह क्षेत्र की नहरों में नवीनीकरण व आधुनिकीकरण के क्रम में माह जनवरी, 2020 में

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

बीकानेर सम्भाग के अधीन दांतौर, नाचना, अवाई, सांकडिया एवं मुख्य नहर की सीधी नहरों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण हेतु 121 करोड़ रुपया व जैसलमेर सम्भाग में शहीद बीरबल शाखा के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यों हेतु 58 करोड़ रुपये की राशि के 2 प्रोजेक्ट की नाबार्ड से वित्त पोषण की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी, जो प्रगतिरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को परियोजना की नहरों में स्काडा आधारित जल मापन व मानिटरिंग प्रणाली स्थापना सहित नहरों के प्रभावी रख-रखाव व संचालन से एकीकृत बहुआयामी सिंचित क्षेत्र विकास के लिए माह फरवरी, 2020 में सी.बी.आई.पी. अवार्ड, 2020 प्रदान किया गया। यह प्रणाली वर्ष 2010 में स्थापित की गयी थी अत: वर्तमान में उक्त प्रणाली को अपग्रेड करने हेतु नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल योजनाओं हेतु पी.एच.ई.डी. को वर्तमान में लगभग 1031 क्यूसेक्स पानी दिया जा रहा है तथा आगामी वर्षों में और अधिक आबादी तक पानी पहुंचाने के लिए 1100 क्यूसेक्स पानी की सैद्धांतिक सहमति भी पी.एच.ई.डी. को प्रदान की जा चुकी है जिसके लिए वर्षाकाल में पंजाब स्थित नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त जल को परियोजना क्षेत्र में लाकर एस्केप जलाशयों में एकत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल के अतिरिक्त इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में विभिन्न ताप, सौर, गैस, बिजलीघरों, उद्योगों को भी जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य की महत्वाकांक्षी बाड़मेर रिफाइनरी को भी इस परियोजना से पानी दिया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 5 वर्षों में परियोजना से प्रतिवर्ष औसतन 17.21 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई है जिसमें मुख्य फसलें रूई दालें, मूंगफली, ग्वार, गेहूं, चना, सरसों, जौ, चारा, बाजरा इत्यादि हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर विभाग में नियमित कर्मचारियों के कुल 1,545 पद हैं जिसमें से 551 पद रिक्त हैं। हाल ही में नवनियुक्त 42 कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं 51 सहायक अभियन्ताओं को नियुक्ति दी जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर विभाग हेतु वर्ष 2021-22 में रुपये 431.54 करोड़ का बजट स्वीकृत था जिसमें से माह दिसम्बर,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

2021 तक 206.56 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। संशोधित बजट में विभाग के लिए 381.94 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं जिसमें से 20 मार्च, 2022 तक रुपये 293.36 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के किसानों एवं कृषि उत्पादन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान के इतिहास में पहली बार वर्ष 2022 के राज्य बजट में पृथक से कृषि बजट पेश किया गया है। किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का अभूतपूर्व योगदान है। इस परियोजना द्वारा विगत छह दशक से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधा/पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्षेत्र व आस-पास के अन्य क्षेत्र के निवासियों की इस परियोजना से बहुत अपेक्षाएं हैं। परियोजना में जल की सीमित उपलब्धता के उपरान्त भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जनता की मांग को देखते हुए पूर्व में अनेक घोषणाएं की गई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जहां गत तीन वर्षों के बजट में इन्दिरा गांधी नहर विभाग में कुल 1,469 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों की घोषणा की गयी थी, वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए इस परियोजना की महत्ता के मद्देनजर परियोजना के प्रस्तावित लाभों एवं आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2022-23 में 2,647 करोड़ राशि के कार्यों की अभूतपूर्व घोषणाएं की हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. जैसलमेर में जहां पर पक्के खाले नष्ट हो चुके हैं, वहां पर लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर से सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए 600 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।
2. गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर (फलौदी लिफ्ट) के 10 हजार हैक्टेयर एवं नेता वितरिका के शेष रहे क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये की लागत से स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा की जायेगी।
3. कंवरसेन लिफ्ट का 200 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार का काम करवाया जायेगा।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

4. चारणवाला शाखा की नहरों का चरणबद्ध रूप से 102 करोड़ रुपये की लागत से जीणोद्धार करवाया जायेगा। इससे बीकानेर व जैसलमेर जिले का 97 हजार हैक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

5. वर्ष 2021-22 में पहली बार राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में लगभग 23 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग के कार्य करवाये गये थे। साथ ही, सरहिंद फीडर के 85 किलोमीटर लम्बाई में भी री-लाइनिंग करवाई गई थी। अब वर्ष 2022-23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिंद फीडर की 15 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइनिंग कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 442 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

6. वर्ष 2022-23 में मरु क्षेत्र के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से इन्दिरा गांधी फीडर, मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के लगभग 300 किलोमीटर लम्बाई में जीर्णोद्धार का कार्य किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन घोषणाओं को धरातल पर मूर्त रूप देकर आने वाले वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पूर्ण लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने एक कोई बात कही कि लुहार का काम तो लुहार को करने दो और सुथार का काम सुथार को करने दो। माननीय सदस्य को यही नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में माही का डैम है जहां पर वह 3 लाख हैक्टेयर पानी पिलाता है और कडाना का डैम है, जिसमें मेरे खुद की जमीन डूब गयी है तथा नर्मदा भी मेरे किनारे से ही निकल रही है। माही के अन्दर मैंने 8 रुपये में मजदूरी की है इसलिए माननीय सदस्य, अपनी बात को करेक्ट करें। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं माही के बारे में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान की मरु भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2020-21 में लगभग 700 करोड़ रुपये का 40 लाख क्विंटल गेहूं, रुपये 1600 करोड़ का 34 लाख क्विंटल चना, 300 करोड़ का 55 लाख क्विंटल सरसो, 1500 करोड़ का 30 लाख क्विंटल मूंगफली और 1500 करोड़ की 20 लाख क्विंटल रुई का उत्पादन हुआ है।

इस प्रकार राज्य की जनता के लिए इस परियोजना के महत्व का अन्दाज हम केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस परियोजना पर विभाग

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

ने प्रारम्भ से आज तक कुल 6030 करोड़ राशि, हमारे उप नेता ने इसको 62 करोड़ कहा था, खर्च की है जबकि प्रतिवर्ष इससे सिंचित क्षेत्र में औसतन लगभग 8000 करोड़ रुपये का हम उत्पादन ले रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यही बात कह सकता हूं, आपका निर्देश मुझे प्राप्त हुआ, मेरे पास पुलिन्दा बहुत लम्बा है, मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा।

अन्त में, मैं हमारी यशस्वी पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर इस परियोजना का नामकरण किया गया है। उन्होंने अपने द्वारा कहे हुए शब्दों में कहा था कि-

'मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, जब भी मेरी जान जायेगी, मेरे खून का एक-एक कतरा हिन्दुस्तान को मजबूत रखेगा और अखण्ड भारत को जीवित रखेगा।' जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवेदन पर आज चर्चा हुई। मैं नये माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रूल 126 के अन्तर्गत। 'सदन के किसी सत्र या सत्रों में निम्नांकित रिपोर्ट आदि पर, जैसी कि सदन के पटल पर रखी जाये, प्रत्येक वर्ष कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर चर्चा की जायेगी' सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिवर्ष प्रतिवेदन हाउस के अन्दर रखे और प्रतिवेदन पर चर्चा हो। इस प्रतिवेदन पर जो चर्चा हुई है, उस पर मुझे कमेंट नहीं करना है, लेकिन प्रतिवेदन पर चर्चा 2020-21, 2021-22 का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा की जानी चाहिए न कि पूरे जनरल डिबेट पर। यह डिमाण्ड में डिस्कस की जा सकती है। यह डिफरेंसिएशन हमें समझना पड़ेगा कि हम क्यों प्रतिवेदन पर चर्चा करते हैं। मुझे कोई अधिकांश कमेंट नहीं करना, पर इन्दिरा गांधी कैनाल के सम्बन्ध में कमेंट करना है। जैसा मंत्रीजी ने कहा है कि हमने इसमें 6 हजार करोड़ रुपये अभी तक खर्च किये हैं। मुझे जानकारी नहीं है, पर मेरी भी रुचि है कि सोशियो-इकोनोमिक इम्पेक्ट का असेसमेंट किया है। हम सड़क बना रहे हैं, हम नाले बना रहे हैं, खाले बना रहे हैं। इससे इर्रिगेशन का पोटेंशियल डवलप होने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, पर इसका सोशियो इकोनोमिक जो इम्पेक्ट होना चाहिए उस इलाके में, उसकी कोई स्टडी

(श्री अध्यक्ष)

नहीं हुई है। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि विभाग इसके साथ-साथ इसके इम्पेक्ट के असेसमेंट के बारे में भी चर्चा करे कि ओवरआल क्या इम्पेक्ट पड़ा, वह भी समाज के सामने आना जरूरी है। केवल मात्र हमने कितना इर्रिगेशन का एरिया बढ़ा दिया, कितना पोटेंशियल बढ़ा दिया, कितना एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यह तो एक आस्पैक्ट है लेकिन यह जो परिवर्तन हुआ, उसका सोशियो इकोनोमिक स्टेटस भी प्रतिवेदन का पार्ट होना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि जब अगला प्रतिवेदन आये तो उसमें निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में कुछ वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए और आस्पैक्ट जो अवेलेबल है, उसके इम्पेक्ट को असेस किया जाना चाहिए क्योंकि इसके जो फार रीचिंग इम्पेक्ट हैं, उसके बारे में असेस नहीं कर रहे हैं। वह भी असेस किया जाना चाहिए जिससे हम इम्पेक्ट की ज्यादा सार्थक चर्चा कर सकें, ऐसी मैं विभाग से अपेक्षा करूंगा। मैं चर्चा को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

राजस्थान विधान सभा द्वारा सप्तम् सत्र में की गईं गतिविधियों का ब्यौरा

मुझे समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 15वीं राजस्थान विधान सभा का सप्तम सत्र, जो दिनांक 09 फरवरी, 2022 से प्रारम्भ हुआ था, आज दिनांक 28 मार्च, 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रहा है। इस सत्र में कुल 25 बैठकें हुईं। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज दिनांक 28 मार्च, 2022 तक की कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 171 घंटे 19 मिनट विधान सभा की कार्यवाही चली।

1- प्रश्न

इस सत्र में माननीय सदस्यों से कुल 8,336 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3,785 एवं अतारांकित प्रश्न 4,547 हैं। कुल 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 333 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये। इसी तरह 498 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सत्र में 7 बार सदन में सूचीबद्ध समस्त तारांकित प्रश्नों को पुकारा गया।

(श्री अध्यक्ष)

2- प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अन्तर्गत कुल 351 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 55 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 54 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे।

3- प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत 288 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 229 विशेष उल्लेख की सूचनाएं सदन में पढ़ी गयीं या पढ़ी हुई मानी गयीं तथा 27 सूचनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। विशेष उल्लेख की 59 सूचनाएं माननीय सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण लैप्स हुईं।

4- प्रक्रिया के नियम-131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम-131 के अन्तर्गत 1,076 प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए 1,061 प्रस्ताव प्रेषित किये गये। सदन में सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु कुल 33 प्रस्ताव कार्यसूची में सूचीबद्ध किये गये। सत्र के अन्तिम दिवस को सर्वाधिक 7 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध किये गये।

5. वक्तव्य

लोक महत्व के 03 विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिये गये।

6. प्रक्रिया के नियम-119 के अन्तर्गत लोक हित के किसी विषय पर चर्चा

प्रक्रिया के नियम-119 के अन्तर्गत 3 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए 3 प्रस्ताव प्रेषित किये गये।

7. प्रक्रिया के नियम-127 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

प्रक्रिया के नियम-127 के अन्तर्गत 8 प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। 2 प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए 6 प्रस्ताव प्रेषित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

8. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2022 को सदन में अभिभाषण दिया गया, जिस पर सदन में 4 दिन चर्चा हुई, जिसमें 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 15 फरवरी, 2022 को अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

9. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद एवं अनुदानों की मांगों पर विचार

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 दिनांक 23 फरवरी, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया, जिस पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ, जिसमें 95 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 03 मार्च, 2022 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आय-व्ययक पर हुए वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया।

विभागों से सम्बन्धित 12 अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा हुई, 8 दिवस नियत किये गये। अनुदानों की मांग पर 2,960 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें से 2,644 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये एवं 316 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गये। अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा में कुल 271 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

10. विधायी कार्य

वर्तमान सत्र में कुल 15 विधेयक पुर:स्थापित किये जाकर 14 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गये। एक विधेयक राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से कुल 279 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 262 संशोधन स्वीकार किये गये।

11. गैर-सरकारी संकल्प

वर्तमान सत्र में कुल 17 गैर-सरकारी संकल्प प्राप्त हुए, जिनमें से 16 ग्राह्य किये गये। शलाका द्वारा 5 गैर-सरकारी संकल्प सूचीबद्ध किये गये तथा एक अग्राह्य किया गया। सूचीबद्ध संकल्पों पर 15 संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई, उनमें से 11 ग्राह्य किये गये तथा 4 अग्राह्य किये गये। समस्त सूचीबद्ध 5 गैर-सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत किये गये। उक्त संकल्पों में श्री अशोक

(श्री अध्यक्ष)

लाहोटी, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री बिहारीलाल, सदस्य द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर दिनांक 25 मार्च, 2022 को सदन में चर्चा हुई, जिसमें 12 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। इन संकल्पों पर चर्चा अपूर्ण रही।

12. याचिकाएं

सदन में तीन याचिका माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गयीं।

13. विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 42 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

14. वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार

इन्दिरा गांधी नहर विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर नियम 126 के तहत सदन में चर्चा की गयी, जिसमें 16 माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

15. सर्वश्रेष्ठ विधायक का चयन

इस सत्र में सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने निम्नांकित विधायकों को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए चयनित किया:-

1. श्री बाबुलाल खराड़ी (झाडोल)
2. श्रीमती मंजु देवी

अन्त में, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेतागण एवं समस्त माननीय सदस्यों को उनके द्वारा सदन के कार्य-संचालन में दिए गये सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं।

मैं सभापति तालिका के सदस्यों को उनके द्वारा दिए गये सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ ही, मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष, उप-नेता प्रतिपक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, सरकारी उप-मुख्य सचेतक, सचेतक भारतीय जनता पार्टी का उनके द्वारा सदन के कार्य-संचालन में दिए गये सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी हूं।

इस अवसर पर, मैं विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा सत्र कार्य में दिए गये सहयोग एवं पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सत्र के दौरान उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा व्यवस्था के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

इसके साथ ही, सभा की कार्यवाही के संचालन में राज्य सरकार के समस्त विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गये सहयोग के लिए भी मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से मीडियाकर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्य, राष्ट्र गान।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.54 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

गोगुन्दा के बिजली से वंचित गांव व ढाणी

447. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ऐसे कितने गांव, ढाणी व मजरे हैं जो वन क्षेत्र के कारण बिजली से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गांव, ढाणी व मजरों को बिजली से जोड़ने की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो उक्त को कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जनगणना 2011 एवं नेशनल हेबिटेशन 2003 के तहत किये गये सर्वे अनुसार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सभी गांव, ढाणी व मजरों को विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं इन गांव, ढाणी व मजरों के सभी पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को कनेक्शन जारी किये गये हैं। वन क्षेत्र के बाहर स्थित गांव, ढाणी व मजरों के पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को विद्युत ग्रिड द्वारा एवं वन क्षेत्र में स्थित गांव, ढाणी व मजरों के पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को आफ ग्रिड यथा सोलर तंत्र द्वारा विद्युतीकृत किया गया है।

यद्यपि तत्समय संचालित विद्युतीकरण योजनाओं के दौरान उक्त विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र में स्थित तीन ढाणियों यथा सरिया (थला), पनाया, नलवानिया में कोई भी इच्छुक आवेदक नहीं होने से इनका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

(2) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार की कोई योजना संचालित नहीं है। भविष्य में योजना आने पर उसके प्रावधानानुसार विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि

454 श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सार्वजनिक राशन वितरण व्यवस्था के तहत नियुक्त राशन डीलरों (उचित मूल्य की दुकान) के कमीशन में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सार्वजनिक राशन वितरण व्यवस्था के तहत नियुक्त राशन डीलरों की मृत्यु उपरान्त परिजनों को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक राशन वितरण व्यवस्था के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 50-50 प्रतिशत अनुपात के आधार पर राशन डीलरों को 70 रु. प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2018 से राज्य सरकार द्वारा 38 रु. प्रति क्विंटल का अतिरिक्त कमीशन दिया जा रहा है। राज्य सरकार के समतुल्य 38 रु. भारत सरकार से भी दिये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। अत: वर्तमान में राज्य स्तर पर राशन डीलरों हेतु कमीशन वृद्धि का कोई विचार नहीं है।

(2) विभागीय परिपत्र दिनांक 05.04.2021 के अनुसरण में सार्वजनिक राशन वितरण व्यवस्था के तहत नियुक्त राशन डीलरों की मृत्यु उपरान्त परिजनों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

कोविड-19 आपदा के दौरान उचित मूल्य दुकानदार की कोविड से मृत्यु होने पर राशन डीलर के परिजनों को 50 लाख रुपये सहायता राशि देने हेतु विभाग से निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पीलीबंगा में किसानों को खातेदारी अधिकार

455. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है की विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील पीलीबंगा में 676 तथा उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित रावतसर तहसील में 619

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

काश्तकार खातेदारी अधिकार से वंचित थे, जिनमें से पीलीबंगा तहसील में 18 तथा रावतसर तहसील में 4 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये? यदि हां, तो शेष बचे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिए गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त काश्तकारों में से शेष बचे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार कब तक दे दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रशासन गांवों के संग अभियान में खातेदारी अधिकार दिए गये हैं? यदि हां, तो कितनों को व नहीं, तो क्यों? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील पीलीबंगा में 676 तथा उक्त क्षेत्र से सम्बन्धित रावतसर तहसील में 619 काश्तकार खातेदारी अधिकार देने से वंचित थे, जिनमें से अब तक पीलीबंगा तहसील में 43 तथा रावतसर तहसील में 16 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। शेष बचे काश्तकारों को खाता नहीं होने, रकबे में अन्तर होने, किश्त राशि बकाया होने, तरमीम नहीं होने, पैरीफेरी क्षेत्र में होने, दोहरा आबंटन होने, विवादित एवं न्यायालय का स्थगन होने आदि विभिन्न कारणों से खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

(2) शेष बचे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इन्हें खातेदारी नहीं दिये जाने के कारणों का नियमानुसार निवारण किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान में तहसील पीलीबंगा में 43 काश्तकारों को तथा रावतसर तहसील में 12 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। तहसीलवार नाम सहित विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया).

बून्दी में उद्योग लगाने की कार्ययोजना

456 श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बून्दी में विभाग के माध्यम से अनेक स्थानों पर छोटे-बडे उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि का चयन कर आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि? वर्तमान में उक्त जिले में उद्योग लगाने की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बूंदी जिले में 03 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर आबंटन हो चुका है तथा 02 स्थानों पर आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

बूंदी जिले में उद्योग अधिक से अधिक लग सके इस हेतु सघन प्रचार-प्रसार के उपरांत दिनांक 12.01.2022 को जिलास्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया जिसमें 32 एमओयू/एलओआई निष्पादित किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में बस संचालन के प्रस्ताव

457. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के ग्रामीण नागरिकों को ग्रामीण मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन सेवा का नितांत अभाव है व उक्त मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा संचालित करवाये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो जिला जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर में बस संचालन हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उनमें से किन-किन मार्गों पर ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम द्वारा संचालित वाहनों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जिला जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम वाहन संचालन हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर में निगम वाहन संचालन हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में संचालित निगम बसों के अतिरिक्त अन्य बस संचालित किये जाने का फिलहाल विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पिण्डवाड़ा-आबू में शहीद स्मारक

458. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र आबू-पिण्डवाड़ा के लिलूडी बडली शहीद स्मारक का भूमि पूजन वर्ष 2011 में किया गया था व बजट घोषणा भी की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार शहीद स्मारक बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा संख्या 72 में लिलूडी बडली स्थान पर शहीद स्मारक निर्माण की घोषणा की गई। विधान सभा क्षेत्र आबू-पिण्डवाड़ा के लिलूडी बडली शहीद स्मारक का भूमि पूजन 06 जून, 2013 को किया गया था।

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पुन: बजट घोषणा संख्या 130; वर्ष 2021-22 में शहीद स्मारक को पूरा बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, के क्रम में इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी एवं कार्य के क्रियान्वयन, प्लानिंग, मोनिटरिंग एवं एग्जीक्यूशन के उद्देश्य से जिला कलक्टर सिरोही की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया।

उक्त कार्य की डी पी आर तैयार करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि रुपये 2.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डी पी आर तैयार की जा रही है।

पाली में कृषि कनेक्शन के मांग-पत्र

459. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में कृषि कनेक्शन हेतु वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक कुल कितने मांग पत्र जारी किये गये व कितने मांग-पत्र की राशि जमा हुई एवं कितने कनेक्शन हुए हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शोभा चौहान)

(2) उक्त अवधि में पाली जिला वृत्त में शहरी व घरेलू कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने मांग-पत्र जारी किये गये तथा कितने कनेक्शन किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वृत्त में सिंगल फेज व थ्री फेज के कितने मीटर जनवरी, 2022 तक खराब थे तथा कितने बदले गये?

(4) सोजत में ट्रांसफार्मर बढ़ाने एवं उक्त की क्षमता बढ़ाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र जनता व जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त हुए हैं तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु माह जनवरी, 2020 से जनवरी, 2022 तक जारी किये गये मांग पत्र, जमा मांग पत्र व जारी किये गये कृषि कनेक्शनों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2020 से जनवरी, 2022 तक पाली जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों, जारी मांग पत्रों व जारी कनेक्शनों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त जिले में माह जनवरी, 2022 के अंत तक सिंगल फेज व थ्री फेज के खराब मीटरों का संख्यात्मक विवरण व उनके सापेक्ष में माह फरवरी, 2022 में बदले गये मीटरों का संख्यात्मक विवरण तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह फरवरी, 2022 तक बदले गये मीटरों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सोजत में नये विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने एवं विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु जनता व जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "द" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हरजी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय की स्थापना

460. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री छगनसिंह)

(1) क्या सरकार हरजी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औषधालय के लिए विधायक मद से भवन निर्माण से लेकर भूमि उपलब्धता के लिए अनुशंषा के उपरांत भी आयुर्वेद औषधालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो सरकार अब कब तक औषधालय खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। भूमि व भवन की अनुशंसा प्राप्त है लेकिन औषधालय संचालन हेतु आयुष नीति, 2021 के अनुरूप अन्य वांछित भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर परीक्षण उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जनता क्लिनिक की स्थापना

473. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 के बजट में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक प्रदेश के कितने जिलों में कितने जनता क्लिनिक खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनता क्लिनिक के लिए वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? उक्त में से कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनता क्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग कर्मी एवं पेरामेडिकल स्टाफ, मंत्रालयिक कर्मचारी के कितने पद सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में जनवरी, 2022 तक 2 जिलों क्रमश: जयपुर एवं जालौर में कुल 13 जनता क्लिनिक खोले गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य में 129 जनता क्लिनिक खोले जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है जिसके क्रम में जनता क्लिनिक खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्ष 2019-20 में जनता क्लिनिक का संचालन सी एस आर के माध्यम से किया गया है।

वर्ष 2020-21 के बजट में राशि रुपये 36.81 लाख एवं वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 90.71 लाख का प्रावधान किया गया, जिसमें से वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1,68,705 एवं वर्ष 2021-22 (14 फरवरी, 2022 तक) में राशि रुपये 6,62,286 व्यय हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जनता क्लिनिक के नोर्म्स के अनुसार 7 पद निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदनाम	पदों की संख्या
चिकित्सक	1
जी एन एम	2
ए एन एम	1
फार्मासिस्ट	1
सपोर्ट स्टाफ	1
स्वीपर	1

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जालौर में रिक्त पद

474. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग में विभिन्न स्तर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौनसे पद रिक्त हैं? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासंभव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

विभाग में 1583 प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में नर्स-द्वितीय के 1,250 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना दिनांक 18.02.2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाई गई है एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में ए एन एम के 1,155 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उक्त के अतिरिक्त पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के शेष पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कम्युनिटी हैल्थ आफिसर (सीएचओ) के 7810 संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है तथा 391 सफल अभ्यर्थियों (ब्रिज कोर्स पूर्ण) को पदस्थापित किया जा चुका है एवं शेष रहे सफल अभ्यर्थियों का ब्रिज कोर्स पूर्ण हो चुका है, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 8,890 संविदा पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पांचू (नोखा) में अतिरिक्त ब्लाक सी एम एच ओ कार्यालय

475. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नोखा तहसील के पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर अतिरिक्त ब्लाक सी एम एच ओ कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर नवीन पंचायत समिति, पांचू (जिला बीकानेर) पर ब्लाक सी एम एच ओं कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जैविक खेती को प्रोत्साहन

476. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है? यदि हां, तो इस हेतु प्रदेश में कितनी IPM (एकीकृत कीट प्रबन्धन) लैब कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर IPM लैब खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में 9 आई.पी.एम. (एकीकृत कीट प्रबन्धन) प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विभाग की राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं के माध्यम से कृषकों को वांछित प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं बायोएजेन्ट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। भविष्य में आवश्यकता तथा उपलब्ध विभागीय संसाधनों का आकलन करते हुए और प्रयोगशालाओं को स्थापित करने पर विचार कर लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गढ़ी में पशुओं का टीकाकरण

477. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं जिला बांसवाड़ा में महामारी के कारण से पशुधन मर रहा है? क्या सरकार मुफ्त में टीकाकरण की व्यवस्था कर पशुधन को बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र एवं बांसवाड़ा जिले के पशुपालकों के लिए TSP क्षेत्र होने के कारण विशेष पैकेज की घोषणा कर पशु खरीदने हेतु अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार गणना कर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का बीमा कराकर उक्त को लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं बांसवाड़ा जिले में महामारी के कारण वर्तमान में पशुधन की मृत्यु नहीं हो रही है।

(पशुपालन मंत्री)

जी हां। प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समय-समय पर पशुओं का नि:शुल्क टीकाकरण कार्य किया जा रहा है।

(2) जी हां। आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं खोली जाती हैं।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं बांसवाड़ा जिले के पशुपालकों के लिए पशु खरीदने हेतु अनुदान देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं बांसवाड़ा जिले में टी.एस.पी. क्षेत्र के पशुपालकों को पूर्व से ही आत्मा/टाडा योजनान्तर्गत बीजू बकरे एवं बकरी इकाई का वितरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा किये जाने हेतु राशि रुपये 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में पशु बीमा हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

डूंगरपुर में तालाबों को गहरा करने की योजना

478. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ऐसे पुराने तालाब, जिनकी भराव क्षमता कम हो गई है, को चिन्हित कर जमाव की मिट्टी को बाहर निकालकर गहरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जल संसाधन विभाग के अधीन एक बांध (मेवाड़ा बांध) है जिससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बांध से मिट्टी बाहर निकालकर गहरा करना लाभ-लागत एवं तकनीकी दृष्टि से उपादेय नहीं होने से भराव की मिट्टी को बाहर निकालना विचाराधीन नहीं है।

सोम-कमला-आम्बा बांध के रख-रखाव हेतु बजट आबंटन

479. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपीचंद मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोम-कमला-आम्बा बांध की नहरें जीर्ण-शीर्ण होने से काश्तकारों के खेत खराब हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या नहरों की मरम्मत के लिए बजट आबंटन करने की योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बांध के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष बजट आबंटन होता है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोम-कमला-आम्बा बांध की नहरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता के मध्यनजर मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2019-20 अंतर्गत जीर्णोद्धार हेतु राशि रुपये 1,273.32 लाख के कार्य ई.आर.एम. मद में प्रगतिरत हैं।

(2) जी हां। सोम-कमला-आम्बा बांध के रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष औसतन राशि रुपये 7.24 लाख का बजट आबंटन एम. एण्ड आर. मद में किया जाता है। विगत पांच वर्षों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहर थाना में अकावद बांध की कार्ययोजना

480. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पेयजल एवं सिंचाई हेतु अकावद बांध के लिए कोई कार्ययोजना है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

परवन परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत, डी.पी.आर. में विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना शामिल नहीं होने तथा परियोजना में जल की सीमित उपलब्धता, तकनीकी संभाव्यता एवं अनुबन्धानुसार सिंचित क्षेत्र का निर्धारण हो चुका होने के कारण विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना को सिंचाई हेतु परवन परियोजना (अकावद बांध) में शामिल किया जाना प्रस्तावित नहीं

(जल संसाधन मंत्री)

है। परवन वृहद् बहुद्देशीय परियोजना (अकावद बांध) से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के 130 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन प्रस्तावित है।

परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर व्यय राशि

481. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां-झालावाड़-कोटा की परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा कुल कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है?

(2) उक्त योजना से इन तीनों जिलों में सिंचाई कब तक प्रदान होगी व शेष कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय होगी?

उत्तर

(1) परवन वृहद् सिंचाई परियोजना पर अब तक राशि रुपये 4,115.49 करोड़ का व्यय किया जाकर कुल 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) उक्त योजना से बारां-झालावाड़-कोटा जिलों को दिसम्बर, 2023 तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है तथा शेष कार्य पर राशि रुपये 3,239.74 करोड़ व्यय किया जाना संभावित है।

धौलपुर की नवीन कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था

482. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार की धौलपुर नगर परिषद् के वार्डों में पेयजल की क्या व्यवस्था है व नवीन कालोनियों तक पानी पहुंचाने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

धौलपुर शहर में कुल सम्मिलित 65 वार्ड में पेयजल आपूर्ति हेतु शहर को 13 जोन में विभक्त किया गया है। शहर की वर्तमान कुल पेयजल मांग 28.43 मिलियन लीटर प्रतिदिन के विरुद्ध, सतही जल स्रोत चम्बल नदी से 27.00 मिलियन लीटर तथा इसके अतिरिक्त 07 नलकूप एवं 03 खुले कुओं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

से 0.50 मिलियन लीटर, इस प्रकार कुल 27.50 मिलियन लीटर स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन उत्पादन किया जाकर, 14 उच्च जलाशयों के माध्यम से 126 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

धौलपुर शहर हेतु दिनांक 21.03.2016 को राशि रुपये 41.67 करोड़ की स्वीकृत अमृत योजना अंतर्गत, उक्त वार्डों में अवस्थित एवं आंशिक रूप से लाभान्वित तथा पेयजल आपूर्ति से वंचित कुल 32 कालोनियां सम्मिलित की गई हैं । इनमें से 06 कालोनियां अब तक लाभान्वित की जा चुकी हैं तथा शेष 26 कालोनियों में उक्त योजना से माह अप्रैल, 2022 तक पेयजल आपूर्ति प्रारंभ करना प्रस्तावित है।

तकनीकी उपादेयता, पर्याप्त जल एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शेष रही कालोनियों में शहरी जल योजना, धौलपुर से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।

बीकानेर (पूर्व) की नवविकसित कालोनियों में पेयजल की आपूर्ति

483. सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के आवासीय क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र की नवविकसित कालोनियों के वंचित क्षेत्रों में पानी की पाइप लाइनें डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के तिलकनगर, चौधरी कालोनी, रामपुरा, सुभाषपुरा के आबादी क्षेत्रों में पानी आपूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के वार्ड संख्या 8 से 17, 29 से 37, 48 से 55 एवं 63 से 67 के विभागीय पेयजल वितरण तंत्र से जुड़े

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

विभिन्न क्षेत्रों में, शोभासर एवं बीछवाल स्थित जल शोधन संयंत्रों से उपचारित जल इन वार्डों में विभिन्न स्थानों पर निर्मित 16 उच्च जलाशयों में भण्डारित किया जाकर, इन जलाशयों के माध्यम से 110 से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

(2) शहरी जल योजना, बीकानेर के सुधार, संवर्धन एवं विस्तार के अंतर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 04.03.2021 को राशि रुपये 614.91 करोड़ तथा इस योजना के पैकेज प्रथम एवं द्वितीय हेतु क्रमशः राशि रुपये 182.86 करोड़ एवं रुपये 246.24 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 16.06.2021 को जारी की गई थी ।

आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के पैकेज-प्रथम का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 10.02.2022 को राशि रुपये 175.95 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जाकर इसका कार्य प्रगति पर है तथा इस पैकेज का कार्य दिनांक 18.11.2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

पेयजल आपूर्ति वितरण तंत्र संबंधी कार्यों के पैकेज-द्वितीय का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त निविदाएं वित्तीय अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पर विचाराधीन हैं। निविदा अनुमोदन उपरांत, कार्यादेश जारी किया जाकर कार्यादेश तिथि से आगामी 21 माह की अवधि में उक्त पैकेज का कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।

उक्त स्वीकृत 2 पैकेजों के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) एवं (पश्चिम) में नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा अनुमोदित एवं अवस्थित तथा पेयजल आपूर्ति से वंचित 143 कालोनियों की पेयजल मांग का भी प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा अनुमोदित कालोनियों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के वर्णित तिलक नगर, चौधरी कॉलोनी, रामपुरा एवं सुभाषपुरा क्षेत्र की नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा अनुमोदित कालोनियों की पेयजल मांग भी उक्त स्वीकृत जल योजना में सम्मिलित की गई है।

बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) हेतु अनुशंषित एवं विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये 10 थ्री-फेज नलकूपों

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

में से, तिलकनगर, चौधरी कालोनी एवं सुभाषपुरा क्षेत्र हेतु क्रमश: 1, 2 एवं 1, कुल 4 नलकूपों में से तिलकनगर में 1 नलकूप निर्माण एवं स्थापना उपरांत चालू कर दिया गया है तथा शेष 3 नलकूपों को माह अप्रैल, 2022 तक चालू करना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर में बंद आर.ओ. प्लांट

484. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के फ्लोराइडयुक्त गांवों में शुद्व पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा अनेक स्थानों पर आर.ओ. प्लांट लगाये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द आर.ओ. प्लांट को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के फ्लोराइड के साथ-साथ अन्य अशुद्धियों से प्रभावित ग्रामों में निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत 08 आर.ओ. संयंत्र निर्माण एवं स्थापना उपरान्त चालू किये गये थे।

उक्त समस्त आर.ओ. संयंत्र वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं तथा इन संयंत्रों से निर्धारित मानक गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन आर.ओ. संयंत्रों का संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित दो अनुबंधक फर्मों द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है तथा कोई संयंत्र वर्तमान में बंद नहीं है।

उक्त आर.ओ. संयंत्रों की वर्तमान स्थिति का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में पंजीकृत ग्राम सेवा सहकारी समितियां

485. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रशान्त बैरवा)

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समिति पंजीकृत हैं तथा कितनी क्रियाशील हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में नयी ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 55 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं तथा कुल 55 ग्राम सेवा सहकारी समितियां क्रियाशील हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में नयी ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची एवं प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मकराना में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां

486. श्री रूपा राम (मकराना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किन-किन मानदण्डों के आधार पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना की किन-किन ग्राम पंचायतों में नवीन सहकारी समितियां स्वीकृत करना विचाराधीन हैं व समितियों के गठन की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्वीकृति के मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना की 10 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत किया जाना शेष है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(प्रति एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जायल में संचालित राशन की दुकानें

487. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में कितनी राशन की दुकानें किन-किन स्थानों पर संचालित हैं? संचालनकर्ता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नई राशन की दुकानें खोला जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर नवीन दुकानें खोला जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में 122 राशन की दुकानें संचालित हैं। संचालनकर्ता के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रचलित विभागीय आदेश दिनांक 26.12.2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित 500 राशनकार्डों अथवा 2000 यूनिट से अधिक होने पर नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

विधान सभा क्षेत्र जायल की ग्राम पंचायत गोराउ में ग्राम डोडवाडियों की ढाणी में नई राशन की दुकान खोली जाना प्रस्तावित है। इस हेतु दिनांक 09.12.2021 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े गये नाम

488. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जनवरी, 2020 से अब तक कुल कितने लोगों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं? कितनों के नाम सूची में जोड़े गये तथा कितने लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने

(श्री सुभाष पूनिया)

की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जनवरी, 2020 से अब तक कुल 1,347 लोगों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 966 आवेदनों के 4,251 नाम सूची में जोड़े गये हैं तथा 366 आवेदन लम्बित हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़े जाने का कार्य स्थगित किया गया था।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019 22.04.2020 25.08.2020 20.07.2021 29.12.2021 से अ.शा. पत्र लिखे गये हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 10 लाख परिवारों के नाम जोड़ने की क्रियान्विति हेतु प्रदेश में उपलब्ध सीलिंग सीमा अनुसार नये पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जायेगी।

लाडपुरा में नये औद्योगिक क्षेत्र

489. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के विकास के लिये नये उद्योग लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 13 औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

औद्योगिक रूप से लाडपुरा क्षेत्र विकसित होने से नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

फुलेरा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र

490. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में कहां-कहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में स्थापित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु तहसील फुलेरा के ग्राम लालपुरा में 40.00 हैक्टेयर भूमि को उपयुक्त माना है। उपरोक्त 40.00 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में लवणीय क्षेत्र घोषित है। राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि आबंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत उक्त भूमि लवणीय क्षेत्र से अलवणीय क्षेत्र घोषित होने के उपरांत ही उक्त भूमि रीको को औद्योगिक क्षेत्र हेतु आबंटित हो सकेगी। तत्पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर में कारखानों में क्लोरीन गैस का उपयोग

491. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जोधपुर में स्थित कारखानों में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन कारखानों में? उक्त गैस कहां से मंगवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त गैस के भण्डारण के कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(3) क्या यह सही है कि जिन कारखानों में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, उन कारखानों के बाहर क्लोरीन गैस से भरे वाहनों को अनधिकृत रूप से प्रतीक्षा में खड़ा रखा जाता है जिसमें कभी भी दुर्घटना होने का अन्देशा बना रहता है? यदि हां, तो सरकार उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग में उपलब्ध पंजीकृत कारखानों की सूची के अनुसार जोधपुर में निम्न कारखानों में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है।

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (चौपासनी फिल्टर हाउस), जोधपुर;
2. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (झालामण्ड फिल्टर हाउस), जोधपुर;
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (कायलाना फिल्टर हाउस), जोधपुर;

उक्त कारखानों से दूरभाष पर प्राप्त सूचनानुसार क्लोरीन गैस मैसर्स भीलकेम इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., 4- अशोक नगर, मिलन टाकीज के पास, भीलवाड़ा, राजस्थान से मंगवाई जाती है।

(2) जी हां। राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के शेड्यूल X (केमिकल वर्क्स) की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) इस तरह की कोई शिकायत आदिनांक तक कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रतनगढ़ में परिवहन कार्यालय की स्थापना

492. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में परिवहन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। निर्धारित विभागीय मापदण्डों के तहत उपखण्ड क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत होने अथवा अन्य औचित्यपूर्ण प्रशासनिक

(राज्य मंत्री, परिवहन)

कारण (यथा जिला मुख्यालय से दूरी, क्षेत्रीय विकास आदि) होने पर परिवहन कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जाता है। उपखण्ड क्षेत्र रतनगढ़ में वर्तमान में पंजीकृत वाहनों की संख्या 39,754 है। अत: वहां पर जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने का विचार नहीं है।

नई बसें खरीदने की कार्ययोजना

493. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार वर्ष 2021-22 में नई बसें खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न श्रेणी की कुल 660 बसों के उपापन के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पारित किये हैं। तथापि इस बाबत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

बड़ी सादड़ी में संचालित जनजाति छात्रावास

494. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में कितने जनजाति छात्रावास संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कितनी राशि किन-किन सुविधाओं के लिए व्यय की गई?

(3) उक्त छात्रावासों में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं?

(4) क्या बालिका छात्रावासों में महिला वार्डन नियुक्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (जिला-चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़) में विभाग द्वारा कुल 11 जनजाति आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) उक्त आश्रम छात्रावासों में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन, आवास तथा यूनिफार्म एवं सहायक सामग्री हेतु 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र के आधार पर राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न मदो पर व्यय राशि की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त आश्रम छात्रावासों में नियमित वेतनमान में 11 पद वार्डन, 6 पद कोच (सहायक अधीक्षिका) व 8 रसोइया/चौकीदार के पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से वर्तमान में 3 वार्डन, 4 कोच व 6 चौकीदार के पद रिक्त हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के कुल 6 बालिका आश्रम छात्रावासों में से 3 बालिका छात्रावासों में पूर्णकालीन महिला वार्डन नियुक्त हैं। जिन 3 बालिका आश्रम छात्रावासों में पूर्णकालीन नहीं लगे हुए हैं वहां कोच व निकटतम विभागीय बालिका छात्रावासों की महिला कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वर्तमान में जिन 3 बालिका छात्रावासों में वार्डन के पद रिक्त हैं उनमें पूर्णकालीन वार्डन के पदस्थापन हेतु कार्मिकों का चयन कर शिक्षा विभाग को पदस्थापन हेतु सूची भिजवायी हुई है। शिक्षा विभाग से पदस्थापन आदेश होना शेष है। परिशिष्ट-स पर सूची संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रानीवाड़ा में जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय

495. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जोधपुर डिस्कॉम का नवसृजित अधिशाषी अभियंता कार्यालय, रानीवाड़ा एवं सहायक अभियंता कार्यालय, सांकड़ का भवन निर्माण नहीं होने के कारण कार्यालयी कार्यों के निष्पादन में बाधा आ रही है? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्यालयों के भवन का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नवसृजित खण्ड कार्यालय अधिशाषी अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, रानीवाड़ा का संचालन वर्तमान में सब-स्टेशन कंट्रोल रूम रानीवाड़ा में तथा नवसृजित उपखण्ड कार्यालय

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

सहायक अभियंता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, सांकड़ का संचालन वर्तमान में सब-स्टेशन कंट्रोल रूम सांकड़ में सुचारु रूप से हो रहा है।

उक्त कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.4(29)ऊर्जा/2017 जयपुर, दिनांक 24.04.2018 के द्वारा जारी की जा चुकी है जिसके तहत अधिशाषी अभियंता (पवस), रानीवाड़ा के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। भूमि आबंटित होते ही आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। सहायक अभियंता (पवस), सांकड़ के भवन निर्माण हेतु भूमि 33/11 केवी सब-स्टेशन सांकड़ परिसर में ही उपलब्ध है, जिसके भवन निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गयी है तथा निविदा जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

प्रतापगढ़ में जी एस एस के प्रस्ताव

496. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ सहित जिले में कितने जी एस एस के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं? सरकार कब तक उक्त को स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में बजरंगगढ़ एवं गंधेर में नये 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृति हेतु प्रकियाधीन है।

इनके अतिरिक्त प्रतापगढ़ जिले में वर्तमान में करजू (विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा), नाराणी चौकी (विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा), ग्यासपुर (विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी), बोरी-ए (विधान सभा क्षेत्र घाटोल) एवं धोलापानी (विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा) में नये 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

साथ ही प्रतापगढ़ जिले में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन दालोत, 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन अरनोद, 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन दूधीतलाई एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बसेड़ा के प्रस्तावों का तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है। साध्य पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

जनता जल योजना के विद्युत बिल

497. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना के तहत हुए सिंगल फेज बोरिंगों के बिल सरकार द्वारा व्यावसायिक दर के आधार पर दिए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त बिलों को कृषि आधारित दरों पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशानुसार सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जलदाय तथा न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति हेतु विद्युत कनेक्शन औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। अतः तद्नुसार ग्राम पंचायतों में जनता जल योजना के तहत हुए विद्युत कनेक्शनों के विद्युत विपत्र औद्योगिक दर के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में जनता जल योजना के विद्युत कनेक्शनों को कृषि आधारित दरों पर विद्युत विपत्र जारी किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विद्युत उपयोगिता के आधार पर विद्युत श्रेणी एवं दरों का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा व्यापक जनसुनवाई के पश्चात् किया जाता है।

सागवाड़ा में होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना

498. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा नये होम्योपैथी चिकित्सालय खोले जाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(2) क्या उपखण्ड मुख्यालय सागवाड़ा होम्योपैथी चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में होम्योपैथी चिकित्सालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है, परन्तु होम्योपैथिक औषधालय से संबंधित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) 1. वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

2. ब्लाक स्तर पर कहीं भी होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित नहीं है।

3. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में होम्योपैथी चिकित्सालय स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)